

सकल राजस्व आवश्यकता

वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक

एवं

दर प्रस्ताव याचिका

वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु

प्रस्तुतकर्ता :

म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर



म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
ब्लाक नं. 7, शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर



म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जी.पी.एच. कंपाउन्ड, पोलोग्राउन्ड, इन्दौर,



म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
बिजली नगर कालोनी, निष्ठा परिसर, गोविन्दपुरा, भोपाल



(हिन्दी रूपांतरण)

(विशेष टीप:-वित्त् वर्ष 2014 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव याचिका का यह हिन्दी रूपांतरण हितधारकों की सुलभता के लिए किया गया है, किसी भी विषय विशेष के भावार्थ तथा आंकड़ों की सत्यता पर भ्रम की स्थिति में मूल अंग्रेजी याचिका ही मान्य होगी)**)**

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल के समक्ष

याचिका क्रमांक

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, विद्युत नगर, रामपुर जबलपुर (म.प्र.) | याचिकाकर्ता..... |
| 2. | मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर | याचिकाकर्ता..... |
| 3. | मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जी.पी.एच. कंपाउन्ड, पोलोग्राउन्ड, इन्दौर | याचिकाकर्ता..... |
| 4. | मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
बिजली नगर कालोनी, निष्ठा परिसर, गोविन्दपुरा, भोपाल | याचिकाकर्ता..... |

विषय में:-

“म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय तथा चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2012 (जी – 35, 2012)” में निहित सिद्धान्तों के तहत वर्ष 2013–14 से वर्ष 2015–16 के लिए वितरण एवं खुदरा विद्युत प्रदाय व्यापार हेतु सकल राजस्व आवश्यकता प्रतिवेदन म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, वितरण अनुज्ञप्तिधारी म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तुत करने विषयक।

उपरोक्त याचिकाकर्ता, आदरपूर्वक निम्नानुसार निवेदन करते हैं कि :-

1. म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, (यहां और इसके बाद याचिकाकर्ता, म.प्र.पॉ.मै.कं.लि., कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी के रूप में निरूपित है) का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत हुआ है, जिसका पंजीकृत कार्यालय ब्लॉक नं. 11, शक्ति भवन, विद्युतनगर, रामपुर, जबलपुर में स्थित है।
2. म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.) (यहां और इसके बाद ‘याचिकाकर्ता’, ‘म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.’, ‘कम्पनी’ या ‘अनुज्ञप्तिधारी’ के रूप में निरूपित है) का गठन कंपनी

अधिनियम 1956 के अंतर्गत हुआ है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय ब्लाक क्रमांक 7, षक्तिभवन, विद्युतनगर, जबलपुर में स्थित है। याचिकाकर्ता विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 प्रतिबंध 5 में निहित प्रावधानों के तहत अनुज्ञाप्तिधारी 'माना गया' है। याचिकाकर्ता का विद्युत प्रदाय क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य की जबलपुर, रीवा, सागर तथा शहडोल संभाग हैं।

3. म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.) (यहां और इसके बाद 'याचिकर्ता', 'म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.', 'कम्पनी' या 'अनुज्ञाप्तिधारी' के रूप में निरूपित है) का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत हुआ है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय जी.पी.एच.पोलो ग्राउन्ड, इन्दौर म.प्र. में स्थित है। याचिकाकर्ता विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 प्रतिबंध 5 में निहित प्रावधानों के तहत अनुज्ञाप्तिधारी 'माना गया' है। याचिकाकर्ता का विद्युत प्रदाय क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य की इन्दौर तथा उज्जैन संभाग हैं।
4. म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.) (यहां और इसके बाद 'याचिकर्ता', 'म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.', 'कम्पनी' या 'अनुज्ञाप्तिधारी' के रूप में निरूपित है) का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत हुआ है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय निष्ठा परिसर, बिजली नगर कालोनी, गोविन्दपुरा, भोपाल में स्थित है। याचिकाकर्ता विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 प्रतिबंध 5 में निहित प्रावधानों के तहत अनुज्ञाप्तिधारी 'माना गया' है। याचिकाकर्ता का विद्युत प्रदाय क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य की भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद तथा चंबल संभाग हैं।
5. मध्यप्रदेश षासन ('जी.ओ.एम.पी.', 'राज्य षासन') के आदेश क्रमांक 3679-एफ आर एस-18-13-2002 दिनांक 31 मई '2005, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31 मई 2005 में प्रकाशित हुआ है, के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ('म.प्र.रा.वि.म.' अथवा 'मण्डल') के द्वारा किये जाने वाले उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं विद्युत के खुदरा प्रदाय के दायित्वों एवं कार्यों को पुर्नगठित कर पांच कम्पनियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु हस्तांतरित कर दिया है। यह पांच कम्पनियां निम्नानुसार हैं:-
 1. म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (म.प्र. जेनको)
 2. म.प्र. पावर ट्रांसमिषन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (म.प्र. ट्रांसको)
 3. म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.)
 4. म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.)

-
5. म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.)
 6. उक्त आदेश दिनांक 31/5/2005 के 1 जून 2005 से प्रभावशील होने पर मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं पांचों कंपनियों के बीच स्थापित संचालन एवं प्रबंधन के करार समाप्त हो गए थे। उक्त तिथि से तीनों विद्युत वितरण कंपनियों यथा पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र एवं मध्य क्षेत्र ने अपने-अपने अनुज्ञप्ति क्षेत्र में विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी की हैसियत से स्वतंत्र कार्य संचालन आरम्भ कर दिया है तथा उक्त तिथि से आदेश में निहित 'नगद प्रवाह तंत्र' (कैष फ्लो मैकेनिज्म 'सी.एफ.एम') को छोड़कर, वे अब न तो मण्डल की तरफ से और न ही उसके अभिकर्ता के रूप में कार्य रही हैं।
 7. मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा 3 जून 2006 को मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 की धारा 23 की उपधारा (1), (2) तथा (3) तथा धारा 56 की उपधारा (2), सहपठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 131 की उपधारा (1), (2), (5), (6) तथा (7) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के थोक क्रय एवं थोक विद्युत प्रदाय संबंधी दायित्वों, संपत्तियों, हितों, अधिकारों तथा बाध्यताओं को राज्य सरकार को अंतरित कर निहित कर दिया तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें म. प्र. पावर ट्रेडिंग कंपनी (ट्रेडको) को पुनः अंतरित और पुनः निहित कर दिया गया। तभी से मध्यप्रदेश ट्रेडको विद्युत के थोक क्रय तथा तीनों विद्युत वितरण कंपनियों, के विद्युत प्रदाय संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है जिसमें याचिकाकर्ता कम्पनी भी शामिल है। अधिसूचना क्रमांक 3474 /एफआरएस/17/2002/13 दिनांक 3 जून 2006 के द्वारा किया गया था जिसका संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अंतरण योजना नियम 2006" (अंतरण योजना नियम) रखा गया है।
 8. म.प्र.शासन के निर्णयानुसार म.प्र.पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को बदलकर म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, किया गया है। म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी तीनों वितरण कंपनियों, जो म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, की होल्डिंग कंपनी है। जो कार्यकलाप एवं शक्तियां पूर्व में म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल को प्राप्त थी उन्हें याचिकाकर्ता (म.प्र.पॉ.मै.कं.लि.) को प्रदान की गई है। रजिस्ट्रार आफ कंपनी म.प्र.के द्वारा नामांतरण के पश्चात इस आषय का प्रमाण पत्र 10.04.2012 को जारी किया गया है।
 9. म.प्र.शासन द्वारा म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, को वितरण कंपनियों की टैरिफ याचिका एवं उससे संबंधित कार्यवाहियों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। उपरोक्त

हेतु म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा म.प्र.की तीनों वितरण कंपनियों से “प्रबंधन एवं कार्पोरेट कार्यों से संबंधित” अनुबंध किया गया है ।

10. 5 जून 2012 को मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड ने राज्य की तीनो विधुत वितरण कम्पनियो से “प्रबंधन एवं कार्पोरेट कार्यों हेतु अनुबंध” पर हस्ताक्षर किया है। इस अनुबंध मे निम्नलिखित कार्यों हेतु आपसी सहमति व्यक्त की गयी है।

- नियामक आयोग के विनियम के अनुसार तीनो वितरण कंपनियो की विधुत आवश्यकता को देखते हुऐ लम्बी अवधि/लघु अवधि की विधुत योजना बनाकर विधुत खरीदी कर। आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- म.प्र. सरकार की अधिसूचना के अनुसार भविष्य मे आने वाले परियोजना से खुदरा टैरिफ के अनुसार तीनो वितरण कंपनियो को विधुत का आवंटन करना।
- आर्थिक विष्वसनीय एवं लागत प्रभावी लघु एवं मध्यम अवधि की बिजली खरीदी करना एवं विधुत की अधिकता की स्थिती मे बिजली का बेचना एवं बैंकिंग सुनिश्चित करना।
- दीर्घकालीन एव मध्यम अवधि के बिजली खरीदी के अवसर तलाष कर बिजली खरीदी के लिए आपसी खरीदी समझौतो को अंतिम रूप देना।
- म.प्र. पावर मे. क. लि. के खर्चो को विधुत खरीदी लागत के एक हिस्से के रूप मे तीनो वितरण कंपनीयो को शामिल किया गया है।

11. इसके अलावा यह प्रासंगिक है। कि म.प्र. राज्य विधुत मंडल का वर्ष 2011—2012 का राजस्व खर्च म.प्र. पावर मे. कं. लि. के खर्चो मे शामिल किया गया है। विधुत अधिनियम 2003 की धारा 131 एवं 134 के अनुसार राज्य विधुत मंडल के पुर्नगढन के कारण ऐसा किया जाना आवश्यक है। अतः इस प्रकार के खर्चो को विधि मे परिवर्तन के कारण अनुमति दी जानी चाहिए।

-
12. उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में याचिकाकर्ता (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.), विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 एवं 62 (1) (डी) में निहित प्रावधानों तथा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम में निहित प्रावधानों के तहत अपने वितरण एवं खुदरा विद्युत प्रदाय व्यवसाय हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए दर निर्धारण हेतु वर्तमान याचिका प्रस्तुत कर रहा है।
13. म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने वर्तमान सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) याचिका दायर करने के दौरान प्रचलित विनियम के तहत विभिन्न कानूनी एवं विनियमक निर्देशों तथा लागू प्रावधानों सहित माननीय आयोग द्वारा “आयोग के व्यापार नियमों”, दिशा निर्देशों, पूर्व ए.आर.आर. एवं दर आदेशों और म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (दर निर्धारण के लिए निबंधन एवं शर्तों) विनियम 2009 (जो आगे “विनियम” अथवा “रेग्यूलेशन” से निर्दिष्ट है) के परिपालन का अथक प्रयास किया है।
14. निवेदन है कि जैसे ही खुदरा दर आदेश प्रभावी होता है, मुक्त अभिगम (Open access) वाले ग्राहकों के संबंध में प्रति-अनुदान-अधिभार (Cross Subsidy Surcharge), अतिरिक्त अधिभार (Additional Surcharge), चक्रण प्रभार (wheeling charges) तथा पारेषण प्रभार (transmission charges) को भी अधिसूचित करके दर आदेश की प्रभावी तिथि से ही प्रभावशील किया जावे। अतः प्रार्थना है कि मुक्त अभिगम वाले ग्राहकों के लिए खुदरा दर आदेश के साथ ही प्रति-अनुदान-अधिभार, अतिरिक्त अधिभार, चक्रण प्रभार तथा पारेषण प्रभार के निर्धारण के लिए भी कृपया दृष्टिकोण-पत्र (approach paper) जारी करने का कष्ट करें।
15. याचिकाकर्ता ने उपलब्ध जानकारी के आधार पर माननीय आयोग के विनियमों के अनुपालन एवं दायित्वों के निर्वहन में अपनी श्रेष्ठ क्षमताओं तथा उपलब्ध संसाधनों से निष्कपट चेष्टा की है। यथापि यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य/जानकारी निर्धारण प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध होती है, तो ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को यह अतिरिक्त जानकारी दायर करने एवं तदनुसार याचिका को सशोधित/पुनरीक्षित करने का अधिकार सुरक्षित रखने की अनुमति प्रदान करें।
16. सकल राजस्व आवश्यकता के महत्वपूर्ण तथ्यों एवं अतिरिक्त प्रस्तुति निम्नानुसार है।

A. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु सकल राजस्व आवश्यकता **रु. 7103.36 करोड़** अनुमानित है एवं वर्तमान में लागू विद्युत दरों के अनुसार विद्युत विक्रय से **रु. 5841.09 करोड़** तथा अन्य मदों में **रु. 68.43 करोड़** की आय अनुमानित है जिसके फलस्वरूप सकल राजस्व आवश्यकता तथा कुल आय का अन्तर **1262.27 करोड़** अनुमानित है तथापि यह उल्लेखनीय है कि इस अन्तर में पूर्व के वर्षों हेतु सत्यापन / प्रमाणीकरण (ट्र-अप) प्रक्रिया के फलस्वरूप आंकलित अतिरिक्त लागत सम्मिलित नहीं है। इस प्रस्तावित विक्रय दर के आधार पर **रु. 602.55 करोड़** का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सकेगा। शेष अप्राप्त अन्तर **रुपये 659.71 करोड़** की राशि को नियामक परिसम्पत्ति (रेग्युलेटरी असेट) के रूप में मान्य करके वित्तीय वर्ष 2015 से प्रारम्भ कर आगामी तीन वर्षों की आगामी अवधि में उन्मोचित (अमोटाइज्ड) किया जाना प्रस्तावित है।

B. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु सकल राजस्व आवश्यकता **रु. 9445.01 करोड़** अनुमानित है एवं वर्तमान में लागू विद्युत दरों के अनुसार विद्युत विक्रय से **रु. 8,009.37 करोड़** तथा अन्य मदों में **रु. 65.06 करोड़** की आय अनुमानित है जिसके फलस्वरूप सकल राजस्व आवश्यकता तथा कुल आय का अन्तर **1,435.65 करोड़** अनुमानित है तथापि यह उल्लेखनीय है कि इस अन्तर में पूर्व के वर्षों हेतु सत्यापन / प्रमाणीकरण (ट्र-अप) प्रक्रिया के फलस्वरूप आंकलित अतिरिक्त लागत सम्मिलित नहीं है। इस प्रस्तावित विक्रय दर के आधार पर **रु. 599.69 करोड़** का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सकेगा। शेष अप्राप्त अन्तर **रुपये 835.96 करोड़** की राशि को नियामक परिसम्पत्ति (रेग्युलेटरी असेट) के रूप में मान्य करके वित्तीय वर्ष 2015 से प्रारम्भ कर आगामी तीन वर्षों की आगामी अवधि में उन्मोचित (अमोटाइज्ड) किया जाना प्रस्तावित है।

C. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु सकल राजस्व आवश्यकता **रु. 7,671.30 करोड़** अनुमानित है एवं वर्तमान में लागू विद्युत दरों के अनुसार विद्युत विक्रय से **रु. 6,150.86 करोड़** तथा अन्य मदों में **रु. 46.23 करोड़** की आय अनुमानित है जिसके फलस्वरूप सकल राजस्व आवश्यकता तथा कुल आय का अन्तर **रु. 1,520.44 करोड़** अनुमानित है तथापि यह उल्लेखनीय है कि इस अन्तर में पूर्व के वर्षों हेतु सत्यापन / प्रमाणीकरण (ट्र-अप) प्रक्रिया के फलस्वरूप आंकलित अतिरिक्त लागत सम्मिलित नहीं है। इस प्रस्तावित विक्रय दर के आधार पर **रु. 674.63 करोड़** का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सकेगा। शेष अन्तर अप्राप्त **रुपये 845.82 करोड़** की राशि को नियामक परिसम्पत्ति (रेग्युलेटरी असेट) के रूप में मान्य करके वित्तीय वर्ष 2015 से प्रारम्भ कर आगामी तीन वर्षों की आगामी अवधि में उन्मोचित (अमोटाइज्ड) किया जाना प्रस्तावित है।

D. विद्युत क़य की लागत में परिवर्तन की वसूली के लिए इंधन अधिभार समायोजन हेतु सूत्र भी प्रस्तावित किया गया है।

-
- 17 .उक्त उल्लेखित राजस्व घाटे की समुचित व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए दर प्रस्ताव तैयार किया गया है एवं इस याचिका के संबंधित भाग में प्रस्तुत किया गया है।
18. म.प्र.पा.मे.कं.लि. जबलपुर ने श्री एफ के मेश्राम, मुख्य महाप्रबंधक (टैरिफ), म.प्र.पू.क्ष.कं.लि. जबलपुर ने श्री पी. के. सिंह मुख्य अभियंता (वाणिज्य), म.प्र.प.क्ष.कं.लि. इन्दौर ने श्री कैलाश शिवा, मुख्य अभियंता (वाणिज्य), म.प्र.म.क्ष.कं.लि. भोपाल ने श्री ए. आर. वर्मा अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य), को कम्पनी की ओर से समस्त दस्तावेजों एवं कार्यवाही निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया है। तदनुसार वर्तमान में प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किये गये हैं जो शपथ पत्र द्वारा समर्थित हैं।

प्रार्थना

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता अनुरोध करते हैं कि माननीय आयोग कृपा कर :

- (a) उपरोक्त याचिकाकर्ताओं की एकमुष्ट संलग्न सकल राजस्व आवश्यकता /दर याचिका को पूर्ण अभिलेख मानते हुए रिकार्ड में शामिल करें।
- (b) वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. की 7103.36 करोड रुपये, प.क्षे.वि.वि.क.लि. की 9445.01 करोड रुपये तथा म.क्षे.वि.वि.कं.लि. की 7671.30 करोड रुपये सकल राजस्व आवश्यकता को सभी आग्रहित एवं नियामक प्रषोधनों को शामिल करते हुए मान्य एवं अनुमोदित करें।
- (c) उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माननीय आयोग, म.प्र.पा.मे.कं. के खर्चों को तीनों विधुत वितरण कंपनियों की पावर क्य लागत में शामिल करने की अनुमती प्रदान करे।
- (d) याचिकाकर्ताओं के दर प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2014 हेतु मान्य एवं स्वीकृत करे।
- (e) वसूली की शेष राशि रुपये 659.71 करोड पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. हेतु, 835.96 करोड रुपये प.क्षे.वि.वि.कं.लि. हेतु तथा 845.82 करोड रुपये म.क्षे.वि.वि.कं.लि. हेतु नियामक आस्तिया मान्य किया जावे। जिसे वित्तीय वर्ष 15 से प्रारंभ कर आगामी 3 वर्षों की अवधि में परिषोधित किया जावे।
- (f) वित्तीय वर्ष 2013-14 की सकल राजस्व आवश्यकता के आधार पर मुक्त अभिगम (Open access) वाले ग्राहकों के संबंध में चक्रण प्रभार (wheeling charges), प्रति-अनुदान-अधिभार (cross Subsidy Surcharge), अतिरिक्त अधिभार (Additional Surcharge), तथा पारेषण प्रभार (transmission charges) को भी निर्धारित कर दर आदेश की प्रभावी तिथि से ही प्रभावशील किये जाने हेतु विचार करें और अनुमोदन प्रदान करें ।
- (g) इस याचिका में अनचाहे शेष रह गये तथ्यों/गलतियों/कमियों की अनदेखी करते हुए

दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें, एवं

- (h) माननीय आयोग से अनुरोध है कि तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार यथोचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

दिनांक – 31.12.2012

सही
मुख्य महाप्रबंधक (टैरिफ)
म.प्र.पा.मेने.कं.लि.जबलपुर

सही
मुख्य अभियंता(वाणिज्य)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.जबलपुर

सही
मुख्य अभियंता (वाणिज्य)
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.इंदौर

सही
अधीक्षण अभियंता(वाणिज्य)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.भोपाल

विषय सूची की तालिका

1	विक्रयों का आंकलन	16
1.1	विक्रयों का आंकलन हेतु अपनाई गई विधि	16
1.2	श्रेणीवार विक्रय का प्रक्षेपण	19
1.2.1	एल.व्ही.1 : घरेलू	19
1.2.2	एल.व्ही.2 : गैर घरेलू	26
1.2.3	एल.व्ही.3.1 : सार्वजनिक जल प्रदाय	28
1.2.4	एल.व्ही. 3.2 : पथ प्रकाश	30
1.2.5	एल.व्ही. 4.1 : गैर मौसमी उद्योग	33
1.2.6	एल.व्ही. 4.2 : मौसमी उद्योग	35
1.2.7	एल.व्ही. 5.1 : कृषि	38
1.2.8	एल.व्ही. 5.2 : कृषि संबंधी के अतिरिक्त अन्य उपयोग	42
1.2.9	एच.व्ही. 1 : रेल्वे कर्षण	44
1.2.10	एच.व्ही. 2 : कोयला खदानें	45
1.2.11	एच.व्ही. 3 : औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक	46
1.2.12	एच.व्ही. 4 : मौसमी	49
1.2.13	एच.व्ही. 5 : जल प्रदाय उद्वहन सिंचाई एवं कृषि संबंधी के अतिरिक्त अन्य	50
1.2.14	एच.व्ही. 6 : थोक आवासीय प्रयोक्ता	53
1.2.15	एच.व्ही. 7 : छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	54
2.	वितरण कंपनी की परिधि पर ऊर्जा की आवश्यकता	55
2.1	वार्षिक विक्रय का मासिक विक्रय में परिवर्तन	55
2.2	म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कं.लि. की हानियां	55
2.3	वितरण हानियां	55
2.3.1	वार्षिक हानियों का मासिक हानियों में परिवर्तन	55
3.	उपलब्धता का अनुमान	59
3.1	वर्तमान में उपलब्ध उत्पादन क्षमताओं का विवरण	59
3.1.1	मध्य प्रदेश को आवंटित केन्द्रीय अंचल के स्टेशन	59
3.1.2	द्विपक्षीय एवं संयुक्त उपक्रम के स्टेशन	60
3.1.3	म.प्र.पावर जनरेटिंग कं. के स्टेशन	61
3.2	क्षमता वृद्धि की योजना	62
3.2.1	भावी क्षमता वृद्धि से उपलब्धता प्रक्षेपण के लिए अनुमान	63
3.3	कुल उपलब्धता	63
3.3.1	वितरण कंपनियों को आवंटित क्षमता	65
3.4	पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) की हानियां	66
3.5	ऊर्जा प्रबंधन	66
3.5.1	ऊर्जा की आवश्यकता के विरुद्ध उपलब्धता एवं कमी का प्रबंधन	66
3.5.2	प्रसांगिक ऊर्जा आधिक्य का प्रबंधन	67

4.	विद्युत क्रय की लागत	68
4.1	स्टेशनवार लागत का आंकलन	68
4.1.1	वर्तमान स्टेशनों की लागतों का विवरण	68
4.1.2	नियत लागतें	68
4.1.3	परिवर्तनशील लागते	68
4.1.4	भविष्य में आने वाले स्टेशनों की लागत का विवरण	69
4.2	अन्य स्रोतों से क्रय की जाने वाली लागत का आंकलन	70
4.2.1	पावर गिड कार्पोरेशन इं. लि. की लागत : अंतर्राज्यीय पारेषण लागत	70
4.2.2	म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं.लि. – राज्यीय पारेषण लागत	71
4.2.3	म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि., अन्य लागत	72
4.2.4	मध्यम अवधि विद्युत क्रय लागत	72
4.2.5	अल्प अवधि विद्युत क्रय लागत	72
4.3	कुल विद्युत क्रय की लागत	73
5.	संचालन एवं संधारण व्यय (वितरण कंपनीवार)	75
5.1	कर्मचारी लागत	75
5.2	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	76
5.3	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	76
5.4	संचालन एवं संधारण व्यय के अन्य मद	77
5.4.1	सेवांत हितलाभ (पेंशन, उपदान और अवकाश नगदीकरण)	77
5.4.2	सेवांत हितलाभ (कैश आउट प्लो)	80
5.4.3	म.प्र.विद्युत नियामक आयोग का शुल्क	81
5.5	संचालन एवं संधारण व्यय का सार (जीस्ट)	81
6	निवेश योजना (वितरण कंपनीवार).....	82
6.1.1	पूँजीगत व्यय	82
6.1.2	योजनवार पूँजीगत व्यय	83
6.1.3	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	85
6.1.4	स्थायी परिसंपत्तियों में संयोजन	85
7.	अन्य आय/व्यय : (वितरण कंपनीवार)	86
7.1	अवमूल्यन (डेप्रीशिएशन).....	86
7.2	ब्याज एवं वित्त प्रभार	87
7.2.1	परियोजना ऋणों पर ब्याज	87
7.2.2	कार्यकारी पूँजी पर ब्याज	88
7.2.3	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	90
7.3	अन्य आय	91
7.4	अंशपूँजी पर प्रतिलाभ	92
7.5	डूबंत एवं संदिग्ध ऋण	93
8.	आय एवं व्यय एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं.लि.....	94
8.1	आय	94
8.2	व्यय	94
9.	सकल राजस्व आवश्यकता	98
9.1	एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं.लि. की सकल राजस्व आवश्यकता	98
9.2	वितरण कंपनियों की सकल राजस्व आवश्यकता	99

10.	ईंधन अधिभार एवं इन्क्रीमेंटल पी.पी.कॉस्ट एडजेस्टमेंट.....	100
11.	वर्ष 2013-14 के लिए दर प्रस्ताव	103
	11.1.1 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण क.लि.	103
	11.1.2 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि.	103
	11.1.3 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि.	103
11.2	श्रेणीवार दर प्रस्ताव का विवरण	104
11.3	दर प्रस्ताव का सारांश	119
12.	वित्तीय वर्ष 2012-13 के दर आदेश पर अनुपालन	124
	12.1.1 वितरण हानियां	124
	12.1.2 अमीटरीकृत संयोजनों का मीटरीकरण	127
	12.1.3 तकनीकी हानियों को कम किये जाने संबंधी पूंजीगत व्यय योजना	134
	12.1.4 ऐसे मीटरों की संस्थापना करना जिनमें उपभोक्ताओं को घरेलू श्रेणी में औसत मासिक मांग लेख्यांकित करने की सुविधा हो	134
	12.1.5 ग्रामीण संभरकों का कृषि तथा अन्य श्रेणियों में पृथक्करण किया जाना :	134
	12.1.6 न्यूनतम विद्युत प्रदाय अवधि	138
	12.1.7 व्यवसायिक प्रतिनिधियों (फ्रेन्चाईजी) की नियुक्तियां	140
	12.1.8 वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु प्रथम देयक के साथ नवीन विद्युत दर (टैरिफ) से संबंधित टैरिफ कार्ड जारी करना	144
	12.1.9 सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों को हिन्दी भाषा में दायर किया जाना	144
	12.1.10 छूट / प्रोत्साहनों / अधिभारों का लेखांकन	145
	12.1.11 एक समान लेखा का संधारण	146
	12.1.12 विनियमों का परिपालन	147
	12.1.13 25 अश्व शक्ति से अधिक भार वाले गैर घरेलू उपभोक्ताओं को अनिवार्य मांग आधारित टैरिफ लागू करना	148
	12.1.14 मांग आधारित निम्नदाब उपभोक्ताओं के लिए संयोजित भार की अधिकतम सीमा समाप्त करना	149
	प्रस्तावित दर अनुसूची - निम्नदाब	1-36
	प्रस्तावित दर अनुसूची - उच्चदाब	1-35

तालिकाओं की सूची

तालिका-1	पुनरीक्षित आंकलन की दर आदेश वित्तीय वर्ष 2013 एवं वर्ष 2014 के लिए विक्रय आंकलन (मि.यू.).....	17
तालिका-2	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विक्रय आंकलन (मि.यू.).....	18
तालिका-3	निम्नदाब घरेलू यूनिट का आंकलन	21
तालिका-4	निम्नदाब गैर घरेलू यूनिट का आंकलन	26
तालिका-5	निम्नदाब सार्वजनिक जल प्रदाय (3.1) यूनिट का आंकलन	28
तालिका-6	निम्नदाब सड़क बत्ती (3.2) यूनिट का आंकलन	30
तालिका-7	निम्नदाब गैर मौसमी औद्योगिक (4.1) यूनिट का आंकलन	33
तालिका-8	निम्नदाब मौसमी औद्योगिक (4.2) यूनिट का आंकलन	35
तालिका-9	निम्नदाब कृषि (5.1) यूनिट का आंकलन.....	38
तालिका-10	निम्नदाब कृषि उपयोग के अलावा (5.2) यूनिट का आंकलन	42
तालिका-11	एच.व्ही-1 रेल्वे कर्षण प्रक्षेपण.....	44
तालिका-12	एच.व्ही-2 कोयला खदान प्रक्षेपण.....	45
तालिका-13	एच.व्ही-3 औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक प्रक्षेपण.....	46
तालिका-14	एच.व्ही-4 मौसमी प्रक्षेपण	49
तालिका-15	एच.व्ही-5 सार्वजनिक जल प्रदाय, उद्वहन सिंचाई एवं कृषि उपयोग के अलावा प्रक्षेपण	50
तालिका-16	एच.व्ही-6 थोक रहवासी उपयोगकर्ता प्रक्षेपण	53
तालिका-17	महीनेवार वितरण कंपनियों की बिक्री प्रोफाइल.....	55
तालिका-18	म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं. की हानियां (पूर्व आंकड़े एम.पी.एस.एल.डी.सी से प्राप्त)	55
तालिका-19	वितरण कंपनियों हेतु हानि स्तर लक्ष्य (म.प्र.विद्युत नियामक के अनुसार).....	55
तालिका-20	वित्तीय वर्ष 2014 से 2016 हेतु राज्य सीमा पर मासिक ऊर्जा की आवश्यकता(मि.यू.).....	56
तालिका-21	म.प्र.को आवंटित केन्द्रीय अंचल के स्टेशन	59
तालिका-22	अतीत और अनुमानित केन्द्रीय अंचल के स्टेशनों की उपलब्धता (एक्स बस)	60
तालिका-23	द्विपक्षीय एवं संयुक्त उपक्रम के स्टेशन.....	60
तालिका-24	अतीत और अनुमानित द्विपक्षीय एवं संयुक्त उपक्रम के स्टेशनों की उपलब्धता.(एक्स बस).....	61
तालिका-25	वित्तीय वर्ष 2013 से 2016 के लिए एम.पी.जेनको के स्टेशनों की अनुमानित मि.यू. (एक्स बस).....	61
तालिका-26	वित्तीय वर्ष 2014 से 2016 हेतु क्षमता में वृद्धि की योजना.....	62
तालिका-27	वित्तीय वर्ष 2014 से 2016 के लिए कुल उपलब्धता (मि.यू.).....	63
तालिका-28	म.प्र.शासन की अधिसूचना अनुसार वितरण कंपनियों को क्षमता का आवंटन(200 मेगावाट का आवंटन बुंदेलखण्ड क्षेत्र सहित) (:)	65
तालिका-29	वितरण कंपनियों द्वारा विभिन्न स्रोतों से खरीद (एक्स बस)	66
तालिका-30	केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार केन्द्रीय अंचल के स्टेशन	69
तालिका-31	मौजूदा स्टेशनों की फिक्सड एवं परिवर्तनीय लागत	70
तालिका-32	भविष्य में आने वाले क्षमताओं की फिक्सड एवं परिवर्तनीय लागत.....	70
तालिका-33	पीजीसीआईएल लागत (अन्तरराज्यीय पारेषण शुल्क).....	70
तालिका-34	म.प्र.पॉ.ट्रां.कं. लागत (अन्तःराज्यीय पारेषण शुल्क)	71
तालिका-35	म.प्र.पॉ.ट्रां.कं. लागत: (वितरण कंपनियों के लिए आवंटन).....	71
तालिका-36	एम.पी.पॉ.मै.कं. अन्य लागत (विवरण एवं वितरण कंपनियों को आवंटन).....	72
तालिका-37	वित्तीय वर्ष 2013 से 2016 के लिए कुल बिजली खरीद की लागत.....	73
तालिका-38	कर्मचारी लागत : विनियमन के प्रावधान अनुसार (रु. करोड़ में).....	75
तालिका-39	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय : विनियमन के प्रावधान अनुसार (रु. करोड़ में).....	76
तालिका-40	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय : विनियमन के प्रावधान अनुसार (रु. करोड़ में)	76
तालिका-41	एक्चुरी के खाते पर भविष्य के दायित्व हेतु योगदान दर	77
तालिका-42	सेवांत लाभ की गणना(रु. करोड़ में).....	78
तालिका-43	वितरण कंपनियों हेतु टर्मिनल बेनीफिट की जवाबदारी (रु. करोड़ में).....	80
तालिका-44	वितरण कंपनियों का टर्मिनल लाभ (रु. करोड़ में)	81
तालिका-45	म.प्र.विद्युत नियामक आयोग का शुल्क	81
तालिका-46	संचालन एवं संधारण लागत का सार : विनियमन के प्रावधानानुसार (रु. करोड़ में)	81
तालिका-47	पूँजीगत व्यय योजना (रु. करोड़ में).....	82
तालिका-48	योजनावार कैपिटलाइजेशन (रु. करोड़ में).....	83
तालिका-49	पूँजीगत कार्य प्रगति पर (रु. करोड़ में)	85
तालिका-50	स्थायी परिसंपत्तियों में संयोजन (रु. करोड़ में)	85
तालिका-51	अवमूल्यन (डेप्रीशिएशन) विनियमन के प्रावधानानुसार(रु. करोड़ में)	86
तालिका-52	परियोजना ऋणों पर ब्याज (रु. करोड़ में).....	87
तालिका-53	कार्यकारी पूँजी पर ब्याज (रु. करोड़ में)	88

तालिका-54	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज विनियमन के प्रावधानानुसार (रु. करोड़ में)	90
तालिका-55	अन्य आय (रु. करोड़ में)	91
तालिका-56	अंशपूजी पर प्रतिलाभ विनियमन के प्रावधानानुसार	92
तालिका-57	डूबंत एवं संदिग्ध ऋण विनियमन के प्रावधानानुसार (रु. करोड़ में)	93
तालिका-58	म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी की सकल राजस्व आवश्यकता का सारांश.(रु. करोड़ में).....	98
तालिका-59	वितरण कंपनियों की सकल राजस्व आवश्यकता का सारांश (रु. करोड़ में)	99
तालिका-60	प्रस्तावित टैरिफ की वजह से राजस्व पर प्रभाव (रु. करोड़ में)	105
तालिका-61	प्रस्तावित दर अनुसूची – निम्नदाब	106
तालिका-62	प्रस्तावित दर अनुसूची – उच्चदाब	115

1. विक्रयों का आंकलन

1.1 विक्रयों के आंकलन हेतु अपनाई गई विधि

- 1.11 वित्तीय वर्ष 14 के लिये प्रक्षेपण के उद्देश्य से, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों ने विगत पाँच वर्षों (अर्थात् वित्तीय वर्ष 08, वित्तीय वर्ष 09, वित्तीय वर्ष 10, वि.वर्ष 11, वित्तीय वर्ष 12 एवं वित्तीय वर्ष 13 के माह अक्टूबर'12 तक के उपलब्ध) विद्युत के विक्रय, उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित/संविदाकृत भार, आदि के श्रेणीवार तथा खण्डवार वास्तविक आँकड़ों पर विचार किया है ।
- 1.12 अनुज्ञप्तिधारियों ने बहुवर्षीय दर की शेष अवधि के लिए अपनी विगत वर्षों की याचिकाओं यथा वित्तीय वर्ष 13 में, वित्तीय वर्ष 11 वास्तविक आंकड़ों के आधार पर विक्रयों का प्रक्षेपण किया था। चूंकि अब वित्तीय वर्ष 12 के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं और यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष 12 में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये विक्रयों के पूर्वानुमानित प्रक्षेपणों तथा जिन्हें माननीय आयोग द्वारा पिछली याचिकाओं के दौरान अनुमोदित किया था, से वास्तविक विक्रयों में उल्लेखनीय विचलन हुआ है एवं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चालू वर्ष के दौरान विद्युत प्रदाय के घंटों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए, अनुज्ञप्तिधारी यह आवश्यक समझते हैं कि वित्तीय वर्ष 13 के विक्रय पूर्वानुमानों को पुनरीक्षित करना एवं तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 14 हेतु विक्रय का प्रक्षेपण करना उचित होगा ।
- 1.13 वित्तीय वर्ष 2014 से वर्ष 2016 हेतु विक्रय का प्रक्षेपण विगत 05 वर्षों के वास्तविक खपत एवं वित्तीय वर्ष 2013 के पुनरीक्षित अनुमान के आधार पर पेश उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित भार एवं खपत के आंकड़ों के आधार पर किया गया है ।
- 1.14 तीनों वितरण कंपनियों द्वारा नगरीय एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं की प्रत्येक श्रेणी एवं उनकी उप-श्रेणी के लिए पृथक से वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दरों (सी.ए.जी.आर.) को विप्लेषण का आधार बनाया गया है। आंकड़ों के विप्लेषण के पश्चात्, पिछली सी.ए.जी.आर. से भावी उपभोक्ता के पूर्वानुमानों के लिए श्रेणी उप श्रेणी के लिए उपयुक्त यथोचित विकास दरें परिकल्पित की गई हैं।
- 1.15 प्रक्षेपण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना/नगरीय क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं की भावी मीटरीकरण योजना तथा कृषि एवं अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के संभरकों के पृथक्कीकरण की योजना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय के घंटों में वृद्धि के प्रभाव को भी शामिल किया गया है। प्रक्षेपण हेतु प्रत्येक श्रेणी के लिए उपयुक्त प्रासंगिक मान्यताओं की तीनों वितरण कंपनियों की आगे के खण्डों में चर्चा की गई है कुल विक्रय का पूर्वानुमान निम्नानुसार है :-

तालिका-1 वित्तीय वर्ष 2013 हेतु पुनरीक्षित बिक्री एवं वित्तीय वर्ष 2014 हेतु अनुमानित बिक्री (मि.यू)

दर श्रेणी	श्रेणी	पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.		पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.		मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.	
		वि.वर्ष 13 पुनरीक्षित	वि.वर्ष 14	वि.वर्ष 13 पुनरीक्षित	वि.वर्ष 14	वि.वर्ष 13 पुनरीक्षित	वि.वर्ष 14
एल.व्ही.-1	घरेलू	2,656.54	5,089.70	3,328.90	5,944.77	2,514.06	4,378.79
एल.व्ही.-2	गैर घरेलू	539.06	637.58	723.54	824.42	626.23	821.91
एल.व्ही.-3	जल प्रदाय कार्य तथा पथ प्रकाश	261.20	330.32	264.17	384.71	305.86	403.16
एल.व्ही.-4	निम्नदाब औद्योगिक	269.16	319.81	489.80	577.96	255.53	345.58
एल.व्ही.-5.1	कृषि सिंचाई पम्प	2,046.39	2,273.72	5,101.89	5,831.91	3,186.04	3,783.68
एल.व्ही.-5.2	कृषि संबंधी उपयोग	2.65	2.90	3.78	3.82	4.03	5.61
	योग (निम्नदाब)	5,775.00	8,654.03	9,912.08	13,567.59	6,891.75	9,738.73
एच.व्ही.-1	रेल्वे कर्षण	570.44	570.44	412.96	425.04	831.27	900.84
एच.व्ही.-2	कोयला खदाने	491.06	496.48	0.00	0.00	33.47	33.47
एच.व्ही.3.1	औद्योगिक	1,698.75	1,795.13	2,828.76	2,855.29	1,605.93	1,832.85
एच.व्ही.3.2	गैर औद्योगिक	228.60	249.89	373.26	404.59	301.88	334.24
एच.व्ही.-4	मौसमी	7.00	7.80	8.87	8.96	2.16	2.93
एच.व्ही.5.1	सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य	59.22	62.51	310.09	344.39	102.61	109.47
एच.व्ही.5.1	सिंचाई	4.02	4.23	0.12	0.13	0.00	0.00
एच.व्ही.5.2	अन्य कृषि	9.96	10.51	5.78	6.29	4.15	6.31
एच.व्ही.6	थोक रहवासी उपयोगकर्ता	342.94	396.96	7.04	7.17	166.62	184.50
एच.व्ही.7	छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक प्रदाय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग (उच्चदाब)	3,411.99	3,593.95	3,946.89	4,051.87	3,048.09	3,404.61
	योग(निम्न+उच्चदाब)	9,186.99	12,247.98	13,858.97	17,619.46	9,939.84	13,143.34

तालिका-2 वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विक्रय आंकलन (मि.यु)

दर श्रेणी	श्रेणी	पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.		पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.		मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.	
		वि.वर्ष 15	वि.वर्ष 16	वि.वर्ष 15	वि.वर्ष 16	वि.वर्ष 15	वि.वर्ष 16
एल.व्ही.-1	घरेलू	6,391.47	8,109.40	6,879.17	7,980.17	5,453.83	6,769.49
एल.व्ही.-2	गैर घरेलू	741.00	861.65	932.32	1,054.69	1,084.10	1,437.76
एल.व्ही.-3	जल प्रदाय कार्य तथा पथ प्रकाश	422.18	544.99	473.40	586.32	543.45	754.96
एल.व्ही.-4	निम्नदाब औद्योगिक	383.88	465.49	634.47	697.13	517.25	881.33
एल.व्ही.-5.1	कृषि सिंचाई पम्प	2,530.71	2,855.30	6,672.29	7,640.33	4,624.38	5,830.35
एल.व्ही.-5.2	कृषि संबंधी उपयोग	3.18	3.48	3.86	3.90	8.50	13.82
	योग (निम्नदाब)	10,472.41	12,840.32	15,595.52	17,962.53	12,231.51	15,687.71
एच.व्ही.-1	रेल्वे कर्षण	570.44	570.44	437.48	450.28	976.62	1,059.18
एच.व्ही.-2	कोयला खदाने	502.29	508.55	0.00	0.00	33.47	33.47
एच.व्ही. 3.1	औद्योगिक	1,900.58	2,016.01	2,882.78	2,911.32	2,125.38	2,505.39
एच.व्ही.3.2	गैर औद्योगिक	274.43	302.96	439.19	477.42	371.18	413.76
एच.व्ही.-4	मौसमी	8.75	9.86	9.05	9.14	4.03	5.61
एच.व्ही. 5.1	सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य	66.01	69.73	382.54	424.99	118.18	131.34
एच.व्ही. 5.1	सिंचाई	4.46	4.72	0.14	0.15	0.00	0.00
एच.व्ही. 5.2	अन्य कृषि	11.14	11.86	6.84	7.45	9.82	15.58
एच.व्ही. 6	थोक रहवासी उपयोगकर्ता	459.60	532.26	7.31	7.46	206.76	235.51
एच.व्ही.7	छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक प्रदाय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग (उच्चदाब)	3,797.70	4,026.38	4,165.34	4,288.20	3,845.44	4,399.84
	योग(निम्न+ उच्चदाब)	14,270.11	16,866.70	19,760.86	22,250.74	16,076.95	20,087.55

1.2 श्रेणीवार विक्रय का प्रक्षेपण

1.2.1 एल.व्ही.-1 : घरेलू

1.2.1.1 भावी प्रक्षेपणों हेतु काल्पनिक अमीटरीकृत घरेलू विक्रय :-

वित्तीय वर्ष 06 के पूर्व जारी दर आदेशों में माननीय नियामक आयोग द्वारा अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं की वास्तविक/अनुमानित खपत पर विचार किये बिना विद्युत दरें रु प्रति उपभोक्ता प्रति माह के हिसाब से तय की थीं । तत्पश्चात् माननीय आयोग द्वारा वास्तविक खपत पर विचार किए बिना ही अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की विद्युत दरों को विद्युत प्रदाय के घण्टों से सम्बद्ध न करते हुए केवल अनुमानित खपत से सम्बद्ध कर दिया गया ।

तत्पश्चात् माननीय आयोग द्वारा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं हेतु बिलिंग के लिए अनुमानित खपत क्रमशः 77 यूनिट एवं 38 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह तय की थी । यह अनुमानित खपत वर्ष 2005-06 में सामान्य श्रेणी के मीटरीकृत उपभोक्ताओं की औसत मासिक खपत के आधार पर तय की गई थी ।

तभी से माननीय आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 13 के दर आदेश तक नगरीय क्षेत्र के अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं हेतु अनुमानित खपत 77 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह को पुनरीक्षित नहीं किया गया है। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र के अमीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु अनुमानित खपत 38 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह को वित्तीय वर्ष 08 के दर आदेश तक यथावत रखा गया एवं तत्पश्चात् अगले दर आदेशों में इसे कम करके 30 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह कर दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2013 में इसे संशोधित कर 42 यूनिट प्रतिमाह प्रति उपभोक्ता कर दी गई ।

निवेदन है कि वर्ष 2006 के पश्चात् वितरण कंपनियों की मूलभूत संरचनाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है जिससे विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता के साथ – साथ गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विद्युत आपूर्ति के घण्टों में भी वर्ष दर वर्ष क्रमशः वृद्धि हुई है, जिससे मीटरीकृत एवं अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं के औसत मासिक खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है परन्तु नियामक बंधनों के कारण अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के विद्युत देयक माननीय

आयोग द्वारा अनुमोदित अनुमानित खपत के आधार पर ही जारी किये जा रहे हैं। अतः अब यह उचित होगा कि अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं की बिलिंग को नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के मीटरीकृत उपभोक्ताओं की औसत मासिक खपत के आधार पर पुनरीक्षित किया जावे। वित्तीय वर्ष – 14 में विद्युत प्रदाय के घण्टों में संभावित वृद्धि के कारण अनुमानित खपत और भी बढ़ेगी।

इसीलिए इस याचिका में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत खपत को, प्रक्षेपण हेतु क्रमशः 136 यूनिट एवं 100 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह, पूर्व क्षेत्र कंपनी में एवं 163 यूनिट एवं 100 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह पश्चिम क्षेत्र कंपनी हेतु माना गया है। यह अनुमानित खपत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के मीटरीकृत उपभोक्ताओं की प्रति माह प्रति उपभोक्ता औसत खपत के आधार पर है।

मध्य क्षेत्र वि.वि.कं. में वर्ष 2011–12 में शहरी क्षेत्र में औसत खपत 125 यूनिट एवं ग्रामीण क्षेत्र में 47 यूनिट है। माह सितम्बर–2012 तक के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 5.12 प्रतिषत एवं 3.01 प्रतिषत वृद्धि परिलक्षित हुई है, इस कारण 100 यूनिट प्रतिमाह प्रति उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र में खपत ली गई है। जबकि शहरी क्षेत्र में वास्तविक वृद्धि दर वर्ष 2013–14 की प्रथम छः माही में मीटरीकृत कनेक्शनों में देखा गया है, उसे ही मान्य किया गया है। जिसे वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के प्रक्षेपण हेतु आधार माना गया है।

1.2.1.2 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

उपरोक्तानुसार दर्शाई गयी विकास की दरों के अतिरिक्त, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना क्रियान्वयन के प्रभाव को भी भावी उपभोक्ता/भार/खपत के प्रक्षेपण हेतु शामिल किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन की रूप रेखा पर आधारित कम्पनियों के भावी प्रक्षेपण निम्न तालिका अनुसार हैं:-

घरेलू आर.जी.जी.वाय. आंकलन : म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि. कंपनी			
वर्ष		2012-13	2013-14
लक्ष्य (उपभोक्ताओं की संख्या)		247,000	240,000
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल उपभोक्ताओं का सम्बद्ध भार 300 वॉट प्रति उपभोक्ता लिया गया है । इन उपभोक्ताओं की खपत मीटरीकृत ग्रामीण उपभोक्ताओं की प्रति माह खपत के समतुल्य माना गया है ।			
घरेलू आर.जी.जी.वाय. आंकलन : पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कंपनी			
वर्ष		2012-13	2013-14
लक्ष्य (उपभोक्ताओं की संख्या)		108,164	104,228
खपत यूनिटों में वृद्धि (मिलियन यूनिट)		86.96	254.87
घरेलू आर.जी.जी.वाय. आंकलन : मध्य क्षेत्र वि.वि. कंपनी			
वर्ष		2011-12	2012-13
लक्ष्य (उपभोक्ताओं की संख्या)		57,269	69,915
			12,576
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल उपभोक्ताओं का सम्बद्ध भार 300 वॉट प्रति उपभोक्ता लिया गया है । इन उपभोक्ताओं की खपत मीटरीकृत ग्रामीण उपभोक्ताओं की प्रति माह खपत के समतुल्य माना गया है ।			

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत उपभोक्ताओं में वृद्धि एवं अमीटरीकृत संयोजनों में विद्युत प्रदाय के घंटों में वृद्धि की वजह से अनुमानित खपत में वृद्धि को कारक मानते हुए निम्न दाब श्रेणी एल.व्ही.-1 के प्रक्षेपण निम्नानुसार है:-

तालिका-3 निम्नदाब घरेलू यूनिट का आंकलन

क्षेत्र	उप श्रेणी	पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.			पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.			मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.		
		वि. वर्ष-14	वि. वर्ष-15	वि. वर्ष-16	वि. वर्ष-14	वि. वर्ष-15	वि. वर्ष-16	वि. वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि. वर्ष-16
नगरीय	मीटरीकृत	1,803.99	2,100.83	2,446.50	2,861.99	3,372.04	3,992.02	2,382.41	3,000.65	3,795.82
नगरीय	अमीटरीकृत	34.67	0.00	0.00	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00
नगरीय	अस्थायी	21.64	28.78	38.27	44.67	48.34	52.38	23.27	34.73	51.82
नगरीय	योग	1,860.31	2,129.61	2,484.77	2,909.96	3,423.68	4,047.70	2,405.68	3,035.38	3,847.64
ग्रामीण	मीटरीकृत	2,075.06	2,992.12	4,227.94	2,643.78	3,063.64	3,540.03	1,502.69	1,932.99	2,420.38
ग्रामीण	अमीटरीकृत	1,152.88	1,268.16	1,394.98	378.37	378.37	378.37	468.90	483.02	497.57
ग्रामीण	अस्थायी	1.45	1.57	1.70	12.67	13.48	14.07	1.53	2.44	3.91
ग्रामीण	योग	3,229.39	4,261.86	5,624.63	3,034.82	3,455.49	3,932.47	1,973.12	2,418.45	2,921.86
योग	मीटरीकृत	3,879.06	5,092.95	6,674.44	5,505.77	6,435.69	7,532.04	3,885.10	4,933.64	6,216.20
योग	अमीटरीकृत	1,187.55	1,268.16	1,394.98	381.67	381.67	381.67	468.90	483.02	497.57
योग	अस्थायी	23.09	30.35	39.98	57.33	61.81	66.46	24.80	37.17	55.73
योग	योग	5,089.70	6,391.47	8,109.40	5,944.77	6,879.17	7,980.17	4,378.80	5,453.83	6,769.50

1.2.1.3 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

भविष्य के प्रक्षेपणों हेतु कल्पित विकास दरें

क्षेत्र	श्रेणी	नगरीय		ग्रामीण	
मीटरीकृत	उपभोक्ता	5.87%	एक वर्षीय वृद्धि को माना गया है।	20.00%	फीडर विभक्तिकरण योजना एवं 24 घंटे विद्युत प्रदाय में अपेक्षित वृद्धि के कारण 20 प्रतिशत वृद्धि मानी गयी है।
	औसत भार (कि.वॉ) प्रति उपभोक्ता	0.73	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है।	0.23	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता, प्रतिमाह	25.00%	वित्तीय वर्ष 13 में माह अक्टू-12 की तरह पुनः विकास दर मानी गई है। तहसील एवं जिला मुख्यालयों में विद्युत प्रदाय के घण्टों में अपेक्षित वृद्धि की वजह से वर्ष 14 में 25 प्रतिशत वृद्धि मानी गई है।	93.00%	फीडर विभक्तिकरण योजना एवं 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की अपेक्षित वृद्धि के कारण यह उम्मीद है कि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की खपत 100 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह हो सकती है। इसलिए 93 प्रतिशत वृद्धि मानी गयी है।
अमीटरीकृत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	औसत भार (कि.वॉ) प्रति उपभोक्ता	0.20	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है।	0.09	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता, प्रतिमाह		टैरिफ आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 13 में 77 यूनिट एवं वर्ष 14 के लिए 136 यूनिट प्रति उपभोक्ता, जो मीटरीकृत प्रति उपभोक्ता के खपत के समतुल्य लिया गया है।		टैरिफ आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 13 में 42 यूनिट एवं वर्ष 14 के लिए 100 यूनिट प्रति उपभोक्ता, जो मीटरीकृत प्रति उपभोक्ता के खपत के समतुल्य लिया गया है।
अस्थायी	उपभोक्ता	20.60%	चार वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है।	4.46%	चार वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है।
	औसत भार (कि.वॉ) प्रति उपभोक्ता	1.11	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है।	1.09	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता, प्रतिमाह	10.27%	एक वर्षीय वृद्धि को माना गया है।	3.78%	एक वर्षीय वृद्धि को माना गया है।

1.2.1.4 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि.

अ- विकास दर

भविष्य के प्रक्षेपणों हेतु कल्पित विकास दरें

क्षेत्र	श्रेणी	नगरीय		ग्रामीण	
मीटरीकृत	उपभोक्ता	5.56%	तीन वर्षीय वृद्धि को माना गया है।	6.83%	श्रेणीवार दो वर्षीय विकास दर मानी गई है।
	भार	20.15%	दो वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है।	19.36%	श्रेणीवार मीटरीकृत तीन वर्षीय विकास दर मानी गई है।
	खपत	21.55%	श्रेणीवार एक वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है।	28.71%	एक वर्षीय ग्रामीण मीटरीकृत विकास दर मानी गई है।

अमीटरीकृत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार		वित्तीय वर्ष 2012 के समान मानी गई है।		वित्तीय वर्ष 2012 के समान मानी गई है।
	खपत		वित्तीय वर्ष 13-14 में 163 यूनिट प्रति उपभोक्ता अर्थात मीटरीकृत उपभोक्ता के औसत खपत प्रति उपभोक्ता के समतुल्य।		वित्तीय वर्ष 14 में 100 यूनिट प्रति उपभोक्ता अर्थात वर्ष 13 में विद्युत प्रदाय के घंटों में वृद्धि के कारण मीटरीकृत उपभोक्ता के औसत खपत प्रति उपभोक्ता के समतुल्य।
अस्थायी	उपभोक्ता	8.80%	दो वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है।	7.16%	दो वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है।
	भार	16.94%	दो वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है।	13.37%	तीन वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है।
	खपत	10.30%	एक वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है।	10.30%	ग्रामीण क्षेत्र की तरह माना गया है।

ब. जनसांख्यिकी प्रभाव :

म.प्र.विद्युत नियामक आयोग ने बुनियादी ढांचे विकास के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है, शहरी एवं नगरीय क्षेत्रों में जिसमें विकसित/विकासशील कालोनियों में नये कनेक्शनों के काफी संख्या में वृद्धि होगी जिसके कारण एल.व्ही.-1 श्रेणी के कनेक्शनों की मांग में वृद्धि होगी। आर.ए.डी.आर.पी. एवं फीडर विभक्तिकरण योजना के क्षमता दोहन के परिणामस्वरूप वितरण कंपनी में इस श्रेणी में अग्रिम वृद्धि होगी जो पूर्ववर्ती वृद्धि दर अपर्याप्त शामिल था। निम्न तालिका से पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी के सर्किलों में अप्रयुक्त क्षमता का पता चलता है :-

स. क.	जिला	कुल जनसंख्या			वित्तीय वर्ष 2011 में कुल घरों की संख्या (2011 की जनगणना अनुसार)	घरों की संख्या वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2014 प्रक्षेपित उपभोक्ताओं की संख्या	बिना कनेक्शन के घरेलू उपभोक्ता	वित्तीय वर्ष 2014 में बिना कनेक्शन धारी अतिरिक्त घरेलू उपभोक्ता
		2011	2013	2014					
		वास्तविक	आंकलित	आंकलित	वास्तविक	आंकलित			

1	इन्दौर	3272335	3363960	3458151	615334	650275	641256	9019	3006
2	खण्डवा	1309443	1334322	1359674	265657	275848	169823	106025	35342
3	बुरहानपुर	756993	770619	784490	144154	149390	101144	48246	16082
4	खरगौन	1872413	1911734	1951880	366578	382136	218586	163550	54517
5	बडवानी	1385659	1418915	1452969	243061	254868	136326	118542	39514
6	धार	2184672	2234919	2286323	419813	439347	249271	190076	63359
7	झाबुआ	1024091	1051741	1080138	207621	218984			
8	अलीराजपुर	728677	741793	755145	131747	136532	177845	177671	59224
9	उज्जैन	1986597	2016396	2046642	384278	395893	286599	109294	36431
10	देवास	1563107	1591243	1619885	304742	315811	197961	117850	39283
11	शाजापुर	1512353	1536551	1561135	298266	307887	153740	154147	51382
12	रतलाम	1454483	1480664	1507316	293116	303763	216684	87079	29026
13	मंदसौर	1339832	1355910	1372181	284411	291278	207359	83919	27973
14	नीमच	825958	836695	847572	175666	180263	116574	63689	21230
योग		21216613	21645462	22083501	4134444	4302275	2873167	1429108	476369

कम्पनी की नियंत्रण अवधि में इस अप्रयुक्त क्षमता को जोड़ने का लक्ष्य है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2014 में पूरी अप्रयुक्त क्षमता को अगले तीन वर्षों में शामिल किया जाएगा इसके प्रभाव से वर्ष 2014 में आने वाले उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है :-

जनसांख्यिकी प्रभाव			
वित्तीय वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16
वर्ष 2014 में आने वाले संभावित उपभोक्ता	476369	476369	476369
खपत (मिलियन यूनिट)	746.11	746.11	746.11

स- फीडर विभक्तिकरण का ग्रामीण विक्रय में प्रभाव :-

म.प्र.शासन की नीति अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2013 से 24 घन्टे विद्युत प्रदाय किये जाने हेतु कंपनी द्वारा फीडर विभक्तिकरण योजना जो कि आर.ई.सी. एवं ए.डी.बी. द्वारा वित्त पोषित है, को क्रियान्वित करने का कार्य किया जा रहा है । वर्तमान में कृषि उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं को 11 के.व्ही. फीडर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । कम बिजली की उपलब्धता एवं कृषि पम्पों को प्रदाय की जाने वाली विद्युत आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए इन क्षेत्रों में विनियमित है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सभी उपभोक्ताओं को एक ही फीडर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । जिससे समस्त ग्रामीण क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता एवं अन्य उपयोग प्रभावित होंगे । जिनको दूर करने के लिए फीडर विभक्त किया जाना प्रस्तावित है । इन उपयोगकर्ताओं को बेहतर बिजली की आपूर्ति जिससे बेहतर स्वास्थ्य सेवा, आय सर्जन और शिक्षा सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए यह निश्चित किया गया है कि कृषि पम्पों का भार अन्य श्रेणी के भार विनियमित करने हेतु प्रभावी योजना लागू करने का निर्णय लिया है । इसके लिए समानान्तर फीडर के स्थापना करने से ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू और अन्य उपभोक्ताओं को विष्वसनीय आपूर्ति प्रदान करने के लिए योजना बनाई है । म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा एक विष्वसनीय निवेश योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता पूर्ण विद्युत प्रदाय एवं बेहतर प्रबंधन के साथ आपूर्ति घंटों में सुधार को शामिल किया गया है । म.प्र.शासन एवं म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा 2013 के बाद सभी गांवों में 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति की जावेगी ।

फीडर विभक्तिकरण योजना के तहत गांव का भार एवं कृषि पम्पों का भार 11 के.व्ही. के अलग-अलग फीडरों में विभक्त किया जा रहा है, जिसके लिए नवीन 11 के.व्ही. समानान्तर लाइन एवं अधोसंरचना का विकास किया जावेगा। कंपनी की योजना के अनुसार 100 प्रतिष्ठत ग्रामीण फीडरों पर विभक्तिकरण वर्ष 2014 के शुरू में किया जावेगा। भार के विभाजन के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि उपयोग हेतु 24 घन्टे एवं कृषि उपयोग हेतु 08 घन्टे विद्युत आपूर्ति की जावेगी। इस वृद्धि की आपूर्ति घन्टों के प्रभाव में बिक्री पर प्रभाव की गणना इस प्रकार है :-

फीडर विभक्तिकरण योजना का प्रभाव :-	
वित्तीय वर्ष	2013-14
अतिरिक्त खपत (मिलियन यूनिट)	865.57

1.2.2 एल.व्ही.-2 : गैर-घरेलू

भविष्य हेतु आंकलन निम्नानुसार है :-

तालिका-4 एल.व्ही.-2 गैर घरेलू यूनिट का आंकलन

उप श्रेणी	पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.			पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.			मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.		
	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16
मीटरीकृत	622.70	726.12	846.77	766.68	870.32	988.09	765.50	1,003.58	1,322.74
अस्थायी	14.88	14.88	14.88	57.74	62.00	66.60	56.40	80.52	115.02
योग	637.58	741.00	861.65	824.42	932.32	1,054.69	821.90	1,084.10	1,437.76

1.2.2.1 पूर्व क्षेत्र वि.वि.कंपनी

भविष्य हेतु भार वृद्धि दर आंकलन निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	श्रेणी	नगरीय/षहरी		ग्रामीण	
मीटरीकृत	उपभोक्ता	4.09%	एक वर्षीय वृद्धि को माना गया है।	4.27%	दो वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है।
मीटरीकृत	औसत भार प्रति उपभोक्ता	5.65%	एक वर्षीय वृद्धि को माना गया है।	7.70%	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12 के समान माना गया है)
मीटरीकृत	औसत यूनिट प्रति किलो वॉट	6.47%	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12 के समान माना गया है)	12.25%	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12 के समान माना गया है)ण
अस्थायी	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
अस्थायी	औसत भार प्रति उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
अस्थायी	औसत यूनिट प्रति किलो वॉट	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।ण	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।

1.2.2.2 पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कंपनी

तीन वर्ष के लिए श्रेणीवार चक्रवृद्धि विकासदर 15.79 प्रतिशत है जबकि पिछले दो वर्ष के लिए यह 16.10 प्रतिशत है, जो कि काफी अधिक है। यह अधिक चक्रवृद्धि विकासदर प्रमुख शहरों/कस्बों में गैर घरेलू गतिविधियों के कारण है, घरेलू कनेक्शनों के सघन जॉच के माध्यम से उनकी पहचान की जावेगी। उम्मीद है कि इस श्रेणी में उच्च विकासदर दर्ज किये जाने के निम्नलिखित कारण है :-

अ. शहरी क्षेत्रों का विस्तार :- शहरी क्षेत्रों के तेजी से विस्तार के कारण व्यवसायिक गतिविधियों में बढ़ोतरी।

- ब. लघु व्यवसायिक परिसर :- इन्दौर एवं उज्जैन शहरों में खासकर लघु व्यवसायिक परिसरों का निर्माण तेजी से हो रहा है । इनमें से कई परिसरों में व्यवसायिक दुकानें हैं जिनमें अनेक स्वतंत्र गैर घरेलू कनेक्शन उनकी मांग पर म.प्र.विद्युत नियामक आयोग के निर्देशानुसार दिये गये हैं ।
- स. इन्दौर शहर शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के अन्तर्गत तेजी से विकसित हो रहा है और अनेक शिक्षण संस्थान इसमें प्रति वर्ष जुड़ रहे हैं । कई गैर घरेलू गतिविधियां इन शिक्षण संस्थानों से संबंधित हैं और इन संस्थाओं के साथ संबंधित गतिविधियों के लिए बिजली का व्यवसायिक उपयोग करने के लिए इनके जुड़ने की उम्मीद है ।
- उपरोक्त कारकों को विकासदर में शामिल करते हुए भविष्य हेतु प्रक्षेपण निम्नानुसार तालिकाबद्ध है :-

क्षेत्र	श्रेणी	नगरीय/षहरी		ग्रामीण	
मीटरीकृत	उपभोक्ता	5.07%	तीन वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	5.12%	एक वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।
मीटरीकृत	भार	14.60%	दो वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	14.67%	तीन वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।
मीटरीकृत	खपत	13.44%	तीन वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	14.72%	तीन वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।
अस्थायी	उपभोक्ता	4.91%	एक वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	5.39%	तीन वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।
अस्थायी	भार	14.95%	तीन वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	5.77%	एक वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।
अस्थायी	खपत	7.95%	एक वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।

फीडर विभक्तिकरण योजना के कारण निम्नदाब श्रेणी के विद्युत प्रदाय घन्टों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त विक्रय अपेक्षित है ।

फीडर विभक्तिकरण योजना का प्रभाव :-	
वित्तीय वर्ष	2013-14
अतिरिक्त खपत (मिलियन यूनिट)	5.72

1.2.2.3 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

भविष्य के लिए इस श्रेणी में विकास का प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-

श्रेणी	%	नगरीय	%	ग्रामीण
उपभोक्ता	4.96	दो वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	1.82	एक वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।
औसत भार/उपभोक्ता	15	विद्युत प्रदाय के घन्टों में अपेक्षित वृद्धि के कारण सामान्य विकास दर मानी गई है ।	30	विद्युत प्रदाय के घन्टों में अपेक्षित वृद्धि के कारण सामान्य विकास दर मानी गई है ।
औसत यूनिट /माह	5		15	

1.2.3 एल.व्ही.- 3.1 सार्वजनिक जलप्रदाय

विद्युत प्रदाय के घन्टों में अपेक्षित वृद्धि पर विचार करते हुए भावी प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-

तालिका-5 निम्नदाब (3.1) सार्वजनिक जल प्रदाय हेतु यूनिट का आंकलन

उप श्रेणी	पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.			पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.			मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.		
	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16
नगर निगम	53.02	55.56	58.24	71.08	86.69	106.31	99.53	116.55	136.49
नगर पंचायत	74.17	101.56	139.67	66.48	81.09	99.44	99.54	128.47	165.84
ग्राम पंचायत	57.12	79.52	110.71	74.84	91.27	111.93	44.05	76.03	134.83
अस्थायी	2.88	2.97	3.06	9.18	11.19	13.73	17.77	34.61	68.39
योग	187.19	239.61	311.67	221.58	270.25	331.41	260.89	355.66	505.55

1.2.3.1 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

भावी प्रक्षेपण हेतु विकास दरें निम्नानुसार मानी गयी है :-

क्षेत्र	श्रेणी	नगरीय/षहरी	ग्रामीण
नगर निगम	उपभोक्ता	1.57% एक वर्षीय विकासदर मानी गयी है ।	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।
	औसत भार/उपभोक्ता	2.95% एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।
	औसत खपत/कि. वॉट	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।	20.00% मध्यम विकास दर मानी गयी है ।
नगर पंचायत	उपभोक्ता	5.17% एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	10.84% वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12 के समान माना गया है)
	औसत भार/उपभोक्ता	1.07% एक वर्षीय विकासदर मानी गयी है ।	33.12% वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12 के समान माना गया है)
	औसत खपत/कि. वॉट	25.96% वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12 के समान माना गया है)	10.70% वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12 के समान माना गया है)
ग्राम पंचायत	उपभोक्ता	15.92% एक वर्षीय विकासदर मानी गयी है ।	16.14% वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12 के समान माना गया है)
	औसत भार/उपभोक्ता	3.52% एक वर्षीय विकासदर मानी गयी है ।	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।
	औसत खपत/कि. वॉट	15.54% दो वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	20.00% मध्यम विकास दर मानी गयी है ।
योग	उपभोक्ता	3.00% मामूली विकास दर मानी गयी है ।	3.00% मामूली विकास दर मानी गयी है ।
	औसत भार/उपभोक्ता	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।
	औसत खपत/कि. वॉट	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।

1.2.3.2 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

एल.व्ही. 3.1 विकास दर हेतु प्रक्षेपण						
क्षेत्र	श्रेणी	नगरीय		ग्रामीण		
नगर निगम	उपभोक्ता	14.58%	तीन वर्षीय नगरीय सार्वजनिक जल प्रदाय उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।	8.49%	तीन वर्षीय ग्रामीण सार्वजनिक जल प्रदाय उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।	
	भार	12.73%	तीन वर्षीय नगरीय सार्वजनिक जल प्रदाय भार वृद्धि मानी गयी है ।	7.48%	तीन वर्षीय ग्रामीण सार्वजनिक जल प्रदाय भार वृद्धि मानी गयी है ।	
	खपत	23.10%	एक वर्षीय नगरीय सार्वजनिक जल प्रदाय श्रेणीवार खपत वृद्धि मानी गयी है ।	28.74%	एक वर्षीय ग्रामीण सार्वजनिक जल प्रदाय खपत वृद्धि मानी गयी है ।	
नगर पंचायत	उपभोक्ता	14.58%	तीन वर्षीय नगरीय सार्वजनिक जल प्रदाय उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।	8.49%	तीन वर्षीय ग्रामीण सार्वजनिक जल प्रदाय उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।	
	भार	12.73%	तीन वर्षीय नगरीय सार्वजनिक जल प्रदाय भार वृद्धि मानी गयी है ।	7.48%	तीन वर्षीय ग्रामीण सार्वजनिक जल प्रदाय भार वृद्धि मानी गयी है ।	
	खपत	23.10%	एक वर्षीय नगरीय सार्वजनिक जल प्रदाय श्रेणीवार खपत वृद्धि मानी गयी है ।	28.74%	एक वर्षीय ग्रामीण सार्वजनिक जल प्रदाय खपत वृद्धि मानी गयी है ।	
ग्राम पंचायत	उपभोक्ता	14.58%	तीन वर्षीय नगरीय सार्वजनिक जल प्रदाय उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।	8.49%	तीन वर्षीय ग्रामीण सार्वजनिक जल प्रदाय उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।	
	भार	12.73%	तीन वर्षीय नगरीय सार्वजनिक जल प्रदाय भार वृद्धि मानी गयी है ।	7.48%	तीन वर्षीय ग्रामीण सार्वजनिक जल प्रदाय भार वृद्धि मानी गयी है ।	
	खपत	23.10%	एक वर्षीय नगरीय सार्वजनिक जल प्रदाय श्रेणीवार खपत वृद्धि मानी गयी है ।	28.74%	एक वर्षीय ग्रामीण सार्वजनिक जल प्रदाय खपत वृद्धि मानी गयी है ।	
अस्थायी	उपभोक्ता	14.58%	तीन वर्षीय नगरीय सार्वजनिक जल प्रदाय उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।	8.49%	तीन वर्षीय ग्रामीण सार्वजनिक जल प्रदाय उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।	
	भार	12.73%	तीन वर्षीय नगरीय सार्वजनिक जल प्रदाय भार वृद्धि मानी गयी है ।	7.48%	तीन वर्षीय ग्रामीण सार्वजनिक जल प्रदाय भार वृद्धि मानी गयी है ।	
	खपत	23.10%	एक वर्षीय नगरीय सार्वजनिक जल प्रदाय श्रेणीवार खपत वृद्धि मानी गयी है ।	28.74%	एक वर्षीय ग्रामीण सार्वजनिक जल प्रदाय खपत वृद्धि मानी गयी है ।	

फीडर विभक्तिकरण योजना के कारण निम्नदाब श्रेणी के विद्युत प्रदाय घंटों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त विक्रय अपेक्षित है ।

फीडर विभक्तिकरण योजना का प्रभाव :-	
वित्तीय वर्ष	2013-14
अतिरिक्त खपत (मिलियन यूनिट)	29.68

1.2.3.3 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

भावी प्रक्षेपण हेतु विकास दरें निम्नानुसार मानी गयी है :-

विवरण	श्रेणी	प्रतिषत	नगरीय	श्रेणी	प्रतिषत	ग्रामीण
उपभोक्ता	नगर निगम	11.60	तीन वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	नगर निगम	0	पिछले वर्ष विकास दर नकारात्मक रही ।
	नगर पंचायत	14.36	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	नगर पंचायत	0	
	ग्राम पंचायत	53.19	दो वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	ग्राम पंचायत	15.01	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।
	अस्थायी	44.70	दो वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	अस्थायी	4.01	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।
औसत भार/उपभोक्ता	नगर निगम	4	विगत पांच वर्षों में अधिकतम विकास दर प्राप्त की गई है । (पूर्णांक में)	नगर निगम	1	विगत पांच वर्षों में अधिकतम विकास दर प्राप्त की गई है । (पूर्णांक में)
	नगर पंचायत	1		नगर पंचायत	4.50	
	ग्राम पंचायत	3		ग्राम पंचायत	1	
	अस्थायी	14		अस्थायी	9	
औसत यूनिट/प्रति किलो वॉट प्रतिमाह	नगर निगम	1		नगर निगम	9	
	नगर पंचायत	12		नगर पंचायत	12	
	ग्राम पंचायत	38		ग्राम पंचायत	33	
	अस्थायी	23		अस्थायी	11	

1.2.4 एल.व्ही.- 3.2, पथ प्रकाश (सड़क बत्ती)

विद्युत प्रदाय के घंटों में अपेक्षित वृद्धि मानते हुए भविष्य हेतु प्रक्षेपण निम्नानुसार है:-

तालिका-6 निम्नदाब 3.2 (सड़क बत्तीयूनिट का आंकलन)

उप श्रेणी	पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.			पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.			मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.		
	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16
नगर निगम	65.24	81.88	102.78	89.85	111.89	140.40	78.99	105.99	142.21
नगर पंचायत	66.89	84.93	107.96	53.14	66.18	83.04	60.21	76.36	96.86
ग्राम पंचायत	11.01	15.76	22.58	20.15	25.09	31.48	3.06	5.44	10.35
योग	143.13	182.57	233.32	163.14	203.16	254.92	142.26	187.79	249.42

1.2.4.1 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

भावी प्रक्षेपण हेतु विकास दरें निम्नानुसार मानी गयी है :-

क्षेत्र	श्रेणी	नगरीय/षहरी	ग्रामीण
नगर निगम	उपभोक्ता	9.77% तीन वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	10.00% मध्यम विकास दर मानी गयी है ।
	औसत भार/उपभोक्ता	4.61% एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	0.94% तीन वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।
	औसत खपत/कि. वॉट	9.30% वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है ।	20.00% विद्युत प्रदाय के घन्टों में अपेक्षित वृद्धि होने के कारण मध्यम विकास दर मानी गयी है ।
नगर पंचायत	उपभोक्ता	6.43% तीन वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	10.00% मध्यम विकास दर मानी गयी है ।
	औसत भार/उपभोक्ता	0.07% तीन वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	20.00% विद्युत प्रदाय के घन्टों में अपेक्षित वृद्धि होने के कारण मध्यम विकास दर मानी गयी है ।
	औसत खपत/कि. वॉट	18.63% वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है ।	20.00% विद्युत प्रदाय के घन्टों में अपेक्षित वृद्धि होने के कारण मध्यम विकास दर मानी गयी है ।
ग्राम पंचायत	उपभोक्ता	11.51% तीन वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	10.00% मध्यम विकास दर मानी गयी है ।
	औसत भार/उपभोक्ता	8.28% दो वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	10.00% विद्युत प्रदाय के घन्टों में अपेक्षित वृद्धि होने के कारण मध्यम विकास दर मानी गयी है ।
	औसत खपत/कि. वॉट	13.80% एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	20.00% विद्युत प्रदाय के घन्टों में अपेक्षित वृद्धि होने के कारण मध्यम विकास दर मानी गयी है ।

1.2.4.2 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

एल.व्ही. 3.2 विकास दर हेतु प्रक्षेपण					
क्षेत्र	श्रेणी	नगरीय		ग्रामीण	
नगर निगम	उपभोक्ता	13.37%	तीन वर्षीय नगरीय पथ प्रकाश उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।	0.70%	तीन वर्षीय ग्रामीण पथ प्रकाश उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।
	भार	13.96%	तीन वर्षीय नगरीय पथ प्रकाश भार वृद्धि मानी गयी है ।	1.05%	तीन वर्षीय ग्रामीण पथ प्रकाश भार वृद्धि मानी गयी है ।
	खपत	25.78%	एक वर्षीय नगरीय पथ प्रकाश खपत वृद्धि मानी गयी है ।	41.84%	एक वर्षीय ग्रामीण पथ प्रकाश खपत वृद्धि मानी गयी है ।
नगर पंचायत	उपभोक्ता	13.37%	तीन वर्षीय नगरीय पथ प्रकाश उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।	0.70%	तीन वर्षीय ग्रामीण पथ प्रकाश उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।
	भार	13.96%	तीन वर्षीय नगरीय पथ प्रकाश भार वृद्धि मानी गयी है ।	1.05%	तीन वर्षीय ग्रामीण पथ प्रकाश भार वृद्धि मानी गयी है ।
	खपत	25.78%	एक वर्षीय नगरीय पथ प्रकाश खपत वृद्धि मानी गयी है ।	41.84%	एक वर्षीय ग्रामीण पथ प्रकाश खपत वृद्धि मानी गयी है ।
ग्राम पंचायत	उपभोक्ता	13.37%	तीन वर्षीय नगरीय पथ प्रकाश उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।	0.70%	तीन वर्षीय ग्रामीण पथ प्रकाश उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।
	भार	13.96%	तीन वर्षीय नगरीय पथ प्रकाश भार वृद्धि मानी गयी है प्रकाश ।	1.05%	तीन वर्षीय ग्रामीण पथ प्रकाश भार वृद्धि मानी गयी है ।
	खपत	25.78%	एक वर्षीय नगरीय पथ प्रकाश खपत वृद्धि मानी गयी है ।	41.84%	एक वर्षीय ग्रामीण पथ प्रकाश खपत वृद्धि मानी गयी है ।

फीडर विभक्तिकरण योजना के कारण निम्नदाब श्रेणी के विद्युत प्रदाय घंटों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त विक्रय अपेक्षित है ।

फीडर विभक्तिकरण योजना का प्रभाव :-	
वित्तीय वर्ष	2013-14
अतिरिक्त खपत (मिलियन यूनिट)	21.09

1.2.4.3 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

भावी प्रक्षेपण हेतु विकास दरें निम्नानुसार मानी गयी है :-

विवरण	श्रेणी	प्रतिषत	नगरीय	श्रेणी	प्रतिषत	ग्रामीण
उपभोक्ता	नगर निगम	19.66	एक वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	नगर निगम	0	पिछले वर्ष विकास दर नकरात्मक रही ।
	नगर पंचायत	7.07	दो वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	नगर पंचायत	0	
	ग्राम पंचायत	42.86	एक वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	ग्राम पंचायत	7.3	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।
औसत भार/उपभोक्ता	नगर निगम	1	विगत पांच वर्षों में अधिकतम विकास दर प्राप्त की गई है । (पूर्णांक में)	नगर निगम	57	विगत पांच वर्षों में अधिकतम विकास दर प्राप्त की गई है । (पूर्णांक में)
	नगर पंचायत	14		नगर पंचायत	0	
	ग्राम पंचायत	20		ग्राम पंचायत	3	
औसत यूनिट/प्रति किलो वॉट प्रतिमाह	नगर निगम	11		नगर निगम	0	
	नगर पंचायत	4		नगर पंचायत	5	
	ग्राम पंचायत	23		ग्राम पंचायत	0	

0000

1.2.5 एल.व्ही.- 4.1 गैर मौसमी औद्योगिक

विद्युत प्रदाय के घंटों में अपेक्षित वृद्धि मानते हुए भविष्य हेतु प्रक्षेपण निम्नानुसार है:-

तालिका-7 निम्नदाब (4.1) गैर मौसमी औद्योगिक यूनिट का आंकलन

उप श्रेणी	म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वित्त.कं.			पश्चिम क्षेत्र विद्युत वित्त.कं.			मध्य क्षेत्र विद्युत वित्त.कं.		
	वि. वर्ष-14	वि. वर्ष-15	वि. वर्ष-16	वि. वर्ष-14	वि. वर्ष-15	वि. वर्ष-16	वि. वर्ष-14	वि. वर्ष-15	वि. वर्ष-16
25 अश्व शक्ति तक	193.57	240.36	301.42	291.21	317.47	346.52	142.31	162.22	184.91
25 अश्व शक्ति से अधिक 100 अ.श.तक	92.08	107.05	124.90	257.59	285.90	317.39	74.71	83.47	93.31
100 अश्व शक्ति से अधिक	9.39	10.34	11.43	10.16	11.30	12.57	8.83	12.36	17.32
अस्थायी निम्नदाब औद्योगिक	2.50	2.50	2.50	2.36	2.38	2.40	10.22	15.93	24.86
योग	297.54	360.25	440.25	561.31	617.05	678.88	236.07	273.98	320.40

1.2.5.1 म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं.

भावी प्रक्षेपण हेतु विकास दरें निम्नानुसार मानी गयी है :-

क्षेत्र	श्रेणी	नगरीय		ग्रामीण	
25 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	3.57%	चार वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	6.70%	चार वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।
	औसत भार/उपभोक्ता	1.71%	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है ।	5.00%	मध्यम विकास दर मानी गयी है ।
	औसत खपत/कि.वॉट	3.72%	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है ।	20.00%	विद्युत प्रदाय के घंटों में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए मध्यम विकास दर मानी गयी है ।
25 अश्व शक्ति से अधिक 100 अ.श.तक	उपभोक्ता	10.87%	चार वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	3.00%	चार वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।
	औसत भार/उपभोक्ता	1.60%	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है ।	5.00%	मध्यम विकास दर मानी गयी है ।
	औसत खपत/कि.वॉट	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।	20.00%	विद्युत प्रदाय के घंटों में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए मध्यम विकास दर मानी गयी है ।
100 अश्व शक्ति से अधिक	उपभोक्ता	1.68%	चार वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।
	औसत भार/उपभोक्ता	0.63%	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है ।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।
	औसत खपत/कि.वॉट	2.58%	तीन वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	20.00%	विद्युत प्रदाय के घंटों में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए मध्यम विकास दर मानी गयी है ।

अस्थायी	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।
	औसत भार/उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।
	औसत खपत/कि.वॉट	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।

1.2.5.2 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

एल.व्ही. 4.1 विकास दर हेतु प्रक्षेपण					
क्षेत्र	श्रेणी	नगरीय		ग्रामीण	
25 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	3.92%	एक वर्षीय नगरीय गैर मौसमी उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।	6.01%	एक वर्षीय ग्रामीण गैर मौसमी उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।
	भार	8.33%	तीन वर्षीय नगरीय गैर मौसमी भार वृद्धि मानी गयी है ।	7.09%	दो वर्षीय ग्रामीण गैर मौसमी भार वृद्धि मानी गयी है ।
	खपत	11.35%	एक वर्षीय नगरीय गैर मौसमी खपत वृद्धि मानी गयी है ।	6.16%	तीन वर्षीय ग्रामीण गैर मौसमी खपत वृद्धि मानी गयी है ।
25 अश्व शक्ति से अधिक 100 अ.श.तक	उपभोक्ता	3.92%	एक वर्षीय नगरीय गैर मौसमी उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।	6.01%	एक वर्षीय ग्रामीण गैर मौसमी उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।
	भार	8.33%	तीन वर्षीय नगरीय गैर मौसमी भार वृद्धि मानी गयी है ।	7.09%	दो वर्षीय ग्रामीण गैर मौसमी भार वृद्धि मानी गयी है ।
	खपत	11.35%	एक वर्षीय नगरीय गैर मौसमी खपत वृद्धि मानी गयी है ।	6.16%	तीन वर्षीय ग्रामीण गैर मौसमी खपत वृद्धि मानी गयी है ।
100 अश्व शक्ति से अधिक	उपभोक्ता	3.92%	एक वर्षीय नगरीय गैर मौसमी उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।	6.01%	एक वर्षीय ग्रामीण गैर मौसमी उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।
	भार	8.33%	तीन वर्षीय नगरीय गैर मौसमी भार वृद्धि मानी गयी है ।	7.09%	दो वर्षीय ग्रामीण गैर मौसमी भार वृद्धि मानी गयी है ।
	खपत	11.35%	एक वर्षीय नगरीय गैर मौसमी खपत वृद्धि मानी गयी है ।	6.16%	तीन वर्षीय ग्रामीण गैर मौसमी खपत वृद्धि मानी गयी है ।
अस्थायी	उपभोक्ता	1.00%	बड़े बदलाव के कारण मामूली विकास दर मानी गयी है ।	1.00%	बड़े बदलाव के कारण मामूली विकास दर मानी गयी है ।
	भार	1.00%	बड़े बदलाव के कारण मामूली विकास दर मानी गयी है ।	1.00%	बड़े बदलाव के कारण मामूली विकास दर मानी गयी है ।
	खपत	1.00%	बड़े बदलाव के कारण मामूली विकास दर मानी गयी है ।	1.00%	बड़े बदलाव के कारण मामूली विकास दर मानी गयी है ।

फीडर विभक्तिकरण योजना के कारण निम्नदाब श्रेणी के विद्युत प्रदाय घण्टों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त विक्रय अपेक्षित है ।

फीडर विभक्तिकरण योजना का प्रभाव :-

वित्तीय वर्ष	2013-14
अतिरिक्त खपत (मिलियन यूनिट)	36.46

1.2.5.3 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

भावी प्रक्षेपण हेतु विकास दरें निम्नानुसार मानी गयी है :-

विवरण	श्रेणी	प्रतिष त	नगरीय	प्रतिषत	ग्रामीण
उपभोक्ता	स्थायी निम्नदाब गैर मौसमी 25 अश्व शक्ति तक	5.22	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है	1.71	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है
	स्थायी निम्नदाब गैर मौसमी औद्योगिक 25 अश्व शक्ति से 100 अश्व शक्ति तक	6.24	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है	0	पिछले वर्ष विकासदर नकरात्मक रही ।
	स्थायी निम्नदाब गैर मौसमी औद्योगिक 100 अश्व शक्ति से अधिक	40	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है	0	पिछले वर्ष विकासदर नकरात्मक रही ।
	अस्थायी निम्नदाब औद्योगिक	0	दो वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	0	पिछले वर्ष विकासदर नकरात्मक रही ।
औसतभार/ उपभोक्ता	स्थायी निम्नदाब गैर मौसमी 25 अश्व शक्ति तक	4	विद्युत प्रदाय के घन्टों में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए मध्यम विकास दर मानी गयी है ।	0.00	विद्युत प्रदाय के घन्टों में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए मध्यम विकास दर मानी गयी है ।
	स्थायी निम्नदाब गैर मौसमी औद्योगिक 25 अश्व शक्ति से 100 अश्व शक्ति तक	6		2.80	
	स्थायी निम्नदाब गैर मौसमी औद्योगिक 100 अश्व शक्ति से अधिक	76		32.81	
	अस्थायी निम्नदाब औद्योगिक	84		37.98%	
औसत खपत/कि. वॉ/ माह	स्थायी निम्नदाब गैर मौसमी 25 अश्व शक्ति तक	3.79	विद्युत प्रदाय के घन्टों में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए मध्यम विकास दर मानी गयी है ।	12.94	विद्युत प्रदाय के घन्टों में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए मध्यम विकास दर मानी गयी है ।
	स्थायी निम्नदाब गैर मौसमी औद्योगिक 25 अश्व शक्ति से 100 अश्व शक्ति तक	0.00		0.00	
	स्थायी निम्नदाब गैर मौसमी औद्योगिक 100 अश्व शक्ति से अधिक	0.00		6.79	
	अस्थायी निम्नदाब औद्योगिक	0.00		11.61	

1.2.6 एल.व्ही.- 4.2 मौसमी औद्योगिक

भविष्य हेतु प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-

तालिका-8 निम्नदाब (4.2) मौसमी औद्योगिक यूनिट का आंकलन

उप श्रेणी	म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वित.कं.			पश्चिम क्षेत्र विद्युत वित.कं.			मध्य क्षेत्र विद्युत वित.कं.		
	वि. वर्ष-14	वि. वर्ष-15	वि. वर्ष-16	वि. वर्ष-14	वि. वर्ष-15	वि. वर्ष-16	वि. वर्ष-14	वि. वर्ष-15	वि. वर्ष-16
25 अश्व शक्ति तक	10.51	11.61	12.93	3.92	4.08	4.24	64.95	151.74	354.93
25 अश्व शक्ति से अधिक 100 अ.श.तक	11.62	11.88	12.17	11.96	12.54	13.16	38.33	68.97	124.28
100 अश्व शक्ति से अधिक	0.14	0.14	0.14	0.77	0.81	0.85	6.23	22.56	81.73
योग	22.27	23.63	25.24	16.64	17.43	18.25	109.51	243.27	560.94

1.2.6.1 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

भावी प्रक्षेपण हेतु विकास दरें निम्नानुसार मानी गयी है :-

क्षेत्र	श्रेणी	नगरीय		ग्रामीण	
25 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	0.00 %	कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।
	औसत भार/उपभोक्ता	1.47 %	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है ।	5.00%	मध्यम विकास दर मानी गयी है ।
	औसत खपत/कि.वॉट	2.95 %	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है ।	20.00%	विद्युत प्रदाय के घन्टों में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए मध्यम विकास दर मानी गयी है ।
25 अश्व शक्ति से अधिक 100 अ.श.तक	उपभोक्ता	0.00 %	कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।
	औसत भार/उपभोक्ता	0.27 %	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है ।	5.00%	मध्यम विकास दर मानी गयी है ।
	औसत खपत/कि.वॉट	0.91 %	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है ।	20.00%	विद्युत प्रदाय के घन्टों में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए मध्यम विकास दर मानी गयी है ।
100 अश्व शक्ति से अधिक	उपभोक्ता	0.00 %	कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।
	औसत भार/उपभोक्ता	0.00 %	कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।
	औसत खपत/कि.वॉट	0.00 %	कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है ।

1.2.6.2 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

एल.व्ही. 4.2 विकास दर हेतु प्रक्षेपण					
क्षेत्र	श्रेणी	नगरीय		ग्रामीण	
25 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	3.29%	एक वर्षीय नगरीय मौसमी उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।	0.00%	वर्ष 2011-2012 के समान कोई वृद्धि नहीं मानी गयी है ।
	भार	5.10%	तीन वर्षीय श्रेणीवार नगरीय मौसमी भार वृद्धि मानी गयी है ।	0.00%	वर्ष 2011-2012 के समान कोई वृद्धि नहीं मानी गयी है ।
	खपत	5.26%	तीन वर्षीय नगरीय मौसमी खपत वृद्धि मानी गयी है ।	0.78%	तीन वर्षीय ग्रामीण मौसमी खपत वृद्धि मानी गयी है ।
25 अश्व शक्ति से अधिक 100 अ.श.तक	उपभोक्ता	3.29%	एक वर्षीय नगरीय मौसमी उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।	0.00%	वर्ष 2011-2012 के समान कोई वृद्धि नहीं मानी गयी है ।
	भार	5.10%	तीन वर्षीय श्रेणीवार नगरीय मौसमी भार वृद्धि मानी गयी है ।	0.00%	वर्ष 2011-2012 के समान कोई वृद्धि नहीं मानी गयी है ।
	खपत	5.26%	तीन वर्षीय नगरीय मौसमी खपत वृद्धि मानी गयी है ।	0.78%	तीन वर्षीय ग्रामीण मौसमी खपत वृद्धि मानी गयी है ।
100 अश्व शक्ति से अधिक	उपभोक्ता	3.29%	एक वर्षीय नगरीय मौसमी उपभोक्ता वृद्धि मानी गयी है ।	0.00%	वर्ष 2011-2012 के समान कोई वृद्धि नहीं मानी गयी है ।
	भार	5.10%	तीन वर्षीय श्रेणीवार नगरीय मौसमी भार वृद्धि मानी गयी है ।	0.00%	वर्ष 2011-2012 के समान कोई वृद्धि नहीं मानी गयी है ।
	खपत	5.26%	तीन वर्षीय नगरीय मौसमी खपत वृद्धि मानी गयी है ।	0.78%	तीन वर्षीय ग्रामीण मौसमी खपत वृद्धि मानी गयी है ।

फीडर विभक्तिकरण योजना के कारण निम्नदाब श्रेणी के विद्युत प्रदाय घन्टों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त विक्रय अपेक्षित है ।

फीडर विभक्तिकरण योजना का प्रभाव :-	
वित्तीय वर्ष	2013-14
अतिरिक्त खपत (मिलियन यूनिट)	0.71

1.2.6.3 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

भावी प्रक्षेपण हेतु विकास दरें निम्नानुसार मानी गयी है :-

विवरण	श्रेणी	प्रतिशत	नगरीय	प्रतिशत	ग्रामीण
उपभोक्ता	स्थायी निम्नदाब मौसमी 25 अष्व शक्ति तक	0	पिछले वर्ष विकास दर नकरात्मक रही	0	पिछले वर्ष विकास दर नकरात्मक रही
	स्थायी निम्नदाब मौसमी औद्योगिक 25 अष्व शक्ति से 100 अष्व शक्ति तक	0		0	
	स्थायी निम्नदाब मौसमी औद्योगिक 100 अष्व शक्ति से अधिक	0		0	
औसतभार/ उपभोक्ता	स्थायी निम्नदाब मौसमी 25 अष्व शक्ति तक	9.07	विगत छः वर्षों में अधिकतम विकास दर रही एवं विद्युत प्रदाय के घन्टों में अपेक्षित वृद्धि के कारण मध्यम विकास दर मानी गयी ।	3.71	विगत छः वर्षों में अधिकतम विकास दर रही एवं विद्युत प्रदाय के घन्टों में अपेक्षित वृद्धि के कारण मध्यम विकास दर मानी गयी ।
	स्थायी निम्नदाब मौसमी औद्योगिक 25 अष्व शक्ति से 100 अष्व शक्ति तक	4.97		9.10	
	स्थायी निम्नदाब मौसमी औद्योगिक 100 अष्व शक्ति से अधिक	2.84		0.00	
औसत खपत/कि. वॉ/ माह	स्थायी निम्नदाब मौसमी 25 अष्व शक्ति तक	115.9		94.35	विगत छः वर्षों में अधिकतम विकास दर रही एवं विद्युत प्रदाय के घन्टों में अपेक्षित वृद्धि के कारण मध्यम विकास दर मानी गयी ।
	स्थायी निम्नदाब मौसमी औद्योगिक 25 अष्व शक्ति से 100 अष्व शक्ति तक	72.68		34.37	
	स्थायी निम्नदाब मौसमी औद्योगिक 100 अष्व शक्ति से अधिक	252.25		0.00	

1.2.7 एल.व्ही.-5.1 कृषि

एल.व्ही. 5.1 हेतु प्रक्षेपण निम्नानुसार है :

तालिका-9 निम्नदाब (5.1) कृषि यूनिट का आंकलन

क्षेत्र	उप श्रेणी	म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वित.कं.			पश्चिम क्षेत्र विद्युत वित.कं.			मध्य क्षेत्र विद्युत वि.कं.		
		वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16
नगरीय	सामान्य मीटरीकृत	98.04	98.04	98.04	44.17	53.78	65.49	97.30	122.09	153.88
नगरीय	अस्थाई मीटरीकृत	0.00	0.00	0.00	2.62	3.34	4.25	0.00	0.00	0.00
नगरीय	सामान्य अमीटरीकृत	69.09	69.09	69.09	139.13	161.65	187.82	114.50	122.47	131.19
नगरीय	अस्थाई अमीटरीकृत	30.83	36.27	42.75	41.96	45.62	49.60	18.62	19.55	20.53
नगरीय	योग	197.96	203.39	209.88	227.87	264.39	307.16	230.42	264.11	305.60
ग्रामीण	सामान्य मीटरीकृत	514.39	524.68	535.17	99.77	117.09	137.42	1,456.36	2,139.71	3,167.71
ग्रामीण	अस्थाई मीटरीकृत	0.00	0.00	0.00	8.97	11.42	14.53	0.00	0.00	0.00
ग्रामीण	सामान्य अमीटरीकृत	744.79	759.68	774.88	4,080.02	4,740.59	5,508.11	1,543.39	1,611.70	1,687.29
ग्रामीण	अस्थाई अमीटरीकृत	816.58	1,042.95	1,335.37	1,415.28	1,538.80	1,673.10	553.51	608.87	669.75
ग्रामीण	योग	2,075.76	2,327.31	2,645.42	5,604.04	6,407.90	7,333.16	3,553.26	4,360.28	5,524.75
योग	सामान्य मीटरीकृत	612.43	622.72	633.21	143.94	170.87	202.91	1,553.66	2,261.80	3,321.59
योग	अस्थाई मीटरीकृत	0.00	0.00	0.00	11.60	14.76	18.78	0.00	0.00	0.00
योग	सामान्य अमीटरीकृत	813.88	828.77	843.97	4,219.14	4,902.24	5,695.93	1,657.89	1,734.17	1,818.48
योग	अस्थाई अमीटरीकृत	847.41	1,079.21	1,378.12	1,457.24	1,584.42	1,722.70	572.13	628.42	690.28
योग	योग	2,273.72	2,530.71	2,855.30	5,831.91	6,672.29	7,640.33	3,783.68	4,624.39	5,830.35

1.2.7.1 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

लाइसेंसी द्वारा वर्ष 2014 हेतु अमीटरीकृत कृषि कनेक्शनों हेतु औसत खपत का आंकलन वर्तमान में लागू बिलिंग प्रावधानानुसार जो कि 1560 यूनिट एवं 1200 यूनिट प्रति अर्ध शक्ति प्रति वर्ष कमः नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में है, को टैरिफ आदेश वर्ष 2013 के अनुसार माहवार विभक्त कर किया गया है ।

1.2.7.2 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

अ. जैसा कि अमीटरीकृत अस्थायी कनेक्शन मौसम के अनुसार वर्ष में परिवर्तित होते रहते हैं इसलिए अमीटरीकृत अस्थायी विक्रय का प्रक्षेपण माहवार किया गया है। इसके अलावा अस्थायी अमीटरीकृत विकासदर का प्रक्षेपण भविष्य के विकासदर हेतु श्रेणी अनुसार किया गया है :-

क्षेत्र	श्रेणी	नगरीय		ग्रामीण	
सामान्य मीटरिकृत	उपभोक्ता	1.00%	मामूली विकासदर मानी गयी है ।	1.00%	मामूली विकासदर मानी गयी है ।
	भार	1.00%	मामूली विकासदर मानी गयी है ।	1.00%	मामूली विकासदर मानी गयी है ।
	खपत	21.77%	एक वर्षीय मीटरिकृत सामान्य खपत मानी गयी है ।	17.36%	तीन वर्षीय मीटरिकृत सामान्य खपत मानी गयी है ।
अस्थाई मीटरिकृत	उपभोक्ता	1.00%	मामूली विकासदर मानी गयी है ।	1.00%	मामूली विकासदर मानी गयी है ।
	भार	1.00%	मामूली विकासदर मानी गयी है ।	1.00%	मामूली विकासदर मानी गयी है ।
	खपत	27.27%	तीन वर्षीय मीटरिकृत अस्थाई खपत मानी गयी है ।	27.27%	तीन वर्षीय मीटरिकृत अस्थाई खपत मानी गयी है ।

ब. अमीटरिकृत अस्थाई उपभोक्ताओं हेतु प्रक्षेपण

अस्थाई श्रेणी में खपत पर्याप्त रूप से वर्ष के अंत में आंकड़ों का प्रयोग कर समझाया नहीं जा सकता है इसलिए माहवार पूर्वानुमान उपश्रेणी के लिए अपनाया गया है । उपभोक्ता वृद्धि माह-दर-माह दो वर्षीय चक्रवृद्धि उपभोक्ता विकासदर उपश्रेणी अनुसार वर्ष-दर वर्ष के आधार पर माना गया है । भार का आंकलन दो वर्षीय चक्रवृद्धि दर (5.75%) अमीटरिकृत सामान्य उपभोक्ता को औसत भार (4.99 अ.श वित्तीय वर्ष 2013 में) एवं वर्ष 2014 में खपत का आंकलन बिलिंग नार्म्स 155 यूनिट प्रति अष्व शक्ति/प्रतिमाह ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए एवं 175 यूनिट प्रति अष्व शक्ति/प्रतिमाह नगरीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं हेतु किया गया है ।

1.2.7.3 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2014 में अमीटरिकृत कृषि कनेक्शनों हेतु औसत खपत का आंकलन प्रस्तावित मापदण्ड के आधार पर जो कि 1760 यूनिट एवं 1420 यूनिट प्रति अष्व शक्ति प्रति वर्ष क्रमशः नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु है, पर किया गया है । प्रस्तावित मानदण्डों के लिए गणना नीचे सविस्तार है ।

1.2.7.4 अमीटरिकृत कृषि बिक्री के मानदण्ड

अ. माननीय आयोग ने वित्तीय वर्ष 2006 के दर आदेश में अमीटरिकृत कृषि उपभोक्ताओं के लिए अनुमानित खपत 100 यूनिट प्रति अ.श. प्रतिमाह औसत वार्षिक खपत 1200 यूनिट प्रति अष्व शक्ति कम से कम 6 घन्टे थ्री फेस पर विद्युत प्रदाय हेतु निर्धारित की थी । तत्पश्चात ग्रामीण क्षेत्र के स्थाई अमीटरिकृत कृषि उपभोक्ताओं को तीन फेस पर न्यूनतम 06 घन्टे से काफी अधिक विद्युत आपूर्ति के बावजूद भी वित्तीय वर्ष 2012 के दर आदेश तक वार्षिक अनुमानित खपत 1200 यूनिट प्रति अ.श. परिवर्तित नहीं हुई है ।

नगरीय क्षेत्र के अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु अनुमानित खपत में वित्तीय वर्ष 2008 में कुछ वृद्धि करके 1560 यूनिट प्रति अश्व शक्ति प्रतिवर्ष कर दी गई है एवं वित्तीय वर्ष 2012 तक यही स्तर कायम रखा गया है ।

निवेदन है कि वितरण कंपनियों की मूलभूत संरचनाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है, जिससे विद्युत की आपूर्ति की विश्वसनीयता के साथ-साथ गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार आया है । विद्युत आपूर्ति के घन्टों में भी वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है, जिसमें कृषि उपभोक्ताओं के मासिक खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । परन्तु नियामक बाध्यता के कारण अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत देयक माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित खपत के आधार पर ही जारी किये जा रहे हैं । अतः यह न्याय संगत एवं उचित होगा कि विद्युत प्रदाय के घन्टों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं को की जाने वाली बिलिंग के मापदण्ड को बढ़ाया जावे ।

ब. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं की दरें वास्तविक/असल खपत पर आधारित नहीं हैं । अनुज्ञप्तिधारी को दर आदेश के प्रावधानों के तहत ही देयक जारी करना होते हैं, परन्तु उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत का अंधाधुंध उपयोग किया जाता है एवं वास्तविक खपत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कृषकों को औसत प्रदान किये गये वास्तविक विद्युत प्रदाय के घन्टों पर निर्भर करती है ।

स. यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं से गुजरात में 1700 यूनिट प्रति अ. श. प्रति वर्ष, राजस्थान में 1945 यूनिट प्रति कि. वा. प्रति वर्ष, महाराष्ट्र में 1804 यूनिट प्रति अ.श. प्रति वर्ष, हरियाणा में 1680 यूनिट प्रति अ.श. प्रति वर्ष एवं छत्तीसगढ़ में 1650 यूनिट प्रति अ.श. प्रति वर्ष आंकलन के स्तर पर ली जा रही है ।

द. माननीय आयोग कृपया अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं में विद्युत प्रदाय के घन्टों में वृद्धि के अनुसार बिलिंग हेतु मापदण्ड तय करने पर विचार कर सकते हैं । जैसा कि माननीय अप्टेल द्वारा समीक्षा याचिका क्रमांक 10 में अपील क्रमांक 145/09 में किया गया था । माननीय आयोग द्वारा इस तरह पर्याय के लिए इस मुद्दे में प्रूडेंस जॉच का प्रयोग किया गया था । और अंतिम निष्कर्ष का सार निम्नानुसार है जिसमें कहा गया है कि :-

यद्यपि उपभोक्ताओं के द्वारा विद्युत के उपयोग में भिन्नता है एवं 11 के.व्ही. के नीचे के विद्युत प्रदाय में अवरोध उत्पन्न होने के कारण सभी उपभोक्ताओं के भार पूर्ण विद्युत प्रदाय अवधि के दौरान एक समान रहता है, यह सही नहीं होगा । इसलिये 6 घंटे विद्युत प्रदाय के अतिरिक्त विद्युत उपभोग की गणना हेतु 20 : छूट गुणांक को वर्ष नवम्बर 2006 से मार्च 2007 हेतु इस आदेश में मान्य किया गया है तथा 6 घंटे से अतिरिक्त अधिक विद्युत आपूर्ति अमीटरीकृत कृषि भार उपभोक्ताओं पर खपत यूनिटों की गणना की गई है । 6 घंटे से ज्यादा विद्युत प्रदाय करने पर (सप्ताह में एक दिन सप्ताहिक बन्द मानते हुये) एक सप्ताह में अतिरिक्त 93.33 यूनिट प्रति किलो वॉट प्रति माह या 15.56 यूनिट प्रतिघंटा प्रति किलो वॉट मानी गई है ।

चूंकि वर्ष 2006-07 में वास्तविक खपत 112 यूनिट से 16 : अधिक खपत (130 यूनिट प्रति अ.ष./प्रति माह) अस्थाई कनेक्शन हेतु ली गई। अस्थाई कृषि उपभोक्ताओं की खपत इस आदेश में (म.प्र. शासन के दिशा-निर्देशानुसार) 18.5 यूनिट/घंटा/कि.वा. अतिरिक्त आपूर्ति घंटों हेतु मानी गई है।

ई. इसके आगे पंपों द्वारा कुल खपत की गई ऊर्जा एवं दर, पंपों की क्षमता पर निर्भर करती है। ऐसे कई संभावित कारण हैं जिनके परिणामस्वरूप पंपों की क्षमता बढ़ जाती है जो अनुज्ञप्तिधारी के खातों में दर्ज नहीं हो पाती। उनमें से कुछ कारण निम्नानुसार हैं।

- (i) उक्त क्षमता का कैपेसिटर तथा ISI/BEE वाले फुबवाल, पीवीसी पाइप तथा पंप मोटरों का उपयोग न करना।
- (ii) मोटरों के जलने पर उनकी दुबारा बाइंडिंग करना भी क्षमता वृद्धि में सहायक है।
- (iii) कम वोल्टेज मिलने पर ज्यादा क्षमता की मोटर का उपयोग कर उतने ही पानी का दोहन कर समान क्षमता की सिंचाई करना।
- (iv) वास्तविक क्षमता की खपत से कम बिलिंग करना।
- (v) खेती के क्षेत्रफल का बढ़ना जिसके लिये अधिक पानी के दोहन की आवश्यकता।
- (vi) फसलों के स्वरूप में बदलाव।

यह निश्चित तौर पर अमीटरीकृत कृषि पंपों की खपत को कम आंकलित करते हैं। इन सभी कृषि पंपों की चैकिंग एवं उनकी वास्तविक क्षमता को जांचना तकनीकी संसाधनों की कमी एवं व्यावहारिक कठिनाइयों की वजह से संभव नहीं है, क्योंकि ये कनेक्शन स्वतः ही अस्थाई प्रकार के होते हैं एवं वर्षाकाल में उन्हें हटा लिया जाता है। ये कारक अनुज्ञप्तिधारी की राजस्व वसूली एवं अन्य आय पर विपरीत प्रभाव डालती हैं।

फ. पंपों की क्षमता वृद्धि के कारण सामान्य खपत का पुनरीक्षण

सिंचाई पंप सामान्यतः 3 अष्वषक्ति, 5 अष्वषक्ति, 7.5 अष्वषक्ति एवं 10 अष्वषक्ति क्षमता के उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार उपभोक्ता यदि क्षमता वृद्धि करना चाहता है तो उसे अगले उच्च क्षमता का पंप ही उपलब्ध होता है। अतः क्षमता वृद्धि करने पर अगले उच्च क्षमता के पंप की वृद्धि प्रतिषत में निम्नानुसार है :-

- (i) 3 अष्वषक्ति से 5 अष्वषक्ति — 67: वृद्धि
- (ii) 5 अष्वषक्ति से 7.5 अष्वषक्ति — 50: वृद्धि
- (iii) 7.5 अष्वषक्ति से 10 अष्वषक्ति — 33: वृद्धि

यह बहुत ही स्पष्ट है कि पंपों की प्रतिषत क्षमता वृद्धि एवं समभवतः खपत में वृद्धि प्रत्येक प्रकरण में उसी समय बहुत अच्छी मात्रा (Very Substantial) में होती है। यदि मात्र 20: उपभोक्ता की अपनी क्षमता वृद्धि कर अगली श्रेणी में (अनाधिकृत रूप से) कनेक्शन करते हैं, तो इसका असर बहुत ही अधिक मात्रा में लगभग 10: तक होता है। दस्तावेजों के आधार पर 97: कृषि पंप 5 अष्वषक्ति क्षमता के हैं। इस प्रकार क्षमता वृद्धि एवं संभावित खपत 50: से 60: तक अधिकांश प्रकरणों में आती है।

इसलिये यह प्रतीत होता है कि एवं उचित होगा कि 20: वृद्धि सामान्य खपत में (प्रति अ.श.) मान्य की जाय ताकि अमीटरीकृत कृषि पंपों की खपत के विपरीत प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सके। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि बड़ी हुई ऊर्जा खपत को निरीक्षित नाम के आधार पर एवं इसकी लागत को वसूलने हेतु याचिका को ध्यान में रखा जाये। यह वितरण कंपनी की वित्तीय सेहत (Financial Health) को सहारा देगा।

वर्ष 2013-14 में वितरण कंपनियां औसत 8 घंटे 3 फेज विद्युत आपूर्ति कृषि उपभोक्ताओं हेतु करना चाहती है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2014 में अधिक विद्युत प्रदाय के कारण वास्तविक खपत में वृद्धि होगी। इसलिये अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं की खपत को पुनरीक्षित करना आवश्यक है एवं 1760 यूनिट प्रति अष्वषक्ति वार्षिक तथा 1420 यूनिट प्रति अष्वषक्ति वार्षिक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कमषः प्रस्तावित है। इस प्रस्तावित खपत की गणना निम्नानुसार की गई है :-

(i) 1 अष्वशक्ति त्र 0.746 कि.वा.

(ii) प्रतिदिन पंप का उपयोग = 8 घंटे (ग्रामीण क्षेत्रों में)

= 10 घंटे (षहरी क्षेत्रों में)

(iii) माह के दिन = 30 दिन

(iv) पंप का उपयोग (महिनों में) = 08 माह

(v) खपत प्रति अष्वशक्ति (ग्रामीण क्षेत्रों में) = 0.746 ग 8 ग 30 ग 8

=1432 यूनिट(या 1420 यूनिट/अ.श./वार्षिक)

(vi) खपत प्रति अष्वशक्ति (षहरी क्षेत्रों में) = 0.746 ग 10 ग 30 ग 8

= 1790 यूनिट (या 1760 यूनिट/अ.श./वार्षिक)

उपरोक्त गणना उपभोक्ता के स्वीकृत भार की आदर्श परिस्थिति (Correctness of the sanctioned load) को मानकर की गई है। वास्तव में वास्तविक कार्यपील भार सामान्यतः विज्ञप्तिधारी के दस्तावेजों में दर्ज भार से उपरोक्त वर्णित कारणों की वजह से ज्यादा होता है।

1.2.8 निम्नदाब 5.2 कृषि उपयोग के अलावा अन्य उपयोग

भावी प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-

तालिका-10 निम्नदाब (5.2) कृषि उपयोग के अलावा यूनिट का आंकलन (मिलियन यूनिट)

उप श्रेणी	पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.			पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.			मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.		
	वि. वर्ष-14	वि. वर्ष-15	वि. वर्ष-16	वि. वर्ष-14	वि. वर्ष-15	वि. वर्ष-16	वि. वर्ष-14	वि. वर्ष-15	वि. वर्ष-16
3 अष्व शक्ति तक	0.80	0.88	0.97	0.61	0.62	0.62	0.43	0.43	0.43
3 से 5 अष्व शक्ति तक	0.35	0.38	0.42	0.69	0.69	0.70	0.82	0.96	1.16
5 से 10 अष्व शक्ति तक	0.53	0.58	0.64	1.76	1.78	1.80	1.97	2.82	4.38
10 से 20 अष्व शक्ति तक	0.25	0.27	0.30	0.30	0.30	0.30	0.74	1.26	2.22
20 अष्व शक्ति से अधिक	0.85	0.94	1.03	0.44	0.44	0.45	1.64	3.03	5.62
अस्थायी	0.12	0.12	0.12	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01
योग	2.90	3.18	3.48	3.82	3.86	3.90	5.61	8.51	13.82

1.2.8.1 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

उपभोक्ताओं, भार एवं खपत के प्रक्षेपण हेतु 10 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि ली गई है:-

1.2.8.2 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

इस श्रेणी के उपभोक्ताओं, सम्बद्ध भार एवं बिक्री में अधिक परिवर्तन के कारण सभी श्रेणियों में न्यूनतम 01 प्रतिशत वृद्धि ली गई है :-

1.2.8.3 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

इस श्रेणी हेतु विकास दर निम्न दर्शाये अनुसार ली गई है :-

विवरण	श्रेणी	प्रतिषत	नगरीय	प्रतिषत	ग्रामीण
उपभोक्ता	3 अ0ष.तक स्थाई अन्य कृषि उपयोग	0.00%	पिछले वर्षों में विकास दर नकारात्मक रही	0.00%	पिछले वर्षों में विकास दर नकारात्मक रही
	3 से 5 अ0ष.तक स्थाई अन्य कृषि उपयोग	45.45%	एक वर्षीय विकास दर	1.28%	एक वर्षीय विकास दर
	5 से 10 अ.श. तक स्थाई अन्य कृषि उपयोग	85.71%	एक वर्षीय विकास दर	0.00%	एक वर्षीय विकास दर
	10 से 20 अ.श. तक स्थाई अन्य कृषि उपयोग	100.00%	एक वर्षीय विकास दर	37.50%	एक वर्षीय विकास दर
	20 अ.श. से अधिक स्थाई अन्य कृषि उपयोग	24.57%	पांच वर्षीय विकास दर	88.13%	एक वर्षीय विकास दर
	अस्थायी अन्य कृषि उपयोग	0	पिछले वर्षों में विकास दर नकारात्मक रही	0	पिछले वर्षों में विकास दर नकारात्मक रही
औसतभार / उपभोक्ता	3 अ0ष.तक स्थाई अन्य कृषि उपयोग	1.33	वर्ष 2011-12 अनुसार वास्तविक विकास दर ली गई है ।	1.63	वर्ष 2011-12 अनुसार वास्तविक विकास दर ली गई है ।
	3 से 5 अ0ष.तक स्थाई अन्य कृषि उपयोग	3.75		3.70	
	5 से 10 अ.श. तक स्थाई अन्य कृषि उपयोग	6.31		6.81	
	10 से 20 अ.श. तक स्थाई अन्य कृषि उपयोग	9.38		12.00	
	20 अ.श. से अधिक स्थाई अन्य कृषि उपयोग	21.83		18.12	
	अस्थायी अन्य कृषि उपयोग	0.00		3.00	
औसत खपत / कि. वॉ / माह	3 अ0ष.तक स्थाई अन्य कृषि उपयोग	235.97	वर्ष 2011-12 अनुसार वास्तविक विकास दर ली गई है ।	155.92	वर्ष 2011-12 अनुसार वास्तविक विकास दर ली गई है ।
	3 से 5 अ0ष.तक स्थाई अन्य कृषि उपयोग	97.00		72.81	
	5 से 10 अ.श. तक स्थाई अन्य कृषि उपयोग	96.48		60.91	
	10 से 20 अ.श. तक स्थाई अन्य कृषि उपयोग	108.63		57.60	
	20 अ.श. से अधिक स्थाई अन्य कृषि उपयोग	41.63		81.97	
	अस्थायी अन्य कृषि उपयोग	87.70		74.60	

1.2.9 एच.व्ही.-1 – रेल्वे कर्षण

भावी प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-

तालिका-11 एच.व्ही.-1 रेल्वे कर्षण प्रक्षेपण....

	पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.			पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.			मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.		
	वि. वर्ष-14	वि. वर्ष-15	वि. वर्ष-16	वि. वर्ष-14	वि. वर्ष-15	वि. वर्ष-16	वि. वर्ष-14	वि. वर्ष-15	वि.वर्ष-16
कुल यूनिट (मि.यू.)	570.44	570.44	570.44	425.04	437.48	450.28	900.84	976.62	1,059.18

1.2.9.1 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

भविष्य के प्रक्षेपण हेतु कोई विकास दर नहीं मानी गयी है

1.2.9.2 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

एच.व्ही.-1 वृद्धि हेतु प्रक्षेपण					
वोल्टेज	श्रेणी	नगरीय		ग्रामीण	
220 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	इस कंपनी के अंतर्गत ग्राम स्तर तक कोई भी रेल्वे उपभोक्ता नहीं है ।	0.00%	इस कंपनी के अंतर्गत ग्राम स्तर तक कोई भी रेल्वे उपभोक्ता नहीं है ।
	भार(कि.वॉ)	0.00%	इस कंपनी के अंतर्गत ग्राम स्तर तक कोई भी रेल्वे उपभोक्ता नहीं है ।	0.00%	इस कंपनी के अंतर्गत ग्राम स्तर तक कोई भी रेल्वे उपभोक्ता नहीं है ।
	यूनिट (मि.यू.)	0.00%	इस कंपनी के अंतर्गत ग्राम स्तर तक कोई भी रेल्वे उपभोक्ता नहीं है ।	0.00%	इस कंपनी के अंतर्गत ग्राम स्तर तक कोई भी रेल्वे उपभोक्ता नहीं है ।
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	3.23%	श्रेणीवार तीन वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	3.23%	श्रेणीवार तीन वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।
	भार(कि.वॉ)	3.76%	श्रेणीवार तीन वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	3.76%	श्रेणीवार तीन वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।
	यूनिट (मि.यू.)	2.93%	श्रेणीवार दो वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।	2.93%	श्रेणीवार दो वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर प्रयुक्त की गई है ।

1.2.9.3 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

भविष्य के वर्षों हेतु प्रक्षेपण का आधार निम्नानुसार है :-

श्रेणी	वोल्टेज	प्रतिषत	नगरीय	प्रतिषत	ग्रामीण
उपभोक्ता	220	0.00%	विगत 6 वर्षों में केवल एक उपभोक्ता शामिल हुआ है ।	0.00%	विगत 6 वर्षों में कोई विकास दर नहीं देखी गई है ।
	132	0.00%		0.00%	
भार	220	0.00%	कोई वृद्धि परिलक्षित नहीं हुई है ।	0.00%	कोई वृद्धि परिलक्षित नहीं हुई है ।
	132	0.00%		0.00%	
यूनिट	220	0.00%	नगरीय क्षेत्र में कोई उपभोक्ता नहीं है ।	11.96%	पांच वर्षीय चक्रवृद्धि विकासदर मानी गयी है ।
	132	9.26%	एक वर्षीय वृद्धि मानी गयी है ।	4.13%	एक वर्षीय वृद्धि मानी गयी है ।

1.2.10 एच.व्ही.-2 कोयला खदानें

भावी प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-

तालिका-12 एच.व्ही.-2 कोयला खदानें प्रक्षेपण

उप श्रेणी	म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वित.कं.			पश्चिम क्षेत्र विद्युत वित.कं.			मध्य क्षेत्र विद्युत वि.कं.		
	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16
132 के.व्ही.	205.38	205.38	205.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 के.व्ही.	283.56	289.38	295.63	0.00	0.00	0.00	32.20	32.20	32.20
11 के.व्ही.	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27	1.27
योग	496.48	502.29	508.55	0.00	0.00	0.00	33.47	33.47	33.47

1.2.10.1 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

भावी प्रक्षेपण हेतु विकास दरें निम्नानुसार मानी गयी है :-

वोल्टेज	श्रेणी	नगरीय		ग्रामीण	
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	भार(कि.वॉ)	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	यूनिट (मि.यू.)	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	भार(कि.वॉ)	2.65%	दो वर्षीय चक्रवृद्धि विकासदर मानी गयी है ।	5.81%	एक वर्षीय वृद्धि मानी गयी है ।
	यूनिट (मि.यू.)	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	7.45%	दो वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	भार(कि.वॉ)	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	यूनिट (मि.यू.)	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।

1.2.10.2 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

इस श्रेणी को बिक्री के पूर्वानुमानों शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वर्तमान में पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी के अंतर्गत इस श्रेणी का कोई भी उपभोक्ता नहीं है ।

1.2.10.3 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

इस श्रेणी के अंतर्गत कोई विकासदर परिलक्षित नहीं हुई है ।

0000

1.2.11 एच.व्ही.-3 औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक
भावी प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-
तालिका-13 एच.व्ही.-3 औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक प्रक्षेपण

	उप श्रेणी	म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वित.कं.			पश्चिम क्षेत्र विद्युत वित.कं.			मध्य क्षेत्र विद्युत वि.कं.		
		वि. वर्ष-14	वि. वर्ष-15	वि. वर्ष-16	वि. वर्ष-14	वि. वर्ष-15	वि. वर्ष-16	वि. वर्ष-14	वि. वर्ष-15	वि. वर्ष-16
औद्योगिक यूनिट (मि.यू.)	132 के.व्ही.	1,225.38	1,298.48	1,379.68	637.63	637.63	637.63	707.80	946.62	1,268.38
	33 के.व्ही.	493.63	522.60	553.27	2,097.25	2,114.55	2,132.03	1,057.95	1,099.67	1,143.79
	11 के.व्ही.	76.12	79.50	83.06	120.41	130.60	141.66	67.11	79.09	93.22
	योग	1,795.13	1,900.58	2,016.01	2,855.29	2,882.78	2,911.32	1,832.86	2,125.38	2,505.39
गैर औद्योगिक यूनिट (मि.यू.)	132 के.व्ही.	0.00	0.00	0.00	32.60	35.70	39.11	0.13	0.13	0.14
	33 के.व्ही.	176.36	197.40	222.26	271.39	300.45	332.78	252.56	283.64	319.93
	11 के.व्ही.	73.53	77.03	80.70	100.61	103.04	105.53	81.55	87.41	93.69
	योग	249.89	274.43	302.96	404.59	439.19	477.42	334.24	371.18	413.76

1.2.11.1 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
प्रक्षेपण हेतु विकास दरें निम्नानुसार मानी गयी है (औद्योगिक) :-

वोल्टेज	श्रेणी	नगरीय		ग्रामीण	
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	12.62 %	तीन वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।	0.00 %	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	भार(कि.वॉ)	13.49 %	चार वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।	6.32 %	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।
	यूनिट (मि.यू.)	11.08 %	सामूली विकास दर मानी गयी है ।	0.00 %	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	12.06 %	चार वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।	1.92 %	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है ।
	भार(कि.वॉ)	3.17 %	चार वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।	1.37 %	तीन वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।
	यूनिट (मि.यू.)	5.55 %	चार वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।	6.20 %	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	23.53 %	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है ।	0.00 %	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	भार(कि.वॉ)	4.01 %	चार वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।	4.49 %	चार वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।
	यूनिट (मि.यू.)	3.42 %	चार वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।	8.82 %	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।

एच.व्ही. 3.2 प्रक्षेपण हेतु विकास दरें निम्नानुसार मानी गयी है (गैर औद्योगिक)

वोल्टेज	श्रेणी	नगरीय		ग्रामीण	
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	भार(कि.वॉ)	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	यूनिट (मि.यू.)	-100.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	5.33%	चार वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।
	भार(कि.वॉ)	5.04%	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है ।	31.76%	चार वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।
	यूनिट (मि.यू.)	7.06%	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है ।	27.06%	चार वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	8.06%	दो वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	भार(कि.वॉ)	6.02%	चार वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	यूनिट (मि.यू.)	4.73%	चार वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।	5.12%	दो वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।

वित्तीय वर्ष 2012 में विद्युत के गहन उद्योगों की टैरिफ आदेश में जोड़ा जाता है । इसलिए ऐतिहासिक रुझान सीमित अवधि के लिए इस उपश्रेणी में उपलब्ध है । इसके अलावा इस उप श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए ओपन एक्सेस के लिए जाना जाता है । इसलिए कोई विकास इस श्रेणी में नहीं माना जाता है । और बिक्री के रूप में एक ही वित्तीय वर्ष 13 में माना गया है ।

1.2.11.3 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

भावी वर्षों के लिए उच्चदाब औद्योगिक श्रेणी के अनुमानों का आधार निम्नानुसार है :-

श्रेणी	वोल्टेज	%	नगरीय	%	ग्रामीण
उपभोक्ता	132	12.50%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	33	10.86%		8.22%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।
	11	20.65%		0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
भार	132	31.10%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	33	4.96%		7.90%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।
	11	16.67%		42.53%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।
यूनिट	132	34.78%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	1.44%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।
	33	2.40%		8.54%	।
	11	17.89%		0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।

भावी वर्षों के लिए उच्चदाब गैर औद्योगिक श्रेणी के अनुमानों का आधार निम्नानुसार है :-

श्रेणी	वोल्टेज	%	नगरीय	%	ग्रामीण
उपभोक्ता	132	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	33	10.51%		18.75%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।
	11	13.82%		0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
भार	132	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	33	6.43%		27.33%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।
	11	10.77%		0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
यूनिट	132	1.25%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	33	10.46%		41.89%	
	11	7.28%		0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।

1.2.12 एच.व्ही. – 4 मौसमी

भावी प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-

तालिका-14 एच.व्ही.-4 मौसमी प्रक्षेपण

उप श्रेणी	म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वित.कं.			पश्चिम क्षेत्र विद्युत वित.कं.			मध्य क्षेत्र विद्युत वि.कं.		
	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16
33 के.व्ही.	7.44	8.32	9.35	7.85	7.93	8.01	2.16	3.17	4.66
11 के.व्ही.	0.36	0.43	0.51	1.11	1.12	1.13	0.77	0.85	0.95
योग	7.80	8.75	9.86	8.96	9.05	9.14	2.93	4.02	5.61

1.2.12.1 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

प्रक्षेपण हेतु विकास दरें निम्नानुसार मानी गयी है

वोल्टेज	श्रेणी	नगरीय		ग्रामीण	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	भार(कि.वॉ)	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	यूनिट (मि.यू.)	18.53%	चार वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।	2.41%	एक वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	भार(कि.वॉ)	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	यूनिट (मि.यू.)	30.27%	दो वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।	6.67%	तीन वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है ।

1.2.12.2 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

इस श्रेणी में विकास में भारी बदलाव के कारण एक प्रतिष्ठत की मामूली वृद्धि उपभोक्ताओं,संबद्ध भार एवम खपत सभी श्रेणियों में ली गई है ।

1.2.12.3 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

एच टी मौसमी श्रेणी के भावी साल के लिए प्रक्षेपण निम्नानुसार है:-

श्रेणी	वोल्टेज	%	नगरीय	%	ग्रामीण
उपभोक्ता	132	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है ।	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है
	33	100.00%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	0.00%	
	11	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है	0.00%	
भार	132	0.00	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है
	33	135.77%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	0.00%	
	11	9.82%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	0.00%	
यूनिट	132	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है
	33	47.54%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	46.73%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।
	11	11.02%		0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है

1.2.13 एच व्ही-5 जल प्रदाय, उदवहन सिंचाई एवम कृषि संबंधी के अतिरिक्त

भावी प्रक्षेपण निम्नानुसार है –
तालिका 15– एच. व्ही.-5 प्रक्षेपण

	उप श्रेणी	म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वित.कं.			पश्चिम क्षेत्र विद्युत वित.कं.			मध्य क्षेत्र विद्युत वित.कं.		
		वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16
जल प्रदाय –यूनिट(मि.यू.)	132 के.व्ही.	0.00	0.00	0.00	270.61	302.59	338.36	13.56	13.56	13.56
	33 के.व्ही.	54.98	58.28	61.77	60.80	65.88	71.38	81.47	86.14	91.07
	11 के.व्ही.	7.53	7.73	7.95	12.99	14.07	15.25	11.77	13.44	15.36
	योग	62.51	66.01	69.73	344.39	382.54	424.99	106.80	113.14	119.99
सिंचाई –यूनिट(मि.यू.द्व.)	132 के.व्ही.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33 के.व्ही.	3.81	3.95	4.10	0.13	0.14	0.15	2.54	4.92	11.23
	11 के.व्ही.	0.42	0.51	0.62	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12
	योग	4.23	4.46	4.72	0.13	0.14	0.15	2.66	5.04	11.35
कृषि के अलावा अन्य –यूनिट(मि.यू.)	132 के.व्ही.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33 के.व्ही.	9.94	10.47	11.06	6.29	6.84	7.45	4.82	7.54	12.04
	11 के.व्ही.	0.57	0.68	0.80	0.00	0.00	0.00	1.49	2.27	3.54
	योग	10.51	11.14	11.86	6.29	6.84	7.45	6.31	9.81	15.58

1.2.13.1 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी विकास के लिये प्रक्षेपण (जल प्रदाय)

वोल्टेज	श्रेणी	नगरीय		ग्रामीण	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है।
	यूनिट (मि.यू.)	5.89%	दो वर्षीय चक्रवृद्धि विकास दर मानी गयी है।	6.17%	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है।
	यूनिट (मि.यू.)	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है।	13.40%	वित्तीय वर्ष 13 (माह अक्टू-12) के समान माना गया है।

विकास के लिये प्रक्षेपण (सिंचाई)

वोल्टेज	श्रेणी	नगरीय		ग्रामीण	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है।
	यूनिट (मि.यू.)	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है।	3.73%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है।
	भार (कि.वा.)	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है।
	यूनिट (मि.यू.)	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है।	20.81%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है।

1.2.13.3 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

उच्चदाब जल प्रदाय एवं उद्वहन सिंचाई श्रेणी हेतु भावी साल के लिए प्रक्षेपण निम्नानुसार है:-

श्रेणी	वोल्टेज	प्रतिषत	नगरीय	प्रतिषत	ग्रामीण
उपभोक्ता	132	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	
	33	15.63%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है
	11	5.00%		0.00%	
भार	132	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है	0.00%	
	33	22.67%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है
	11	6.26%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	0.00%	
यूनिट	132	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है
	33	5.74%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	5.30%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।
	11	15.31%		0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है

उच्चदाब कृषि के अलावा अन्य श्रेणी हेतु भावी साल के लिए प्रक्षेपण निम्नानुसार है:-

श्रेणी	वोल्टेज	प्रतिषत	नगरीय	प्रतिषत	ग्रामीण
उपभोक्ता	132	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है
	33	33.33%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	50.00%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।
	11	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है
भार	132	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है
	33	35.93%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	23.81%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।
	11	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है
यूनिट	132	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है
	33	40.34%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	88.45%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।
	11	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है	61.14%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।

00000

1.2.14 एच.व्ही.-6 थोक आवासीय उपयोगकर्ता

भावी प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-

तालिका-16 एच.व्ही.-6 थोक रहवासी उपयोगकर्ता प्रक्षेपण

उप श्रेणी	म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वित.कं.			पश्चिम क्षेत्र विद्युत वित.कं.			मध्य क्षेत्र विद्युत वि.कं.		
	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16	वि.वर्ष-14	वि.वर्ष-15	वि.वर्ष-16
33 के.व्ही.	361.46	418.44	484.53	1.17	1.25	1.34	171.86	187.04	204.01
11 के.व्ही.	35.50	41.16	47.73	6.00	6.06	6.12	12.64	19.71	31.50
योग	396.96	459.60	532.26	7.17	7.31	7.46	184.50	206.75	235.51

1.2.14.1 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

विकास के लिये प्रक्षेपण

वोल्टेज	श्रेणी		नगरीय		ग्रामीण
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	भार(कि.वॉ)	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	यूनिट (मि.यू.)	15.00%	मध्यम वृद्धि मानी गई है ।	20.00%	मध्यम वृद्धि मानी गई है ।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	भार(कि.वॉ)	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	यूनिट (मि.यू.)	15.00%	मध्यम वृद्धि मानी गई है ।	20.00%	मध्यम वृद्धि मानी गई है ।

1.2.14.2 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

विकास दर के रूप में प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-

वोल्टेज	श्रेणी	नगरीय		ग्रामीण	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	भार(कि.वॉ)	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।	0.00%	कोई वृद्धि नहीं मानी गई है ।
	यूनिट (मि.यू.)	6.88%	एक वर्षीय श्रेणीवार विकास दर मानी गयी है ।	6.88%	एक वर्षीय श्रेणीवार विकास दर मानी गयी है ।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	9.14%	तीन वर्षीय श्रेणीवार विकास दर मानी गयी है ।	9.14%	तीन वर्षीय श्रेणीवार विकास दर मानी गयी है ।
	भार(कि.वॉ)	1.00%	मामूली विकास दर मानी गयी है ।	1.00%	मामूली विकास दर मानी गयी है ।
	यूनिट (मि.यू.)	1.00%	मामूली विकास दर मानी गयी है ।	1.00%	मामूली विकास दर मानी गयी है ।

1.2.14.3 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

उच्चदाब श्रेणी 6.1 हेतु भावी साल के लिए प्रक्षेपण निम्नानुसार है:—

श्रेणी	वोल्टेज	%	नगरीय	%	ग्रामीण
उपभोक्ता	33	5.00%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है
	11	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है
भार	33	0.00%		0.00%	
	11	2.51%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है
यूनिट	33	4.69%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।	14.88%	एक वर्षीय विकास दर मानी गयी है ।
	11	9.65%		68.99%	

उच्चदाब श्रेणी 6.2 हेतु भावी साल के लिए प्रक्षेपण निम्नानुसार है:—

श्रेणी	वोल्टेज	%	नगरीय	%	ग्रामीण
उपभोक्ता	33	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है
	11	0.00%		0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है
भार	33	0.00%		0.00%	
	11	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है	0.00%	कोई विकास दर परिलक्षित नहीं हुई है
यूनिट	33	15.00%	विद्युत प्रदाय के घंटों में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एवं विगत वर्ष के विकास दर में विसंगति की संभावना को ध्यान में रखते हुए मध्यम विकास दर मानी गयी है ।	15.00%	विद्युत प्रदाय के घंटों में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एवं विगत वर्ष के विकास दर में विसंगति की संभावना को ध्यान में रखते हुए मध्यम विकास दर मानी गयी है ।
	11	15.00%		15.00%	

1.2.15 एच.व्ही.-7 छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय

पूर्वानुमान के रूप में वर्तमान में तीनों वितरण कंपनियों के पास इस श्रेणी का कोई उपभोक्ता नहीं है ।

0000

2. ऊर्जा की आवश्यकता विद्युत वितरण कंपनी की परिधि पर

2.1 वार्षिक बिक्री से मासिक बिक्री में रूपान्तरण

वितरण कंपनियों द्वारा वार्षिक बिक्री को मासिक बिक्री में बदलने हेतु पूर्व के वर्षों में परिलक्षित विक्रय प्रोफाइल का उपयोग किया जाता है। इस प्रोफाइल का उपयोग वित्तीय वर्ष 2014 से 2016 के मासिक विक्रय की गणना के लिए किया गया है। सभी वितरण कंपनियों की रूप रेखा नीचे दर्शायी गयी तालिका में दिया गया है :-

तालिका-17 महीनेवार वितरण कंपनियों की बिक्री प्रोफाइल:-

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
पूर्व क्षेत्र वि.कं.	7%	7%	7%	8%	8%	8%	8%	10%	9%	10%	9%	9%
पश्चिम क्षेत्र वि.कं.	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	9%
मध्य क्षेत्र वि.कं.	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	10%	10%	8%	8%

2.2. मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की हानियाँ

अन्तर राज्यीय पारेषण घाटे की गणना के लिए पिछले 12 माहों के (52 सप्ताह) के वास्तविक आंकड़े एम.पी.एस. एल.डी.सी. ऑन लाईन पोर्टल से लिये गये हैं, और उसी के औसत से भविष्य के सालों के लिए उपयोग किया गया है। गणना औसत 4.30: है, और एम.वाय.टी. अवधि के लिए इसी का मान लिया गया है।

तालिका-18 म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं. की हानियाँ (पूर्व आंकड़े एम.पी.एस.एल.डी.सी से प्राप्त)

	जनवरी 1-201 2	फरवरी 1-201 2	मार्च -201 2	अप्रैल -201 2	मई -201 2	जून -201 2	जुलाई -201 2	अगस्त -201 2	सितम्बर -2012	अक्टूबर -2012	नवम्बर -201 2	दिसम्बर -201 2	औसत
एम.पी.पी. टी.सी. एल. की हानियाँ	4.70 %	4.70 %	4.70 %	4.70 %	4.70 %	4.70 %	4.70 %	3.50 %	4.25 %	3.75 %	3.75 %	3.50 %	4.30 %

2.3 वितरण हानियाँ

माननीय आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की अवधि के लिए 29 नवम्बर-2012 विद्युत की दर और बिजली की वोल्टेज और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धान्तों और विधियों के लिए नियम और शर्तों को अधिसूचित किया है। वितरण हानि स्तर के रूप में नियमों में दिये गये लक्ष्यानुसार नीचे तालिका में दिया गया है :-

तालिका-19 वितरण कंपनियों हेतु हानि स्तर लक्ष्य (म.प्र.विद्युत नियामक के अनुसार)..

वितरण हानि	वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2015	वित्तीय वर्ष 2016
पूर्व क्षेत्र वि.कं.	23.00%	20.00%	18.00%
पश्चिम क्षेत्र वि.कं.	20.00%	18.00%	16.00%
मध्य क्षेत्र वि.कं.	23.00%	21.00%	19.00%

2.3.1 वार्षिक वितरण हानि स्तर का मासिक नुकसान के रूप में रूपांतरण

वार्षिक वितरण हानि स्तर मासिक नुकसान के आधार पर पिछले पांच वर्षों के दौरान संचयी वार्षिक घाटे से मासिक नुकसान के मानक विचलन स्तर में बदल जाते हैं। म.प्र.शासन के हानि स्तर को इस पद्धति के कारण वितरण कंपनी की सीमा पर वार्षिक ऊर्जा की आवश्यकता को एक उच्च नुकसान के रूप में देखा जाता है।

इस विधि में वास्तविक मासिक नुकसान के स्तर और पिछले कुछ वर्षों के लिए संचयी वितरण कंपनी की वार्षिक हानि को लिया जाता है। प्रत्येक माह के संचयी वार्षिक औसत नुकसान के स्तर के मानक विचलन की गणना की जाती है। मासिक मानक विचलन से मासिक नुकसान स्तर का उपयोग म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा वार्षिक हानि स्तर की गणना के लिए उपयोग किया गया है। इस मासिक नुकसान स्तर पर प्रक्षेपक का उपयोग और 4.30 प्रतिशत की दर से पारेषण हानि मानते हुए प्रत्येक माह में किया गया है। तीनों वितरण कंपनियों हेतु ऊर्जा की आवश्यकता की गणना नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

तालिका-20 वित्तीय वर्ष 2014 से 2016 हेतु राज्य सीमा पर मासिक ऊर्जा की आवश्यकता(मि.यू)..

वित्तीय वर्ष 2014 के लिए राज्य सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता													
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	अप्रैल-13	मई -13	जून -13	जुलाई-13	अग.-13	सित -13	अक्टू -13	नव - 13	दिस -13	जन-14	फर.-14	मार्च-14	योग
विक्रय रूपरेखा	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	10%	9%	8%	8%	100%
विक्रय (मि. यूनिट)	857	857	857	980	980	980	980	1,225	1,102	1,225	1,102	1,102	12,248
वितरण हानि	23.44%	22.83%	18.81%	20.76%	23.39%	23.32%	24.79%	24.26%	24.87%	24.33%	20.78%	24.43%	23.00%
पारेषण हानि	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%
राज्य की सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता	1,170	1,161	1,103	1,292	1,337	1,335	1,361	1,690	1,533	1,691	1,454	1,524	16,653
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	अप्रैल -13	मई -13	जून -13	जुलाई -13	अग.-13	सित-13	अक्टू- 13	नव- 13	दिस- 13	जन-14	फर.-14	मार्च-14	योग
विक्रय रूपरेखा	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	9%	100%
विक्रय ((मि. यूनिट)	1,233	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586	17,619
वितरण हानि	23.23%	23.85%	17.40%	9.20%	7.44%	11.54%	27.60%	29.42%	23.67%	25.48%	21.80%	19.38%	20.00%
पारेषण हानि	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%
राज्य की सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता	1,679	1,934	1,783	1,622	1,591	1,665	2,034	2,348	2,171	2,224	2,119	2,055	23,226
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	अप्रैल-13	मई-13	जून-13	जुलाई -13	अग.-13	सित-13	अक्टू-13	नव-13	दिस-13	जन-14	फर.-14	मार्च-14	योग
विक्रय रूपरेखा	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	10%	10%	8%	8%	100%
विक्रय (मि. यूनिट)	920	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,183	1,314	1,314	1,051	1,051	13,143
वितरण हानि	22.92%	22.13%	21.54%	21.38%	22.98%	22.93%	24.19%	24.42%	23.98%	24.63%	23.06%	21.83%	23.00%
पारेषण हानि	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%
राज्य की सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता	1,247	1,411	1,400	1,398	1,427	1,426	1,449	1,635	1,807	1,822	1,428	1,406	17,856

वित्तीय वर्ष 2015 के लिए राज्य सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता													
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	अप्रैल-14	मई 14	जून-14	जुलाई-14	अग.-14	सित-14	अक्टू-14	नव-14	दिस-14	जन-15	फर-15	मार्च-15	योग
विक्रय रूपरेखा	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	10%	9%	8%	8%	100%
विक्रय (मि. यूनिट)	999	999	999	1,142	1,142	1,142	1,142	1,427	1,284	1,427	1,284	1,284	14,270
वितरण हानि	20.44%	19.83%	15.81%	17.76%	20.39%	20.32%	21.79%	21.26%	21.87%	21.33%	17.78%	21.43%	20.00%
पारेषण हानि	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%
राज्य की सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता	1,312	1,302	1,240	1,451	1,499	1,497	1,525	1,894	1,718	1,896	1,632	1,708	18,673
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	अप्रैल-14	मई 14	जून-14	जुलाई-14	अग.-14	सित-14	अक्टू-14	नव-14	दिस-14	जन-15	फर-15	मार्च-15	योग
विक्रय रूपरेखा	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	9%	100%
विक्रय (मि. यूनिट)	1,383	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	19,761
वितरण हानि	21.23%	21.85%	15.40%	7.20%	5.44%	9.54%	25.60%	27.42%	21.67%	23.48%	19.80%	17.38%	18.00%
पारेषण हानि	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%
राज्य की सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता	1,835	2,114	1,953	1,780	1,747	1,826	2,220	2,561	2,373	2,429	2,317	2,249	25,404
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	अप्रैल-14	मई 14	जून-14	जुलाई-14	अग.-14	सित-14	अक्टू-14	नव-14	दिस-14	जन-15	फर-15	मार्च-15	योग
विक्रय रूपरेखा	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	10%	10%	8%	8%	100%
विक्रय (मि. यूनिट)	1,125	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,447	1,608	1,608	1,286	1,286	16,077
वितरण हानि	20.92%	20.13%	19.54%	19.38%	20.98%	20.93%	22.19%	22.42%	21.98%	22.63%	21.06%	19.83%	21.00%
पारेषण हानि	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%
राज्य की सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता	1,487	1,683	1,670	1,667	1,701	1,700	1,727	1,949	2,153	2,171	1,703	1,677	21,288

वित्तीय वर्ष 2016 के लिए राज्य सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता													
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	अप्रैल-15	मई 15	जून-15	जुलाई-15	अग.-15	सित-15	अक्टू-15	नव-15	दिस-15	जन-16	फर-16	मार्च-16	योग
विक्रय रूपरेखा	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	10%	9%	8%	8%	100%
विक्रय ((मि. यूनिट)	1,181	1,181	1,181	1,349	1,349	1,349	1,349	1,687	1,518	1,687	1,518	1,518	16,867
वितरण हानि	18.44%	17.83%	13.81%	15.76%	18.39%	18.32%	19.79%	19.26%	19.87%	19.33%	15.78%	19.43%	18.00%
पारिषण हानि	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%
राज्य की सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता	1,513	1,501	1,431	1,674	1,728	1,726	1,758	2,183	1,980	2,185	1,884	1,969	21,531
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	अप्रैल-15	मई 15	जून-15	जुलाई-15	अग.-15	सित-15	अक्टू-15	नव-15	दिस-15	जन-16	फर-16	मार्च-16	योग
विक्रय रूपरेखा	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	9%	100%
विक्रय (मि. यूनिट)	1,558	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	2,003	2,003	2,003	2,003	2,003	22,251
वितरण हानि	19.23%	19.85%	13.40%	5.20%	3.44%	7.54%	23.60%	25.42%	19.67%	21.48%	17.80%	15.38%	16.00%
पारिषण हानि	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%
राज्य की सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता	2,015	2,321	2,148	1,962	1,926	2,012	2,435	2,806	2,605	2,665	2,546	2,473	27,913
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	अप्रैल-15	मई 15	जून-15	जुलाई-15	अग.-15	सित-15	अक्टू-15	नव-15	दिस-15	जन-16	फर-16	मार्च-16	योग
विक्रय रूपरेखा	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	10%	10%	8%	8%	100%
विक्रय (मि. यूनिट)	1,406	1,607	1,607	1,607	1,607	1,607	1,607	1,808	2,009	2,009	1,607	1,607	20,088
वितरण हानि	18.92%	18.13%	17.54%	17.38%	18.98%	18.93%	20.19%	20.42%	19.98%	20.63%	19.06%	17.83%	19.00%
पारिषण हानि	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%
राज्य की सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता	1,812	2,051	2,037	2,032	2,073	2,072	2,104	2,374	2,623	2,645	2,075	2,044	25,941

58

3. उपलब्धता का आंकलन

इस अनुभाग में बिजली खरीद की उपलब्धता और उसके म.प्र.राज्य के लिए भविष्य के वर्षों के लिए, पूर्वानुमान खाते में निम्नलिखित पहलुओं पर है :-

- 0 वर्तमान में म.प्र. को आवंटित दीर्घकालिक उत्पादन क्षमता
- 0 भविष्य के वर्षों में आने वाली नवीन उत्पादन क्षमताएं जो कि म.प्र.जेनको, केन्द्रीय उपक्रम, संयुक्त उद्यम, यू.एम.पी.पी., के लिए प्रतिस्पर्धा बोली के तहत आने वाली क्षमताएं
- 0 पश्चिमी एवं पूर्वी ग्रिड का उत्पादन क्षमता पर प्रभाव
- 0 विगत तीन वर्षों में उत्पादन केन्द्रों का प्रदर्शन

उपरोक्त सभी कारकों के आधार पर बिजली की खरीद के परिदृश्य के लिए एक विस्तृत पूर्वानुमान तैयार किया गया है, जो कि बाद के वर्गों में वर्णित है :-

3.1 मौजूदा उत्पादन क्षमताओं का विवरण

3.1.1. म.प्र. को आवंटित केन्द्रीय अंचल के स्टेशन

म.प्र. को आवंटित केन्द्रीय अंचल के स्टेशनों की तालिका की सूची नीचे राज्य को आवंटित क्षमताओं को दर्शाया गया है :-

तालिका-21 म.प्र.को आवंटित केन्द्रीय अंचल के स्टेशन

केन्द्रीय अंचल के स्टेशन	क्षेत्र	क्षमता (मेगावॉट)	म.प्र.का हिस्सा (मेगावॉट)	म.प्र.का हिस्सा %
एनटीपीसी कोरबा	पश्चिम क्षेत्र	2,100.00	489.06	23%
एनटीपीसी – विन्ध्याचल-I	पश्चिम क्षेत्र	1,260.00	444.61	35%
एनटीपीसी – विन्ध्याचल-II	पश्चिम क्षेत्र	1,000.00	320.55	32%
एनटीपीसी – विन्ध्याचल-III	पश्चिम क्षेत्र	1,000.00	249.06	25%
एनटीपीसी- कवास	पश्चिम क्षेत्र	656.20	140.00	21%
एनटीपीसी- गंधार	पश्चिम क्षेत्र	657.37	117.00	18%
काकरापार आण्विक संयंत्र	पश्चिम क्षेत्र	440.00	111.26	25%
तरापुर आण्विक संयंत्र	पश्चिम क्षेत्र	1,080.00	233.26	22%
एनटीपीसी- फरक्का	पूर्व क्षेत्र	1,600.00	0.00	0%
एनटीपीसी- तालचर	पूर्व क्षेत्र	1,000.00	0.00	0%
एनटीपीसी- कहलगांव	पूर्व क्षेत्र	840.00	0.00	0%
एनटीपीसी- सीपत II	पश्चिम क्षेत्र	1,000.00	192.06	19%
एनटीपीसी- कहलगांव-2	पूर्व क्षेत्र	1,500.00	73.95	5%
योग		14,133.57	2,370.81	

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कमजोर आवंटन डब्ल्यू.आर.पी.सी./ई.आर.पी.सी. द्वारा समय-समय पर बदला जाता है । इसलिए भविष्य के लिए उपलब्धता की घोषणा नवीनतम आवंटन एम.वाय.टी. अवधि पर स्थिर होना माना गया है । नीचे दी गई तालिका में स्टेशनों के हिसाब से विगत तीन वर्षों, (वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13) के दौरान वास्तविक एक्स बस यूनिटों की उपलब्धता की जानकारी (अगस्त-2012 तक) एवं वित्तीय वर्ष 13, वित्तीय वर्ष 14 से वित्तीय वर्ष 16 के अन्य महिनों हेतु प्रक्षेपण पिछले तीन वर्षों की औसत उपलब्धता के आधार पर किया गया है । नीचे दी गई तालिका भी वित्तीय वर्ष 13 से 16 हेतु प्रक्षेपण की जानकारी दर्शाता है :-

तालिका-22 अतीत और अनुमानित केन्द्रीय अंचल के स्टेशनों की उपलब्धता (एक्स बस).

स्टेशन	ऐतिहासिक आंकड़े – पिछले एक्स-बस उपलब्धता			अनुमानित एक्स-बस उपलब्धता			
	वित्तीय वर्ष-10	वित्तीय वर्ष-11	वित्तीय वर्ष-12	वित्तीय वर्ष-13	वित्तीय वर्ष-14	वित्तीय वर्ष-15	वित्तीय वर्ष-16
एनटीपीसी कोरबा	3,482	3,697	3,170	3,396	3,421	3,329	3,382
एनटीपीसी – विन्ध्याचल-I	3,164	3,267	3,152	3,144	3,188	3,161	3,164
एनटीपीसी – विन्ध्याचल-II	2,339	2,458	2,289	2,300	2,349	2,313	2,321
एनटीपीसी – विन्ध्याचल-III	1,814	2,003	1,897	1,912	1,937	1,915	1,922
एनटीपीसी- कवास	781	758	572	654	662	629	648
एनटीपीसी- गंधार	709	666	461	580	569	537	562
काकरापार आण्विक संयंत्र	204	311	865	628	601	698	643
तारापुर आण्विक संयंत्र	909	1,286	1,378	1,411	1,358	1,382	1,384
एनटीपीसी- फरक्का	32	0	0	0	0	0	0
एनटीपीसी- तालचर	19	0	0	0	0	0	0
एनटीपीसी- कहलगांव	13	0	0	0	0	0	0
एनटीपीसी- सीपत II	1,276	1,522	1,554	1,479	1,518	1,517	1,505
एनटीपीसी- कहलगांव-2	267	415	311	345	357	338	347
योग	15,009	16,383	15,649	15,850	15,961	15,820	15,877

- राज्य हेतु आवंटन पश्चिम क्षेत्र के स्टेशनों बाबत पश्चिमी क्षेत्रीय पॉवर कमेटी के पत्र क्रमांक WRPC/Comml.1/6/Alloc/2012/684 dt. 24/05/2012 के द्वारा किया गया है ।
- एक्स बस यूनिटों की जानकारी डब्ल्यू.आर.पी.सी. और ई.आर.पी.सी. मासिक प्रगति के आधार पर ।

3.1.2 द्विपक्षीय और संयुक्त उपक्रम स्टेशन

नीचे दी गई तालिका में द्वितीय पक्षीय एवं संयुक्त उपक्रम स्टेशनों द्वारा म.प्र. को पूर्व में दी गई एक्स-बस मिलियन यूनिट इन स्टेशनों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात वित्तीय वर्ष 2010, 2011, एवं 2012 एवं वित्तीय वर्ष 2013 से 2016 तक प्रक्षेपण (वास्तविक आंकड़े अगस्त-2012 तक एवं उपलब्धता का प्रक्षेपण वर्ष 2013 एवं 2014 से 2016 के अन्य महिनो हेतु विगत तीन वर्षों में औसत उपलब्धता के आधार पर किया गया है)

तालिका-23 द्विपक्षीय एवं संयुक्त उपक्रम के स्टेशन

स्टेशन	क्षेत्र	क्षमता (मेगावॉट)	म.प्र.का हिस्सा (मेगावॉट)	म.प्र.का हिस्सा ःद्व
एनएचडीसी- इंदिरा सागर	राज्य	1,000.00	1,000.00	100%
सरदार सरोवर	पश्चिम क्षेत्र	1,450.00	826.50	57%
ओंकारेष्वर जल विद्युतीय	राज्य	520.00	520.00	100%
डी.व्ही.सी. (एम.टी.पी.एस, सी.टी.पी.एस)	पूर्व क्षेत्र	500.00	200.00	40%
योग		3,470.00	2,546.50	

तालिका-24 अतीत और अनुमानित द्विपक्षीय एवं संयुक्त उपक्रम के स्टेशनों की उपलब्धता.(एक्स बस)

स्टेशन	ऐतिहासिक आंकड़े – पिछले एक्स-बस उपलब्धता			अनुमानित एक्स-बस उपलब्धता			
	वित्तीय वर्ष-10	वित्तीय वर्ष-11	वित्तीय वर्ष-12	वित्तीय वर्ष-13	वित्तीय वर्ष-14	वित्तीय वर्ष-15	वित्तीय वर्ष-16
एनएचडीसी- इंदिरा सागर	2,112	2,196	3,277	2,761	2,745	2,928	2,811
सरदार सरोवर	1,395	2,002	2,424	2,046	2,157	2,209	2,137
टोंकारेश्वर जल विद्युतीय	938	1,074	1,366	1,223	1,221	1,270	1,238
डी.व्ही.सी. (एम.टी.पी.एस, सी. टी.पी.एस)	399	691	1,054	1,881	1,717	1,551	1,716
योग	4,845	5,962	8,121	7,910	7,840	7,957	7,902

3.1.3 म.प्र.जेनको के स्टेशन

भावी वर्षों के लिए (वित्तीय वर्ष 2016 तक) म.प्र.जेनको के स्टेशनों से उपलब्धता का प्रक्षेपण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका-25 वित्तीय वर्ष 2013 से 2016 के लिए एम.पी.जेनको के स्टेशनों की अनुमानित मि.यू (एक्स बस)

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 13	वित्तीय वर्ष 14	वित्तीय वर्ष 15	वित्तीय वर्ष 16
एटीपीएस – चचाई पॉवर हाऊस 1 एवं 2	728	514	539	594
एसटीपीएस – सारणी पॉवर हाऊस 1, 2 एवं 3	4,731	4,561	4,491	4,595
एसजीटीपीएस – बिरसिंहपुर पॉवर हाऊस 1 एवं 2	4,179	3,933	4,053	4,055
एसजीटीपीएस – बिरसिंहपुर – विस्तार	3,458	3,471	3,478	3,469
एटीपीएस – चचाई विस्तार	1,305	1,376	1,414	1,365
सीएचपीएस- गांधी सागर	101	97	114	104
सीएचपीएस- आर.पी.सागर एवं जवाहर सागर	203	227	249	226
पेंच टी.एच.पी.एस.	218	237	249	235
बाणसागर टोंस – एच.पी.एस.	1,306	1,209	1,344	1,286
बाणसागर टोंस – एच.पी.एस.बाणसागर प्ट (झिन्ना)	74	62	77	71
बिरसिंहपुर एच.पी.एस.	26	35	35	32
बरगी एच.पी.एस.	383	438	450	424
राजघाट एच.पी.एस.	41	40	47	43
मढीखेड़ा एच.पी.एस.	62	83	103	82
योग	16,814	16,284	16,644	16,580

3.2 क्षमता वृद्धि की योजना

राज्य हेतु वित्तीय वर्ष 2013 से 2016 में होने वाली क्षमता वृद्धि की योजना जिसमें म.प्र. जेनको की क्षमता वृद्धि, केन्द्रीय अंचल के स्टेशन एवं अन्य संयुक्त उपक्रम और प्रकरण-एक निविदा से अतिरिक्त क्षमता शामिल है, को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका-26 वित्तीय वर्ष 2014 से 2016 हेतु क्षमता में वृद्धि की योजना.

क्र.	परियोजना का नाम	इकाई	क्षमता (मेगावाट)	म.प्र.का हिस्सा (मेगावाट)	नियत समय
1	सिंघाजी ताप विद्युत गृह – प्रथम चरण	इकाई 1	600.00	600.00	सित-13
2	खण्डवा (100 प्रति.हिस्सा)	इकाई 2	600.00	600.00	अक्टू-13
3	सतपुड़ा ताप विद्युत गृह विस्तार	इकाई 10	250.00	250.00	फरवरी-13
4	बैतूल (100 प्रतिषत हिस्सा)	इकाई 11	250.00	250.00	सित-13
5	सीपत चरण – 1 बिलासपुर	इकाई 2	660.00	111.24	मई-12
6	(एनटीपीसी)	इकाई 3	660.00	111.24	अगस्त-12
7	एनटीपीसी मोदा एसटीपीएस चरण-1 नागपुर	इकाई 1	500.00	78.00	मार्च-13
8		इकाई 2	500.00	78.00	सित-13
9	विन्ध्याचल मेगा परियोजना चरण-4 सीधी (एनटीपीसी)	इकाई 1	500.00	128.00	दिस-12
10		इकाई 2	500.00	128.00	दिस-13
11	विन्ध्याचल मेगा परियोजना चरण-5 सीधी (एनटीपीसी)	इकाई 1	500.00	128.00	सित-15
12	डी.व्ही.सी. दुर्गापुर स्टील टी.पी.एस.	इकाई 1	500.00	50.00	जुलाई-12
13		इकाई 2	500.00	50.00	दिस-12
14	यू.एम.पी.पी. सासन, सीधी	इकाई 1 – 2	1,320.00	495.00	अक्टू-13
15		इकाई 3 – 4	1,320.00	495.00	जून-14
16		इकाई 5 – 6	1,320.00	495.00	अक्टू-14
17	एस्सार पॉवर , सीधी	इकाई 1	600.00	150.00	अक्टू-14
18	बीना पावर – सागर	इकाई 1	250.00	175.00	सित-12
19		इकाई 2	250.00	175.00	फरवरी-12
20	जय प्रकाश पावर, निगरी	इकाई 1	660.00	248.00	सित-13
21		इकाई 2	660.00	247.00	दिस-13
22	एम.बी. पॉवर, अनूपपुर	इकाई 1	600.00	210.00	नव-13
23		इकाई 2	600.00	210.00	अप्रैल-14
24	डी.बी. पॉवर सिंगरोली	इकाई 1	660.00	231.00	अप्रैल-14
25	श्री महेष्वर एच.ई.पी. खरगौन	इकाई 1 – 2	80.00	0.00	अप्रैल-14
26	(प्रति यूनिट क्षमता 40 मेगावाट, अनिश्चितता के कारण	इकाई 3 – 4	80.00	0.00	जून-14
27	अगले आदेश तक उपलब्धता शून्य)	इकाई 5 – 6	80.00	0.00	सित-14
28		इकाई 7 – 8	80.00	0.00	जनवरी-15
29		इकाई 9 – 10	80.00	0.00	अप्रैल-15
30	बी.एल.ए. पॉवर नरसिंहपुर	इकाई 1	45.00	16.00	मार्च-13
31		इकाई 2	45.00	16.00	अप्रैल-14
32	मेसर्स झाबुआ पॉवर, सिवनी	इकाई 1	600.00	210.00	दिस-13
33	मेसर्स लेंको टी.पी.एस. अमरकंटक		300.00	300.00	दिस-12
34	आइ.पी.पी.एस. – रियायती ऊर्जा		200.00	200.00	सित-14
35	नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, जैविक आदि)		120.00	120.00	मार्च-13
36	नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, जैविक आदि)		300.00	300.00	मार्च-14
	योग		16,770.00	6,735.48	

3.2.1 भविष्य में आने वाली क्षमताओं से उपलब्धता की धारणा अनुसार प्रक्षेपण

भविष्य में आने वाली क्षमताओं से उपलब्धता प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित अनुमान लिये गये हैं :-

- कोयला आधारित स्टेपनों के लिए संयंत्र भार कारक 85 से 88 प्रतिषत स्टेपन अनुसार माना गया है (एम.पी. जेनको से वार्तालाप के उपरान्त)
- गैस आधारित एवं आणविक पॉवर स्टेपनों के लिए संयंत्र भार कारक 68 प्रतिषत माना गया है ।
- कोयला आधारित स्टेपनों के लिए सहायक खपत को 7.5 प्रतिषत माना गया है ।
- गैस आधारित एवं आणविक स्टेपनों के लिए सहायक खपत को 12 प्रतिषत माना गया है ।
- किसी वर्ष विषेय में उसी वर्ष के परिचालन माह से उपलब्धता का पूर्वानुमान किया गया है ।

उपरोक्त अनुमानों के आधार पर भविष्य के वर्षों (वित्तीय वर्ष 2016 तक) के लिए भावी क्षमता वृद्धि से विद्युत उपलब्धता का प्रक्षेपण किया गया है ।

3.3 कुल उपलब्धता

उपरोक्त चर्चाओं के अनुसार एक्स बस पर विद्युत की कुल उपलब्धता का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है (वितरण कंपनियों एवं म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को आवंटित स्टेपनों सहित) :-

तालिका-27 वित्तीय वर्ष 2014 से 2016 के लिए कुल उपलब्धता (मि.यू).

स्टेशन	वि.वर्ष .13	वि.वर्ष १4	वि.वर्ष १5	वि.वर्ष १6
एनटीपीसी कोरबा	3,396	3,421	3,329	3,382
एनटीपीसी – विन्ध्याचल-I	3,144	3,188	3,161	3,164
एनटीपीसी – विन्ध्याचल-II	2,300	2,349	2,313	2,321
एनटीपीसी – विन्ध्याचल-III	1,912	1,937	1,915	1,922
एनटीपीसी- कवास	654	662	629	648
एनटीपीसी- गंधार	580	569	537	562
काकरापार आणविक संयंत्र	628	601	698	643
तरापुर आणविक संयंत्र	1,411	1,358	1,382	1,384
एनटीपीसी- फरक्का	0	0	0	0
एनटीपीसी- तालचर	0	0	0	0
एनटीपीसी- कहलगांव	0	0	0	0
एनएचडीसी- इंदिरा सागर	2,761	2,745	2,928	2,811
सरदार सरोवर	2,046	2,157	2,209	2,137
ओंकारेश्वर जल विद्युतीय	1,223	1,221	1,270	1,238
लेंको अमरकंटक	0	0	0	0
एटीपीएस – चचाई पॉवर हाऊस 1 एवं 2	728	514	539	594
एसटीपीएस – सारणी पॉवर हाऊस 1, 2 एवं 3	4,731	4,561	4,491	4,595
एसजीटीपीएस – बिरसिंहपुर पॉवर हाऊस 1 एवं 2	4,179	3,933	4,053	4,055
सीएचपीएस- गांधी सागर	101	97	114	104
सीएचपीएस- आर.पी.सागर एवं जवाहर सागर	203	227	249	226
पेंच टी.एच.पी.एस.	218	237	249	235
बाणसागर टोंस – एच.पी.एस.	1,306	1,209	1,344	1,286
बाणसागर टोंस – एच.पी.एस.बाणसागर प्ट (झिन्ना)	74	62	77	71
बिरसिंहपुर एच.पी.एस.	26	35	35	32
बरगी एच.पी.एस.	383	438	450	424
राजघाट एच.पी.एस.	41	40	47	43
मढीखेड़ा एच.पी.एस.	62	83	103	82
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल –(चम्बल, सतपुड़ा)	417	408	397	407
उ.प्र.पॉवर कार्पोरेशन (रेहण्ड, माताटीला,राजघाट)	185	174	190	183
अन्य –1 (पवन एवं सी.पी.पी)	323	254	285	287
एन.टी.पी.सी.- सीपत चरण- I	1,479	1,518	1,517	1,505
एन.टी.पी.सी.- कहलगांव -2	345	357	338	347
डी.व्ही.सी. – (एम.टी.पी.एस, सी.टी.पी.एस.)	1,881	1,717	1,551	1,716
एस.जी.टी.पी.एस. बिरसिंहपुर-विस्तार	3,458	3,471	3,478	3,469
ए.टी.पी.एस.-चचाई-विस्तार	1,305	1,376	1,414	1,365
योग	41,499	40,920	41,292	41,237

एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं. को आवंटित					
एन.टी.पी.सी. कोरबा - III		532	494	501	509
आई.पी.पी. टोरंट		581	581	577	580
एन.टी.पी.सी. सीपत चरण- I	इकाई 1	679	504	504	562
सिंघाजी टी.पी.पी. फेस-1 खण्डवा (100 प्रतिषत हिस्सा)	इकाई 1	0	1,455	4,008	4,022
	इकाई 2	0	1,215	3,921	4,022
सतपुड़ा टी.पी.पी. एक्सटेंशन बैतूल (100 प्रतिषत हिस्सा)	इकाई 10	102	1,436	1,603	1,607
	इकाई 11	0	600	1,602	1,607
सीपत स्टेज-1, बिलासपुर (एनटीपीसी)	इकाई 2	503	706	706	708
	इकाई 3	372	706	706	708
एनटीपीसी मोदा एसटीपीएस चरण-1 नागपुर	इकाई 1	0	428	495	497
	इकाई 2	0	180	495	497
विन्ध्याचल मेगा परियोजना चरण-4 सीधी (एनटीपीसी)	इकाई 1	146	756	813	815
	इकाई 2	0	146	756	815
विन्ध्याचल मेगा परियोजना चरण-5 सीधी (एनटीपीसी)	इकाई 1	0	0	0	296
डी.व्ही.सी. दुर्गापुर स्टील टी.पी.एस.	इकाई 1	173	318	318	318
	इकाई 2	57	295	318	318
यू.एम.पी.पी. सासन, सीधी	इकाई 1 - 2	0	1,002	3,235	3,318
	इकाई 3 - 4	0	0	2,032	3,318
	इकाई 5 - 6	0	0	996	3,239
एस्सार पॉवर, सीधी	इकाई 1	0	0	60	196
बीना पावर - सागर	इकाई 1	502	1,122	1,122	1,125
	इकाई 2	71	1,005	1,122	1,125
जय प्रकाश पावर, निगरी	इकाई 1	0	601	1,657	1,662
	इकाई 2	0	296	1,536	1,656
एम.बी. पॉवर, अनूपपुर	इकाई 1	0	338	1,339	1,408
	इकाई 2	0	0	1,097	1,408
डी.बी. पॉवर सिंगरौली	इकाई 1	0	0	1,206	1,548
श्री महेष्वर एच.ई.पी. खरगौन (प्रति यूनिट क्षमता 40 मेगावॉट, अनिश्चितता के कारण अगले आदेश तक उपलब्धता शून्य)	इकाई 1 - 2	0	0	0	0
	इकाई 3 - 4	0	0	0	0
	इकाई 5 - 6	0	0	0	0
	इकाई 7 - 8	0	0	0	0
	इकाई 9 - 10	0	0	0	0
बी.एल.ए. पॉवर नरसिंहपुर	इकाई 1	0	90	103	103
	इकाई 2	0	0	81	103
मेसर्स झाबुआ पॉवर, सिवनी	इकाई 1	0	252	1,306	1,408
मेसर्स लेंको टी.पी.एस. अमरकंटक		360	1,821	1,945	1,950
आई.पी.पी.एस. - रियायती ऊर्जा		0	0	485	1,299
नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, जैविक आदि)		1	209	209	210
नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, जैविक आदि)		0	1	523	524
योग		4,079	16,557	37,377	43,484
महा योग		45,577	57,478	78,669	84,721

3.3.1 वितरण कंपनीवार आवंटन

वितरण कंपनीवार विद्युत उपलब्धता का प्रक्षेपण म.प्र.शासन की अधिसूचना क्रमांक 2660/एफ-3-24/2009/XIII दिनांक 29.03.2012 के अनुसार बुंदेलखण्ड क्षेत्र को 200 मेगावॉट का विषेय आवंटन को खाते में समाहित न करते हुए नीचे दर्शायी गयी तालिका में क्षमता का आवंटन (200 मेगावॉट विषेय आवंटन) सहित दर्शाया गया है :-

तालिका-28 म.प्र.शासन की अधिसूचना अनुसार वितरण कंपनियों को क्षमता का आवंटन (200 मेगावाट का आवंटन बुंदेलखण्ड क्षेत्र सहित) (%)

स्टेशन	पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.	पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.	मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.
एनटीपीसी कोरबा	39.39%	32.98%	27.63%
एनटीपीसी – विन्ध्याचल-I	36.05%	29.66%	34.29%
एनटीपीसी – विन्ध्याचल-II	35.61%	32.19%	32.19%
एनटीपीसी – विन्ध्याचल-III	32.76%	35.86%	31.38%
एनटीपीसी- कवास	35.00%	40.00%	25.00%
एनटीपीसी- गंधार	32.00%	38.00%	30.00%
मकरापुर आण्विक संयंत्र	32.62%	35.94%	31.44%
तरापुर आण्विक संयंत्र	33.97%	35.21%	30.81%
एनटीपीसी- फरक्का	0.00%	0.00%	0.00%
एनटीपीसी- तालचर	0.00%	0.00%	0.00%
एनटीपीसी- कहलगांव	0.00%	0.00%	0.00%
एनएचडीसी- इंदिरा सागर	22.00%	53.00%	25.00%
सरदार सरोवर	32.00%	43.00%	25.00%
ओंकारेश्वर जल विद्युतीय	30.00%	45.00%	25.00%
लेंको अमरकंटक	29.89%	38.27%	31.84%
एटीपीएस – चचाई पॉवर हाऊस 1 एवं 2	27.00%	33.00%	40.00%
एसटीपीएस – सारणी पॉवर हाऊस 1, 2 एवं 3	29.00%	32.00%	39.00%
एसजीटीपीएस – बिरसिंहपुर पॉवर हाऊस 1 एवं 2	28.00%	32.00%	40.00%
सीएचपीएस- गांधी सागर	23.00%	27.00%	50.00%
सीएचपीएस- आर.पी.सागर एवं जवाहर सागर	20.00%	30.00%	50.00%
पेंच टी.एच.पी.एस.	20.00%	40.00%	40.00%
बाणसागर टोंस – एच.पी.एस.	30.00%	40.00%	30.00%
बाणसागर टोंस – एच.पी.एस.-सिलपरा	30.00%	40.00%	30.00%
बाणसागर टोंस- एच.पी.एस. देवलौन	30.00%	40.00%	30.00%
बाणसागर टोंस- एच.पी.एस.- बाणसागर-पअ (झिन्ना)	30.00%	40.00%	30.00%
बिरसिंहपुर एच.पी.एस.	30.00%	50.00%	20.00%
बरगी एच.पी.एस.	25.00%	50.00%	25.00%
राजघाट एच.पी.एस.	20.00%	40.00%	40.00%
मढीखेड़ा एच.पी.एस.	30.00%	50.00%	20.00%
मिनी माइको (एच.पी.एस.)	29.89%	38.27%	31.84%
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल -(चम्बल, सतपुड़ा)	29.89%	38.27%	31.84%
उ.प्र.पॉवर कार्पोरेशन (रेहण्ड, माताटीला,राजघाट)	29.89%	38.27%	31.84%
एम.एस.ई.बी. (पेंच)	29.89%	38.27%	31.84%
ग्रिडको (हीराकण्ड)	29.89%	38.27%	31.84%
अन्य -1 (पवन एवं सी.पी.पी.)	29.89%	38.27%	31.84%
एनटीपीसी – सीपत चरण - II	39.42%	34.61%	25.96%
एनटीपीसी – कहलगांव -2	27.00%	53.00%	20.00%
डी.व्ही.सी. (एमटीपीएस, सीटीपीएस)	33.00%	53.00%	14.00%
एसजीटीपीएस बिरसिंहपुर – विस्तार	28.00%	32.00%	40.00%
एटीपीएस चचाई-विस्तार	27.00%	33.00%	40.00%
प्रभावी औसत	29.89%	38.27%	31.84%

3.4 पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लि. की हानियां

अन्तरराज्यीय पारेषण हानियों की गणना पूर्व क्षेत्रीय एवं पश्चिम क्षेत्रीय स्टेपनों के लिए पृथक से की गई है। पश्चिम क्षेत्र के लिए विगत आंकड़े (वित्तीय वर्ष 13, के 16 दिसम्बर-12 तक 26 सप्ताह) जो कि पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, की बेवसाइट पर उपलब्ध है, से लिये गये हैं एवं 3.69 प्रतिषत की औसत हानि स्तर को वित्तीय वर्ष 13 से वित्तीय वर्ष 16 के लिए माना गया है। इसी प्रकार पूर्व क्षेत्र, पारेषण हानियों की गणना म.प्र. को आवंटित स्टेपनों हेतु औसत पारेषण हानि 2.50 प्रतिषत वित्तीय वर्ष 13 से वित्तीय वर्ष 16 हेतु मानी गयी है।

3.5 ऊर्जा का संतुलन (एनर्जी बैलेंस)

3.5.1 ऊर्जा की आवश्यकता विरुद्ध उपलब्धता एवं कमी का प्रबंधन

निवेदन है कि वितरण कंपनीवार ऊर्जा की कमी अथवा आधिक्य की मात्रा को सुनिश्चित करने और आवश्यकता पड़ने पर बेहतर ऊर्जा प्रबंधन की योजना एवं आवश्यकता पड़ने पर अन्य स्रोतों से विद्युत खरीदी हेतु योजना तैयार की गई है। वितरण कंपनीवार ऊर्जा की आवश्यकता (एक्स बस), वितरण कंपनियों एवं एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लि. को वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2016 हेतु आवंटित स्टेपनों की ऊर्जा की उपलब्धता से अधिक है।

राज्य के अन्तर्गत मिलियन यूनिट की कमी है, जिसकी पूर्ति अल्पावधि खरीद के माध्यम से पूर्ति की जा सकती है। चूंकि अल्पावधि ऊर्जा की दर आमतौर पर उच्च और अस्थिर और बिन मौसम के समय के हिसाब से अलग-अलग है, 400 मेगावॉट (24 घंटे हेतु) बिजली खरीदी, मध्यम अवधि बिजली खरीद निविदा जो कि अक्टूबर-12 से मार्च-14 तक को सभी वितरण कंपनियों हेतु अंतिम रूप दिया गया है, चूंकि ये अधिक विवेकपूर्ण और लागत प्रभावी है। कंपनीवार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किये जाने वाले ऊर्जा की परिकल्पना को नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका-29 वितरण कंपनियों द्वारा विभिन्न स्रोतों से खरीद (एक्स बस)

विवरण	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			
	वि.वर्ष .13	वि.वर्ष -14	वि.वर्ष -15	वि.वर्ष -16
ऊर्जा की आवश्यकता एक्स बस	12,890	16,903	18,920	21,780
कंपनी को आवंटित स्टेपनों से क्य	12,308	12,767	12,839	12,844
एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि.को आवंटित स्टेपन से क्य	248	3,637	6,081	8,748
कमी	334	499	0	187
एम.टी.पी.पी. से क्य	131	366	0	0
शेष एस.टी.पी.पी. के माध्यम से क्य	203	133	0	187
विवरण	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			
	वि.वर्ष .13	वि.वर्ष .14	वि.वर्ष -15	वि.वर्ष -16
ऊर्जा की आवश्यकता एक्स बस	19,036	23,481	25,655	28,167
कंपनी को आवंटित स्टेपनों से क्य	15,117	15,021	15,171	15,140
एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि.को आवंटित स्टेपन से क्य	2,163	7,301	10,484	12,770
कमी	1,756	1,159	0	256
एम.टी.पी.पी. से क्य	705	828	0	0
शेष एस.टी.पी.पी. के माध्यम से क्य	1,051	331	0	256

विवरण	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			
	वि.वर्ष .13	वि.वर्ष —14	वि.वर्ष —15	वि.वर्ष —16
ऊर्जा की आवश्यकता एक्स बस	14,257	18,059	21,489	26,143
कंपनी को आवंटित स्टेपनों से क्य	13,090	13,133	13,283	13,252
एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि.को आवंटित स्टेपन से क्य	570	4,199	8,206	12,674
कमी	596	726	0	216
एम.टी.पी.पी. से क्य	273	546	0	0
शेष एस.टी.पी.पी. के माध्यम से क्य	323	180	0	216
विवरण	मध्य प्रदेश राज्य			
	वि.वर्ष .13	वि.वर्ष —14	वि.वर्ष —15	वि.वर्ष —16
ऊर्जा की आवश्यकता एक्स बस	46,183	58,442	66,064	76,089
कंपनी को आवंटित स्टेपनों से क्य	40,515	40,920	41,292	41,237
एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि.को आवंटित स्टेपन से क्य	2,982	15,137	24,772	34,193
कमी	2,686	2,385	0	659
एम.टी.पी.पी. से क्य	1,108	1,740	0	0
शेष एस.टी.पी.पी. के माध्यम से क्य	1,578	645	0	659

3.5.2 प्रासंगिक ऊर्जा आधिक्य का प्रबंधन

यह देखा गया है कि दीर्घावधि स्रोतों से कुछ ऊर्जा प्रासंगिक तौर पर आधिक्य में रह सकती है । यह आशा है कि मध्यम अवधि स्रोतों से कुछ माहों में कुछ ऊर्जा अप्रयुक्त भी रहेगी । माननीय आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013 के लिए जारी दर आदेश में लेख किया है कि यदि कुछ माहों में उपलब्धता वितरण कंपनियों के लिए अनुपयोगी रहती है तो इस आधिक्य विद्युत का उपयोग अन्य राज्यों में बचत में किया जाये, किसी कमी होने की दशा में, रबी मौसम में विद्युत आवश्यकता की आपूर्ति इस बचत खाते से ही पूर्ण की जा सके । अर्थात् बिना किसी अतिरिक्त लागत के माध्यम से । वित्तीय वर्ष 2014 से 2016 के लिए वितरण कंपनियों द्वारा लघु अवधि तथा मध्यम अवधि स्रोतों से प्रासंगिक आधिक्य ऊर्जा का प्रबंधन भी इसी विधि से किया जावेगा जिसे कृपया मान्य करें ।

00000

4. विद्युत कय की लागतों का आंकलन

4.1 स्टेशनवार लागत का आंकलन

भावी वर्षों के लिए विद्युत कय की लागत के पूर्वानुमान हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाये गये हैं :-

- स्थायी तथा परिवर्तनीय लागतों को पूर्व में अनुमोदित लागतों तथा एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि./एम.पी.जेनको द्वारा अनुमानित भावी लागतों के प्रक्षेपण के अनुसार लिया गया है।
- ईंधन लागत मूल्य की वृद्धि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के मुद्रा स्फीति के अनुसार ली गई है।
- अन्य लागतें जैसे कर, प्रोत्साहन, एम.ओ.पी.ए. प्रभार, विद्युत शुल्क एवं उपकर विगत वर्षों में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा जारी देयकों के अनुसार ली गई है।

4.1.1 वर्तमान स्टेशनों की लागतों का विवरण

4.1.2. नियत लागतें

वित्तीय वर्ष 2013 से 2016 के लिए म.प्र.जेनको के स्टेशनों की नियत लागतें वित्तीय वर्ष 2012 के स्तर पर ही रखी गयी हैं, जो कि आयोग द्वारा बहुवर्षीय दर आदेश दिनांक 03 मार्च-2010 में अनुमोदित है।

केन्द्रीय अंचल के स्टेशनों (जिनको कि : क्षमता का आवंटन प्रत्येक वितरण कंपनी हेतु म.प्र.शासन द्वारा परिभाषित किया गया है) हेतु केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के तहत प्रत्येक स्टेशनवार वित्तीय वर्ष 2014 तक स्थाई लागतें अनुमोदित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2015 एवं 2016 हेतु वित्तीय वर्ष 2014 के समान स्थायी लागतें केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा समस्त स्टेशनों हेतु जारी की गई याचिकाओं का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका-30 केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार केन्द्रीय अंचल के स्टेशन

स्टेशन	कूल क्षमता (मेगावॉट में)	याचिका क्रमांक	आदेश दिनांक
कोरबा चरण I & II	2,100.00	264 of 2009	12.10.2012
कोरबा चरण III	500.00	247 of 2010	3.5.2012
विन्ध्याचल-I	1,260.00	227 of 2009	11.10.2012
विन्ध्याचल-II	1,000.00	258 of 2009	25.5.2012
विन्ध्याचल-III	1,000.00	260 of 2009	28.5.2012
कवास गैस पी.एस	656.20	285 of 2009	30.12.2011
गंधार गैस पी.एस	657.37	226 of 2009	30.12.2012
सीपत चरण -I	1,980.00	28 of 2011	6.9.2012
सीपत चरण- II	1,000.00	316 of 2009	6.7.2011
कहलगांव चरण II	1,500.00	282 of 2009	13.4.2012
चन्द्रपुरा डी.व्ही.सी.		339 of 2010	10.10.2012

4.1.3 परिवर्तनीय लागतें

म.प्र.जेनको एवं केन्द्रीय उत्पादन गृहों के लिए परिवर्तनीय लागतें (ईंधन प्रभार समायोजन सहित) वित्तीय वर्ष 2012 स्तर पर ही रखी गयी हैं। इन लागतों पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की 08 अक्टूबर-2012 की अधिसूचना में निहित वार्षिक दरों की बढ़त ली है।

ईंधन तथा अन्य परिवर्तनीय लागतें वित्तीय वर्ष 2012 के देयकों से ली गई हैं और उन पर बढ़त उसी प्रकार ली गई है जैसा कि परिवर्तनीय लागतें प्रति यूनिट में ली गई है। वित्तीय वर्ष 2013 की यह लागतें आधार मानी गयी हैं, क्योंकि इन लागतों का भुगतान सामान्य रूप से वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2013 के आंकलन उपलब्ध नहीं है। इसलिए इनको उत्पादन लागत के परिवर्तनीय अंश में शामिल किया गया है। साथ ही केन्द्रीय अंचल के स्टेशनों हेतु अतिरिक्त ऊर्जा शुल्क/उपकर 8 पैसे की दर से मानते हुए वर्ष 2013 से लिया गया है। जो उत्पादन गृहों की लागतों पर परिवर्तनीय अंश में शामिल है।

केन्द्रीय अंचल के नवीन आने वाले स्टेशनों की लागतें मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एवं राज्य के नवीन स्टेशनों की लागतें म.प्र. जेनको द्वारा उपलब्ध करायी गयी हैं।

वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2016 तक की विद्युत क्रय लागत की गणना हेतु प्रत्येक सब स्टेशनों की नियत एवं परिवर्तनीय लागत का सारांश नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका-31 मौजूदा स्टेशनों की फिक्सड एवं परिवर्तनीय लागत

स्टेशन	नियत प्रभार (रु. करोड़ में)	परिवर्तनीय चार्ज (रु. /यूनिट)	ईंधन मूल्य समायोजन (रु. /यूनिट)	अन्य शुल्क (आयकर को छोड़कर एवं विद्युत शुल्क/उपकर / 8 पै./यूनिट) (रु. /यूनिट)	कुल परिवर्तनीय प्रभार (रु. /यूनिट)
एनटीपीस कोरबा	188.92	1.00	-	0.03	1.03
एनटीपीसी - विन्ध्याचल-८	197.97	1.84	-	0.33	2.17
एनटीपीसी - विन्ध्याचल-७	174.09	1.74	-	0.25	1.99
एनटीपीसी - विन्ध्याचल-७	204.22	1.75	-	0.27	2.02
एनटीपीसी- कवास	96.96	2.71	0.00	0.23	2.95
एनटीपीसी- गंधार	95.56	2.53	0.04	0.17	2.74
काकरापार आण्विक संयंत्र	0.11	2.18	0.10	0.04	2.31
तरापुर आण्विक संयंत्र	-	2.82	-	0.02	2.84
एनटीपीसी- फरक्का	-	-	-	-	-
एनटीपीसी- तालचर	-	-	-	-	-
एनटीपीसी- कहलगांव	-	-	-	-	-
एनएचडीसी- इंदिरा सागर	516.14	0.32	-	0.14	0.46
सरदार सरोवर	188.93	0.95	-	0.21	1.16
ओंकारेश्वर जल विद्युतीय	288.88	0.28	-	0.17	0.45
एटीपीएस - चचाई पॉवर हाऊस 1 एवं 2	24.34	1.49	-	0.02	1.51
एसटीपीएस - सारणी पॉवर हाऊस 1, 2 एवं 3	227.72	1.91	-	0.01	1.92
एसजीटीपीएस - बिरसिंहपुर पॉवर हाऊस 1 एवं 2	303.71	2.56	-	0.01	2.57
सीएचपीएस- गांधी सागर	2.04	0.37	-	0.48	0.85
सीएचपीएस- आर.पी.सागर एवं जवाहर सागर	-	1.51	-	-	1.51
पेंच टी.एच.पी.एस.	6.39	0.29	-	0.00	0.30
बाणसागर टोंस - एच.पी.एस.	55.35	0.77	-	0.14	0.91
बाणसागर टोंस - एच.पी.एस.बाणसागर प्ट (झिन्ना)	4.70	1.39	-	-	1.39
बिरसिंहपुर एच.पी.एस.	2.01	1.35	-	0.02	1.37
बरगी एच.पी.एस.	5.46	0.28	-	0.16	0.43
राजघाट एच.पी.एस.	1.88	1.04	-	0.25	1.29
मठीखेड़ा एच.पी.एस.	11.12	2.32	-	0.00	2.32
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल -(चम्बल, सतपुड़ा)	-	4.19	-	0.08	4.27
उ.प्र.पॉवर कॉर्पोरेशन (रेहण्ड, माताटीला, राजघाट)	-	-	-	0.08	0.08
अन्य -1 (पवन एवं सी.पी.पी)	-	3.86	-	-	3.86
एन.टी.पी.सी.- सीपत चरण- I	178.43	0.92	-	0.08	1.01
एन.टी.पी.सी.- कहलगांव -2	63.54	2.44	-	-	2.44
डी.व्ही.सी. - (एम.टी.पी.एस, सी.टी.पी.एस.)	177.21	1.10	1.31	0.04	2.45
एस.जी.टी.पी.एस. बिरसिंहपुर-विस्तार	368.54	2.41	-	0.00	2.42
ए.टी.पी.एस.-चचाई-विस्तार	176.21	1.29	-	-	1.29

4.1.4 भावी क्षमता वृद्धि की लागतों का विवरण

भविष्य में चालू होने वाले समस्त क्षमताओं की दरें विद्युत क्रय अनुबंधों के अनुसार ली गई है। निम्न तालिका में भावी क्षमता वृद्धि की लागतों का विवरण वित्तीय वर्ष 2014 से 2016 हेतु दर्शाया गया है।

तालिका-32 भविष्य में आने वाले क्षमताओं की नियत एवं परिवर्तनीय लागत.

परियोजना का नाम	नियत प्रभार (रु. करोड़ में)	परिवर्तनीय प्रभार (रु. /यूनिट)	टिप्पणी
सिंगाजी टी.पी.पी. फेस-1 खण्डवा (100 प्रतिषत हिस्सा)	240.00	3.50	नियत एवं परिवर्तनीय प्रभार म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी एवं एम.पी.जेनको से वार्तालाप के बाद लिये गये हैं । परिवर्तनीय बढ़ी हुई कीमतें वित्तीय वर्ष 2013 से केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की दर अनुसार ली गई हैं ।
सतपुडा टी.पी.पी. विस्तार बैतूल (100 प्रतिषत हिस्सा)	96.00	3.00	
सीपत चरण-1, बिलासपुर (एनटीपीसी)	48.00	1.24	एन.टी.पी.सी. सीपत चरण-1, के अनुसार वर्तमान दरों पर आधारित है ।
एनटीपीसी मोदा एसटीपीएस चरण-1, नागपुर (एनटीपीसी)	72.00	1.24	एन.टी.पी.सी. सीपत चरण-1, के अनुसार वर्तमान दरों पर आधारित है ।
विन्ध्याचल मेगा प्रोजेक्ट चरण-4 सीधी (एनटीपीसी)	57.00	2.06	नियत प्रभार मेगावॉट म.प्र. के हिस्से से जुड़ा हुआ है (प्रति मेगावॉट लागत को स्थापित विन्ध्याचल संयंत्र के आधार पर। परिवर्तनीय लागत वर्तमान में स्थापित विन्ध्याचल संयंत्र के तीनों चरणों के औसत आधार पर । परिवर्तनीय बढ़ी हुई कीमतें वित्तीय वर्ष 2013 से केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की दर अनुसार ली गई हैं
विन्ध्याचल मेगा प्रोजेक्ट चरण-5 सीधी (एनटीपीसी)	79.00	Rs. 2.37 for FY'16	
डी.व्ही.सी. दुर्गापुर स्टील, टीपीएस	44.00	1.22	स्थापित डी.व्ही.सी. संयंत्रों के आधार पर दरें ली गई हैं ।
यू.एम.पी.पी. सासन, सीधी	0.00	1.28	एम.पी.जेनको से वार्तालाप के अनुसार
एस्सार पॉवर सीधी	0.00	3.80	एम.पी.जेनको से वार्तालाप के अनुसार । परिवर्तनीय बढ़ी हुई कीमतें वित्तीय वर्ष 2013 से केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की दर अनुसार ली गई हैं
बीना पॉवर, सागर			
जय प्रकाश पॉवर, निगरी			
एम.बी. पॉवर, अनूपपुर			
डी.बी. पॉवर, सिंगरौली			
श्री महेश्वर एच.ई.पी. खरगौन	0.00	0.00	जोखिम के कारण चूंकि उपलब्धता शून्य मानी गयी है, दर को निरंक रखा गया है ।
बी.एल.ए. पॉवर, नरसिंहपुर	0.00	3.80	एम.पी.जेनको से वार्तालाप के अनुसार । परिवर्तनीय बढ़ी हुई कीमतें वित्तीय वर्ष 2013 से केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की दर अनुसार ली गई हैं
मे. झाबुआ पॉवर, सिवनी			
मे. लेंको टी.पी.एस. अमरकंटक			
आई.पी.पी.एस. रियायती ऊर्जा			
नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, जैविक आदि)	0.00	8.00	म.प्र. में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धा बोली दर के आधार पर

4.2 अन्य विद्युत खरीद लागत का आंकलन

4.2.1 पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की लागतें – अन्तरराज्यीय पारेषण लागतें :-

अन्तर राज्यीय पारेषण प्रभार में म.प्र.द्वारा पश्चिम एवं पूर्व क्षेत्र की पारेषण प्रणाली हेतु देय प्रभार होते हैं । मौजूदा स्टेप्नों के लिए अंतर राज्यीय पारेषण लागत का अनुमान लाइसेंस द्वारा इस्तेमाल की गई पद्धति के अनुसार किया गया । इन लागतों का आंकलन लगभग वित्तीय वर्ष 2014 हेतु रु. 686 करोड़, वित्तीय 2015 हेतु 741 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2016 हेतु रु. 801 करोड़ है । इन लागतों का आवंटन वितरण कंपनियों को उनके द्वारा उपयोग की गई पॉवर के अनुपात में किया जाता है । केन्द्रीय अंचल के स्टेप्नों का वितरण कंपनीवार अनुपात नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका-33 पीजीसीआईएल लागत (अन्तरराज्यीय पारेषण शुल्क)

वितरण कंपनियां	आवंटन का प्रतिषत			पी.जी.सी.आई.एल. की लागतें		
	वि.वर्ष 14	वि. वर्ष 15	वि.वर्ष 16	वि.वर्ष 14	वि. वर्ष 15	वि.वर्ष 16
पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.	30.95%	30.83%	30.90%	212.17	228.39	247.40
पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.	38.89%	38.94%	38.95%	266.63	288.52	311.84
मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.	30.16%	30.23%	30.15%	206.76	223.98	241.43
योग	100.00%	100.00%	100.00%	685.56	740.89	800.67

4.2.2 एम.पी.पी.टी.सी.एल. की लागतें – अंतःराज्यीय पारेषण लागतें

अन्तः राज्यीय पारेषण लागतों की गणना के लिए वितरण कंपनियों द्वारा एम.पी.पी.टी.सी.एल. को दिये गये वास्तविक खर्चें लिये जाते हैं । (ट्रू-अप राशि को छोड़कर) एस.एल.डी.सी. शुल्क की लागत को कुल एम.पी.पी.टी.सी.एल. की लागत में पहुँचाने हेतु तीनों वितरण कंपनियों, को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है ।

तालिका-34 म.प्र.पॉ.ट्रां.कं. लागत (अन्तःराज्यीय पारेषण शुल्क)

स.क.	विवरण	वि.वर्ष 2014 (आंकलित)	वि.वर्ष 2015 (आंकलित)	वि.वर्ष 2016 (आंकलित)
1	संचालन एवं संधारण व्यय	351.08	384.61	422.57
2	अवमूल्यन	315.89	348.56	398.45
3	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	144.33	176.79	223.33
4	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	56.04	65.30	73.23
5	सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं	677.32	848.14	979.07
6	अंशपूजी पर प्रतिलाम	370.34	440.55	454.64
7	म.प्र.विद्युत नियामक आयोग के शुल्क एवं कर	0.89	0.89	0.89
8	पूर्ण अवधि के समयोजन/बट्टे खाते में डाले गये प्रभार	-	-	-
9	कुल योग सरल क्र. 01 से 07	1,915.89	2,264.84	2,552.18
10	घटायें – गैर राजस्व आय	5.00	5.00	5.00
11	शुद्ध वार्षिक स्थायी लागत	1,910.89	2,259.84	2,547.18
	वि.वर्ष 2010 हेतु अनुमोदित सत्यापन राशि(ट्रू अप)	53.99	-	-
	एस.एल.डी.सी. प्रभार	9.29	10.22	11.23
	म.प्र.पा.ट्रां.कं.की लागतें	1,974.17	2,270.06	2,558.41
	अपेक्षित सत्यापन राशि – वितरण कंपनियों की सकल राजस्व आवश्यकता में नहीं जोड़ी गई है	661.00	60.00	-

उपरोक्त लागतों का आवंटन तीनों वितरण कंपनियों को उनके भारत औसत स्टेप्स की क्षमता आवंटन के अनुसार वितरण कंपनीवार नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका-35 म.प्र.पॉ.ट्रां.कं. लागत: (वितरण कंपनियों के लिए आवंटन)

वितरण कंपनियां	वि.वर्ष 14	वि. वर्ष 15	वि.वर्ष 16
पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.	542.93	622.19	701.20
पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.	754.42	868.61	978.94
मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.	676.82	779.26	878.26
योग	1,974.17	2,270.06	2,558.41

4.2.3 म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमि. की अन्य लागतें

म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमि. के खर्चे जो कि वितरण कंपनियों को बहुवर्षीय दरों से संबंधित जिनमें विभिन्न भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमि. के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित है। जिनका विस्तृत विवरण अध्याय 08 में किया गया है। (माननीय नियामक आयोग को म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमि. की याचिका) इन खर्चों का आवंटन तीनों वितरण कंपनियों को उनके स्थापित औसत क्षमता आवंटन के अनुसार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2012 से 2016 तक के खर्चों का विवरण वितरण कंपनियोंवार नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका-36 एम.पी.पॉ.मै.कं. अन्य लागत (विवरण एवं वितरण कंपनियों को आवंटन)

विवरण	वर्ष12 के दौरान आई लागत	वर्ष13 हेतु आंकलित लागत	वर्ष14 हेतु आंकलित लागत	वर्ष15 हेतु आंकलित लागत	वर्ष16 हेतु आंकलित लागत
ऊर्जा की खरीद	204.71	10.71	11.79	12.96	14.26
अंतर्राज्यीय पारेषण लागत	61.84	66.74	72.04	77.75	83.91
अवमूल्यन खर्च	1.87	2.06	2.26	2.49	2.74
ब्याज एवं वित्त प्रभार	30.31	72.70	84.20	71.70	64.20
सुधार एवं रखरखव खर्च	1.30	1.80	1.94	2.10	2.26
कर्मचारी व्यय	40.32	37.00	38.11	39.25	40.43
प्रशासनिक एवं प्रशासनिक व्यय	9.63	10.39	11.22	12.11	13.07
अन्य व्यय	21.97	23.71	25.59	27.62	29.81
योग	371.95	225.12	247.15	245.98	250.69
घटाएं					
आय	207.91	167.97	167.97	167.97	167.97
शुद्ध व्यय	164.04	57.15	79.18	78.01	82.72
वितरण कंपनियों को आवंटित म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कंपनी की लागतें					
पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.	50.06	17.08	21.68	21.36	22.65
पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.	61.24	21.87	30.30	29.86	31.66
मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.	52.74	18.20	27.19	26.79	28.41
योग	164.04	57.15	79.18	78.01	82.72

4.2.4 मध्यम अवधि विद्युत क्रय लागत

जैसा कि पूर्व में चर्चा की है कि वर्तमान दीर्घअवधि स्रोतों से वित्तीय वर्ष 2013 से 2014 हेतु उपलब्ध विद्युत की आवश्यकता की भरपाई हेतु पर्याप्त नहीं होगी। अतः तीनों वितरण कंपनियों के लिये (अक्टूबर 2012 से मार्च 2014) 400 मेगावॉट दिन-रात विद्युत की खरीदी हेतु मध्यम अवधि विद्युत क्रय के निविदा बुलाई गई है। मध्यम अवधि विद्युत क्रय की प्रति यूनिट दर रु. 4.11 प्रति यूनिट प्रारंभ के 100 मेगावॉट हेतु एवं रु. 4.19 प्रति यूनिट शेष 300 मेगावॉट हेतु जिसका औसत दर रु. 4.17 प्रति यूनिट

वित्तीय वर्ष 2014 में 400 मेगावॉट 3,540 मिलियन यूनिट में परिवर्तित होगी, जिकी कुल लागत रु. 1461 करोड़ इस लागत को वितरण कंपनी विशेष की वित्तीय वर्ष 2014 में ऊर्जा की कमी की पूर्ति के आधार पर तीनों वितरण कंपनियों के बीच में विभक्त किया जायेगा।

4.2.5 अल्प अवधि विद्युत क्रय लागत

मध्यम अवधि विद्युत क्रय के बावजूद भी कुछ विद्युत की कमी शेष रह जाती है। जिसकी पूर्ति हेतु अल्प अवधि विद्युत क्रय की आवश्यकता निर्मित होगी। यह प्रस्तावित है कि इस शेष विद्युत की कमी को अल्प अवधि विद्युत क्रय से पूरा किया जावेगा तथा वर्तमान बाजार प्रवृत्ति के आधार पर इसकी लागत रु. 5 प्रति यूनिट अनुमानित की गई है।

4.3 कुल विद्युत क्रय लागत

विभिन्न लागत की घटकों की चर्चा के अनुसार प्रदेश में कुल विद्युत क्रय लागत को प्रत्येक वितरण कंपनीवार नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका-37 वित्तीय वर्ष 2013 से 2016 के लिए कुल बिजली खरीद की लागत

	विवरण	म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि.			
		वर्ष13	वर्ष14	वर्ष15	वर्ष16
A	उत्पादन बिन्दु (एक्स-बस) पर क्रय यूनिट्स	12,890	16,903	18,920	21,780
B	स्थायी लागत (रु. करोड़ में)	1,072.56	1,079.73	1,079.73	1,079.73
C	परिवर्तनशील लागत (रु. करोड़ में)	2,342.28	3,589.18	3,625.53	4,156.95
D	म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कं.लि. की लागतें	17.08	21.68	21.36	22.65
E = B+C+D	उत्पादन बिन्दु (एक्स-बस) पर कुल विद्युत क्रय लागत	3,431.92	4,690.60	4,726.63	5,259.34
E/A	विद्युत क्रय की दर	2.66	2.78	2.50	2.41
H	बाह्य हानियां (मि.यू.)	235	250	247	249
I	अंतरराज्यीय पारेषण लागत (रु. करोड़ में)	205.94	212.17	228.39	247.40
J = (A - H)	राज्य की परिधि पर क्रय की गई यूनिटें	12,655	16,653	18,673	21,531
K = (I + E)	राज्य की परिधि पर कुल विद्युत क्रय लागत (रु. करोड़ में)	3,637.86	4,902.77	4,955.02	5,506.74
J/K	राज्य की परिधि पर विद्युत क्रय की दर (रु./यूनिट)	2.87	2.94	2.65	2.56
L	अंतः राज्तीय पारेषण लागत-म.प्र. ट्रांसको एस.एल.डी.सी. सहित (रु. करोड़ में)	499.84	542.93	622.19	701.20
M = (K+L)	वितरण कंपनी की परिधि पर कुल विद्युत क्रय लागत (रु. करोड़ में)	4,137.70	5,445.70	5,577.21	6,207.95
N	पारेषण हानि (मि.यू.)	545	717	804	927
O = (K - N)	वितरण कंपनी की सरहद पर तय की गई यूनिटें (मि.यू.)	12,110.3	15,935.8	17,869.0	20,604.2
O/M	वितरण कंपनी की परिधि पर विद्युत क्रय की दर	3.42	3.42	3.12	3.01
	विवरण	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि.			
		वर्ष13	वर्ष14	वर्ष15	वर्ष16
A	उत्पादन बिन्दु (एक्स-बस) पर क्रय यूनिट्स	19,036	23,481	25,655	28,167
B	स्थायी लागत (रु. करोड़ में)	1,383.94	1,390.94	1,390.94	1,390.94
C	परिवर्तनशील लागत (रु. करोड़ में)	4,327.34	5,242.22	4,798.07	5,245.19
D	म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कं.लि. की लागतें	21.87	30.30	29.86	31.66
E = B+C+D	उत्पादन बिन्दु (एक्स-बस) पर कुल विद्युत क्रय लागत	5,733.15	6,663.46	6,218.87	6,667.78
E/A	विद्युत क्रय की दर	3.01	2.84	2.42	2.37
H	बाह्य हानियां (मि.यू.)	251	254	251	253
I	अंतरराज्यीय पारेषण लागत (रु. करोड़ में)	251.55	266.63	288.52	311.84
J = (A - H)	राज्य की परिधि पर क्रय की गई यूनिटें	18,785	23,226	25,404	27,913
K = (I + E)	राज्य की परिधि पर कुल विद्युत क्रय लागत (रु. करोड़ में)	5,984.70	6,930.09	6,507.39	6,979.63
J/K	राज्य की परिधि पर विद्युत क्रय की दर (रु./यूनिट)	3.19	2.98	2.56	2.50
L	अंतः राज्तीय पारेषण लागत-म.प्र. ट्रांसको एस.एल.डी.सी. सहित (रु. करोड़ में)				
L	वितरण कंपनी की परिधि पर कुल विद्युत क्रय लागत (रु. करोड़ में)	567.25	754.42	868.61	978.94
M = (K+L)	पारेषण हानि (मि.यू.)	6,551.9	7,684.5	7,376.0	7,958.5
N	वितरण कंपनी की सरहद पर तय की गई यूनिटें (मि.यू.)	809	1,000	1,093	1,201
O = (K - N)	वितरण कंपनी की परिधि पर विद्युत क्रय की दर	17,976.70	22,226.33	24,310.26	26,711.98
O/M	उत्पादन बिन्दु (एक्स-बस) पर क्रय यूनिट्स	3.64	3.46	3.03	2.98

	विवरण	म.प्र. मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि.			
		वर्ष13	वर्ष14	वर्ष15	वर्ष16
A	उत्पादन बिन्दु (एक्स-बस) पर क्रय यूनिट्स	14,257	18,059	21,489	26,143
B	स्थाई लागत (रु. करोड़ में)	1,084.1 1	1,089.7 6	1,089.7 6	1,089.7 6
C	परिवर्तनशील लागत (रु. करोड़ में)	2,795.7 6	3,964.6 0	4,205.1 1	5,052.5 0
D	म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कं.लि. की लागतें	18.20	27.19	26.79	28.41
E = B+C+D	उत्पादन बिन्दु (एक्स-बस) पर कुल विद्युत क्रय लागत	3,898.0 6	5,081.5 5	5,321.6 6	6,170.6 7
E/A	विद्युत क्रय की दर	2.73	2.81	2.48	2.36
H	बाह्य हानियां (मि.यू.)	197	203	201	202
I	अंतरराज्यीय पारेषण लागत (रु. करोड़ में)	176.89	206.76	223.98	241.43
J = (A - H)	राज्य की परिधि पर क्रय की गई यूनिटें	14,059	17,856	21,288	25,941
K = (I + E)	राज्य की परिधि पर कुल विद्युत कय लागत (रु. करोड़ में)	4,074.9 5	5,288.3 1	5,545.6 3	6,412.0 9
J/K	राज्य की परिधि पर विद्युत कय की दर (रु./यूनिट)	2.90	2.96	2.61	2.47
L	अंतः राज्तीय पारेषण लागत-म.प्र. ट्रांसको एस.एल.डी.सी. सहित (रु. करोड़ में)	543.23	676.82	779.26	878.26
M = (K+L)	वितरण कंपनी की परिधि पर कुल विद्युत कय लागत (रु. करोड़ में)	4,618.1 8	5,965.1 3	6,324.9 0	7,290.3 6
N	पारेषण हानि (मि.यू.)	605	769	916	1,117
O = (K - N)	वितरण कंपनी की सरहद पर तय की गई यूनिटें (मि.यू.)	13,453. 93	17,087. 65	20,371. 81	24,824. 60
O/M	वितरण कंपनी की परिधि पर विद्युत कय की दर	3.43	3.49	3.10	2.94

	विवरण	म.प्र. राज्य			
		वर्ष13	वर्ष14	वर्ष15	वर्ष16
A	उत्पादन बिन्दु (एक्स-बस) पर क्रय यूनिट्स	46,183	58,442	66,064	76,089
B	स्थाई लागत (रु. करोड़ में)	3,540.6 1	3,560.4 3	3,560.4 4	3,560.4 4
C	परिवर्तनशील लागत (रु. करोड़ में)	9,465.3 7	12,796. 01	12,628. 72	14,454. 64
D	म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कं.लि. की लागतें	57.15	79.18	78.01	82.72
E = B+C+D	उत्पादन बिन्दु (एक्स-बस) पर कुल विद्युत क्रय लागत	13,063. 13	16,435. 61	16,267. 16	18,097. 79
E/A	विद्युत क्रय की दर	2.83	2.81	2.46	2.38
H	बाह्य हानियां (मि.यू.)	684	707	700	703
I	अंतरराज्यीय पारेषण लागत (रु. करोड़ में)	634.37	685.56	740.89	800.67
J = (A - H)	राज्य की परिधि पर क्रय की गई यूनिटें	45,499	57,735	65,365	75,386
K = (I - E)	राज्य की परिधि पर कुल विद्युत कय लागत (रु. करोड़ में)	13,697. 50	17,121. 17	17,008. 05	18,898. 46
J/K	राज्य की परिधि पर विद्युत कय की दर (रु./यूनिट)	3.01	2.97	2.60	2.51
L	अंतः राज्तीय पारेषण लागत-म.प्र. ट्रांसको एस.एल.डी.सी. सहित (रु. करोड़ में)	1,610	1,974	2,270	2,558
M = (K+L)	वितरण कंपनी की परिधि पर कुल विद्युत कय लागत (रु. करोड़ में)	15,307. 83	19,095. 34	19,278. 11	21,456. 87
N	पारेषण हानि (मि.यू.)	1,958	2,485	2,813	3,245
O = (K - N)	वितरण कंपनी की सरहद पर तय की गई यूनिटें (मि.यू.)	43,540. 98	55,249. 88	62,551. 13	72,140. 85
O/M	वितरण कंपनी की परिधि पर विद्युत कय की दर	3.52	3.46	3.08	2.97

0000

5. विद्युत वितरण कम्पनियों का संचालन एवं संधारण व्यय :-

विनियम के प्रावधानों पर आधारित संचालन एवं संधारण व्यय निम्नानुसार है:-

5.1 कर्मचारी लागत

विनियम के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी लागतों की गणना निम्नानुसार की गई है:-

तालिका 38: कर्मचारी लागत के विनिमन क प्रावधानानुसार (रु. करोड में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी		
	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
कर्मचारी लागत (बकाया राशि, भत्ता, बोनस इत्यादि को छोड़कर)	344.00	354.00	365.00	325.00	334.00	344.00	307.49	316.71	326.21
बकाया राशि	34.00	34.00	14.17	30.00	30.00	10.00	29.52	29.52	12.30
मंहगाई भत्ता	282.08	325.68	372.30	249.63	300.76	354.72	253.68	305.63	360.46
अतिरिक्त बोनस / बोनस	0.00	0.00	0.00	0.09	0.10	0.11	0.33	0.35	0.38
स्माहित ग्रामीण विद्युत समिति की कर्मचारी लागत	0.00	0.00	0.00	11.58	12.84	14.17	0.00	0.00	0.00
योग	660.08	713.68	751.47	616.30	677.69	723.00	591.01	652.21	699.36

विनियम की कंडिका 34.1 के प्रावधानानुसार कर्मचारी लागत में, बकाया राशि भत्ता, पेंशन मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त लाभ/बोनस को छोड़कर नामित की गई है। कर्मचारी लागत में दर्शाई गई हैं। उपरोक्त राशि विनियम के अनुसार शामिल की गई हैं।

5.1.1 पूर्व क्षेत्र वितरण कम्पनी

अ- अनुमानित मंहगाई भत्ते में प्रति छः माह में 6% एवं 8 % अनुमानित किया गया है इस प्रकार 14 % वर्ष में बढ़ना अनुमानित है जा लगभग 10 % की कुल बढ़ोत्तरी वित्तीय वर्ष 14 में करेगा। इसलिये अग्रिम वित्तीय वर्ष 15 एवं 16 हेतु वृद्धि अनुमानित की गई है।

ब- वर्तमान में मंहगाई भत्ता 72% है जिसे वर्ष 2014 में 82 % मूल वेतन का लिया गया है।

5.1.2.1 मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा कर्मचारी लागत की गणना मुख्य रूप से निम्नानुसार की गई है:-

अ- मंहगाई भत्ते की गणना हेतु

मूल वेतन में वर्ष 11-12 से प्रतिवर्ष 3% की बढ़ोत्तरी के आधार पर गणना की गई है।

ब- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ाये गये मंहगाई भत्ते को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

	जुलाई 09	नवम्बर 09	जनवरी 10	अप्रैल 10	जून 10	अक्टू 10	अप्रैल 11	अक्टू 11	अप्रैल 12	सित. 12	नवम्बर 12
मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी	4%	3%	3%	3%	2%	8%	10%	6%	7%	7%	7%

स- मंहगाई बढ़ोत्तरी में पिछली बढ़ोत्तरी को देखते हुए प्रति छः माह में 7 % बढ़ोत्तरी मानते हुये वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में क्रमशः मंहगाई भत्ता 82-5 % 96-5 % , 110-5 % लिया गया है।

द- On account of terminal benefits, only cash outflow has been considered as per provision of the MPERC (Term & condition for allowing pension & Terminal benefits Liabilities of personnel of the Board and Successor Entities) Regulations, 2012.

ई— कर्मचारियों को लाभ/बोनस का भुगतान पूर्व में किये गये लेखा परीक्षण की प्रवृत्ति अनुसार लिया गया है।

फ— छठवें वेतन की बकाया राशि को लागत में विनिमय के प्रावधानानुसार लिया गया है।

5.1.2.2 उपरोक्त प्रावधानों में पुर्नविचार करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माननीय आयोग से निम्नलिखित कारणों से निवेदन किया गया है।

अ— विद्युत अधिनियम 2003 एवं स्थानान्तरण नियम में प्रावधान के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारियों को जिन्हें विद्युत विद्युत वितरण कम्पनियों में स्थानान्तरित किया गया है की सेवा शर्तों को नहीं बदला जा सकता है इसलिए याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि कर्मचारी लागत आवश्यक एवं अपरिहार्य है। अतः कर्मचारी लागत को अयिंत्रित फेक्टर माना जाय।

ब— कम्पनी में स्टाप की कमी के कारण हाल ही में भर्ती प्रक्रिया आवश्यक श्रेणी जैसे सहायक यंत्री, कनि.यंत्री, लाइन कर्मचारी में शुरू किया गया है। अतः नई भर्ती में होने वाले अतिरिक्त खर्च को दृष्टिगत रखते हुए इसी अवधि में इनके खर्चा को शामिल किया जाय।

स— ग्रामीण सहकारी समितियां पंधाना एवं मनाषा को कम्पनी में शामिल किया गया है इसलिये कंपनी को सोसायटी के कर्मचारी हेतु अतिरिक्त लागत की आवश्यकता है। जबकि इन कर्मचारियों की लागत के संबंध में विनिमयमें कोई प्रावधान नहीं है। पिछले वास्तविक आंकड़ों के आधार पर अनुमानित राशि रु. 11.58 करोड़ को शामिल किया जाये।

5.2 प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

विनिमय के प्रावधानों के अनुसार प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय की गणना निम्नानुसार की गई है:—

तालिका 39 : प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय, विनिमय के अनुसार (रु. करोड़ में)

	पूर्व क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			मध्य क्षेत्र		
विवरण	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (म.प्र. विद्युत नियामक आयोग शुल्क एवं अन्य शुल्क छोड़कर)	112.78	121.73	131.38	92.71	100.07	108.00	105.71	107.75	116.67
शासन को देय शुल्क	0.00	0.00	0.00	5.02	5.85	6.69	1.02	1.10	1.19
योग	112.78	121.73	131.38	97.73	105.92	114.69	106.73	108.85	117.86

5.2.1 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

5.2.1.1 प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय की गणना हेतु मुख्य अनुमान निम्नानुसार है:—

अ— विनिमय की कंडिका 34.1 के अनुसार प्रशासनिक एवं अन्य व्यय में नियामक आयोग की फीस एवं शासन का शुल्क शामिल नहीं किया गया है।

ब— उपरोक्त के अनुसार नियामक आयोग की फीस एवं सरकार को देय अन्य शुल्क विनिमय के अतिरिक्त लिया गया है।

5.3 मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय

विनिमय के प्रावधानों के अनुसार मरम्मत एवं रखरखाव की गणना निम्नानुसार की गई है:—

तालिका 40 : मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय, रेग्युलेशन के अनुसार (रु. करोड़ में)

	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र		
विवरण	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
वित्तीय वर्ष की प्रारम्भिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियां	4,063.62	5,640.76	7,203.63	4,190.50	5,613.74	6,934.96	4,312.55	4,997.40	5,337.10
सकल स्थाई परिसम्पत्तियों का 2.3 प्र. श. मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	93.46	129.74	165.68	96.38	129.12	159.50	85.67	116.20	144.16

5.4 संचालन एवं संधारण व्ययों के अन्य मद

5.4.1 सेवान्त हित लाभ (पेंशन उपदान एवं अवकाश नगदीकरण)

कर्मचारियों के सेवार्थ लाभ की गणना म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के प्रावधानों एवं विनियम (2012 की जी-38) के अनुसार किया गया है जैसा कि म.प्र.राजपत्र में दिनांक 20 अप्रैल 2012 को प्रकाशित किया गया है। विद्युत नियामक आयोग के प्रावधानों के अनुसार (मण्डल एवं मण्डल की उत्तरवर्ती कम्पनियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों की शर्तें एवं निबंधन) विनियमन 2012 विद्युत वितरण कम्पनियों के द्वारा वास्तविक प्रतिवेदन एवं वास्तविक नगद तरल प्रवाह दोनों को मानते हुए सेवा लाभ की गणना की गई है।

तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा 31 मार्च 2009 की स्थिति में दायित्वों का वास्तविक मूल्यांकन किया गया, इस दायित्व के अतिरिक्त जीवनांकित मूल्यांकन में भविष्यगामी सेवाओं के संबंधित उत्पन्न होने वाले दायित्व की तीनों कम्पनियों द्वारा पूर्ति करने हेतु भावी योगदान दर (यथा मूल वेतन, ग्रेड वेतन, मंहगाई भत्ता का प्रतिषत) का प्रतिषत निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

तालिका 41 : जीवनांकित मूल्यांकन से देयता की भावी योगदान दर

अनुमान	पूर्व क्षेत्र				मध्य क्षेत्र				पश्चिम क्षेत्र			
	उपदान	पेंशन	अवकाश नकदीकरण	योग	उपदान	पेंशन	अवकाश नकदीकरण	योग	उपदान	पेंशन	अवकाश नकदीकरण	योग
जीवनांकित मूल्यांकन	4.95%	21.73%	0.77%	27.45%	4.67%	20.28%	0.59%	25.54%	4.56%	20.15%	0.54%	25.25%
छूट मूल्य	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

उपरोक्त निर्धारित विधि के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013 से 16 तक के दायित्वों की गणना की गई है तथा यह दायित्व अनुज्ञप्तिधारी के सभी पात्र कर्मचारियों से संबंधित है। टर्मिनल प्रसुविधाओं की गणना निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है :-

तालिका 42 : सेवान्त हित लाभ की गणना (रु. करोड़)

विवरण	वर्ष 2013 पूर्व क्षेत्र						वर्ष 2013 पश्चिम क्षेत्र						वर्ष 2013 मध्य क्षेत्र					
	पेंशन		ग्रेज्युटी		अवकाश नगदीकरण		पेंशन		ग्रेज्युटी		अवकाश नगदीकरण		पेंशन		ग्रेज्युटी		अवकाश नगदीकरण	
प्रावधान 31.03.12	612-65		141-61		49-41		602-64		111-25		27-56		592-37		129-58		63-54	
छूट @ 7%	7%	42.89	7%	8.02	7%	3.46	7%	42.19	7%	7.79	7%	1.93	7%	41.47	7%	9.07	7%	4.45
वर्तमान सेवा शर्त																		
वार्षिक वेतन	377.28		377.28		377.28		486.44		486.44		486.44		344.68		344.68		344.68	
जीवनांतिक मूल्यांकन	21.73%	81.98	4.95%	18.68	0.77%	2.91	20.28%	98.65	4.67%	22.72	0.59%	2.87	20.15%	69.45	4.56%	15.72	0.54%	1.86
कुल प्रावधान वर्ष 13 हेतु		124.87		26.70		6.36		140.83		30.50		4.80		110.92		24.79		6.31
विवरण	वर्ष 2014 पूर्व क्षेत्र						वर्ष 2014 पश्चिम क्षेत्र						वर्ष 2014 मध्य क्षेत्र					
	पेंशन		ग्रेज्युटी		अवकाश नगदीकरण		पेंशन		ग्रेज्युटी		अवकाश नगदीकरण		पेंशन		ग्रेज्युटी		अवकाश नगदीकरण	
प्रावधान 31.03.13	737.52		141.31		55.78		743.48		141.75		32.35		703.29		154.37		69.85	
छूट @ 7%	7%	51.63	7%	9.89	7%	3.9	7%	52.04	7%	9.92	7%	2.26	7%	49.23	7%	10.81	7%	4.89
वर्तमान सेवा शर्त																		
वार्षिक वेतन	414.72		414.72		414.72		552.22		552.22		552.22		379.90		379.90		379.90	
जीवनांतिक मूल्यांकन	21.73%	90.12	4.95%	20.53	0.77%	3.19	20.28%	111.99	4.67%	25.79	0.59%	3.26	20.15%	76.55	4.56%	17.32	0.54%	2.05
कुल प्रावधान वर्ष 14 हेतु		141.75		30.42		7.10		164.03		35.71		5.52		125.78		28.13		6.94

विवरण	वर्ष 2015 पूर्व क्षेत्र						वर्ष 2015 पश्चिम क्षेत्र						वर्ष 2015 मध्य क्षेत्र					
	पेंशन		ग्रेज्युटी		अवकाश नगदीकरण		पेंशन		ग्रेज्युटी		अवकाश नगदीकरण		पेंशन		ग्रेज्युटी		अवकाश नगदीकरण	
प्रावधान 31.03.14	879.27		171.73		62.87		907.51		177.47		37.88		829.07		182.5		76.79	
छूट @ 7%	7%	61.55	7%	12.02	7%	4.40	7%	63.53	7%	12.42	7%	2.65	7%	58.03	7%	12.77	7%	5.38
वर्तमान सेवा शर्त																		
वार्षिक वेतन	461.28		461.28		461.28		612.42		612.42		612.42		418.80		418.80		418.80	
जीवनांतिक मूल्यांकन	21.73%	100.24	4.95%	22.83	0.77%	3.55	20.28%	124.20	4.67%	28.60	0.59%	3.61	20.15%	84.39	4.56%	19.10	0.54%	2.26
कुल प्रावधान वर्ष 15 हेतु		161.78		34.85		7.95		187.72		41.02		6.26		142.42		31.87		7.64
विवरण	वर्ष 2016 पूर्व क्षेत्र						वर्ष 2016 पश्चिम क्षेत्र						वर्ष 2016 मध्य क्षेत्र					
	पेंशन		ग्रेज्युटी		अवकाश नगदीकरण		पेंशन		ग्रेज्युटी		अवकाश नगदीकरण		पेंशन		ग्रेज्युटी		अवकाश नगदीकरण	
प्रावधान 31.03.15	1041.05		206.58		70.83		1095.24		218.49		44.14		971.49		214.37		84.43	
छूट @ 7%	7%	72.87	7%	14.46	7%	4.96	7%	76.67	7%	15.29	7%	3.09	7%	68.00	7%	15.01	7%	5.91
वर्तमान सेवा शर्त																		
वार्षिक वेतन	543.60		543.60		543.60		675.73		675.73		675.73		461.69		461.69		461.69	
जीवनांतिक मूल्यांकन	21.73%	118.12	4.95%	26.91	0.77%	4.19	20.28%	137.04	4.67%	31.56	0.59%	3.99	20.15%	93.03	4.56%	21.05	0.54%	2049
कुल प्रावधान वर्ष 16 हेतु		191.00		51.37		9.14		213.71		56.85		7.08		161.03		36.06		8.40

नीचे दी गई तालिका में दायित्वों के विरुद्ध वर्ष 2008 से 2012 तक वास्तविक प्रावधानानुसार एवं वर्ष 2012 से 2016 तक प्रक्षेपित प्रावधानों को दर्शाया गया है।

तालिका 43 : वितरण कम्पनियों के लिए, टर्मिनल प्रसुविधा / सेवान्त हित लाभ दायित्व (रु. करोड़)

विवरण	पूर्व क्षेत्र				पश्चिमक्षेत्र				मध्य क्षेत्र			
	ग्रेज्युटी	पेंशन	अवकाश नगदीकरण	कुल दायित्व	ग्रेज्युटी	पेंशन	अवकाश नगदीकरण	कुल दायित्व	ग्रेज्युटी	पेंशन	अवकाश नगदीकरण	कुल दायित्व
जीवनांकित मूल्यांकन आधार पर कम्पनी से संबंधित निर्धारित किये गये पूर्व सेवा दायित्व (दिनांक 01.06.2005 से 31 मार्च 2009) तक	57.57	362.25	21.39	441.21	52.41	348.76	19.95	421.12	52.54	325.54	21.02	399.10
2009.10	15.36	67.44	2.38	85.18	23.40	101.60	2.96	127.96	18.82	10.03	5.26	34.11
2010.11	19.58	85.93	12.48	117.98	17.08	73.64	2.21	92.93	17.29	76.81	14.09	108.19
2011.12	22.10	97.03	13.17	132.30	18.36	78.65	2.44	99.44	18.03	77.47	17.31	112.81
2012.13	26.70	124.87	6.36	157.93	30.50	140.83	4.80	176.14	22.91	102.53	5.87	131.30
कुल योग 2013	141.31	737.52	55.78	934.61	141.75	743.48	32.35	917.59	129.59	592.38	63.55	785.51
2013.14	30.42	141.75	7.10	179.26	35.71	164.03	5.52	205.27	24.79	110.92	6.31	142.02
2014.15	34.85	161.78	7.95	204.59	41.02	187.72	6.26	235.01	28.13	125.78	6.94	160.85
2015.16	41.37	191.00	9.14	241.51	46.85	213.71	7.08	267.63	31.87	142.42	7.64	181.93
योग 2016	247.95	1,232.05	79.97	1,559.97	265.34	1,308.94	51.22	1,625.50	214.38	971.50	84.43	1,270.32

अंतिम वार्षिक राजस्व आवश्यकता में टर्मिनल लाभ नहीं लिए गये हैं। टर्मिनल लाभ (नगद तरल प्रवाह) कर्मचारी लागत में अगले संकाय में लिया गया है।

5.4.2 सेवान्त हित लाभ (टर्मिनल बेनीफिट)

- विनियम के प्रावधानों के अनुसार पेंशनर्स एवं मण्डल के कर्मचारियों एवं उत्तरवर्ती कम्पनियों के पेंशन एवं अन्य लाभ के दायित्वों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:—
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पेंशनर्स के भुगतान, वर्तमान पेंशनर्स सहित नगद तरल प्रवाह विनियम 3(8) के अनुसार लिया गया है।
इस टैरिफ याचिका में वितरण कम्पनियों द्वारा नगद तरल प्रवाह कर्मचारी लागत के अन्तर्गत क्लेम किया गया है वर्ष 2011-12 के वास्तविक नगद तरल प्रवाह से 7.93 : बढ़ाकर नगद तरल प्रवाह को नियंत्रण अवधि हेतु गणना की गई है।

तालिका 44 : विद्युत वितरण कम्पनियों के सेवान्त लाभ (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			मध्य क्षेत्र		
	वि.वर्ष 14	वि.वर्ष 15	वि.वर्ष 16	वि.वर्ष 14	वि.वर्ष 15	वि.वर्ष 16	वि.वर्ष 14	वि.वर्ष 15	वि.वर्ष 16
पेंशन	152.88	174.05	203.14	161.09	173.87	187.65	121.40	131.03	141.42
उपदान	10.96	60.37	102.11	52.46	56.63	61.12	42.55	45.93	49.57
अवकाश नगदीकरण	3.75	20.63	34.90	15.57	16.81	18.14	17.48	18.87	20.37
पीएफ/ जीटीआइएस/एनपीएस इत्यादि	1.16	6.40	10.83	4.39	4.74	5.12	2.19	2.37	2.56
योग	168.75	261.46	350.99	233.52	252.04	272.03	183.62	198.20	213.92

5.4.3 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के शुल्क

विनियम के प्रावधानों के अनुसार म.प्र. विद्युत नियामक आयोग का शुल्क प्रक्षेपित किया गया है :-

तालिका 45 : म.प्र.वि.नि.आ. के शुल्क

विवरण	पूर्व क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			मध्य क्षेत्र		
	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
म.प्र.विद्युत नियामक आयोग के शुल्क	0.48	0.54	0.62	0.67	0.73	0.80	0.51	0.61	0.74

5.5 संचालन संधारण व्ययों का सार

विनियम के प्रावधानों के अनुसार संचालन संधारण व्ययों का सार निम्नानुसार है:-

तालिका 46 : संचालन – संधारण व्ययों का सार, विनियमन के अनुसार (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			मध्य क्षेत्र		
	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
कर्मचारी लागत (बकाया राशि (महंगाई भत्ता को छोड़कर)	660.08	713.68	751.47	616.30	677.69	723.00	591.01	652.21	699.36
प्रशासनिक एवं सामान्य खर्च	112.78	121.73	131.38	97.73	105.92	114.69	106.73	108.85	117.86
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	93.46	129.74	165.68	96.38	129.12	159.50	85.67	116.20	144.16
संचालन संधारण एवं अन्य व्यय									
सेवान्त लाभ (नगद तरल प्रवाह)	168.75	261.46	350.99	233.52	252.04	272.03	183.62	198.20	213.92
म.प्र.वि.नि.आ. शुल्क	0.48	0.54	0.62	0.67	0.73	0.80	0.51	0.61	0.74
संचालन संधारण व्यय का योग	1,035.55	1,227.14	1,400.14	1,044.60	1,165.50	1,270.02	967.54	1,076.06	1,176.03

6.0 विद्युत वितरण कम्पनियों की निवेश योजना

6.1.1 पूंजीगत निवेश योजना

तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए आने वाले वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य करने जा रही हैं मुख्य रूप से नये 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों का निर्माण, अति भारित 33 के.व्ही फीडरों का विभाजन तथा 11 के.व्ही कृषि फीडरों में द्विभाजन, अतिरिक्त पीटीआर एवं डीटीआर की स्थापना / क्षमता वृद्धि, निम्नदाब खुले तार लाइनों का ए-बी केबल्स में परिवर्तन एवं सर्विस लाइनों का प्रतिस्थापन ।

प्रणाली में कुल वितरण हानि तकनीकी और वाणिज्यिक हानि का योग है । तकनीकी हानि मुख्य रूप से कमजोर अधोसंरचना के कारण होती है जिसके सुदृढ़ीकरण, लाइनों, उपकेन्द्रों एवं संबंधित अधोसंरचना के नवीनीकरण एवं उन्नयन की आवश्यकता रहती है। वाणिज्यिक हानि मुख्य रूप से विद्युत की चोरी के कारण होती है जिसे वितरण प्रणाली की पुनः इंजीनियरिंग के द्वारा बहुत हद तक कम किया जा सकता है जिसके लिए पूंजी निवेश एवं निर्दिष्टित प्रयासों की आवश्यकता है इन दोनों मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं और वितरण हानि में कमी भी आई है परन्तु वितरण हानि मानक हानि स्तर तक नहीं पहुंच पाई।

वित्तीय वर्ष 2013 से 2016 तक के लिए योजनावार पूंजीगत व्यय निम्न तालिका में प्रस्तुत है:-

तालिका 47 : पूंजीगत व्यय योजना (रु. करोड़ में)

योजना का नाम	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			
	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
नये कृषि पम्प किसान अनुदान योजना	48.00	62.40	65.52	68.80
पद्धति सुदृढ़ीकरण (एनटीएन/टीएसपी/एससीएसपी)	115.53	411.63	507.69	519.00
एडीबी	168.30	158.48	46.23	4.28
फीडर विभक्तिकरण एडीबी	250.90	448.45	96.43	0.00
फीडर विभक्तिकरण आरइसी	360.00	242.68	38.17	0.00
नई इएपी योजना	0.00	58.80	88.41	67.52
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	120.00	174.00	78.96	10.74
आर -एपीडीआरपी (ए + बी)	285.02	340.07	67.20	0.00
अन्य	20.00	25.00	25.00	25.00
योग	1,367.74	1,921.51	1,013.61	695.34
पश्चिम क्षेत्र वि.वितरण कम्पनी				
योजना का नाम	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
एडीबी	120.00	113.65	24.81	0.00
टीएसपी एवं एससी एसपी	169.35	345.21	425.00	462.00
म.प्र. सरकार द्वारा प्राप्त एक्विटी	0.00	230.14	0.00	0.00
फीडर विभक्तिकरण एडीबी	250.00	374.64	0.00	0.00
फीडर विभक्तिकरण एक्विटी	61.38	0.02	0.00	0.00
नये कृषि पम्प	87.00	92.30	96.00	106.00
सिंहस्थ मेला ग्रान्ट	17.51	20.39	26.06	26.23
पीएफसी ऋण (एडीबी फण्ड)	55.70	0.00	0.00	0.00
आर इ सी ऋण फीडर विभक्तिकरण फेज एक	393.62	0.00	0.00	0.00
एडीबी ऋण फीडर विभक्तिकरण फेज दो	0.00	0.00	0.00	0.00
आर ए पी डी आर पी (भारत सरकार) जे बी आई सी	184.74	188.16	0.00	0.00
जेबीआईसी	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य (इ ए पी)	0.00	0.00	70.00	70.00
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	110.90	107.38	32.90	27.23
डिफिड से ग्रान्ट	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	1,450.20	1,471.89	674.77	691.46

	मध्य क्षेत्र वि.वितरण कंपनी			
	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
पद्धति सुदृढीकरण				
सामान्य	85.18	102.66	100.00	100.00
एस सी एस पी	64.50	87.84	100.00	100.00
टी एस पी	29.61	47.50	60.00	70.00
फीडर विभक्तिकरण	630.10	191.00	0.00	0.00
नया पम्प कनेक्शन	168.15	202.77	101.14	67.59
ए डी बी दो	343.02	199.04	14.69	0.00
रा.गां.ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	176.44	209.74	144.66	0.00
आर ए पी डी आर पी भाग ए	33.13	23.40	6.16	6.62
आर ए पी डी आर पी भाग बी	382.56	4.15	4.15	4.15
इ आर पी (डिफिड)	2.00	2.00	0.00	0.00
इ ए पी	0.00	227.25	0.00	0.00
योग	1,914.68	1,297.35	530.79	348.35

6.1.2 योजनावार पूंजीकरण

विद्युत वितरण कम्पनियों का प्रस्तावित योजनावार पूंजीकरण निम्नानुसार है:-

तालिका 48 : योजनावार पूंजीकरण (रु. करोड़ में)

	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			
योजना का नाम	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
पूँजीगत कार्य प्रगति पर (प्रारम्भिक)	206.06	206.06	206.06	0.00
नये कृषि पम्प किसान अनुदान योजना	24.00	45.60	61.08	66.54
प्रणाली सुदृढीकरण (एसटीएन/डीएसपी/एससीएसपी)	57.76	240.48	400.44	494.13
एडीबी	84.15	129.73	104.32	47.71
फीडर विभक्तिकरण – एडीबी	125.45	299.49	232.93	118.62
फीडर विभक्तिकरण –आइसी	180.00	229.34	163.89	59.99
नई इएपी योजना	0.00	29.40	61.85	72.04
राजीव गांधी वि.योजना	60.00	123.00	115.68	63.86
आर ए पी डी आर पी (ए + बी)	142.51	255.54	192.63	88.18
अन्य	10.00	18.50	24.00	25.00
योग	889.93	1,577.14	1,562.87	1,036.05
	पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कंपनी			
योजना का नाम	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
एडीबी	60.00	92.83	70.50	30.17
टीएसपी एवं एससी एसपी	84.68	223.41	349.93	427.54
म.प्र. सरकार द्वारा प्राप्त एक्विटी	0.00	115.07	69.04	46.03
फीडर विभक्तिकरण एडीबी	125.00	262.32	162.39	74.93
फीडर विभक्तिकरण एक्विटी	30.69	18.42	12.28	0.00
नये कृषि पम्प	43.50	72.25	93.09	100.26
सिंहस्थ मेला ग्रांट	8.76	15.45	22.65	25.01
पीएफसी ऋण (एडीबी फण्ड)	27.85	16.71	11.14	0.00
आर इ सी ऋण फीडर विभक्तिकरण फेज एक	196.81	118.09	78.72	0.00
एडीबी ऋण फीडर विभक्तिकरण फेज दो	0.00	0.00	0.00	0.00
आर ए पी डी आर पी (भारत सरकार) जे बी आई सी	92.37	149.50	93.40	37.63
जेबीआईसी	0.00	0.00	0.00	0.00

अन्य (इ ए पी)	0.00	0.00	35.00	56.00
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	55.45	86.96	70.84	44.96
डिफिड से ग्रान्ट	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	252.23	252.23	252.23	0.00
	977.33	1,423.23	1,321.22	842.54
	मध्य क्षेत्र वि.वि.कंपनी			
योजना का नाम	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
आर ए पी डी आर पी – ए	191.28	126.46	86.61	9.84
आर ए पी डी आर पी – बी	16.57	12.01	9.95	4.15
एडी बी 1	171.51	202.43	135.66	44.22
एडी बी 2				
म.प्र. शासन (कार्य योजना वर्ष 2009)		113.63	68.18	45.45
एस टी (एन)/ एस एस टी डी	89.64	172.78	237.26	260.60
फीडर विभक्तिकरण	315.05	284.53	183.32	38.20
नये पम्प कनेक्शन	84.07	151.82	145.02	104.68
राजीव गांधी वि.योजना	88.22	157.80	72.33	85.35
एच व्ही डी एस	1	1.6	1	0.4
अन्त में (पूंजीगत कार्य प्रगति पर (प्रारम्भिक)	135.61	135.61	135.61	0
योग	1,092.95	1,358.68	1,074.93	592.88

6.1.3

पूँजीगत कार्य प्रगति पर (सी डब्लू आई पी)

तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों का वर्षवार (पूँजीगत कार्य प्रगति पर) का विवरण तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 49 : पूँजीगत कार्य प्रगति पर (सी डब्लू आई पी) (राशि रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र				पश्चिम क्षेत्र				मध्य क्षेत्र			
	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
निर्माण कार्य प्रगति पर का प्रारम्भिक शेष	618.18	1,171.39	1,598.73	1,140.79	756.68	1,229.55	1,278.21	631.76	410.94	1,332.61	1,379.19	1,130.44
वर्ष के दौरान पूँजी नवेश की नवीन राशि	1,367.74	1,921.51	1,013.61	695.34	1,450.20	1,471.89	674.77	691.46	2,014.62	1,405.26	826.18	653.93
पूँजीकृत किया गया ऋण एवं व्यय	75.39	82.97	91.31	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूँजीकृत किया गया कुल पूँजी निवेश	889.93	1,577.14	1,562.87	1,036.05	977.33	1,423.23	1,321.22	842.54	1,092.95	1,358.68	1,074.93	592.88
कार्य प्रगति पर का अंतिम शेष	1,171.39	1,598.73	1,140.79	900.56	1,229.55	1,278.21	631.76	480.68	1,332.61	1,379.19	1,130.44	1,191.49

6.1.4 स्थाई परिसम्पत्तियों में संयोजन

वर्षवार स्थाई परिसम्पत्तियों में संयोजन निम्नानुसार है :-

तालिका 50 : स्थाई परिसम्पत्तियों में संयोजन (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र				पश्चिम क्षेत्र				मध्य क्षेत्र			
	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
भूमि एवं भूमि अधिकार	0.09	0.18	0.13	0.10	1.45	2.10	1.97	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
भवन	10.78	19.50	19.31	12.75	7.96	11.53	10.79	6.88	24.36	13.62	7.87	4.68
दृव्य चालित संबंधी कार्य (हाइड्रोलिक वर्क्स)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00
अन्य सिविल कार्य	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.05	0.03	0.02
संयंत्र एवं मशीनरी	174.81	300.83	289.43	196.69	660.29	957.09	895.57	571.26	580.48	324.42	152.61	103.79
लाइन एवं केबिल नेटवर्क आदि	395.09	704.80	703.76	463.70	246.68	357.57	334.58	213.42	614.14	343.24	177.70	113.36
वाहन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.01	0.01
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.60	0.57	0.36	0.51	0.29	0.13	0.09
कार्यालय उपकरण	12.96	26.91	30.05	17.98	5.09	7.37	6.90	4.40	5.75	3.21	1.35	0.99
पूँजीगत परिसंपत्तियां जो मण्डल की नहीं है।	296.19	524.90	520.15	344.82	55.45	86.96	70.84	44.96				
योग	889.93	1,577.14	1,562.87	1,036.05	977.33	1,423.23	1,321.22	842.54	1,225.39	684.85	339.71	222.94

7 विद्युत वितरण कंपनी के अन्य खर्चे एवं आय

7.1 अवमूल्यन

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रयोज्य मानदण्डों के अनुसार विस्तृत मूल्य हास मॉडल तैयार किया गया है, जो कि माननीय आयोग के विनियमन के परिषिष्ट II में निर्दिष्ट दरों पर आधारित हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये मूल्य हास की गणना की गई है, जो निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है।

तालिका 51 : विनियम के अनुसार अवमूल्यन (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र				पश्चिम क्षेत्र				मध्य क्षेत्र			
	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
भूमि एवं भूमि अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.13	0.19	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
भवन	1.35	1.86	2.51	3.04	2.68	3.01	3.38	3.67	0.69	1.09	1.31	1.44
दृव्य चालित संबंधी कार्य (हाइड्रोलिक वर्क्स)	0.16	0.12	0.12	0.12	0.28	0.28	0.28	0.28	0.01	0.01	0.01	0.01
अन्य सिविल कार्य	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.02	0.02	0.02	0.02
संयंत्र एवं मशीनरी	34.97	47.52	59.14	71.97	74.96	117.33	165.44	202.99	88.05	125.24	100.66	111.45
लाइन एवं केबिल नेटवर्क आदि	77.04	92.63	129.81	160.63	62.37	75.83	92.49	102.13	44.64	88.06	112.33	124.89
वाहन	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.12	0.16	0.19	0.05	0.09	0.10	0.11
कार्यालय उपकरण	2.04	3.30	5.10	6.43	0.75	1.14	1.57	1.92	0.75	1.11	1.31	1.40
पूंजीगत परिसंपत्तियां जो मण्डल की नहीं हैं।	115.63	145.50	196.75	242.25	141.31	197.95	263.62	311.53	134.27	215.68	215.81	239.39
योग												

7.2 ब्याज एवं वित्तीय प्रभार

7.3 7.2.1 परियोजना ऋणों पर ब्याज

विनिमय 31 के अनुसार पूंजीगत ऋण पर ब्याज एवं वित्तीय प्रभार की गणना की गई है।
 ऋण पर ब्याज की गणना हेतु टैरिफ आदेश वर्ष 2013 में दी गई प्रक्रिया से की गई है। इसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 52 : परियोजना ऋणों पर ब्याज (रु. करोड में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			
	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
1. वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसंपत्ति ऋण में संयोजन	889.93	1,577.14	1,562.87	1,036.05
2. वर्ष के दौरान उपभोक्ता योगदान/अंशदान	27.00	34.10	34.56	34.13
3. वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसंपत्ति में शुद्ध संयोजन ;1-2	862.93	1,543.04	1,528.31	1,001.92
4. सकल स्थाई परिसंपत्ति में शुद्ध संयोजन जिसे पूंजी के माध्यम से निर्विध किया गया है। का 30 प्रतिशत	258.88	462.91	458.49	300.58
5. वर्ष के दौरान शुद्ध सकल स्थाई परिसंपत्ति में अवशेष संयोजन जिसे ऋणों के माध्यम से निर्विध किया गया है। (5=3-4)	604.05	1,080.13	1,069.82	701.34
6. वर्ष के दौरान देय ऋण की अदायगी (अवमूल्यन दावों के बराबर)	115.63	145.50	196.75	242.25
7. सकल स्थाई परिसंपत्ति में देय ऋण की अदायगी, टैरिफ आदेशानुसार	1,182.59	2,117.21	2,990.28	3,449.37
8. समस्त ऋणों पर भारित औसत प्रतिशत ब्याज दर	10.19%	9.28%	9.42%	9.18%
9. परियोजना ऋणों पर कुल ब्याज	120.56	196.39	281.59	316.60
10. वित्तीय प्रभार	2.77	3.05	3.35	3.69
11. परियोजना ऋणों पर कुल ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	123.33	199.43	284.94	320.29
विवरण	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			
	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
1. सकल स्थाई परिसंपत्ति का प्रारंभिक शेष	846.12	1,424.05	2,161.50	2,773.14
2. वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसंपत्ति (GFA) में संयोजन	977.33	1,423.23	1,321.22	842.54
3. वर्ष के दौरान उपभोक्ता योगदान/अंशदान	55.45	86.96	70.84	44.96
4. वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसंपत्ति में शुद्ध संयोजन (1-2)	921.88	1,336.27	1,250.38	797.58
5. सकल स्थाई परिसंपत्ति में शुद्ध संयोजन जिसे पूंजी के माध्यम से निर्विध किया गया है। का 30 प्रतिशत	276.56	400.88	375.11	239.27
6. वर्ष के दौरान शुद्ध सकल स्थाई परिसंपत्ति में अवशेष संयोजन जिसे ऋणों के माध्यम से निर्विध किया गया है। (5=3-4)	645.31	935.39	875.26	558.30
7. वर्ष के दौरान देय ऋण की अदायगी (अवमूल्यन दावों के बराबर)	67.38	197.95	263.62	311.53
8. सकल स्थाई परिसंपत्ति का शेष	1,424.05	2,161.50	2,773.14	3,019.91
9. ऋण का औसत शेष	1,135.08	1,792.77	2,467.32	2,896.53
10. समस्त ऋणों पर भारित औसत प्रतिशत ब्याज दर	0.11	0.10	0.13	0.13
11. परियोजना ऋणों पर कुल ब्याज	124.98	184.78	314.45	370.61
12. वित्तीय प्रभार	15.08	16.29	17.59	19.00
11. परियोजना ऋणों पर कुल ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	140.06	201.06	332.04	389.62

विवरण	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			
	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
1. वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसंपत्ति ;७७.६६ में संयोजन	1,225.39	684.85	339.71	222.94
2. वर्ष के दौरान उपभोक्ता योगदान / अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00
3. वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसंपत्ति में शुद्ध संयोजन ;1.2६	1,225.39	684.85	339.71	222.94
4. सकल स्थाई परिसंपत्ति में शुद्ध संयोजन जिसे पूंजी के माध्यम से निर्विध किया गया है। का 30 प्रतिशत	367.62	205.46	101.91	66.88
5. वर्ष के दौरान शुद्ध सकल स्थाई परिसंपत्ति में अवशेष संयोजन जिसे ऋणों के माध्यम से निर्विध किया गया है। ;5३3.4६	857.77	479.40	237.79	156.06
6. वर्ष के दौरान देय ऋण की अदायगी (अवमूल्यन दावों के बराबर)	134.27	215.68	215.81	239.39
7. सकल स्थाई परिसंपत्ति में देय ऋण की अदायगी, टैरिफ आदेशानुसार	1,125.07	1,618.67	1,761.52	1,730.84
8. समस्त ऋणों पर भारित औसत प्रतिशत ब्याज दर	10.48%	9.15%	13.10 %	13.13%
9. परियोजना ऋणों पर कुल ब्याज	156.67	155.98	226.19	215.77
10. वित्तीय प्रभार	16.99	18.34	19.79	21.36
11. परियोजना ऋणों पर कुल ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	173.66	174.31	245.98	237.12

7.2.2 कार्यशील पूंजी पर ब्याज

विनिमय में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना की गई है, जो नीचे तालिका में दी गई है:-

तालिका 53 : कार्यशील पूंजी पर ब्याज (रु. करोड़)

विवरण	पूर्व क्षेत्र वि.वि. कंपनी			
	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां भाग (1/6)	20.74	22.82	25.12	27.64
संचालन एवं संधारण व्यय ;६-ड माचमदेमेद्ध				
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय ;६-ड माचमदेमेद्ध 52०00	59.20	93.46	129.74	165.68
प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (1-७ माचमदेमे)	113.20	113.26	122.26	132.00
कर्मचारी व्यय (मूचसवलमम माचमदेमे)	792.94	828.83	975.14	1,102.46
संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	965.33	1,035.55	1,227.13	1,400.14
योग का बारहवां (1/12) भाग	80.44	86.30	102.26	116.68
प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
चक्रण प्रभारों " से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
चक्रण प्रभारों दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल कार्यकारी पूंजी	101.18	109.12	127.38	144.32
ए+बी (पप) + सी (पप)	-	0.00	-	-
ब्याज दर	13.50%	13.50%	13.50%	13.50%
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	13.66	14.73	17.20	19.48
खुदरा गतिविधि हेतु (For Retail Activity)				

विवरण	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां भाग (1/6)	0.00	0.00	0.00	0.00
प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
टैरिफ तथा प्रभारों " से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	4,533.11	5,841.09	6,720.82	7,838.02
दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्ति	755.52	973.51	1,120.14	1,306.34
विद्युत क्रय संबंधी व्यय	4,219.10	5,445.70	5,577.21	6,207.95
विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	351.59	453.81	464.77	517.33
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	667.75	734.87	808.74	890.04
कुल कार्यकारी पूंजी [ए+बी(पप)-सी(प)-डी]	-263.82	-215.17	-153.37	-101.03
ब्याज दर	13.50%	13.50%	13.50%	13.50%
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	-35.62	-29.05	-20.71	-13.64
चक्रण गतिविधियों से कार्यशील पूंजी पर कुल ब्याज	13.66	14.73	17.20	19.48
खुदरा गतिविधियों से कार्यशील पूंजी पर कुल ब्याज	-35.62	-29.05	-20.71	-13.64
कार्यशील पूंजी से शुद्ध ब्याज.	(21.96)	(14.32)	(3.51)	5.84
विवरण	पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कंपनी			
	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां भाग (1/6)	4.28	5.59	7.48	9.25
संचालन एवं संधारण व्यय (ई-ड माचमदेमे)				
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय ;त-ड माचमदेमे	73.90	96.38	129.12	159.50
प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (I-ळ माचमदेमे)	122.64	98.40	106.65	115.49
कर्मचारी व्यय (म्उचसवलमम माचमदेमे)	929.36	849.82	929.73	995.02
संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	1,125.91	1,044.60	1,165.50	1,270.02
योग का बारहवां (1/12) भाग	93.83	87.05	97.13	105.83
प्राप्तियां				
चक्रण प्रभारों " से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	5.95	6.82	7.70	8.58
चक्रण प्रभारों के दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्ति	0.99	1.14	1.28	1.43
कुल कार्यशील पूंजी	99.10	93.77	105.89	116.51
ए + बी (पप) + सी (पप)				
ब्याज दर	13.50%	13.50%	13.50%	13.50%
कायशील पूंजी से शुद्ध ब्याज	13.38	12.66	14.30	15.73
खुदरा गतिविधि हेतु (For Retail Activity)				
विवरण	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां भाग (1/6)	1.07	1.40	1.87	2.31
प्राप्तियां				
टैरिफ तथा प्रभारों " से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	6,481.54	8,074.43	8,987.81	10,048.57
दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्ति	1,080.26	1,345.74	1,497.97	1,674.76
विद्युत क्रय संबंधी व्यय	5,733.15	6,663.46	6,218.87	6,667.78
विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	477.76	555.29	518.24	555.65
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	684.85	772.55	860.26	947.96
कुल कार्यशील पूंजी [ए+बी(पप)-सी(प)-डी]	-81.28	19.29	121.34	173.46
ब्याज दर	13.50%	13.50%	13.50%	13.50%
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	-10.97	2.60	16.38	23.42
चक्रण गतिविधियों से कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज	13.38	12.66	14.30	15.73
खुदरा गतिविधियों से कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज	-10.97	2.60	16.38	23.42
कायशील पूंजी से शुद्ध ब्याज	2.41	15.26	30.68	39.15

विवरण	मध्य क्षेत्र वि.वि. कंपनी			
	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां भाग (1/6)	43.01	55.05	65.57	80.83
संचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expense)				
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (R&M Expenses)	55.57	85.67	116.20	144.16
प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A&G Expenses)	98.22	106.74	108.92	118.02
कर्मचारी व्यय (Employee Expenses)	600.37	774.63	850.41	913.28
संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	754.17	967.03	1,075.53	1,175.45
योग का बारहवां (1/12) भाग	62.85	80.59	89.63	97.95
प्राप्तियां				
चक्रण प्रमारों " से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति				
चक्रण प्रमारों दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां				
कुल कार्यशील पूंजी				
(ए) + (बी) (पप) + सी (पप)	106.36	135.63	155.21	178.80
ब्याज दर	13.50%	13.50%	13.50%	13.50%
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	14.36	18.31	20.95	24.14
खुदरा गतिविधि हेतु (For Retail Activity)				
विवरण	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां भाग (1/6)				
प्राप्तियां				
टैरिफ तथा प्रमारों " से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	4,817.72	6,155.38	7,332.53	9,038.56
दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्ति	802.99	1,025.89	1,222.08	1,506.43
विद्युत क्रय संबंधी व्यय	4,675.17	5,965.13	6,324.90	7,290.36
विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	389.60	497.09	527.08	607.53
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	800.73	1,020.89	1,214.64	1,487.66
कुल कार्यशील पूंजी (ए)+(बी) (पप)-सी(प)-डी]	-378.36	-486.71	-519.03	-580.70
ब्याज दर	0.14	0.14	0.14	0.14
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	-51.08	-65.71	-70.07	-78.39
चक्रण गतिविधियों से कार्यशील पूंजी पर कुल ब्याज	14.36	18.31	20.95	24.14
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	-51.08	-65.71	-70.07	-78.39
खुदरा गतिविधि हेतु (थ्वत त्मजंपस बजपअपजल)	(40.97)	(53.30)	(58.74)	(61.46)

7.2.3 उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान माननीय आयोग के विनियमन के अनुसार ही किया जाता है।
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का प्रक्षेपण निम्न तालिका में प्रस्तुत है।

तालिका 54 विनियम के अनुसार उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (रु. करोड. में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र वि.वि. कंपनी लिमि.			पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कंपनी लिमि.			मध्य क्षेत्र वि.वि. कंपनी लिमि.		
	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	60.69	66.79	73.50	69.23	77.56	85.89	91.88	109.32	133.89

7.2.3.1 म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि. कंपनी लिमि. का निवेदन

- (अ) 1 अप्रैल 2012 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित 9.5 प्रतिशत बैंक दर को गणना हेतु लिया गया है ।
- (ब) ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों का उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपपर ब्याज यहां पर शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे परिसमापन की स्थिति में है एवं इनकी संपत्तियां एवं देनदारियां अनुज्ञापतिधारी को अभी तक हस्तांतरित नहीं हुई है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों का उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज जिस वर्ष संपत्तियां एवं देनदारियां अनुज्ञापतिधारी को हस्तांतरित हो उसी वर्ष उसे मान्य करने की कृपया करेंगे।

7.2.3.2 म.प्र. पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कंपनी लिमि. का निवेदन

ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों का उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपपर ब्याज यहां पर शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे परिसमापन की स्थिति में है एवं इनकी संपत्तियां एवं देनदारियां अनुज्ञापतिधारी को अभी तक हस्तांतरित नहीं हुई है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों का उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज जिस वर्ष संपत्तियां एवं देनदारियां अनुज्ञापतिधारी को हस्तांतरित हो उसी वर्ष उसे मान्य करने की कृपया करेंगे।

7.3 अन्य आय

गैर-दर आय के मुख्यघटक अधिशेष अनुबंधित विद्युतविक्रय, मीटर किराया एवं उपभोक्ताओं से विविधप्रभारकी वसूली है। मीटर किराया एवं विविध प्रभारका प्रक्षेपणदर आय के प्रतिशत के रूप में किया गया है। ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों की अन्य आय को यहां पर शामिल नहीं किया गया है क्योंकि कुछ समितियों के वार्षिक अंकेक्षण लंबित हैं तथा समितियाँ परिसमापन की स्थिति में हैं।

तालिका 55: अन्य आय (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र वि.वि. कंपनी लिमि.			पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कंपनी लिमि.			मध्य क्षेत्र वि.वि. कंपनी लिमि.		
	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
1. निवेश से आय, सावधि एवं मांग जमा	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	17.46	16.76	17.11
2. कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.22	0.24
3. आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.34	0.37
4. कर्मचारी कल्याण क्रियाकलापों के विरुद्ध आय/शुल्क/संग्रहण	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
5. विधि प्राप्तियां	39.06	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	21.39	21.78	22.73
6. उपभोक्ताओं से विधि प्रभार	0.00	0.00	0.00	38.17	38.17	38.17	6.72	6.15	6.43
7. अस्थगित आय (उपभोक्ता योगदान)	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. चक्रण प्रभार	0.00	0.00	0.00	6.82	7.70	8.58	0.00	0.00	0.00
9. व्यापार से आय (पावर छोड़कर)	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
10. पर्यवेक्षण शुल्क	0.00	0.00	0.00	15.55	16.92	18.29	0.00	0.00	0.00
योग	68.43	68.43	68.43	65.06	67.31	69.56	46.23	45.26	46.88

7.4 अंश पूंजी पर प्रतिलाभ

अंश पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना विनियम में निर्धारित नियम के अनुसार निम्नानुसार की गई है।

तालिका 56 : विनियम के अनुसार पूंजी पर प्रतिलाभ (रु. करोड़ में)

स. कं.	विवरण	पूर्व क्षेत्र वि.वि. कंपनी लिमि.			
		वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
A	वर्ष के प्रारंभ में कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, (उपभोक्ताओं के अंशदान की सकल राशि)	3,072.72	3,935.65	5,478.69	7,007.01
A1	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध (निदकमक) किया गया है (30:)	921.82	1,180.70	1,643.61	2,102.10
A2	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें ऋण के माध्यम से निधिबद्ध (निदकमक) किया गया है (70:)	2,150.90	2,754.96	3,835.08	4,904.90
B	पूंजी निवेश योजना के अनुसार परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण (उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि)	862.93	1,543.04	1,528.31	1,001.92
B1	पूंजी (इक्विटी) व आन्तरिक संचिति में से पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का भाग	152.03	488.63	539.40	532.50
B2	परियोजना ऋणों से निधिबद्ध की गई पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अवशेष भाग (B-B1)	710.91	1,054.41	988.92	469.42
C1	मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (B का 30:द्ध	258.88	462.91	458.49	300.58
C2	मानदण्डीय अतिरिक्त ऋण (B का 70:)	604.05	1,080.13	1,069.82	701.34
D1	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त पूंजी में आधिक्य/कमी (B1-C1)	-106.85	25.72	80.90	231.93
D2	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त ऋण में आधिक्य/कमी (B2-C2)	106.85	-25.72	-80.90	-231.93
E	प्रतिलाभ हेतु अर्हता रखने वाली पूंजी [A1+(C1/2), अथवा [A1+(B1/2), ए इनसे जो भी कम हो	997.83	1,412.15	1,872.85	2,252.39
	पूंजी पर प्रतिलाभ (E का 16%)	159.65	225.94	299.66	360.38
स. कं.	विवरण	पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कंपनी लिमि.			
		वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
A	वर्ष के प्रारंभ में कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, (उपभोक्ताओं के अंशदान की सकल राशि)	1,723.56	2,578.06	3,716.39	4,703.14
A1	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध किया गया है (30%)	877.44	1,154.01	1,554.89	1,930.00
A2	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया है (70%)	846.12	1,424.05	2,161.50	2,773.14
B	पूंजी निवेश योजना के अनुसार परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण (उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि)	921.88	1,336.27	1,250.38	797.58
B1	पूंजी (इक्विटी) व आन्तरिक संचिति में से पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का भाग	276.56	400.88	375.11	239.27
B2	परियोजना ऋणों से निधिबद्ध की गई पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अवशेष भाग(B-B1)	645.31	935.39	875.26	558.30
C1	मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (B का 30%)	276.56	400.88	375.11	239.27
C2	मानदण्डीय अतिरिक्त ऋण (B का 70%)	645.31	935.39	875.26	558.30
D1	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त पूंजी में आधिक्य/कमी (B1-C1)	0.00	0.00	0.00	0.00
D2	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त ऋण में आधिक्य/कमी (B2-C2)	0.00	0.00	0.00	0.00
E	प्रतिलाभ हेतु अर्हता रखने वाली पूंजी [A1+(C1/2), अथवा [A1+(B1/2), ए इनसे जो भी कम हो	1,015.73	1,354.45	1,742.45	2,049.64

	पूँजी पर प्रतिलाभ (E का 16%)	162.52	216.71	278.79	327.94
स. कं.	विवरण	मध्य क्षेत्र वि.वि. कंपनी लिमि.			
		वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 14
A	वर्ष के प्रारंभ में कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, (उपभोक्ताओं के अंशदान की सकल राशि)	2,870.66	4,312.55	4,997.40	5,337.10
A1	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें पूँजी के माध्यम से निधिबद्ध किया गया है (30%)	861.20	1,293.76	1,499.22	1,601.13
A2	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया है (70%)	2,009.46	3,018.78	3,498.18	3,735.97
B	पूँजी निवेश योजना के अनुसार परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूँजीकरण (उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि)	1,092.95	1,435.17	1,151.42	592.88
B1	पूँजी (इक्विटी) व आन्तरिक संचिति में से पूँजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का भाग	327.88	430.55	345.43	177.86
B2	परियोजना ऋणों से निधिबद्ध की गई पूँजीगत परिसम्पत्तियों का अवशेष भाग(B-B1)	765.06	1,004.62	806.00	415.01
C1	मानदण्डीय अतिरिक्त पूँजी (B का 30%)	327.88	430.55	345.43	177.86
C2	मानदण्डीय अतिरिक्त ऋण (B का 70%)	765.06	1,004.62	806.00	415.01
D1	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त पूँजी में आधिक्य/कमी (B1-C1)	0.00	0.00	0.00	0.00
D2	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त ऋण में आधिक्य/कमी (B2-C2)	0.00	0.00	0.00	0.00
E	प्रतिलाभ हेतु अर्हता रखने वाली पूँजी [A1+(C1/2)] अथवा [A1+(B1/2)], ए इनसे जो भी कम हो	1,025.14	1,509.04	1,671.93	1,690.06
	पूँजी पर प्रतिलाभ (E का 16%)	164.02	241.45	267.51	270.41

7.4.1.1 म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का निवेदन

विनियमन के पैरा 30.2 के अनुसार म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि., 16 प्रतिशत की दर से पूँजी पर प्रतिलाभ की पात्रता रखती है। ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों का पूँजी पर प्रतिलाभ को यहां पर शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये परिसमापन की स्थिति में हैं एवं इनकी संपत्तियां एवं देनदारियां अनुज्ञापतिधारी को अभी तक हस्तांतरित नहीं हुई हैं। माननीय आयोग से अनुरोध है कि ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों की पूँजी पर प्रतिलाभ को जिस वर्ष संपत्तियां एवं देनदारियां अनुज्ञापतिधारी को हस्तांतरित हों, उसी वर्ष उसे अनुज्ञेय करने की कृपा करेंगे।

7.5 डूबन्त एवं संदिग्ध ऋण

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों को जिस सीमा तक वितरण अनुज्ञापतिधारी द्वारा प्रक्षेपित किया गया है जो कि अधिकतम वार्षिक राजस्व राशि के एक प्रतिशत के अध्येधन होगा।

इस राशि को नीचे दी गई तालिका में वर्षवार दर्शाया गया है।

तालिका 57 : विनियम के अनुसार डूबन्त एवं संदिग्ध ऋण

विवरण	पूर्व क्षेत्र वि.वि. कंपनी लिमि.			पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कंपनी लिमि.			मध्य क्षेत्र वि.वि. कंपनी लिमि.		
	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
डूबन्त एवं संदिग्ध ऋण	58.98	67.78	78.95	80.74	89.88	100.49	61.55	73.32	90.38

8. म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के आय/व्यय का ब्यौरा

म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 4353-एफ-3-24-2009-XIII दिनांक 18 मई 2011 के आयटम नंबर 9 (बी) में अधिसूचित किया गया है कि म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को म.प्र. नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर विद्युत की आपूर्ति करेगा एवं वास्तविक आधार पर अपने खर्चों को संबंधित वितरण कम्पनियों से वसूल करेगा।

म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड बिना लाभ हानि के सिद्धान्त पर कार्य करेगा। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के खर्चे उपयोग की गई विद्युत के अनुपातिक आधार पर वहन करेंगी। म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की वार्षिक आवश्यकता का विवरण मुख्य रूप से इस संकाय में दिया गया है। म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल एवं म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के आय – व्यय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2011-12 के आधार पर प्रक्षेपित किये गये हैं क्योंकि म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल का विलय म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी में वित्तीय वर्ष 12-13 में किया गया है।

8.1 आय

8.1.1 संचालन से प्राप्त राजस्व (आर्थिक सहायता सहित)

विद्युत की विक्रय से प्राप्त आय को विद्युत वितरण कम्पनियों के वार्षिक राजस्व आवश्यकता में लिया गया है अतः इसको पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में शामिल नहीं किया गया है।

8.1.2 अन्य आय

वर्ष 2011-12 में अन्य आय म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की रु. 160.35 करोड़ एवं म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की रु. 47.56 करोड़ है। इस आय में मुख्य रूपसे वह आय शामिल है जो कि लंबी अवधि एवं कम अवधि वाले विद्युत प्रदाय के बिलों को समय पर भुगतान किये जाने के कारण छूट मिलती हैं तथा अल्प अवधि की खुली खरीदी पर पी.जी.सी.आई.एल. से प्राप्त छूट। इसका ब्यौरा वर्ष 2011-12 का नीचे दी गई तालिका में दर्शाया है:-

विवरण	राशि (रु. करोड़ में)
1) दीर्घकालीन पारेषण सेवाधारी द्वारा दी गई छूट ओपिन एक्सेस के लेखा में	69.06
2) समय पर देय राशि देने के कारण प्राप्त छूट	73.11
3) बिना चाही गई विद्युत प्रदाय के कारण छूट (एन.टी.पी.सी.)	8.15
4) यू आई द्वारा (यह आय अप्रैल 2006 से अगस्त 2006 तक अप्रैल 11 में एक बार प्राप्त हुई जोकि वि.नि.आ.के आदेश दिनांक 23.10.2009 से प्राप्त)	5.21
5) सावधि जमा एवं बचन अग्रिम के विरुद्ध आय	4.82
योग	160.35

अन्य आय में मुख्य रूप से म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अन्य कम्पनियों से दावा की गई सम्मिलित खर्च रु. 47.07 करोड़ है। वर्ष 2012-13 एवं आगे के लिए म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की दावा राशि रु. 47.07 करोड़ है, को छोड़कर गणना की गई है एवं यू आई की आय रु. 5.21 करोड़ को वर्ष 2013 के बाद नहीं लिया गया है। म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी को प्राप्त छूट को लगभग रु. 168 करोड़ प्रक्षेपित किया गया है, जो वर्ष 2013 के समान ही लिया गया है।

8.2 व्यय

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकता में म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के विनिमय के अनुसार केन्द्रवार विद्युत क़य प्रभार एवं अपने संचालन-संधारण खर्च, अवमूल्यन ऋण प्रभार इत्यादि लिए गये हैं। यद्यपि कुछ विद्युत प्रभार (नीचे दिये गये विवरण अनुसार) जो कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा नहीं लिए गये हैं, इस प्रभार को म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत क़य राशि को शामिल किया गया है।

8.2.1 विद्युत क़य

वर्ष 2011-12 में शामिल

अ- सतपुड़ा काम्पलेक्स से रु. 161.0 करोड़ (डीमंड क़य)

ब- वार्षिक स्थायी प्रभार एन टी पी सी का रु. 40.98 करोड़

स- बैंकिंग आफ एनर्जी का रु. 2.66 करोड़ का दायित्व

अ- डीम्ड परचेज

राज्य द्वारा अन्य राज्यों से द्विपक्षीय व्यवस्था के अन्तर्गत एक निश्चित अंश की विद्युत के लिए अनुबंध किया जाता है। लेकिन वास्तव में 100 प्रतिशत विद्युत का आदान-प्रदान इस व्यवस्था के तहत नहीं हो पाता है। इस प्रकार की बची हुई विद्युत को दोनों राज्यों की परस्पर सहमति से जिनकी राशि को भुगतान करना होती है को डीम्ड कय कहते हैं।

राजस्थान के प्रकरण में दरें पूर्व से निर्धारित हैं इसलिए सीधे रूप से गणना की जा सकती है। विद्युत वितरण कम्पनियों के वार्षिक राजस्व आवश्यकता में सतपुड़ा एवं चम्बल काम्पलेक्स की विद्युत विक्रय राशि पूर्व से ली जा चुकी है एवं अन्य अन्तरराज्यीय परियोजना पेंच की राशि को न्यूनतम / अधिकतम के आधार पर दो राज्यों के बीच यू आई दरों द्वारा व्यवस्थित किया गया है। राजघाट के प्रकरण में दरें अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमि. के बीच में विवाद की स्थिति है। इस लिए इस राशि को अस्थाई (कन्टेनजेंट) रूप से म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी के लेखा में लिया गया है। रुपये 7.08 करोड़ को भी सीधे रूप से विद्युत कय राशि में प्राक्कलित राशि को परिवर्तित कर प्रस्तावित किया गया है, जिससे कि विवाद समाप्त होने की स्थिति में उपभोक्ताओं पर इस राशि के समायोजन का प्रभाव न पड़े। वर्ष 2012-13 एवं उसके बाद विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा सतपुड़ा काम्पलेक्स की डीम्ड कय की राशि अपने वार्षिक राजस्व आवश्यकता में शामिल कर ली गई है इसलिए इस राशि को म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी में नहीं लिया गया है।

ब- एन टी पी सी का वार्षिक स्थाई प्रभार

यह प्रभार एनटीपीसी को देय आयकर एवं प्राप्त की गई विद्युत के विरुद्ध देय राशि है। भविष्य में इस प्रकार की राशि असंभावित है इस लिए इस राशि को भविष्य में प्रक्षेपित नहीं की गई है। यद्यपि वर्ष 2012 में विद्युत कय में इसे शामिल किया गया है।

वर्ष 2012-13 के लिए बैंकिंग ऑफ एनर्जी हेतु 2.66 करोड़ एवं राजघाट की रु. 7.08 करोड़ विद्युत कय राशि की गणना की गई है एवं वर्ष 2011-12 के बाद प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी मानी गई है। सतपुड़ा काम्पलेक्स की डीम्ड कय को वर्ष 2012-13 से नहीं लिया गया है, क्योंकि यह वितरण कंपनियों द्वारा अपनी-अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता में शामिल किया गया है।

8.2.2 विद्युत कय व्यवस्था प्रभार

आर ई ए / एस इ ए के द्वारा बताई गई सीधे रूपसे कय की गई विद्युत के अलावा जैसे कि बैंकिंग आफ एनर्जी, ओपन एक्सेस चार्जज बैंकिंग में ट्रेडिंग मार्जिन, अल्पकालीन विद्युत कय को इस स्थान पर शामिल किया गया है।

विद्युत की उपलब्धता के आधार पर मांग एवं आपूर्ति के अन्तर को मांग की अधिकता के समय अल्पकालीन विद्युत कय एवं विद्युत की अधिकता के समय विद्युत विक्रय कर विद्युत प्रबंधन किया जाता है। अतः अल्पकालीन विद्युत कय एवं अल्प कालीन विद्युत विक्रय का राज्य की विद्युत मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार से म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, अनवरत रूप से वर्ष भर विभिन्न संस्थाओं से एनर्जी बैंकिंग कर राज्य की विद्युत आपूर्ति को अनिश्चित मांग का प्रबंधन वर्षा कालीन एवं रबी मौसम में करता है। इस प्रकार भार प्रबंधन में एनर्जी बैंकिंग एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसमें की किसी भी प्रकार का विद्युत कय विक्रय का आदान-प्रदान नहीं होता है। इसमें केवल कुछ प्रकार के संचालन व्यय जैसे- ट्रेडिंग मार्जिन, ओपिन एक्सेस प्रभार, आर एल डी सी / एस एल डी सी का स्वीकृत प्रभार शामिल रहता है। बैंकिंग ऑफ एनर्जी का प्रभार एक काल्पनिक प्रभार के रूपमें वापिस की गई विद्युत औसत विद्युत कय राशि के आधार पर उस वित्तीय वर्ष में परिलक्षित होती है।

“ट्रेडिंग मार्जिन” की राशि वह राशि है जो अल्पकालीन कय एवं विक्रय के बीच विभिन्न खरीददारों को दी जाती है। जो कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप होती है।

“ओपन एक्सेस” प्रभार, वह प्रभार है जो कि अल्पकालीन विद्युत व्यवस्था के तहत प्रदाय विन्दु में विद्युत प्राप्त होने के आधार पर दी जाती है।

उक्त सभी प्रकार की राशि आयटम पांच में म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी द्वारा अन्य स्त्रोंतों से कय की गई विद्युत में शामिल की गई है एवं उसका विवरण भी दिया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए वास्तविक व्यय वित्तीय प्रपत्र से लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं आगे के व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2011-12 से 7.93 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ाकर दर्शाई गई है। (नियामक आयोग के विनिमय की कड़िका 34.6 के आधार पर मुद्रास्फीति की दर) “ विनिमय नियंत्रण अवधि वर्ष 13-14 से वर्ष 15-16, विद्युत प्रदाय तथा चक्रण के टैरिफ अवधारणा संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त”

8.2.3 अवमूल्यन

वर्ष 2011-12 के लिए अवमूल्यन राशि में रु. 0.04 करोड़ म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड एवं रु. 1.83 करोड़ रु. म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की व्यय की राशि शामिल है। वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं उसके उपरान्त म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल, रामपुर जबलपुर (षक्तिभवन, अस्पताल, आवासीय कालोनी) की परिसम्पत्तियां म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी में स्थानान्तरित कर दी गई हैं क्योंकि म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल का विलय म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी में किया गया है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी एवं म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल दोनों की सम्मिलित अवमूल्यन राशि वित्तीय वर्ष 2011-12 से 10 प्रतिशत राशि बढ़ाकर ली गई है।

8.2.4 विद्युत व्यवस्था के लिए वित्तीय एवं बैंकिंग प्रभार :

सामान्य प्रक्रिया में विद्युत विक्रेता से विद्युत कय के लिए लेटर आफ क्रेडिट की सुविधा दी जाती है। इस सुविधा के विरुद्ध बैंक द्वारा एल सी प्रभार वसूल किया जाता है जिसे ऋण एवं वित्तीय प्रभार में शामिल किया गया है।

विद्युत कय बिलों की राशि जब अधिक हो जाती है तो उन्हें किष्टों में भुगतान की सुविधा रहती है। इसके विरुद्ध बैंक द्वारा लिये गये प्रभार को भी लिये गये वित्तीय एवं बैंकिंग प्रभार में शामिल किया गया है। वर्ष 2011-12 का म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी का 26.45 करोड़ एवं म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल का 3.86 करोड़ वास्तविक व्यय था। वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं उसके उपरान्त मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल का ऋण रु. 392 करोड़ (एनएचडीसी की बकाया) एवं रु. 5.2 करोड़ प्रतिमाह पीएफसी द्वारा ओ एफ सी डी मेसर्स एस एम एच पी सी एल को दी गई गारंटी का विवरण।

अ- अगस्त 2012 से नवम्बर 2012 तक वास्तविक एक्सको लेखा	रु . 19.25 करोड़
ब- दिसम्बर 2012 से मार्च 2013 तक देय राशि (रु. 5.2 करोड़ प्रतिमाह)	रु. 20.8 करोड़
स- वित्तीय वर्ष 2012-13 में देय राशि	रु. 40.05 करोड़

वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं उसके आगे प्रतिमाह रु. 5.2 करोड़ एक्सको खाता में भुगतान किया जायेगा जिससे कि वार्षिक व्यय रु. 62.4 करोड़ होगा।

8.2.5 मरम्मत एवं रखरखाव

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए मरम्मत एवं रख-रखाव का व्यय रु. 1.3 करोड़ लिया गया है जिसमें कि म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल का म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी में विलय होने के कारण उसका व्यय भी शामिल है एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं उसके उपरान्त प्रतिवर्ष 7.93 की बढ़ोत्तरी मरम्मत एवं रख-रखाव व्यय में शामिल किया गया है।

8.2.6 विद्युत विक्रय प्रबंधन व्यय

म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी द्वारा तीसरी पार्टी को अल्प कालीन विद्युत विक्रय के प्रकरण में जिसमें निम्नलिखित प्रभार शामिल है :-

अ- अनुबंध के अनुसार प्रदाय बिन्दु पर “ ओपन एक्सेस प्रभार”

ब- पीपीए विद्युत कय अनुबंध के अनुसार नियत दिनांक के पूर्व भुगतान के कारण मिली हुई छूट।

इसी प्रकार विद्युत एक्सचेंज के द्वारा विक्रय की गई ऊर्जा का प्रभार म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी द्वारा वहन किया जाता है।

अ- ‘पारेषण का ओपन एक्सेस प्रभार”

ब- संबंधित एक्सचेंज द्वारा ट्रेडिंग में दी गई सुविधा का रु. 0.02 पर यूनिट देयक का शुल्क।

उपरोक्त प्रभार म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी के व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक है जिन्हें कम्पनी के खर्च में शामिल किया गया है। इन व्ययों को नीचे दी गई तालिका में अन्य व्ययों में दर्शाया गया है:-

वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्य व्ययों का विवरण:

विवरण	राशि (करोड़ में)
भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (IEX) को विक्रय में दिया गया शुल्क	0.62
पावर एक्सचेंज आफ इण्डिया को (PXI) को विक्रय में दिया गया शुल्क	0.02
विक्रय का ओपन एक्सेस प्रभार	10.71
पीएएक्ट आई को (PXI) को विक्रय में दिया गया शुल्क	0.10
आई एक्ट आई को (IEX) को विक्रय में दिया गया शुल्क	8.50
विद्युत विक्रय में प्राप्त छूट	2.03
योग	21.97

वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं आगे के लिए 7.93 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी के रूप में अन्य व्यय लिया गया है।

8.2.7 वेतन, प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय परिसम्पत्ति प्रबंधन व्यय

म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी में कुल 855 कर्मचारी पदस्थ हैं जिसमें कि 428 कर्मचारी एम.पी. ट्रेडको के हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 30.11.2010 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारियों का स्थानान्तरण उत्तरावर्ती कम्पनियों में किया गया है। इसी के आधार पर तालिका में दिये गये कार्यालयों को जो कि सार्वजनिक सेवा के अन्तर्गत आते हैं, की सेवाएं म.प्र. ट्रेडको (म.प्र.पावर मैनेजमेंट कम्पनी को स्थानान्तरित कर दी गई हैं)

कार्यालय का नाम	कर्मचारियों की संख्या
निर्देशक (वित्त एवं लेखा) , जबलपुर	116
अस्पताल, जबलपुर	63
वाहन शाखा, जबलपुर	57
अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) मुख्यालय जबलपुर	07
निर्देशक (प्रवर्तन), जबलपुर	120
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लायजन) , भोपाल	55
स्थानीय अभियन्ता, नई दिल्ली	09
योग	427

म.प्र. सरकार की अधिसूचना क्रमांक 212 दिनांक 26.04.2012 के द्वारा म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी को प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। सभी कम्पनियों के बदले सार्वजनिक सुविधाएं जैसे कि अस्पताल, पुस्तकालय, आवास एवं वाहन की सुविधाएं शामिल हैं। जैसा कि म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी तीनों की होल्डिंग कम्पनी है एवं म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की सभी परिसम्पत्तियों का रख-रखाव करने हेतु जिम्मेदार बनाया गया है जिससे कि एक ही व्यवस्था द्वारा सभी कार्य किये जा सकें जिससे व्यय में कमी आयेगी। जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसलिए इस व्यय को म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी के वार्षिक राजस्व आवश्यकता में शामिल किया गया है एवं इसे कर्मचारी लागत एवं प्रशासनिक एवं सामान्य खर्चों में शामिल किया गया है।

8.2.7.1 कर्मचारी लागतें

कर्मचारी लागत में म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी के रु. 7.16 करोड़ एवं म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल के रु. 33.16 करोड़ वेतन के शामिल किये गये हैं। म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल के वेतन की राशि रु. 33.16 करोड़ में रु. 1.66 करोड़ सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अवकाश नकदीकरण की राशि शामिल है। वित्तीय वर्ष 12-13 एवं आगे के लिए कर्मचारी लागत में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी वित्तीय वर्ष 2011-12 के विरुद्ध ली गई है।

8.2.7.2 प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

इस व्यय में रु. 2.84 करोड़ म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी की एवं रु. 6.79 करोड़ म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की शामिल है। वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं उसके आगे के लिए 7.93 प्र.श. प्रतिवर्ष की दर से वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए बढ़ोतरी की गई है।

9 सकल राजस्व आवश्यकता

9.1 म.प्र. पावर मैनेजमेंट लिमिटेड की वार्षिक राजस्व आवश्यकता

नीचे दी गई तालिका 58 में म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का विवरण दिया गया है। शुद्ध व्यय को विद्युत वितरण कम्पनियों की विद्युत क्रय लागत में शामिल किया गया है।

तालिका 58 : वार्षिक राजस्व आवश्यकता (रु. करोड़ में)


विवरण	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	बहुवार्षिक टैरिफ 2013-14 से 2015-16		
	वर्ष 12	वर्ष 13	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
संचालन से प्राप्त राजस्व (राजस्व छूट जोड़कर)					
अन्य आय	207.91	167.97	167.97	167.97	167.97
अन्य व्यापार से आय					
कुल राजस्व	207.91	167.97	167.97	167.97	167.97
व्यय					
म.प्र. पावर जनरेटिंग कं. से विद्युत क्रय					
अन्य स्रोतों से क्रय की गई विद्युत	204.71	10.71	11.79	12.96	14.26
अन्तराज्यीय पारेषण प्रभार	61.84	66.74	72.04	77.75	83.91
राज्य के अन्तर्गत पारेषण प्रभार (म.प्र. ट्रांसको प्रभार)					
राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार					
अवमूल्यन एवं एमोराइजेशन व्यय	1.87	2.06	2.26	2.49	2.74
ऋण एवं वित्तीय प्रभार	30.31	72.70	84.20	71.70	64.20
मरम्मत एवं रखरखाव	1.30	1.80	1.94	2.10	2.26
कर्मचारी लागत	40.32	37.00	38.11	39.25	40.43
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	9.63	10.39	11.22	12.11	13.07
छमज चतपवत चमतपवक बतमकपज बीतहमे					
अन्य व्यय	21.97	23.71	25.59	27.62	29.81
कुल राजस्व					
कुल व्यय	371.95	225.12	247.15	245.98	250.69
मगबमजपवदस 'दक असाधारण मद के items कर के पूर्व के लाभ	-164.04	-57.15	-79.18	-78.01	-82.72
असाधारण मद					
कर व्यय					
(1) तात्कालिक कर					
(2) डिफर्र्ड कर					
लाभ (हानि) (XII+ XV) अवधि के लिए	-164.04	-57.15	-79.18	-78.01	-82.72

विद्युत वितरण कम्पनियों की सकल राजस्व आवश्यकता

विनियम के प्रावधानों के आधार पर विद्युत वितरण कंपनियों की सकल राजस्व आवश्यकता की गणना का सारांश निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 59 विनियम के अनुसार सकल राजस्व आवश्यकता का सारांश (राशि रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र वि.वि. कंपनी लिमि.			पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कंपनी लिमि.			मध्य क्षेत्र वि.वि. कंपनी लिमि.		
	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16	वर्ष 14	वर्ष 15	वर्ष 16
राजस्व (रु करोड़ में)									
विद्युत के विक्रय से राजस्व (टैरिफ सबसिडी को शामिल करके)	5,841.09	6,720.82	7,838.02	8,009.37	8,920.50	9,979.01	6,150.86	7,332.53	8,991.32
अन्य आय (विलम्ब भुगतान प्रभार को छोड़कर)	68.43	68.43	68.43	65.06	67.31	69.56	46.23	45.26	46.88
कुल राजस्व अथवा आय	5,909.52	6,789.25	7,906.45	8,074.43	8,987.81	10,048.57	6,197.09	7,377.79	9,038.20
व्यय									
विद्युत का क्रय	4,690.60	4,726.63	5,259.34	6,663.46	6,218.87	6,667.78	5,081.55	5,321.66	6,170.67
अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	212.17	228.39	247.40	266.63	288.52	311.84	206.76	223.98	241.43
राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार	542.93	622.19	701.20	754.42	868.61	978.94	676.82	779.26	878.26
मरम्मत एवं रखरखाव	93.46	129.74	165.68	96.38	129.12	159.50	85.67	116.20	144.16
कर्मचारी लागतें	828.83	975.14	1,102.46	849.82	929.73	995.02	774.63	850.41	913.28
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (नियामक आयोग की फीस सहित)	113.26	122.26	132.00	98.40	106.65	115.49	107.24	109.46	118.60
अन्य व्यय									
डूबन्त एवं सन्देहास्पद ऋण	58.98	67.78	78.95	80.74	89.88	100.49	61.55	73.32	90.38
घटाएं : पूंजीकृत व्यय									
कुल	6,540.23	6,872.13	7,687.04	8,809.86	8,631.38	9,329.07	6,994.22	7,474.28	8,556.77
अवमूल्यन एवं आयकर के पूर्व लाभ (पी.बी.डी.आई.टी)	-630.71	-82.88	219.41	-735.43	356.43	719.50	-797.13	-96.50	481.44
अवमूल्यन एवं संबंधित नामे लेखा	145.50	196.75	242.25	197.95	263.62	311.53	215.68	215.81	239.39
आयकर के पूर्व लाभ (पी.बी.आई.टी)	-776.21	-279.63	-22.84	-933.38	92.81	407.96	-1,012.80	-312.31	242.05
ब्याज एवं वित्त प्रभार	260.12	351.73	399.63	285.55	440.28	514.65	266.19	355.30	371.01
कर एवं अंशपूँजी पर प्रतिलाभ के पूर्व लाभ/हानि .	--1036	-631-35	-422-47	-1218-93	-347-47	-106-69	-1279-00	-667-61	-128-96
कर.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अंशदान पूँजी पर लाभ ,त्क्द्ध	225.94	299.66	360.38	216.71	278.79	327.94	241.45	267.51	270.41
कर के पश्चात लाभ/हानि (अंशपूँजी पर प्रतिलाभ के बाद)	-1,262.27	-931.01	-782.85	-1,435.65	-626.26	-434.63	-1,520.44	-935.12	-399.37
सकल राजस्व आवश्यकता विद्युत के विक्रय से आय . अंतर	7,103.36	7,651.82	8,620.87	9,445.01	9,546.76	10,413.65	7,671.30	8,267.65	9,390.69
विद्युत प्रदाय की औसत लागत	5.80	5.36	5.11	5.36	4.83	4.68	5.84	5.14	4.67



9 ईंधन अधिभार एवं विद्युत कय दरों में बढ़ोत्तरी का समायोजन

- 10.1.1 माननीय म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के टैरिफ आदेश दिनांक 31 मार्च 2012 में ईंधन के मूल्य जैसे कि कोयला, तेल एवं गैस जिनका उपयोग उत्पादन केन्द्र पर होता है उनकी कीमतों में बढ़ोत्तरी एवं घटोत्तरी के अनुपात में ईंधन प्रभार समायोजन का एक विशेष गणना स्पेसिफाईड फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूला से विद्युत कय प्रभार में की गई बढ़ोत्तरी को वसूल नहीं किया जा सकता जबकि विद्युत कय उपरोक्त कारणों के कारण विद्युत कम्पनियों के नियंत्रण से बाहर है, जिससे कि प्रमाणित विद्युत प्रदाय स्रोत से विद्युत की कमी को पूर्ण करने के लिए वितरण कम्पनियों द्वारा ऊँचे दामों पर बिजली कय करना आवश्यक होगी।
- 10.1.2 भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को पूरा विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किया जाना है। इसलिए विद्युत कय की मात्रा को मानक हानि के स्तर पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। किसी भी संचालन की स्थिति में विद्युत प्रदाय एवं विद्युत मांग अनियंत्रित गतिविधि है। दरों के निर्धारण के दौरान औसत् विद्युत कय राशि को विवेकपूर्ण तरीके से सोचना आवश्यक है। इसके अनुसार विद्युत कय प्रति यूनिट यदि मानक हानि स्तर से हानि ज्यादा है उस स्थिति में औसत् विद्युत कय राशि को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्थायी प्रभार की राशि एवं विद्युत कय की राशि को उपभोक्ता पर स्वीकार्य राशि के रूप में पास की जायेगी। उपरोक्त विधि के अनुसार, औसत् विद्युत कय के आधार पर यह देखना आवश्यक है कि विद्युत दरों की राशि निर्धारित करते समय उपभोक्ता एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी दोनों के हितों को ध्यान में रखा जाये जिससे कि दोनों पर बराबर भार रहे।
- 10.1.3 उपरोक्त तथ्य एवं विनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विद्युत कय राशि में बढ़ोत्तरी को वसूल करने हेतु आयोग द्वारा ईंधन प्रभार समायोजन हेतु एक विनियोग फार्मूला रूपांकित किया गया है। ईंधन प्रभार समायोजन एवं विद्युत कय राशि में बढ़ोत्तरी हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निम्नलिखित फार्मूला गणना के लिए दिया गया है:—

$$\text{F\&IPPCA for billing quarter} (p/u) = \text{APPC} (Rs. in cr.) * 100$$

Normative sale (MUs)

- Wherein,
- “APPC” shall mean Average Power Purchase Cost which is sum of – (a) difference in per unit average cost actually billed by each power generator/sources and as allowed in the tariff order, multiplied by (b) units availed from each such generating station in the preceding quarter.
- “Preceding Quarter” means period of preceding three months excluding the period of two months immediately proceeding to the billing quarter.
- “Billing quarter” means the period of three months for which F&IPPCA is to be billed and shall be a period commencing on first day to last day of quarter for the quarter commencing from 1st April ending 30th June and so on.
- “Normative Sale” means the sale grossed down from the total actual ex-bus drawl from all sources (Generators + Other sources) during preceding quarter by the normative PGCIL, transmission and distribution losses for the months of the preceding quarter as provided in the tariff Order.

- 10.1.4 एफ एण्ड आई पीपीसीए प्रभार पैसा प्रति यूनिट (केडब्लूएच) में रहेगा । इसमें .5 के ऊपर एवं नीचे को राउण्ड ऑफ किया जायेगा । जिसमें .5 के नीचे को छोड़ दिया जायेगा एवं .5 के ऊपर को अगले अंक से बढ़ाया राउण्ड आफ किया जायेगा । इस प्रभार को प्रकरण के अनुसार प्रत्येक कन्स्यूमर के विद्युत बिलों में जोड़ा एवं घटाया जायेगा ।
- 10.1.5 एफ एण्ड आई पीपी सी ए प्रभार विद्युत वितरण कम्पनी के सभी उपभोक्ताओं में समान रूप से लागू होगा । यह प्रभार ओपेन एक्सेस उपभोक्ताओं पर भी समान रूप से उनके द्वारा उपयोग की गई विद्युत मात्रा के अनुसार लागू होगी ।
- 10.1.6 विभिन्न उपभोक्ताओं से क्रॉस सबसीडी सरचार्ज वसूल करने हेतु नेशनल टैरिफ पालिसी द्वारा निम्नलिखित फार्मूला दिया गया है जिससे की क्रॉस सबसीडी प्रभार की गणना की जायेगी :-

“8.5 Cross-subsidy surcharge and additional surcharge for open access

Surcharge formula:

$$S = T - [C (1+L/100) D]$$

Where,

S is the surcharge

T is the Tariff payable by the relevant category of consumers;

C is the Weighted average cost of power purchase of top 5% at the margin excluding liquid fuel based generation and renewable power.”

D is the Wheeling charge

L is the system Losses for the applicable voltage level, expressed as a percentage

Since on F&IPPCA charge is a part of energy charge and uniformly applicable to all categories of consumers, therefore average tariff will change to the tune of applicable F&IPPCA charge. Therefore it will be more appropriate to add per unit F&IPPCA rate in the formula for determination of cross subsidy surcharge for various categories of consumers under the term “T”.

- 10.1.7 म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमि. जबलपुर तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों की विद्युत होल्डिंग कम्पनी है एवं उपभोक्ताओं की खुदरा विद्युत उपयोग के लिए विद्युत की व्यवस्था करना उसका कर्तव्य है। एफ एण्ड आई पी पी सी ए प्रभार की गणना प्रत्येक तिमाही में म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी द्वारा की जावेगी ।
- 10.1.8 उत्पादन कम्पनियों द्वारा पूर्ववर्ती तिमाही दिये गये बिलों के आधार पर म.प्र.पावर मैनेजमेंट कम्पनी जबलपुर औसत विद्युत क्य राशि में अन्तर की गणना करेगा। इस प्रकार की जानकारी प्रत्येक माह में पूर्ववर्ती तिमाही के लिए म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार गणना की जाकर आयोग में प्रस्तुत करेंगे।

10.1.9 म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी मानक विद्युत क्य की गणना करेगा। इसकी गणना निम्नलिखित तरीके (फार्मूला) से की जावेगी:—

Formula :-

$$\text{Normative sale} = \text{Total Exbus Power drawn} - (\text{Normative PGCIL, Transmission \& Distribvution loss})$$

10.1.10 एफ एण्ड आई पीपी सी ए प्रभार की गणना म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी, जबलपुर द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से की जायेगी। एफ एण्ड आई पीपी सी ए प्रभार को बिलिंग हेतु प्रत्येक बिलिंग तिमाही में विद्युत वितरण कम्पनियों को समाहित करने की सलाह दी गई है। इस कार्य को बिलिंग तिमाही के शुरू होने के 15 दिवस के पूर्व किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार की गई सभी गणना एवं विवरण को सात दिवस के मध्य आयोग में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

10.1.11 आयोग द्वारा समीक्षा करने के उपरान्त एफ एण्ड आई पीपी सी ए प्रभार में किसी भी प्रकार की अधिक या कम वसूली पाई जाती है तो आयोग को यह अधिकार होगा कि म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी एवं वितरण कम्पनियों को इस समीक्षा के आधार पर सुधार करने हेतु आदेशित करेगा।

10.1.12 राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियां एफ एण्ड आई पीपी सी ए प्रभार को बिलिंग तिमाही के प्रथम दिन से वसूल करेंगीं।

10.1.13 बिलिंग तिमाही को निम्नानुसार समझाया जा सकता है :—

यदि जुलाई से सितम्बर को बिलिंग तिमाही माना जाय तब पूर्ववर्ती तिमाही फरवरी से अप्रैल होगी।

10.1.14 पी जी सी आई एल, म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, एवं वितरण कम्पनियों के मानक हानि स्तर के विवरण को आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में दिया जायेगा ।

11.0 वित्तीय वर्ष 2013-14 दर प्रस्ताव

यह निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 को छोड़कर कभी भी थोक मूल्य सूचकांक के अनुरूप विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई जिससे कि विद्युत वितरण कम्पनियों की स्थिति में विपरीत प्रभाव पड़ा है।

वितरण कम्पनी पर मुद्रास्फीति के कारण मूल्य वृद्धि के अतिरिक्त विद्युत की मांग में निरंतर वृद्धि वितरण हानियों को कम करने के लिए प्रतिपादित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, नियामक संस्था द्वारा स्थापित मानदण्डों कम्पनी की तेजी से गिरती हुई ऋण विश्वसनीयता (क्रेडिट रेटिंग) तथा केन्द्र / राज्य शासन की नीति / निर्देशों के पालन आदि, बहु-आयामी दबावों के परिदृश्य में सुचारु वित्त प्रबंधन एवं कार्य संचालन में कठिनाईयां उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं।

इस लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा याचिका में प्रस्तुत विवरणानुसार समुचित दर वृद्धि जो प्रस्तावित है दिया जाना नितांत आवश्यक है इस याचिका में प्रस्तावित समुचित खुदरा दर वृद्धि के अभाव में याचिकाकर्ता वितरण कम्पनी द्वारा सुचारु कार्य संचालन किया जाना कतई संभव नहीं होगा।

11.1.1 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु सकल राजस्व आवश्यकता **रु. 7103.36 करोड़** अनुमानित है एवं वर्तमान में लागू विद्युत दरों के अनुसार विद्युत विक्रय से **रु. 5841.09 करोड़** तथा अन्य मदों में **रु. 68.43 करोड़** की आय अनुमानित है जिसके फलस्वरूप सकल राजस्व आवश्यकता तथा कुल आय का अन्तर **1262.27 करोड़** अनुमानित है तथापि यह उल्लेखनीय है कि इस अन्तर में पूर्व के वर्षों हेतु सत्यापन / प्रमाणीकरण (ट्र-अप) प्रक्रिया के फलस्वरूप आंकलित अतिरिक्त लागत सम्मिलित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2014 हेतु विद्युत प्रदाय की औसत लागत **रु. 5.80 प्रति यूनिट** अनुमानित है। यद्यपि वितरण कंपनी ने अन्तर को आंशिक रूप से भरने हेतु औसत विक्रय दर **रु. 5.26** प्रस्तावित किया है। इस प्रस्तावित विक्रय दर के आधार पर **रु. 602.55 करोड़** का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सकेगा। शेष अप्राप्त अन्तर **रुपये 659.71 करोड़** की राशि को नियामक परिसम्पत्ति (रेग्युलेटरी असेट) के रूप में मान्य करके वित्तीय वर्ष 2015 से प्रारम्भ कर आगामी तीन वर्षों की आगामी अवधि में उन्मोचित (अमोटाइज्ड) किया जाना प्रस्तावित है।

11.1.2 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु सकल राजस्व आवश्यकता **रु. 9445.01 करोड़** अनुमानित है एवं वर्तमान में लागू विद्युत दरों के अनुसार विद्युत विक्रय से **रु. 8,009.37 करोड़** तथा अन्य मदों में **रु. 65.06 करोड़** की आय अनुमानित है जिसके फलस्वरूप सकल राजस्व आवश्यकता तथा कुल आय का अन्तर **1,435.65 करोड़** अनुमानित है तथापि यह उल्लेखनीय है कि इस अन्तर में पूर्व के वर्षों हेतु सत्यापन / प्रमाणीकरण (ट्र-अप) प्रक्रिया के फलस्वरूप आंकलित अतिरिक्त लागत सम्मिलित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2014 हेतु विद्युत प्रदाय की औसत लागत **रु. 5.36 प्रति यूनिट** अनुमानित है। यद्यपि वितरण कंपनी ने अन्तर को आंशिक रूप से भरने हेतु औसत विक्रय दर **रु. 4.89** प्रस्तावित किया है। इस प्रस्तावित विक्रय दर के आधार पर **रु. 599.69 करोड़** का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सकेगा। शेष अप्राप्त अन्तर **रुपये 835.96 करोड़** की राशि को नियामक परिसम्पत्ति (रेग्युलेटरी असेट) के रूप में मान्य करके वित्तीय वर्ष 2015 से प्रारम्भ कर आगामी तीन वर्षों की आगामी अवधि में उन्मोचित (अमोटाइज्ड) किया जाना प्रस्तावित है।

11.1.3 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु सकल राजस्व आवश्यकता **रु. 7,671.30 करोड़** अनुमानित है एवं वर्तमान में लागू विद्युत दरों के अनुसार विद्युत विक्रय से **रु. 6,150.86 करोड़** तथा अन्य मदों में **रु. 46.23 करोड़** की आय अनुमानित है जिसके फलस्वरूप सकल राजस्व आवश्यकता तथा कुल आय का अन्तर **रु. 1,520.44 करोड़** अनुमानित है तथापि यह उल्लेखनीय है कि इस अन्तर में पूर्व के वर्षों हेतु सत्यापन / प्रमाणीकरण (ट्र-अप) प्रक्रिया के फलस्वरूप आंकलित अतिरिक्त लागत सम्मिलित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2014 हेतु विद्युत प्रदाय की औसत लागत **रु. 5.84 प्रति यूनिट** अनुमानित है। यद्यपि वितरण कंपनी ने अन्तर को आंशिक रूप से भरने हेतु औसत विक्रय दर **रु. 5.19** प्रस्तावित किया है। इस प्रस्तावित विक्रय दर के आधार पर **रु. 674.63 करोड़** का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सकेगा। शेष अन्तर अप्राप्त **रुपये 845.82 करोड़** की राशि को नियामक परिसम्पत्ति (रेग्युलेटरी असेट) के रूप में मान्य करके वित्तीय वर्ष 2015 से प्रारम्भ कर आगामी तीन वर्षों की आगामी अवधि में उन्मोचित (अमोटाइज्ड) किया जाना प्रस्तावित है।

11.2. श्रेणीवार विस्तृत दर प्रस्ताव

- 11.2.1 यहाँ यह उल्लेखित किया जाता है कि राजस्व की गणना प्रस्तावित एवं वर्तमान में प्रचलित विद्युत दरों के आधार पर की गई है, जिनमें निम्न कारकों को ध्यान में रखा गया है । ऊर्जा प्रभार 50 प्रतिशत लोड भारक तक, ऊर्जा प्रभार 50 प्रतिशत भार कारक से अधिक, भार कारक प्रोत्साहन, पॉवर फैक्टर प्रोत्साहन, पॉवर फैक्टर दण्ड आदि आधिक्य मांग के कारण राजस्व को परियोजित नहीं किया गया है , क्योंकि यह उम्मीद की जाती है कि सभी उपभोक्ताओं द्वारा ग्रिड दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा ।
- 11.2.2 प्रस्तावित खुदरा दर वर्ष 2013-14 की अनुसूची इस याचिका के साथ संलग्न है । राष्ट्रीय योजना दर नीति यह कहती है कि वर्ष 2010-2011 के अन्त तक औसत प्रदाय कीमत के 20 प्रतिशत के अन्तर्गत दर प्रस्ताव सभी उपभोक्ता हेतु रखना चाहिये । दर प्रस्ताव का नमूना बनाते समय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रास सब्सिडी को सीमा में रखने हेतु तथा पिछले वर्ष की तुलना में कम करने हेतु सभी प्रयास किये गये हैं ।
- 11.2.3 प्रस्तावित टैरिफ के कारण राजस्व पर पड़ने वाला प्रभाव निम्न तालिका में दिया गया है :-

तालिका-60 प्रस्तावित टैरिफ की वजह से राजस्व पर प्रभाव (रु. करोड़ में)

दर श्रेणी		म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि.				म.प्र. पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि.				म.प्र. मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि.			
		विक्रय वर्ष 14	वर्ष 14 हेतु वर्तमान दर पर राजस्व	वर्ष 14 हेतु प्रस्तावित दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर पर अतिरिक्त राजस्व	विक्रय वर्ष 14	वर्ष 14 हेतु वर्तमान दर पर राजस्व	वर्ष 14 हेतु प्रस्तावित दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर पर अतिरिक्त राजस्व	विक्रय वर्ष 14	वर्ष 14 हेतु वर्तमान दर पर राजस्व	वर्ष 14 हेतु प्रस्तावित दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर पर अतिरिक्त राजस्व
		मि.यू.	रु. करोड़ में	रु. करोड़ में	रु. करोड़ में	मि.यू.	रु. करोड़ में	रु. करोड़ में	रु. करोड़ में	मि.यू.	रु. करोड़ में	रु. करोड़ में	रु. करोड़ में
एल.व्ही.1	घरेलू	5,089.70	2,197.94	2,391.85	193.91	5,944.77	2,527.34	2,775.39	248.06	4,378.79	1,981.34	2,225.83	244.50
एल.व्ही. 2	गैर- घरेलू	637.58	416.80	464.99	48.19	824.42	565.78	631.85	66.07	821.91	547.79	612.15	64.36
एल व्ही. 3	जल प्रदाय कार्य एवं पथ प्रकाष	330.32	134.70	151.09	16.38	384.71	158.16	177.38	19.23	403.16	168.03	188.46	20.43
एल व्ही 4	निम्नदाब औद्योगिक	319.81	180.03	199.67	19.64	577.96	336.37	369.93	33.56	345.58	195.43	213.53	18.09
एल व्ही 5.1	कृषि सिंचाई पंप	2,273.72	815.17	858.85	43.68	5,831.91	2,165.19	2,265.33	100.14	3,783.68	1,333.64	1,402.30	68.67
एल व्ही 5.2	कृषि संबंधित अन्य	2.90	1.26	1.31	0.05	3.82	1.64	1.71	0.07	5.61	2.58	2.70	0.13
	योग (निम्नदाब)	8,654.03	3,745.90	4,067.75	321.85	13,567.59	5,754.47	6,221.60	467.12	9,738.73	4,228.81	4,644.98	416.18
एच.व्ही.1	रेल्वे कर्षण	570.44	337.74	378.31	40.57	425.04	262.44	293.97	31.53	900.84	533.64	612.11	78.47
एच.व्ही.-2	कोयला खदानें	496.48	323.39	367.59	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33.47	25.18	27.39	2.22
एच.व्ही.3.1	औद्योगिक	1,795.13	1,043.97	1,168.45	124.49	2,855.29	1,221.98	1,278.00	56.01	1,832.85	924.39	1,043.26	118.87
एच.व्ही. 3.2	गैर औद्योगिक	249.89	163.34	222.58	59.24	404.59	617.99	645.24	27.25	334.24	292.26	334.02	41.76
एच.व्ही.4	मौसमी	7.80	5.03	5.61	0.57	8.96	6.65	6.92	0.26	2.93	2.38	2.68	0.30
एच.व्ही. 5.1	सार्वजनिक जल प्रदाय, सिंचाई	66.74	30.70	35.00	4.30	344.52	138.94	155.93	16.98	109.47	52.89	61.40	8.51
एच.व्ही. 5.2	अन्य कृषि	10.51	4.76	5.43	0.67	6.29	2.96	3.39	0.43	6.31	3.07	3.53	0.46
एच.व्ही.6	शोक आवासीय उपयोगकर्ता	396.96	186.25	192.91	6.66	7.17	3.92	4.02	0.10	184.50	88.24	96.11	7.86
एच.व्ही.-7	छूट प्राप्तकर्ताओं को शोक प्रदाय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग (उच्चदाब)	3,593.95	2,095.19	2374.99	280.7	4,051.87	2,254.89	2,387.46	132.56	3,404.61	1,922.05	2180.50	258.45
	योग निम्नदाब+उच्चदाब	12,247.98	5,841.09	6442.74	602.55	17,619.46	8,009.37	8,609.05	599.69	13,143.34	6,150.86	6825.48	674.63



वित्तीय वर्ष 2013 हेतु सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव

तलिका 81 प्रस्तावित निम्नदाब दरें															
निम्न दाब – एल. व्ही.-1: घरेलू															
दर श्रेणी	स्थापना का प्रकार	वर्तमान में प्रचलित दरें							प्रस्तावित दरें						
		वित्तीय वर्ष 2013							वित्तीय वर्ष 2014						
		ऊर्जा प्रभार	न्यूनतम प्रभार प्रतिमाह			स्थाई/नियत प्रभार प्रतिमाह			ऊर्जा प्रभार	न्यूनतम प्रभार प्रतिमाह			स्थाई/नियत प्रभार प्रतिमाह		
			नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड	नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड		नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड	नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड
(रु/यूनिट)	रुपये	रुपये					(रु/यूनिट)		रुपये	रुपये					
मीटररीकृत															
1.1	30 यूनिट प्रतिमाह तक खपत														
	30 यूनिट तक	2.90	40.00	40.00	रु प्रति संयोजन	-	-	-	2.90	40.00	40.00	रु प्रति संयोजन	-	-	
1.2	30 यूनिट प्रतिमाह से अधिक खपत हेतु														
	दूरबीनी (टेलिस्कोपिक) यूनिटों के साथ														
	50 यूनिट तक	3.40	60.00	60.00	रु प्रति संयोजन	40.00	25.00	रु प्रति संयोजन	3.70	60.00	60.00	रु प्रति संयोजन	43.00	25.00	रु प्रति संयोजन
	51 से 100 यूनिट	3.85	60.00	60.00	रु प्रति संयोजन	65.00	40.00	रु प्रति संयोजन	4.20	60.00	60.00	रु प्रति संयोजन	72.00	43.00	रु प्रति संयोजन
	101 से 300 यूनिट	4.80	60.00	60.00	रु प्रति संयोजन	75.00	50.00	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए रु	5.40	60.00	60.00	रु प्रति संयोजन	84.00	56.00	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए रु
	301 से 500 यूनिट	5.20	60.00	60.00	रु. प्रति संयोजन	80.00	70.00	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए रु	6.00	60.00	60.00	रु प्रति संयोजन	92.00	81.00	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए रु
	500 यूनिट से अधिक	5.50	60.00	60.00	रु प्रति संयोजन	85.00	70.00	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए रु	6.30	60.00	60.00	रु प्रति संयोजन	98.00	81.00	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए रु
	10 किलोवाट से अधिक संविदा मॉडल हेतु मॉडल आधारित विद्युत दर (वैकल्पिक)	-	-	-	-	-	-	-							-
	अस्थाई (स्वयं के गृह निर्माण के लिये)	6.75	500.00	500.00	रु प्रति संयोजन	300.00	200.00	स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा लेखांकित भार, जो भी अधिक हो के प्रत्येक एक किलोवाट के लिये रु	7.40	500.00	500.00	रु प्रति संयोजन	330.00	220.00	स्वीकृत / संयोजित / अभिलिखित भार प्रतिदिन अथवा उसके अंश का जो भी उच्चतम हो, के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए रु
	अस्थाई (सामाजिक / वैवाहिक / धार्मिक समारोहों के लिए)	6.75	500.00	500.00	रु प्रति संयोजन	40.00	20.00	स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार जो भी 24 घंटों की अवधि में सर्वाधिक हो, के प्रत्येक एक किलोवाट के लिए रु	7.40	500.00	500.00	रु प्रति संयोजन	40.00	20.00	स्वीकृत / संयोजित / अभिलिखित भार प्रतिदिन अथवा उसके अंश का जो भी उच्चतम हो, के प्रत्येक 1 किलोवाट के लिए रु
	झुग्गी/झोपड़ी के समूह हेतु डीटीआर द्वारा	3.00	-	-		-	-		3.00	-	-		-	-	
अमीटररीकृत															
	नगरीय क्षेत्र	4.20	77.00	-	यूनिट प्रति उपभोक्ता	75.00	-	रु प्रति संयोजन		77.00	-	यूनिट प्रति	83.00	-	रु प्रति संयोजन



वित्तीय वर्ष 2013 हेतु सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव

								4.60				उपभोक्ता			
	ग्रामीण क्षेत्र	3.40	-	42.00	यूनिट प्रति उपभोक्ता	-	30.00	रु प्रति संयोजन		-	42	यूनिट प्रति उपभोक्ता	-	33.00	रु प्रति संयोजन
								3.70							

तालिका 61 प्रस्तावित निम्नदाब दरें
निम्न दाब – एल. व्ही.-2: गैर-घरेलू

दर श्रेणी	स्थापना का प्रकार	वर्तमान में प्रचलित दरें							प्रस्तावित दरें						
		वित्तीय वर्ष 2013							वित्तीय वर्ष 2014						
		ऊर्जा प्रभार	न्यूनतम प्रभार प्रतिमाह			स्थाई/नियत प्रभार प्रतिमाह			ऊर्जा प्रभार	न्यूनतम प्रभार प्रतिमाह			स्थाई/नियत प्रभार प्रतिमाह		
			नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड	नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड		नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड	नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड
2.1	स्वीकृत भार आधारित विद्युत-दर	5.20	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति किलोवॉट अथवा उसके किसी अंश, सम्बद्ध भार/स्वीकृत भार जो भी अधिक हो एवं संविदा मांग (संविदा आधारित दर के प्रकरण में)	90.00	60.00	रु प्रति किलोवाट	5.80	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति किलोवॉट अथवा उसके किसी अंश, सम्बद्ध भार/स्वीकृत भार जो भी अधिक हो एवं संविदा मांग (संविदा आधारित दर के प्रकरण में)	101.00	67.00	रु प्रति किलोवाट
	10 किलोवाट से अधिक संविदा माँग हेतु माँग आधारित विद्युत दर (वैकल्पिक)	5.20	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति किलोवॉट अथवा उसके किसी अंश, सम्बद्ध भार/स्वीकृत भार जो भी अधिक हो एवं संविदा मांग (संविदा आधारित दर के प्रकरण में)	144.00	96.00	रु प्रति केवीए बिलिंग मांग का	5.80	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति किलोवॉट अथवा उसके किसी अंश, सम्बद्ध भार/स्वीकृत भार जो भी अधिक हो एवं संविदा मांग (संविदा आधारित दर के प्रकरण में)	161.00	108.00	रु प्रति केवीए बिलिंग मांग का

2.2	समस्त यूनिटों के लिए, यदि मासिक खपत 50 यूनिट तक है	5.40	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति किलोवाॅट अथवा उसके किसी अंश, सम्बद्ध भार/स्वीकृत भार जो भी अधिक हो एवं संविदा मांग (संविदा आधारित दर के प्रकरण में) बिना एक्स-रे के भार हेतु	50.00	30.00	रु प्रति किलोवाट	6.00	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति किलोवाॅट अथवा उसके किसी अंश, सम्बद्ध भार/स्वीकृत भार जो भी अधिक हो एवं संविदा मांग (संविदा आधारित दर के प्रकरण में) बिना एक्स-रे के भार हेतु	56.00	34.00	रु प्रति किलोवाट
	समस्त यूनिटों के लिए, यदि मासिक खपत 50 यूनिट अधिक 1000 यूनिट तक है	6.00	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति किलोवाॅट अथवा उसके किसी अंश, सम्बद्ध भार/स्वीकृत भार जो भी अधिक हो एवं संविदा मांग (संविदा आधारित दर के प्रकरण में) बिना एक्स-रे के भार हेतु	85.00	60.00	रु प्रति किलोवाट	6.70	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति किलोवाॅट अथवा उसके किसी अंश, सम्बद्ध भार/स्वीकृत भार जो भी अधिक हो एवं संविदा मांग (संविदा आधारित दर के प्रकरण में) बिना एक्स-रे के भार हेतु	95.00	67.00	रु प्रति किलोवाट
	समस्त यूनिटों के लिए, यदि मासिक खपत 1000 यूनिट से अधिक है	6.00	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति किलोवाॅट अथवा उसके किसी अंश, सम्बद्ध भार/स्वीकृत भार जो भी अधिक हो एवं संविदा मांग (संविदा आधारित दर के प्रकरण में) बिना एक्स-रे के भार हेतु	85.00	60.00	रु प्रति किलोवाट	6.70	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति किलोवाॅट अथवा उसके किसी अंश, सम्बद्ध भार/स्वीकृत भार जो भी अधिक हो एवं संविदा मांग (संविदा आधारित दर के प्रकरण में) बिना एक्स-रे के भार हेतु	95.00	67.00	रु प्रति किलोवाट



वित्तीय वर्ष 2013 हेतु सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव

	10 किलोवाट से अधिक संविदा माँग हेतु माँग आधारित विद्युत दर (वैकल्पिक)	5.25	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति किलोवॉट अथवा उसके किसी अंश, सम्बद्ध भार/स्वीकृत भार जो भी अधिक हो एवं संविदा मांग (संविदा आधारित दर के प्रकरण में) बिना एक्स-रे के भार हेतु	152.00	96.00	रु प्रति केवीए बिलिंग मांग का	5.90	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति किलोवॉट अथवा उसके किसी अंश, सम्बद्ध भार/स्वीकृत भार जो भी अधिक हो एवं संविदा मांग (संविदा आधारित दर के प्रकरण में) बिना एक्स-रे के भार हेतु	170.00	108.00	रु प्रति केवीए बिलिंग मांग का
	अस्थाई संयोजन	7.15	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति किलोवॉट अथवा उसके किसी अंश, सम्बद्ध भार/स्वीकृत भार जो भी अधिक हो एवं संविदा मांग (संविदा आधारित दर के प्रकरण में) बिना एक्स-रे के भार हेतु	130.00	85.00	रु प्रति किलोवाट अथवा उसके अंश के लिये	8.00	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति किलोवॉट अथवा उसके किसी अंश, सम्बद्ध भार/स्वीकृत भार जो भी अधिक हो एवं संविदा मांग (संविदा आधारित दर के प्रकरण में) बिना एक्स-रे के भार हेतु	146.00	95.00	रु प्रति किलोवाट अथवा उसके अंश के लिये
	अस्थाई संयोजन (वैवाहिक उद्देश्य से विवाह उद्यान या विवाह हॉल इत्यादि के लिए)	7.15	500	500	न्यूनतम खपत 6 यूनिट/दिन/ किलो वॉट जो कि उच्चतम स्वीकृत/सम्बद्ध अभिलिखित प्रत्येक 24 घन्टे अथवा उसके अंश हेतु जो कि कम से कम 500 रु. हो	50	30	रु प्रति किलोवाट अथवा उसके अंश, स्वीकृत/सम्बद्ध/ अभिलिखित भार जो भी ज्यादा हो प्रति 24 घन्टे या उसके भाग हेतु	8.00	500	500	न्यूनतम खपत 6 यूनिट/दिन/ किलो वॉट जो कि उच्चतम स्वीकृत/सम्बद्ध अभिलिखित प्रत्येक 24 घन्टे अथवा उसके अंश हेतु जो कि कम से कम 500 रु. हो	50.00	30.00	रु प्रति किलोवाट अथवा उसके अंश, स्वीकृत/सम्बद्ध/ अभिलिखित भार जो भी ज्यादा हो प्रति 24 घन्टे या उसके भाग हेतु
	क्ष-किरण संयन्त्र हेतु	अतिरिक्त नियत/स्थाई प्रभार (रु प्रति संयन्त्र प्रति माह)							अतिरिक्त नियत/स्थाई प्रभार (रु प्रति संयन्त्र प्रति माह)						
	एकल फेस	450.00							504.00						



वित्तीय वर्ष 2013 हेतु सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव

	तीन फेस	650.00	728.00
	क्ष-किरण संयन्त्र दांतों हेतु	50.00	56.00



वित्तीय वर्ष 2013 हेतु सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव

तालिका 61 प्रस्तावित निम्नदाब दरें

निम्न दाब — एल. व्ही.-3: सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य एवं पथ प्रकाश

दर श्रेणी	स्थापना का प्रकार	वर्तमान में प्रचलित दरें							प्रस्तावित दरें						
		वित्तीय वर्ष 2013							वित्तीय वर्ष 2014						
		ऊर्जा प्रभार	न्यूनतम प्रभार प्रतिमाह			स्थाई/नियत प्रभार प्रतिमाह			ऊर्जा प्रभार	न्यूनतम प्रभार प्रतिमाह			स्थाई/नियत प्रभार प्रतिमाह		
			नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड	नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड		नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड	नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड
(रु/यूनिट)	रुपये	रुपये					(रु/यूनिट)		रुपये	रुपये					
सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य															
	नगर निगम/छावनी परि'ाद्	3.65	-	-		140.00	140.00	रु प्रति किलोवाट	4.10	-	-		157.00	157.00	रु प्रति किलोवाट
	नगर पालिका/नगर पंचायत	3.65	-	-		120.00	120.00	रु प्रति किलोवाट	4.10	-	-		134.00	134.00	रु प्रति किलोवाट
	ग्राम पंचायत	3.65	-	-		50.00	50.00	रु प्रति किलोवाट	4.10	-	-		56.00	56.00	रु प्रति किलोवाट
	अस्थाई	4.75	-	-		65.00	65.00	रु प्रति किलोवाट	5.30	-	-		73.00	73.00	रु प्रति किलोवाट
पथ प्रकाश (यातायात संकेतकों को शामिल करके)								रु प्रति किलोवाट							रु प्रति किलोवाट
	नगर निगम/छावनी परि'ाद्	3.75	-	-		230.00	230.00	रु प्रति किलोवाट	4.20	-	-		258.00	258.00	रु प्रति किलोवाट
	नगर पालिका/नगर पंचायत	3.75	-	-		210.00	210.00	रु प्रति किलोवाट	4.20	-	-		235.00	235.00	रु प्रति किलोवाट
	ग्राम पंचायत	3.75	-	-		50.00	50.00	रु प्रति किलोवाट	4.20	-	-		56.00	56.00	
	अस्थाई	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	

तालिका 61 प्रस्तावित निम्नदाब दरें

निम्न दाब – एल. व्ही.-4: औद्योगिक

दर श्रेणी	स्थापना का प्रकार	वर्तमान में प्रचलित दरें							प्रस्तावित दरें						
		वित्तीय वर्ष 2013							वित्तीय वर्ष 2014						
		ऊर्जा प्रभार	न्यूनतम प्रभार प्रतिमाह			स्थाई/नियत प्रभार प्रतिमाह			ऊर्जा प्रभार	न्यूनतम प्रभार प्रतिमाह			स्थाई/नियत प्रभार प्रतिमाह		
			नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड	नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड			नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड	नगरीय	ग्रामीण
		(रु/यूनिट)	यूनिट	यूनिट				(रु/यूनिट)	यूनिट	यूनिट					
अ	गैर-मौसमी उपभोक्ता														
	25 अश्व शक्ति तक	4.00	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति अश्वशक्ति संविदा माँग अथवा उसके अंश पर	90.00	30.00	रु प्रति अश्व शक्ति	4.40	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति अश्वशक्ति संविदा माँग अथवा उसके अंश पर	99.00	33.00	रु प्रति अश्व शक्ति
	माँग आधारित दर (संविदा माँग तथा संयोजित भार 100 अश्व शक्ति तक)	5.10	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति अश्वशक्ति संविदा माँग अथवा उसके अंश पर	176.00	88.00	रु प्रति केवीए बिलिंग मांग का	5.60	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति अश्वशक्ति संविदा माँग अथवा उसके अंश पर	194.00	97.00	रु प्रति केवीए बिलिंग मांग का
	माँग आधारित दर (संविदा माँग 100 अश्व शक्ति तक तक तथा संयोजित भार 100 से अधिक परन्तु 150 अश्व शक्ति से कम)	5.25	480	240	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति अश्व शक्ति संविदा माँग अथवा उसके अंश पर	240.00	168.00	रु प्रति केवीए बिलिंग मांग का	5.80	480	240	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति अश्वशक्ति संविदा माँग अथवा उसके अंश पर	264.00	185.00	रु प्रति केवीए बिलिंग मांग का
	माँग आधारित दर (संविदा माँग 100 अश्व शक्ति से अधिक परन्तु 150 अश्व शक्ति से कम तथा संयोजित भार 150 अश्व शक्ति से कम)	5.25	480	240	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति अश्वशक्ति संविदा माँग अथवा उसके अंश पर	240.00	168.00	रु प्रति केवीए बिलिंग मांग का	5.80	480	240	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति अश्वशक्ति संविदा माँग अथवा उसके अंश पर	264.00	185.00	रु प्रति केवीए बिलिंग मांग का
	अस्थाई	5.20	-	-	-	117.00	39.00	रु प्रति अश्व शक्ति	6.00	-	-	-	135.00	45.00	रु प्रति अश्व शक्ति
ब	मौसमी	(मौसम की अवधि 180 दिनों लगातार से अधिक नहीं होगी) यदि घोषित मौसम या मौसम-बाह्य का विस्तार दो टैरिफ अवधियों में होता है, तो संबंधित अवधि के लिये टैरिफ लागू होगा.							(मौसम की अवधि 180 दिनों लगातार से अधिक नहीं होगी) यदि घोषित मौसम या मौसम-बाह्य का विस्तार दो टैरिफ अवधियों में होता है, तो संबंधित अवधि के लिये टैरिफ लागू होगा.						
	मौसम के दौरान	गैर-मौसमी हेतु सामान्य दर के समान							गैर-मौसमी हेतु सामान्य दर के समान						
	मौसम-बाह्य के दौरान	गैर-मौसमी हेतु सामान्य दर का 120 प्रतिशत	-	-	-	गैर-मौसमी हेतु सामान्य दर के समान	संविदा माँग अथवा उच्चतम माँग जो भी अधिकतम हो के 10 प्रतिशत पर		गैर-मौसमी हेतु सामान्य दर का 120 प्रतिशत	-	-	-	गैर-मौसमी हेतु सामान्य दर के समान	संविदा माँग अथवा उच्चतम माँग जो भी अधिकतम हो के 10 प्रतिशत पर	

तालिका 61 प्रस्तावित निम्नदाब दरें

निम्न दाब — एल. व्ही.-5.1: कृषि हेतु सिंचाई पम्प

दर श्रेणी	स्थापना का प्रकार	वर्तमान में प्रचलित दरें							प्रस्तावित दरें						
		वित्तीय वर्ष 2013							वित्तीय वर्ष 2014						
		ऊर्जा प्रभार	न्यूनतम प्रभार प्रतिमाह			स्थाई/नियत प्रभार प्रतिमाह			ऊर्जा प्रभार	न्यूनतम प्रभार प्रतिमाह			स्थाई/नियत प्रभार प्रतिमाह		
			नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड	नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड		नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड	नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड
(रु/यूनिट)	यूनिट	यूनिट					(रु/यूनिट)		यूनिट	यूनिट					
	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	3.20	90	90	यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह, माह अक्टूबर से मार्च तक संयोजित भार अथवा उसके किसी अंश का तथा अप्रैल से सितम्बर तक 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह संयोजित भार अथवा उसके किसी अंश का	-	-		3.40	90	90	यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह, माह अक्टूबर से मार्च तक संयोजित भार अथवा उसके किसी अंश का तथा अप्रैल से सितम्बर तक 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह संयोजित भार अथवा उसके किसी अंश का	-	-	
	300 से 750 यूनिट पतिमाह	3.75	90	90		-	-	-	3.90	90	90				
	750 यूनिट प्रतिमाह से अधिक	4.00	90	90		-	-		4.20	90	90		-	-	
	अस्थाई संयोजन	4.00	90	90		-	-		4.20	90	90		-	-	
	डी.टी.आर मीटरीकृत उपभोक्ता समूह	3.00	90	90		-	-		3.00	90	90		-	-	
स्थाई अमीटरीकृत उपभोक्ता का अनुमान						-	-		-	-	-	-	-	-	
एकल फेस	(अप्रैल से मई)	जैसा ऊपर इंगित है	90	90	यूनिट प्रति अश्व शक्ति स्वीकृत भार पर	-	-		जैसा ऊपर इंगित है	90	60	यूनिट प्रति अश्व शक्ति स्वीकृत भार पर	-	-	
	(जून से सितम्बर)		90	60		-	-			90	60		-	-	
	(अक्टूबर से मार्च)		180	160		-	-			180	160		-	-	
तीन फेस	(अप्रैल से मई)		90	50		-	-			90	50		-	-	
	(जून से सितम्बर)		90	50		-	-			90	50		-	-	
	(अक्टूबर से मार्च)		170	150		-	-			170	150		-	-	
अस्थाई अमीटरीकृत उपभोक्ता का अनुमान						-	-		-	-	-	-	-		
एकल फेस		-	190	170	-	-	-	-	190	170	-	-	-	-	
तीन फेस		-	175	175	-	-	-	-	175	175	-	-	-	-	

निम्न दाब – एल. व्ही.-5.2: अन्य कृषि उपयोग :- उद्यानिकी गतिविधियां

श्रेणी दर	स्थापना का प्रकार	वर्तमान में प्रचलित दरें							प्रस्तावित दरें						
		वित्तीय वर्ष 2013							वित्तीय वर्ष 2014						
		ऊर्जा प्रभार	न्यूनतम प्रभार प्रतिमाह			स्थाई /नियत प्रभार प्रतिमाह			ऊर्जा प्रभार	न्यूनतम प्रभार प्रतिमाह			स्थाई /नियत प्रभार प्रतिमाह		
			नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड	नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड		नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड	नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड
(रु/यूनिट)	यूनिट	यूनिट					(रु/यूनिट)		यूनिट	यूनिट					
	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	3.20	90	90	यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह, माह अक्टूबर से मार्च तक संयोजित भार अथवा उसके किसी अंश का तथा अपैल से सितम्बर तक 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह संयोजित भार अथवा उसके किसी अंश का	-	-		3.40	90	90	यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह, माह अक्टूबर से मार्च तक संयोजित भार अथवा उसके किसी अंश का तथा अपैल से सितम्बर तक 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह संयोजित भार अथवा उसके किसी अंश का	-	-	
	300 से 750 युनिट पतिमाह	3.75	90	90		-	-	-	3.90	90	90				
	750 यूनिट प्रतिमाह से अधिक	4.00	90	90		-	-		4.20	90	90		-	-	
	अस्थाई संयोजन	4.00	90	90		-	-		4.20	90	90		-	-	

निम्न दाब – एल. व्ही.-5.2: कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग

दर श्रेणी	स्थापना का प्रकार	वर्तमान में प्रचलित दरें							प्रस्तावित दरें						
		वित्तीय वर्ष 2013							वित्तीय वर्ष 2014						
		ऊर्जा प्रभार	न्यूनतम प्रभार प्रतिमाह			स्थाई/नियत प्रभार प्रतिमाह			ऊर्जा प्रभार	न्यूनतम प्रभार प्रतिमाह			स्थाई/नियत प्रभार प्रतिमाह		
			नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड	नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड		नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड	नगरीय	ग्रामीण	मापदण्ड
		(रु/यूनिट)	यूनिट	यूनिट					(रु/यूनिट)	यूनिट	यूनिट				
	संयोजित भार आधार 25 अश्व शक्ति तक	3.75	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति अश्वशक्ति संविदा मॉग अथवा उसके अंश पर	55.00	20.00	रु प्रति अश्व शक्ति	3.90	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति अश्वशक्ति संविदा मॉग अथवा उसके अंश पर	58.00	21.00	रु प्रति अश्व शक्ति
	25 अश्व शक्ति से अधिक एवं 100 अश्व शक्ति तक	4.25	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति अश्वशक्ति संविदा मॉग अथवा उसके अंश पर	136.00	64.00	रु प्रति के. व्ही.ए बिलिंग मॉग का	4.70	360	180	न्यूनतम वार्षिक यूनिट प्रति अश्वशक्ति संविदा मॉग अथवा उसके अंश पर	143.00	67.00	रु प्रति के. व्ही.ए बिलिंग मॉग का

तालिका 62 : प्रस्तावित उच्चदाब दर तालिका

उच्च दाब — एच.व्ही.-1: रेल्वे कर्षण

दर श्रेणी	स्थापना का प्रकार	वर्तमान में प्रचलित दरें					प्रस्तावित दरें				
		वित्तीय वर्ष 2013					वित्तीय वर्ष 2014				
		उर्जा प्रभार (रु/यूनिट) वास्ते खपत		संविदा मॉग के भार कारक प्रतिशत पर न्यूनतम वार्षिक खपत	स्थायी प्रभार बिलिंग मॉग के प्रति के.व्ही.ए. पर प्रतिमाह		उर्जा प्रभार (रु/यूनिट) वास्ते खपत		संविदा मॉग के भार कारक प्रतिशत पर न्यूनतम वार्षिक खपत	स्थायी प्रभार बिलिंग मॉग के प्रति के.व्ही.ए. पर प्रतिमाह	
		50 प्रतिशत भार कारक तक	50 प्रतिशत भार कारक से अधिक				50 प्रतिशत भार कारक तक	50 प्रतिशत भार कारक से अधिक			
		रु.	रु.	यूनिट	रु.	मापदण्ड	रु.	रु.	यूनिट	रु.	मापदण्ड
	220 के.व्ही.	5.00	5.00	1500 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	265		5.60	5.60	1500 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	297	
	132 के.व्ही.	5.00	5.00	1500 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	265		5.60	5.60	1500 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	297	

उच्च दाब — एच.व्ही.-2: कोयला खदानें

दर श्रेणी	स्थापना का प्रकार	वर्तमान में प्रचलित दरें					प्रस्तावित दरें				
		वित्तीय वर्ष 2013					वित्तीय वर्ष 2014				
		उर्जा प्रभार (रु/यूनिट) वास्ते खपत		संविदा मॉग के भार कारक प्रतिशत पर न्यूनतम वार्षिक खपत	स्थायी प्रभार बिलिंग मॉग के प्रति के.व्ही.ए. पर प्रतिमाह		उर्जा प्रभार (रु/यूनिट) वास्ते खपत		संविदा मॉग के भार कारक प्रतिशत पर न्यूनतम वार्षिक खपत	स्थायी प्रभार बिलिंग मॉग के प्रति के.व्ही.ए. पर प्रतिमाह	
		50 प्रतिशत भार कारक तक	50 प्रतिशत भार कारक से अधिक				50 प्रतिशत भार कारक तक	50 प्रतिशत भार कारक से अधिक			
		रु.	रु.	यूनिट	रु.	मापदण्ड	रु.	रु.	यूनिट	रु.	मापदण्ड
	220 के.व्ही.	5.05	4.25	1620 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	535		5.70	4.80	1620 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	599	
	132 के.व्ही.	5.15	4.35	1620 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	525		5.80	4.90	1620 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	588	
	33 के.व्ही.	5.25	4.45	1200 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	515		6.00	5.10	1200 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	592	
	11 के.व्ही.	5.45	4.65	1200 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	505		6.30	5.30	1200 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	581	

उच्च दाब – एच.व्ही.-3: औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक

दर श्रेणी	स्थापना का प्रकार	वर्तमान में प्रचलित दरें				प्रस्तावित दरें					
		वित्तीय वर्ष 2013				वित्तीय वर्ष 2014					
		उर्जा प्रभार (रु/यूनिट) वास्ते खपत		संविदा मॉग के भार कारक प्रतिशत पर न्यूनतम वार्षिक खपत	स्थाई प्रभार बिलिंग मॉग के प्रति के.व्ही.ए. पर प्रतिमाह	उर्जा प्रभार (रु/यूनिट) वास्ते खपत		संविदा मॉग के भार कारक प्रतिशत पर न्यूनतम वार्षिक खपत	स्थाई प्रभार बिलिंग मॉग के प्रति के.व्ही.ए. पर प्रतिमाह		
		50 प्रतिशत भार कारक तक	50 प्रतिशत भार कारक से अधिक			50 प्रतिशत भार कारक तक	50 प्रतिशत भार कारक से अधिक				
		रु.	रु.		रु.	मापदण्ड	रु.	रु.	यूनिट	रु.	मापदण्ड
	एच.व्ही.-3.1: औद्योगिक उपयोग										
	400 के.व्ही.	4.40	3.70	1800 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	500		4.90	4.10	1800 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	560	
	220 के.व्ही.	4.40	3.70	1800 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	500		4.90	4.10	1800 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	560	
	132 के.व्ही.	4.60	3.80	1800 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	470		5.20	4.30	1800 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	526	
	33 के.व्ही.	5.00	4.00	1200 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	370		5.80	4.60	1200 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	426	
	11 के.व्ही.	5.10	4.50	1200 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	225		5.90	5.20	1200 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	259	
	एच.व्ही.-3.2: गैर-औद्योगिक उपयोग										
	400 के.व्ही.	-	-	-	-		-	-	-	-	
	220 के.व्ही.	-	-	-	-		-	-	-	-	
	132 के.व्ही.	4.80	4.15	1800 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	425		5.40	4.60	1800 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	476	

									पर		
	33 के.व्ही.	5.15	4.50	1200 प्रति के.व्ही.ए संविदा माँग पर	300		5.80	5.00	1200 प्रति के.व्ही.ए संविदा माँग पर	336	
	11 के.व्ही.	5.40	4.65	1200 प्रति के.व्ही.ए संविदा माँग पर	190		6.20	5.30	1200 प्रति के.व्ही.ए संविदा माँग पर	219	
	एच.व्ही.-3.3: शॉपिंग माल										
	220 के.व्ही.	-	-	-	-		-	-	-	-	
	132 के.व्ही.	4.80	4.10	1800 प्रति के.व्ही.ए संविदा माँग पर	400		5.40	4.60	1800 प्रति के.व्ही.ए संविदा माँग पर	448	
	33 के.व्ही.	5.20	4.55	1200 प्रति के.व्ही.ए संविदा माँग पर	280		6.00	5.20	1200 प्रति के.व्ही.ए संविदा माँग पर	322	
	11 के.व्ही.	5.40	4.65	1200 प्रति के.व्ही.ए संविदा माँग पर	190		6.20	5.30	1200 प्रति के.व्ही.ए संविदा माँग पर	219	
	एच.व्ही.-3.4: गहन विद्युत (पॉवर इन्टेंसिव) उद्योग										
	220 के.व्ही.	-	-	-	-		-	-	-	-	
	132 के.व्ही.	3.75	3.75	1800 प्रति के.व्ही.ए संविदा माँग पर	560		4.20	4.20	1800 प्रति के.व्ही.ए संविदा माँग पर	627	
	33 के.व्ही.	3.95	3.95	1200 प्रति के.व्ही.ए संविदा माँग पर	435		4.50	4.50	1200 प्रति के.व्ही.ए संविदा माँग पर	500	
	11 के.व्ही.	-	-	-	-		-	-	-	-	

उच्च दाब – एच.व्ही.-4: मौसमी

दर श्रेणी	स्थापना का प्रकार	वर्तमान में प्रचलित दरें				प्रस्तावित दरें					
		वित्तीय वर्ष 2013				वित्तीय वर्ष 2014					
		उर्जा प्रभार (रु/यूनिट) वास्ते खपत		संविदा मॉग के भार कारक प्रतिशत पर न्यूनतम वार्षिक खपत	स्थाई प्रभार बिलिंग मॉग के प्रति के. व्ही.ए. पर प्रतिमाह	उर्जा प्रभार (रु/यूनिट) वास्ते खपत		संविदा मॉग के भार कारक प्रतिशत पर न्यूनतम वार्षिक खपत	स्थाई प्रभार बिलिंग मॉग के प्रति के. व्ही.ए. पर प्रतिमाह		
		50 प्रतिशत भार कारक तक	50 प्रतिशत भार कारक से अधिक			50 प्रतिशत भार कारक तक	50 प्रतिशत भार कारक से अधिक				
		रु.	रु.			यूनिट	रु.			मापदण्ड	रु.
	मौसम के दौरान										
	33 के.व्ही.	4.80	4.10	900 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	280	-	5.40	4.60	900 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	314	-
	11 के.व्ही.	4.90	4.25	900 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	250	-	5.50	4.80	900 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	280	-
	मौसम-बाह्य के दौरान										
	33 के.व्ही.	5.76	लागू नहीं	-	280	संविदा मॉग अथवा उच्चतम मॉग पर 10 प्रतिशत, जो भी सर्वाधिक हो	6.50	लागू नहीं	-	314	संविदा मॉग अथवा उच्चतम मॉग पर 10 प्रतिशत, जो भी सर्वाधिक हो

	11 के.व्ही.	5.88	लागू नहीं	-	250	संविदा मॉग अथवा उच्चतम मॉग पर 10 प्रतिशत, जो भी सर्वाधिक हो	6.60	लागू नहीं	-	280	संविदा मॉग अथवा उच्चतम मॉग पर 10 प्रतिशत, जो भी सर्वाधिक हो
--	-------------	------	-----------	---	-----	---	------	-----------	---	-----	---

उच्च दाब – एच.व्ही.-5: सिंचाई, सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग

दर श्रेणी	स्थापना का प्रकार	वर्तमान में प्रचलित दरें				प्रस्तावित दरें					
		वित्तीय वर्ष 2013				वित्तीय वर्ष 2014					
		उर्जा प्रभार (रु/यूनिट) वास्ते खपत		संविदा मॉग के भार कारक प्रतिशत पर न्यूनतम वार्षिक खपत	स्थाई प्रभार बिलिंग मॉग के प्रति के.व्ही. ए. पर प्रतिमाह	उर्जा प्रभार (रु/यूनिट) वास्ते खपत		संविदा मॉग के भार कारक प्रतिशत पर न्यूनतम वार्षिक खपत	स्थाई प्रभार बिलिंग मॉग के प्रति के. व्ही.ए. पर प्रतिमाह		
		50 प्रतिशत भार कारक तक	50 प्रतिशत भार कारक से अधिक			50 प्रतिशत भार कारक तक	50 प्रतिशत भार कारक से अधिक				
		रु.	रु.			रु.	रु.				
				यूनिट	रु.	मापदण्ड			यूनिट	रु.	मापदण्ड
	एच.व्ही.-5.1: सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य, समूह सिंचाई एवं उद्बहन सिंचाई योजना										
	132 के.व्ही.	3.60	3.60	720 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	210	-	4.00	4.00	720 प्रति के.व्ही. ए संविदा मॉग पर	235	-
	33 के.व्ही.	3.80	3.80	720 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	190	-	4.40	4.40	720 प्रति के.व्ही. ए संविदा मॉग पर	219	-
	11 के.व्ही.	4.00	4.00	720 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	170	-	4.60	4.60	720 प्रति के.व्ही. ए संविदा	196	-

									मॉग पर		
	एच.व्ही.-5.2: कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग										
	132 के.व्ही.	3.70	3.70	720 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	230	-	4.10	4.10	720 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	258	-
	33 के.व्ही.	3.85	3.85	720 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	210	-	4.40	4.40	720 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	242	-
	11 के.व्ही.	4.05	4.05	720 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	190	-	4.70	4.70	720 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	219	-

उच्च दाब – एच.व्ही.-6: थोक आवासीय उपयोगकर्ता

दर श्रेणी	स्थापना का प्रकार	वर्तमान में प्रचलित दरें				प्रस्तावित दरें					
		वित्तीय वर्ष 2013				वित्तीय वर्ष 2014					
		उर्जा प्रभार (रु/यूनिट) वास्ते खपत		संविदा मॉंग के भार कारक प्रतिशत पर न्यूनतम वार्षिक खपत	स्थायी प्रभार बिलिंग मॉंग के प्रति के.व्ही. ए. पर प्रतिमाह	उर्जा प्रभार (रु/यूनिट) वास्ते खपत		संविदा मॉंग के भार कारक प्रतिशत पर न्यूनतम वार्षिक खपत	स्थायी प्रभार बिलिंग मॉंग के प्रति के. व्ही.ए. पर प्रतिमाह		
		50 प्रतिशत भार कारक तक	50 प्रतिशत भार कारक से अधिक			50 प्रतिशत भार कारक तक	50 प्रतिशत भार कारक से अधिक				
		रु.	रु.			यूनिट	रु.				मापदण्ड
	एच.व्ही. 6.1: उपनगर/टाउनशिप, आवासीय कालोनी										
	132 के.व्ही.	4.25	3.75	780 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉंग पर	245	-	4.80	4.20	780 प्रति के.व्ही. ए संविदा मॉंग	274	-

									पर		
	33 के.व्ही.	4.40	3.90	780 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	230	-	5.10	4.50	780 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	265	-
	11 के.व्ही.	4.65	4.10	780 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	215	-	5.30	4.70	780 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	247	-
एच.व्ही.-6.2: पंजीकृत समूह हाऊसिंग समिति											
	132 के.व्ही.	4.45	3.90	780 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	155	-	5.00	4.40	780 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	174	-
	33 के.व्ही.	4.60	4.05	780 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	150	-	5.30	4.70	780 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	173	-
	11 के.व्ही.	4.70	4.15	780 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	145	-	5.10	4.80	780 प्रति के.व्ही.ए संविदा मॉग पर	167	-

उच्च दाब – एच.व्ही.-7: छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक प्रदाय

दर श्रेणी	स्थापना का प्रकार	वर्तमान में प्रचलित दरें			प्रस्तावित दरें		
		वित्तीय वर्ष 2013			वित्तीय वर्ष 2014		
		उर्जा प्रभार (रु/यूनिट) वास्ते खपत	संविदा मॉग के भार कारक प्रतिशत पर न्यूनतम वार्षिक खपत	स्थाई प्रभार बिलिंग मॉग के	उर्जा प्रभार (रु/यूनिट) वास्ते खपत	संविदा मॉग के भार कारक	स्थाई प्रभार बिलिंग मॉग के प्रति के. व्ही.ए. पर प्रतिमाह

		50 प्रतिशत भार कारक तक	50 प्रतिशत भार कारक से अधिक		प्रति के.व्ही. ए. पर प्रतिमाह	50 प्रतिशत भार कारक तक		50 प्रतिशत भार कारक से अधिक	प्रतिशत पर न्यूनतम वार्षिक खपत		
		रु.	रु.	यूनिट	रु.	मापदण्ड	रु.	रु.	यूनिट	रु.	मापदण्ड
	मिश्रित भार वाली ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां	3.50	3.50		240		3.90	3.90	-	269	
	ग्रामीण क्षेत्र में मिश्रित घरेलू एवं कृषि उपयोग	2.90	2.90		140		3.30	3.30		161	
	नगरीय क्षेत्र में मिश्रित घरेलू एवं कृषि उपयोग	3.50	3.50		180		4.00	4.00		207	

11.3 दर प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएँ

- 11.3.1 गैर घरेलू उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 10 किलो वॉट या इससे अधिक है, के लिए मांग आधारित दर वैकल्पिक आधार पर प्रस्तावित है, तथा 15 किलो वॉट से अधिक संविदा मांग के गैर घरेलू उपभोक्ताओं हेतु मांग आधारित दर को अनिवार्य रूप से लागू करना प्रस्तावित है । तथापि किसी भी दशा में प्रस्तावित संविदा मांग 10 किलो वॉट से कम नहीं होगी ।
- 11.3.2 शीर्ष भार अवधि अधिभार के वर्तमान स्तर 15 प्रतिषत ऊर्जा प्रभार के 30 प्रतिषत की दर से लिया जाना प्रस्तावित किया गया है ।
- 11.3.3 गैर शीर्ष भार अवधि छूट समाप्त किया जाना प्रस्तावित है

टी ओ डी अधिभार में वृद्धि एवं टी ओ डी छूट की समाप्ति : शीर्ष-भार अवधि में प्रणाली में आवश्यकता की वृद्धि के कारण अतिरिक्त विद्युत खरीदी की दर सामान्य भार अवधि में खरीदी जाने वाली विद्युत की दर से अधिकांशतः ज्यादा रहती है इसी प्रकार गैर शीर्ष-भार अवधि में खरीदी जाने वाली अतिरिक्त विद्युत की दर सामान्य भार अवधि में खरीदी जाने वाली विद्युत की दर से प्रणाली में आवश्यकता की कमी के कारण अधिकांशतः कम रहती है। कम अवधि के लिये की जाने वाली विद्युत क्रय की भारित दरें केन्द्रिय विद्युत नियामक आयोग की वेबसाइट से डाउनलोडेड की गई हैं जो नीचे दी तालिका के अनुसार है: –

व्यपारियों द्वारा लेन-देन की गयी ऊर्जा की कीमतें					
माह	भारित औसत विक्रय मूल्य (रु प्रति यूनिट)				
	दिन-रात लगातार (आर.टी.सी)	शीर्ष	आर.टी.सी के सम्बन्ध में अन्तर %	शीर्ष-बाह्य	आर.टी.सी के सम्बन्ध में अन्तर %
जनवरी-10	5.34	5.01	-6%	5.11	-4%
फरवरी-10	4.95	5.72	16%	5.22	5%
मार्च-10	4.99	5.4	8%	4.73	-5%
अप्रैल-10	5.68	6.62	17%	5.72	1%
मई-10	6.26	6.39	2%	5.88	-6%
जून-10	5.57	5.84	5%	5.67	2%
जुलाई-10	4.97	5.89	19%	5.02	1%
अगस्त-10	4.86	4.8	-1%	5.34	10%
सितम्बर-10	4.71	2.2	-53%	4.9	4%
अक्टूबर-10	3.9	4.97	27%	4.23	8%
नवम्बर-10	3.92%	4.88	24%	3.81	-3%
दिसम्बर-10	4.12	4.86	18%	3.46	-16%
जनवरी-11	4.12	5.13	25%	3.55	-14%
फरवरी-11	4.22	5.91	40%	3.98	-6%
मार्च-11	4.65	5.64	21%	4.79	3%
अप्रैल-11	4.76	5.07	7%	4.72	-1%

व्यपारियों द्वारा लेन-देन की गयी ऊर्जा की कीमतें					
माह	भारित औसत विक्रय मूल्य (रु प्रति यूनिट)				
	दिन-रात लगातार (आर.टी.सी)	शीर्ष	आर.टी.सी के सम्बन्ध में अन्तर %	शीर्ष-बाह्य	आर.टी.सी के सम्बन्ध में अन्तर %
मई-11	4.52	5.02	11%	4.22	-7%
जून-11	3.81	4.94	30%	3.81	0%
जुलाई-11	3.90	3.95	1%	3.7	-5%
अगस्त-11	3.88	4.73	22%	3.61	-7%
सितम्बर-11	3.95	6.26	58%	4.63	17%
अक्टूबर-11	4.19	5.16	23%	5.02	20%
नवम्बर-11	4.25	6.8	60%	4.75	12%
दिसम्बर-11	4.12	6.05	47%	4.46	8%
जनवरी-12	4.38	6.1	39%	5.12	17%
फरवरी-12	4.41	5.93	34%	4.7	7%
मार्च-12	4.37	5.74	31%	4.86	11%
अप्रैल-12	4.35	5.78	33%	4.95	14%
मई-12	4.26	6.13	44%	4.79	12%
जून-12	4.11	4.91	19%	4.17	1%
जुलाई-12	4.02	5.81	45%	4.69	17%
अगस्त-12	4.22	4.89	16%	4.3	2%
सितम्बर-12	4.37	5.69	30%	4.26	-3%
अक्टूबर-12	4.43	5.73	29%	4.85	9%
स्रोत:-सी.ई.आर.सी वेबसाईट बाजार अनुवीक्षण					

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि शीर्ष-भार अवधि में खरीदी जाने वाली विद्युत की दरें सामान्य अवधि में खरीदी जाने वाली विद्युत की दरों से लगभग 15 प्रतिशत अधिक रहती हैं। यह भी देखा जा सकता है कि गैर-शीर्ष अवधि में खरीदी जाने वाली विद्युत की दरें सामान्य अवधि में खरीदी जाने वाली विद्युत की दरों से सामान्यतः सीमांत रूप से ही कम होती हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पूर्व गामी खुदरा दर आदेशों में स्वीकृत गैर-शीर्ष अवधि में छूट गैर-शीर्ष अवधि में विद्युत क्रय की दरों के अनुरूप नहीं है। इसी प्रकार शीर्ष-भार अवधि में देय अधिभार सायं शीर्ष-भार अवधि में विद्युत क्रय की दरों से कम है। म.प्र.पू.वि.वि.कं.लि., जबलपुर के मतानुसार शीर्ष-भार अवधि में लागू अधिभार की दरों को कम से कम 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि किया जाना चाहिए एवं शीर्ष-भार अवधि में दी जाने वाली छूट को समाप्त किया जाना उचित होगा। शीर्ष-भार अवधि में अतिरिक्त विद्युत क्रय की लागतों को उक्त अवधि में विद्युत का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से वसूल किया जाना न्यायसंगत होगा।

भार कारक के सूत्र में संशोधन के कारण:

वित्तीय वर्ष '12 हेतु पारित खुदरा दर आदेश में भार कारक गणना के सूत्र से ऐसे उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचता है, जिनकी अधिकतम मांग संविदा मांग/बिलिंग मांग से कम दर्ज होती है। ऐसे उपभोक्ता दोहरा लाभ प्राप्त करते हैं, यथा ऐसे उपभोक्ताओं को "ऊर्जा कारक प्रोत्साहन" के अतिरिक्त 50 प्रतिशत भार कारक से अधिक की ऊर्जा खपत पर विद्युत दरों में कमी का लाभ भी मिलता है। उपरोक्त विसंगति को दूर किया जाना आवश्यक है।

उपभोक्ताओं से यह आशा की जाती है कि वे अपनी परिसंपत्तियों का विद्युत ग्रिड के अनुपासनों का पालन करते हुए आदर्श प्रयोग करेंगे। अतः अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भार कारक सूत्र को संविदा मांग एवं ऊर्जा कारक के आधार पर बदला जाना प्रस्तावित किया गया है।

उच्चदाब उपभोक्ताओं हेतु भार कारक प्रोत्साहन को समाप्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है: -

भार कारक प्रोत्साहन की समाप्ति के कारण

याचिकाकर्ता का मत है कि सैद्धांतिक रूप से खुदरा दरों में प्रोत्साहन दिया जाना अनुज्ञप्तिधारी का विशेषाधिकार है जो कि अनुज्ञप्तिधारी अपने वाणिज्यिक हितों को बढ़ाने में उपयोग करते हुए उसके कुछ अंश को यदि संभव हो तो उपभोक्ताओं को बांट सकता है।

उच्चदाब उपभोक्ताओं द्वारा विद्यमान कनेक्शन हेतु स्थापित मीटर से अनुबंध में उल्लेखित प्रयोजन के लिये अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु बिलिंग की गणना निम्नलिखित कारणों से बदली जाना प्रस्तावित है: -

प्रस्तावित परिवर्तन की वजह उपरोक्त बदलाव उच्चदाब उपभोक्ता द्वारा किये जाने वाले विद्युत उपभोग के दौरान विभिन्न परिस्थितियों यथा वास्तविक दर्ज अधिकतम मांग का मानी गई संविदा मांग (स्थाई विद्युत कनेक्शन हेतु संविदा मांग एवं अस्थाई विद्युत मांग का योग) से अधिक होना, वास्तविक दर्ज अधिकतम मांग का स्थाई संविदा मांग से कम होना एवं वास्तविक दर्ज अधिकतम मांग का स्थाई संविदा मांग एवं मानी गई संविदा मांग के बीच में होना

आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार :- वित्तीय वर्ष '13 हेतु पारित खुदरा दर आदेश में आधिक्य मांग की परिभाषा उचित नहीं है अतः वर्ष '11 में पारित दर आदेश में आधिक्य मांग की परिभाषा को ही निम्नलिखित कारणों से प्रतिधारित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित परिवर्तन के कारण :- वित्तीय वर्ष '12 हेतु पारित दर आदेश के अनुसार आधिक्य मांग की गणना अधिकतम दर्ज मांग एवं संविदा मांग के 105 प्रतिषत के अंतर के आधार पर की जानी है। इससे यह स्पष्ट है कि संविदा मांग से अधिक और संविदा मांग के 105 प्रतिषत तक की दर्ज मांग को आधिक्य मांग के रूप में नहीं माना जावेगा तथा उपभोक्ता को उक्त परिस्थिति में बिना किसी आधिक्य मांग प्रभार के सामान्य दरों पर ही संपूर्ण खपत की जाने वाली विद्युत की बिलिंग की जानी है एवं यह अनुबंध का उल्लंघन है। इसका तात्पर्य है कि अनुबंध में उल्लेखित शब्द "संविदा" का संविदा मांग से कोई भी सरोकार नहीं है। उपरोक्त विसंगति पर पुर्नविचार किया जाना और उसे ठीक किया जाना आवश्यक है, अतः आधिक्य मांग की परिभाषा को प्रतिधारित किया जाना प्रस्तावित है।

11.3.8. एलव्ही-2 दर श्रेणी में नयी उपश्रेणी खण्ड को प्रारंभ करने हेतु निम्न कारणों से प्रस्तावित है:-

प्रस्तावित परिवर्तन के कारण :-

ऐसे गैर-घरेलू उपभोक्ता जो विद्युत का ज्यादा उपयोग करते हैं को एक अलग खण्ड में श्रेणीबद्ध किया जाना उचित होगा तदनुसार गैरघरेलू उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 1000 यूनिट से ज्यादा है को एक पृथक खण्ड में श्रेणीबद्ध किया जाकर दरें प्रस्तावित की गई हैं।

11.3.9 कृषि कार्य हेतु अस्थाई कनेक्शनों के विद्यमान न्यूनतम अवधि 3 माह को बढ़ाकर 4 माह की अवधि निम्नलिखित कारणों से प्रस्तावित की गई है:-

प्रस्तावित परिवर्तन के कारण :-

वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कृषि कार्य हेतु अस्थाई कनेक्शन न्यूनतम 3 माह तक की अवधि के लिये दिया जा सकता है। अधिकतर कृषि उपभोक्ता कृषि कार्य हेतु 3 माह का अस्थाई कनेक्शन स्वीकृत कराते हैं बाद में एक या दो माह की समयवृद्धि भी कराते हैं क्योंकि कृषि कार्य की अवधि सामान्यतः 4 से 5 माह तक की होती है। ऐसे उपभोक्ताओं को बार-बार समयवृद्धि प्राप्त करने की औपचारिकताओं में होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुये कृषि कार्य हेतु अस्थाई कनेक्शन की न्यूनतम अवधि 4 माह की जाना प्रस्तावित है।

11.3.10 ग्रिड से संयोजित विद्युत उत्पादकों जो अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता नहीं हैं एवं ग्रिड से समकालन हेतु तथा विद्युत उत्पादन प्रणाली को प्रारंभ करने के लिये विद्युत की आपूर्ति चाहते हैं, हेतु लागू निबंधन तथा शर्तें निम्नलिखित कारणों से विलोपित किया जाना प्रस्तावित है:-

प्रस्तावित परिवर्तन के कारण :-

ग्रिड से संयोजित विद्युत उत्पादक जो अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता नहीं हैं एवं ग्रिड से समकालन हेतु तथा विद्युत उत्पादन प्रणाली को प्रारंभ करने के लिये विद्युत की आपूर्ति चाहते हैं, के निबंधन तथा शर्तें खुदरा दर आदेश से संबंधित नहीं हैं अपितु विद्युत प्रदाय संहिता, केप्टिव पावर प्लांट हेतु लागू विनियमन आदि से संबंधित है अतः उक्त निबंधन तथा शर्तों को खुदरा दर आदेश से विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।

11.3.11

विष्वसनीयता प्रभार

वितरण कंपनियों द्वारा राज्य में वित्तीय वर्ष 2014 से प्रत्येक घरों में (षहरी एवं ग्रामीण) 24 घन्टे विद्युत प्रदाय किये जाने हेतु फीडर विभक्तिकरण योजना द्वारा परिकल्पना की गई है । फीडर विभक्तिकरण योजना का उद्देश्य वाणिज्यिक रूप से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की बस्तियों को विद्युत की सतत आपूर्ति प्रदान करते हुए कृषि उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति भू-जल के स्थायी उपयोग को बढ़ावा देने हेतु किया है । जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास तेजी से लाया जा सके ।

इसलिए माननीय आयोग से निवेदन है कि विष्वसनीयता प्रभार को गुणवत्ता एवं सतत आपूर्ति के एवज में समझते हुए अनुमोदित करने का कष्ट करें ।

11.3.12

समानदर योजना का प्रस्ताव

कृषि उपभोक्ताओं के लिए एक समानदर योजना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जिसमें वितरण कंपनियों द्वारा वर्ष के लिए केवल दो बिल जारी किया जाना आवश्यक होगा । इस तरह के उपभोक्ताओं जो कि इस योजना में पंजीकृत/स्वीकार करते हैं, के लिए प्रत्येक वर्ष (प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर) में जारी किये जा सकेंगे। हालांकि योजना का लाभ उठाने के लिए हर साल एक अप्रैल और 1 अक्टूबर को लागू समान दर पर जारी किये गये बिल के लिए अगले छः महीनों के लिए अग्रिम भुगतान करना होगा ।

11.3.13

उपलब्ध जानकारी के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा ईमानदारी पूर्वक आयोग के नियमों का पालन करते हुए उपलब्ध क्षमताओं एवं संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करने का प्रयास किया है । हालांकि आगे प्रक्रिया के दौरान अन्य कोई अतिरिक्त जानकारी आवेदक की जानकारी में आने पर आवेदक को अतिरिक्त जानकारी दर्ज कराने, संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखने हेतु अनुमति दी जाये ।

12. दर आदेश 2012-13 के दर आदेश पर अनुपालन

माननीय आयोग के खुदरा प्रदाय दर आदेश वित्तीय वर्ष 2013 में दिये गये निर्देशों पर पैरावार निवेदन निम्नानुसार है :-

12.1.1 वितरण हानियां :

12.1.1.1 आयोग के दिशा निदेश :-

हालांकि सभी वितरण कंपनियों का हानि के प्रति कमी करने हेतु रुझान है, परन्तु पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है । आयोग निर्देश देता है कि सभी संभव प्रयासों से पुनः हानि में कमी करने के प्रयास में और अधिक तेजी लाई जानी चाहिए ।

12.1.1.2 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का निवेदन

हानियां कम करने हेतु निम्न कार्य किये जा रहे हैं :-

अ. अधोसंरचना सुदृढीकरण कार्य/पारेषण क्षमता की वृद्धि

वितरण प्रणाली की तकनीकी हानियों को कम करने हेतु अधोसंरचना सुदृढीकरण का कार्य/पारेषण क्षमता वृद्धि का कार्य किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2012 में निम्नानुसार अतिरिक्त वितरण प्रणाली का कार्य किया गया है :-

क्र.	विवरण	यूनिट	मार्च-2011 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष 2011-12 में सम्मिलित	मार्च-2012 की स्थिति में
1	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	नं.	909	5	914
2	पावर ट्रांसफार्मर	नं.	1377	39	1416
3	पॉवर ट्रांसफार्मर क्षमता	एम.व्ही.ए.	5317.50	238.70	5556.20
4	33 के.व्ही. लाइन	कि.मी.	14685.00	244.00	14929.00
5	11 के.व्ही. लाइन	कि.मी.	74269.00	4517.00	81635.00
6	निम्नदाब लाइन	कि.मी.	107243.00	741.00	107984.00
7	वितरण ट्रांसफार्मर	नं.	76708	18314	95022
8	वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता	एम.व्ही.ए.	5179.55	449.06	5628.61

हानियों को कम करने के लिए चयनित नान-आर.ए.डी.आर.पी. योजना के तहत शहरों में कार्य किया जा रहा है । इस कार्य में निम्नदाब लाइन में केबलिंग, बख्तरबंद केबल द्वारा सर्विस लाइन को बदलने का कार्य, मीटरों को कालबेल स्थल पर स्थापित करना, मीटरों को स्थापित करना इत्यादि कार्य शामिल है ।

प्रथम चरण – में इस कार्य के अन्तर्गत 21 शहरों को चयनित किया गया है । जिसमें से सभी 21 शहरों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है । इन शहरों की औसत हानि 47.28 प्रतिषत से (मार्च-2010) से घटकर 19.17 प्रतिषत (मार्च-12) हो गयी है । **द्वितीय चरण** में 27 शहरों को चयनित किया गया, जिसमें सभी 27 शहरों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और औसत हानि स्तर 53.26 प्रतिषत से घटकर 29.69 प्रतिषत हुआ । **तृतीय चरण** में 35 शहरों में हाल ही में ए.डी.बी. ऋण बचत के साथ कार्य शुरू किया गया जो कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

स. फीडर विभक्तिकरण योजना

फीडर विभक्तिकरण योजना के अन्तर्गत 1645 नं. 11 के.व्ही. फीडरों को विभक्त किये जाने का प्रस्ताव एवं उम्मीद है कि इस पूरी योजना के पूर्ण होने के उपरान्त 2833 लाख यूनिट की बचत होगी ।

12.1.1.3 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिवेदन

माननीय आयोग के दिषा निर्देशों के अनुरूप कंपनी ईमानदारी से हानियों में कमी लाने हेतु प्रयास कर रही है, और इन हानियों को म.प्र.शासन /आयोग द्वारा अधिसूचित प्रक्षेपवक के नार्मेटिक स्तर तक लाये जाने का प्रयास किया जा रहा है । इस क्षेत्र में कंपनी द्वारा ईमानदारी से प्रयास करने का परिणाम है कि विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष समान समयावधि में अच्छा कार्य हुआ है । एक ही समय के लिए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्राप्त की गई हानि स्तर पर उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:-

माह	टी.एण्ड.डी. हानियां	माह	टी.एण्ड.डी. हानियां	अन्तर
अप्रैल -11	29.01%	अप्रैल -12	24.76%	-4.25%
मई- 11	40.36%	मई- 12	35.26%	-5.10%
जून -11	37.47%	जून -12	32.57%	-4.90%
जुलाई- 11	23.66%	जुलाई- 12	26.48%	2.82%
अगस्त-11	13.97%	अगस्त-12	12.50%	-1.47%
सितम्बर-11	14.75%	सितम्बर-12	17.29%	2.54%
अक्टूबर-11	25.14%	अक्टूबर-12	23.45%	-1.69%
नवम्बर-11	25.76%	नवम्बर-12	28.12%	2.36%
औसत	27.05%		25.86%	-1.19%

कंपनी ने अपने सतर्कता विभाग को भी मजबूत किया है । और ऊर्जा की चोरी पर अंकुष लगाने के लिए सघन जॉच अभियान चलाया है । मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में सतर्कता दल में 05 नं. अधीक्षण अभियंताओं, और पर्याप्त कार्यपालन अभियंताओं, सहायक अभियंताओं एवं कनिष्ठ यंत्रियों जो कि नियमित रूप से विद्युत का दुरुपयोग रोकने हेतु औचक जॉच/छापे की कार्यवाही करते हैं । वित्तीय वर्ष 2012-13 में माह अप्रैल-2012 से नवम्बर-2012 तक की गई छापे की कार्यवाही, कनेक्शनों की जॉच, बिल की गई राशि, वसूली की गई राशि का विवरण नीचे दर्शाया गया है :-

जॉच किये गये कनेक्शनों की संख्या	माह के दौरान अनियमितताएं/ चोरी के प्रकरणों की संख्या			कुल बिल की गई राशि (रु. लाख में)			कुल वसूल की गई राशि (रु. लाख में)			माह के दौरान विषेय न्यायालय में लगाये गये प्रकरणों की संख्या
	विद्युत चोरी	अनियमितता	योग	विद्युत चोरी	अनियमितता	योग	विद्युत चोरी	अनियमितता	योग	
146175	23113	21967	45080	4262.16	5486.49	9748.65	3019.88	2987.39	6007.27	11137

अभियान के खिलाफ हासिल की गई प्रगति से साफ तौर पर पता चलता है कि वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत चोरी के खिलाफ यह एक बहुत प्रभावी अभियान शुरू किया है ।

वितरण कंपनियों द्वारा दो चरणों में फीडर विभक्तिकरण योजना का शुभारम्भ किया है । प्रथम चरण में इन्दौर, धार, खण्डवा, खरगौन, बडवानी, बुरहानपुर एवं रतलाम जिलों को शामिल किया गया है । जबकि योजना के दूसरे चरण में उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, अलीराजपुर, झाबुआ एवं शाजापुर जिलों को शामिल किया गया है । इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण घरों से कृषि भार को अलग रखना है । योजना के लिए वित्त का अनुबंध क्रमशः प्रथम और द्वितीय चरणों के लिए आर.ई.सी. एवं ए.डी.बी. से किया गया है । दोनों चरणों हेतु कार्यादेश एवं अनुबंध, संस्था से निष्पादित कर दिया गया है एवं कार्य प्रगति पर है । परियोजना के अंतर्गत दोनों चरणों की प्रगति बाद में इसी याचिका में दी गई है । फीडर विभक्तिकरण योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए कम्पनी स्तर पर निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, फीडर विभक्तिकरण योजना के उचित क्रियान्वयन, कार्य एवं सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु तृतीय पक्ष को दोनों चरणों हेतु पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है ।

वितरण कंपनी द्वारा अधोसंरचना सुदृढीकरण हेतु अन्य कई योजनाएं जैसे म.प्र. शासन/टी.एस.पी., एस.सी.एस.पी. फीडर विभक्तिकरण, नवीन सिंचाई पम्प कनेक्शन, ए.डी.बी. द्वितीय (टी.आर-4 एवं 5), आर.जी.जी.व्ही.वाय., (10 एवं 11 वॉ चरण) जे.व्ही.आई.सी. प्रथम एवं द्वितीय का शुभारम्भ किया है । पूंजीगत व्यय की योजना के तहत पूंजी निवेश की योजना की विस्तृत जानकारी पहले से ही माननीय आयोग द्वारा स्वीकृत की गई है । उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि वितरण कंपनी सभी संभव प्रयासों से उच्च लाइन हानियों की समस्या के निवारण के लिए प्रयासरत है और उपरोक्त योजनाओं के तहत उन्हें निर्धारित स्तर तक लाने के प्रयास किये जा रहे हैं । यह उम्मीद है कि उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात हानियों को निर्धारित स्तर पर लाया जाएगा ।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

पारेषण एवं वितरण हानि में कमी लाने के लिए पूर्व से ही प्रयास तेज कर दिये गये हैं । शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नदाब सिरोंपर लाइनों में शीघ्रता से केबिल बिछाने का कार्य जारी है । अमीटरीकृत घरेलू कनेक्शनों में मीटर लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिससे वास्तविक खपत को दर्ज किया जा सके ।

क्षेत्र	दिसम्बर-12	जनवरी-13	फरवरी-13	मार्च-13	योग
भोपाल	520	2000	2000	1000	5520
ग्वालियर	1480	2000	2000	1000	6480
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.	2000	4000	4000	2000	12000

अधिक खपत वाले निम्नदाब उपभोक्ताओं पर भी आटोमैटिक मीटर रीडिंग (ए.एम.आर.) प्रणाली लागू की गई है । क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को पारेषण एवं वितरण हानि में कमी एवं प्रशासनिक कार्यों की कमी की ओर विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और पारेषण एवं वितरण हानि में कमी को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है ।

अवधि	इनपुट (लाख यूनिट)	विक्रय (लाख यूनिट)	% T&D Loss
अप्रैल-अक्टूबर-11	75557.30	51220.77	32.21
अप्रैल-अक्टूबर-12	84485.32	57888.99	31.48

अमीटरीकृत संयोजनों का मीटरीकरण**आयोग के दिशा निर्देश**

यह देखा गया है कि अमीटरीकृत कनेक्शनों को मीटरीकृत किये जाने के परिणाम संतोषजनक नहीं है। आयोग इस मुद्दे पर वितरण कंपनियों का रवैया पूरी तरह से अस्थिर पाता है । वितरण कंपनियों द्वारा समय चाहने और पुनः मीटरीकरण की स्थिति में सुधार करने के लिए आश्वासन दिया है, लेकिन उपलब्धियां अब तक असंतोषजनक हैं । विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अमीटरीकृत घरेलू कनेक्शनों की मीटरीकरण की स्थिति बहुत ही खराब है और ऐसा हो रहा है । पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रदर्शन इस संबंध में सबसे खराब है । वितरण कंपनियों द्वारा कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों, 33 के.व्ही. एवं 11 के.व्ही. फीडरों के मीटरीकरण जिससे उचित ऊर्जा की आडिटिंग हेतु मीटरीकरण के कार्य में सुधार ध्यान नहीं दे रही है । विशेष रूप से ग्रामीण अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं हेतु मीटरीकरण के लिए दिये गये प्रस्तावित लक्ष्य अस्वीकार है । आयोग, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत इस तर्क को मानने में असमर्थ पाता है कि मीटरीकरण हेतु निधि की कमी के कारण मीटरों की स्थापना का कार्य प्रभावित हो रहा है,

जबकि अनुज्ञापिधारियों के पास बिना प्राथमिकता के एक बड़ी पूंजी पूर्व से है । इन कंपनियों के प्रबंधन को पता होना चाहिए कि वे नियम विरुद्ध और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 55 का उल्लंघन कर रहे हैं । सर्वश्रेष्ठ क्षमता के आधार पर उन्हें प्रदर्शन करना चाहिए कि उनकी इच्छा शक्ति एवं सोच आयोग के प्रावधानों के अंतर्गत दिये गये दायित्वों का निर्वाहन करेंगे ।

आयोग इस विषय को वितरण कंपनियों के साथ अलग से लेगा और यदि यह पाया जाता है कि सुधार निश्चित स्तर तक नहीं हुआ है, तो कड़ी कार्यवाही की जा सकती है । वितरण कंपनियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ठोस माहवार योजना/लक्ष्य अमीटरीकृत घरेलू कनेक्शनों, कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों, 33 एवं 11 के.व्ही. फीडरों को मीटरीकृत किये जाने हेतु इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें, जिससे 100 प्रतिशत मीटरीकरण मार्च-2013 तक सुनिश्चित किया जा सके ।

12.1.2.2 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

इस विषय में दिनांक 13.06.2012 को माननीय आयोग द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया । विषय की वास्तविक जानकारी पत्र क्रमांक 5032 दिनांक 12.06.2012 द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई ।

12.1.2.3 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिवेदन

कंपनी द्वारा मीटरीकरण हेतु एक विस्तृत योजना पूंजीगत योजना के तहत बनायी है । मीटरीकरण योजना माननीय नियामक आयोग को पत्र क्रमांक सीएमडी/डब्ल्यू.जेड/05/16509 दिनांक 25.05.2012 के द्वारा प्रस्तुत की गई । कंपनी मीटरीकरण योजना में दर्शाई गई उपयोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कटिबद्ध है एवं योजनाओं के कार्य प्रगति पर है । इसलिए मीटरीकरण योजना से यह स्पष्ट है कि कंपनी निश्चित रूप से माननीय आयोग द्वारा दिये गये मीटरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे । वित्तीय वर्ष 13 के अंतिम दो तिमाही के लिए घरेलू मीटरीकरण की प्रगति नीचे दर्शायी गयी है ।

तिमाही जून-2012 के अंत में															
क.	वृत्त का नाम	कुल घरेलू कनेक्शनों की संख्या (दि. 30.06.2012 की स्थिति में)		कुल अमीटरीकृत कनेक्शनों की संख्या (दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में)		तिमाही के अंत तक बिना मीटर के नवीन कनेक्शन		कुल अमीटरीकृत कनेक्शनों की संख्या (दिये गये नवीन अमीटरीकृत कनेक्शनों सहित)		अमीटरीकृत कनेक्शनों में लगाये गये मीटरों की कुल संख्या		शेष अमीटरीकृत कनेक्शन तिमाही के अंत में (30.06.2012)		अमीटरीकृत का प्रतिशत	
		नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण
1	शहर-इन्दौर	351745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	सं-सं इन्दौर	116741	112911	0	1688	0	0	0	1688	0	116	0	1572	0	1.39
3	सं-सं खण्डवा	47824	104541	0	28119	0	1465	0	29584	0	3513	0	26071	0	24.94
4	सं-सं बुरहानपुर	45504	45221	0	4563	0	142	0	4705	0	182	0	4523	0	10
5	सं-सं खरगौन	52843	144987	0	17819	0	1169	0	18988	0	1214	0	17774	0	12.26
6	सं-सं बडवानी	34477	89254	0	17511	0	0	0	17511	0	2844	0	14667	0	16.43
7	सं-सं धार	36999	192068	0	19927	0	0	0	19927	0	163	0	19764	0	10.29
8	सं-सं झाबुआ	24930	146165	0	80994	0	2651	0	83645	0	0	0	83645	0	57.23
इन्दौर क्षेत्र कुल		711063	835147	0	170621	0	5427	0	176048	0	8032	0	168016	0	20.12
1	सं-सं उज्जैन	125232	130940	0	2603	0	1797	0	4400	0	1780	0	2620	0	2
2	सं-सं देवास	60854	121286	0	51602	0	816	0	52418	0	3336	0	49082	0	40.47
3	सं-सं शाजापुर	40597	99065	0	26221	0	473	0	26694	0	8077	0	18617	0	18.79
4	सं-सं रतलाम	77125	120244	0	34471	0	2599	0	37070	0	2739	0	34331	0	28.55
5	सं-सं मंदसौर	53595	133384	0	24635	0	674	0	25309	0	123	0	25186	0	18.88
6	सं-सं नीमच	38796	65518	0	6837	0	883	0	7720	0	47	0	7673	0	11.71
उज्जैन क्षेत्र कुल		396199	670437	0	146369	0	7242	0	153611	0	16102	0	137509	0	20.51
पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं. कुल		1107262	1505584	0	316990	0	12669	0	329659	0	24134	0	305525	0	20.29

तिमाही सितम्बर-2012 के अंत में															
क.	वृत्त का नाम	कुल घरेलू कनेक्शनों की संख्या (दि. 30.09. 2012 की स्थिति में)		कुल अमीटरीकृत कनेक्शनों की संख्या (दिनांक 30.06.2012 की स्थिति में)		तिमाही के अंत तक बिना मीटर के नवीन कनेक्शन		कुल अमीटरीकृत कनेक्शनों की संख्या (दिये गये नवीन अमीटरीकृत कनेक्शनों सहित)		अमीटरीकृत कनेक्शनों में लगाये गये मीटरों की कुल संख्या		शेष अमीटरीकृत कनेक्शन तिमाही के अंत में (30.09.2012)		अमीटरीकृत का प्रतिशत	
		नगरीय	ग्रामीण	नगरी य	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण
1	शहर- इन्दौर	356405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	सं-सं इन्दौर	119489	114797	0	1572	0	169	0	1741	0	37	0	1704	0	1.48
3	सं-सं खण्डवा	48271	105554	0	26071	0	546	0	26617	0	2173	0	24444	0	23.16
4	सं-सं बुरहानपुर	45971	45795	0	4523	0	240	0	4763	0	46	0	4717	0	10.3
5	सं-सं खरगौन	55802	143606	0	17774	0	870	0	18644	0	1003	0	17641	0	12.28
6	सं-सं बडवानी	35116	91198	0	14667	0	0	0	14667	0	3585	0	11082	0	12.15
7	सं-सं धार	37382	194846	0	19764	0	0	0	19764	0	106	0	19658	0	10.09
8	सं-सं झाबुआ	25263	151553	0	83645	0	1142	0	84787	0	0	0	84787	0	55.95
इन्दौर क्षेत्र कुल		723699	847349	0	168016	0	2967	0	170983	0	6950	0	164033	0	19.36
1	सं-सं उज्जैन	126912	132004	0	2620	0	0	0	2620	0	23	0	2597	0	1.97
2	सं-सं देवास	61264	121589	0	49082	0	12	0	49094	0	891	0	48203	0	39.64
3	सं-सं शाजापुर	41252	100776	0	18617	0	568	0	19185	0	517	0	18668	0	18.52
4	सं-सं रतलाम	77807	122693	0	34331	0	1731	0	36062	0	4575	0	31487	0	25.66
5	सं-सं मंदसौर	53271	135523	0	25186	0	1364	0	26550	0	1060	0	25490	0	18.81
6	सं-सं नीमच	39320	66154	0	7673	0	856	0	8529	0	3299	0	5230	0	7.91
उज्जैन क्षेत्र कुल		399826	678739	0	137509	0	4531	0	142040	0	10365	0	131675	0	19.4
पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं. कुल		1123525	1526088	0	305525	0	7498	0	313023	0	17315	0	295708	0	19.38

फीडर मीटररीकरण की प्रगति दिनांक 30.09.2012 की स्थिति में नीचे दर्शायी गयी है :-

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर																	
33 के.व्ही. फीडरों एवं 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों के मीटरीकरण का विवरण															30.09.12		
33 के.व्ही. फीडरों के मीटरीकरण का विवरण																	
सरल क.	वृत्त का नाम	33 के.व्ही. फीडरों की कुल संख्या (अति उच्चदाब उपकेन्द्र से)	33 के.व्ही. आयत/नि र्यात बिन्दु उपकेन्द्र एवं अन्य स्थानों से	योग	ऊर्जा आंकलन हेतु स्थापित मीटर (बिन्दु क. के विरुद्ध)			ऊर्जा आंकलन हेतु मीटर स्थापित नहीं है । (बिन्दु क. के विरुद्ध).		योग	एम.ई./मीटर खराब या अन्य कारणों से खपत दर्ज नहीं होने स्थान (बिन्दु क. के विरुद्ध)		योग	कुल फीडरों के विरुद्ध मीटरीकरण का प्रतिशत	कुल मीटरीकृत फीडरों के विरुद्ध खराब मीटर / एम.ई. का प्रतिशत	खराब एम.ई./मीटरों की संख्या	
					नं. 3	नं. 4	योग	नं.3	नं.4		नं.6	नं.7				एम.ई.	मीटर
1	2	3	4	5=3+ 4	6	7	8=6 +7	9	10	11=9+10	12	13	14=12+13	15	16	19	20
1	शहर- इन्दौर	52	214	266	52	173	225	0	41	41	0	70	70	84.59	31.11	29	18
2	सं-सं इन्दौर	83	139	222	83	134	217	0	5	5	0	56	56	97.75	25.81	51	17
3	खण्डवा	26	92	118	26	87	113	0	3	3	0	14	14	95.76	12.39	15	17
4	बुरहानपुर	15	45	60	15	21	36	0	24	24	0	24	24	60	66.67	18	16
5	खरगौन	44	128	172	44	99	143	0	29	29	0	46	46	83.14	32.17	23	23
6	बडवानी	20	6	26	20	6	26	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
7	धार	51	157	208	51	114	165	0	43	43	0	47	47	79.33	28.48	45	25
8	झाबुआ	22	25	47	22	19	41	0	7	7	0	17	17	87.23	41.46	7	4
इन्दौर क्षेत्र कुल		313	806	1119	313	653	966	0	152	152	0	274	274	86.33	28.36	188	120
1	उज्जैन	75	270	345	75	183	258	0	87	87	0	61	61	74.78	23.64	61	37
2	देवास	58	114	172	58	91	149	0	23	23	0	36	36	86.63	24.16	32	21
3	गजापुर	56	136	192	56	102	158	0	34	34	0	30	30	82.29	18.99	30	19
4	रतलाम	44	110	154	44	93	137	0	17	17	0	9	9	88.96	6.57	9	3
5	मंदसौर	32	123	155	32	80	112	0	43	43	0	37	37	72.26	33.04	37	37
6	नीमच	21	67	88	21	51	72	0	16	16	0	22	22	81.82	30.56	22	22
कुल उज्जैन क्षेत्र		286	820	1106	286	600	886	0	220	220	0	195	195	80.11	22.01	191	139
पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं. कुल		599	1626	2225	599	1253	1852	0	372	372	0	469	469	83.24	25.32	379	259

11 के.व्ही. फीडरों के मीटरीकरण का विवरण																		
स र ल क	वृत्त का नाम	कुल 11 के.व्ही. फीडरों की संख्या (से)		11 के.व्ही. आयत/ निर्यात बिन्दु स्थानों से	योग	ऊर्जा आंकलन हेतु स्थापित मीटर (बिन्दु क. के विरुद्ध)			ऊर्जा आंकलन हेतु मीटर स्थापित नहीं है । (बिन्दु क. के विरुद्ध).		योग	एम.ई/मीटर खराब या अन्य कारणों से खपत दर्ज नहीं होने स्थान (बिन्दु क. के विरुद्ध)		योग	कुल फीडरों के विरुद्ध मीटरीकर ण का प्रतिशत	कुल मीटरीकृत फीडरों के विरुद्ध खराब मीटर / एम.ई. का प्रतिशत	खराब एम. ई/मीटरों की संख्या	
		उच्चदाब उपकेन्द्र	33/ 11 उपके न्द्र			नं.3+4	नं.5	योग	नं.3+4	नं.5		नं.8	नं. 8				एम.ई.	मी टर
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13	14	15=13+14	16	17	20	21
1	शहर— इन्दौर	0	296	8	304	292	8	300	4	0	4	17	0	17	98.68	5.67	17	6
2	सं—सं इन्दौर	10	417	43	470	373	40	413	54	3	57	117	34	151	87.87	36.56	118	22
3	खण्डवा	4	221	25	250	127	19	146	98	6	104	107	11	118	58.4	80.82	118	107
4	बुरहानपुर	3	115	20	138	73	20	93	45	0	45	36	1	37	67.39	39.78	36	42
5	खरगौन	0	331	5	336	202	4	206	129	1	130	120	4	124	61.31	60.19	58	62
6	बडवानी	0	156	7	163	114	5	119	42	2	44	79	2	81	73.01	68.07	29	52
7	धार	12	398	16	426	308	1	309	102	15	117	168	1	169	72.54	54.69	150	96
8	झाबुआ	0	118	0	118	98	0	98	20	0	20	46	0	46	83.05	46.94	38	17
इन्दौर क्षेत्र कुल		29	2052	124	2205	1587	97	1684	494	27	521	690	53	743	76.37	44.12	564	404
1	उज्जैन	13	520	47	580	401	47	448	132	0	132	66	0	66	77.24	14.73	66	22
2	देवास	6	325	12	343	130	6	136	201	6	207	65	1	66	39.65	48.53	0	24
3	गजापुर	3	304	9	316	248	9	257	59	0	59	133	3	136	81.33	52.92	140	150
4	रतलाम	2	299	66	367	243	18	261	58	48	106	130	0	130	71.12	49.81	88	92
5	मंदसौर	13	280	12	305	200	12	212	93	0	93	126	9	135	69.51	63.68	135	135
6	नीमच	4	165	10	179	112	4	116	57	6	63	28	0	28	64.8	24.14	28	28
कुल उज्जैन क्षेत्र		41	1893	156	2090	1334	96	1430	600	60	660	548	13	561	68.42	39.23	457	451
पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं. कुल		70	3945	280	4295	2921	193	3114	1094	87	1181	1238	66	1304	72.5	41.88	1021	855

12.1.2.4 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

अमीटरीकृत घरेलू कनेक्शनों एवं 33 के.वी. और 11 के.वी. फीडरों को मीटरीकरण किये जाने की तिमाहीवार योजना माननीय नियामक आयोग को प्रस्तुत की जा चुकी है, जो कि वर्तमान में भी प्रचलन में है । अमीटरीकृत घरेलू कनेक्शनों के मीटरीकरण के कार्य को कई चालू योजनाओं में सम्मिलित किया गया है एवं फीडरों के मीटरीकरण कार्य हेतु अनुबंध किया गया है । जिससे 100 प्रतिशत मीटरीकरण का कार्य पूर्ण किया जा सके ।

वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में मीटरीकरण हेतु मासिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है ।

2013-14													
क्षेत्र	अप्रैल-12	मई-12	जून-12	जुलाई-12	अगस्त-12	सितम्बर-12	अक्टूबर-12	नवम्बर-12	दिसम्बर-12	जनवरी-13	फरवरी-13	मार्च-13	योग
भोपाल	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	15600
ग्वालियर	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	20400
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000

2014-15													
क्षेत्र	अप्रैल-13	मई-13	जून-13	जुलाई-13	अगस्त-13	सितम्बर-13	अक्टूबर-13	नवम्बर-13	दिसम्बर-13	जनवरी-14	फरवरी-14	मार्च-14	योग
भोपाल	300	300	300	300	300	300	300	300	200	200	200	125	3125
ग्वालियर	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	475	4875
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.	700	700	700	700	700	700	700	700	600	600	600	600	8000

12.1.3 तकनीकी हानियों को कम किये जाने हेतु पूंजीगत व्यय योजना

12.1.3.1 आयोग के दिशा निर्देश :-

वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के रूपों की आयोग द्वारा समीक्षा की गई और वितरण कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गये हैं कि इन योजनाओं में अमीटरीकृत कनेक्शनों के साथ-साथ कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों का मीटरीकरण 100 प्रतिशत मीटरीकरण करने के प्रावधान शामिल किये जा रहे हैं। मामला आयोग की आगे की समीक्षा के अधीन है।

12.1.3.2 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

माननीय नियामक आयोग ने सू.मो. याचिका क्रमांक 58/2011 द्वारा समेकित पूंजी व्यय की योजना पूर्व से अनुमोदित की है।

12.1.3.3 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिवेदन

निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की समेकित पूंजीकृत व्यय की योजना माननीय आयोग को विनियमन के अनुसार प्रेषित की गई थी, जिसके आधार पर माननीय नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक के लिए सु.मो याचिका क्रमांक 75/2011 में आदेश दिनांक 02.07.2012 द्वारा स्वीकृत किया है।

12.1.3.4 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

माननीय नियामक आयोग ने सू.मो. याचिका क्रमांक 68/2011 में दिनांक 07.11.2012 द्वारा समेकित पूंजी व्यय की योजना पूर्व से अनुमोदित की है।

12.1.4. ऐसे मीटरों की संस्थापना करना जिनमें उपभोक्ताओं को घरेलू श्रेणी में औसत मासिक मांग लेख्यांकित करने की सुविधा हो।

12.1.4.1 आयोग के दिशा निर्देश

एक वितरण कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं हेतु संविदा मांग आधारित दर प्रस्तावित की है। हालांकि बताई गई स्थिति से देखा जा सकता है कि इस तरह की दर प्रस्तावित की जाये, जब तक कि ऐसे सभी उपभोक्ताओं के यहां उचित मीटरों की स्थापना कर दी जाये। वितरण कंपनियों को निर्देशित किया जाता है कि यह कार्य वित्तीय वर्ष 2012-13 में पूर्ण करें।

12.1.4.2 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

कंपनी ऐसे मीटरों की स्थापना/व्यवस्था कर रही है जिनमें अधिकतम मासिक मांग लेख्यांकित करने की सुविधा है। कंपनी के पास वर्तमान में इस तरह की कोई योजना नहीं है, जिसमें ऐसे मीटरों की स्थापना/व्यवस्था की जावे जिनमें औसत मासिक मांग लेख्यांकित करने की सुविधा हो। हालांकि संभावना है कि अतिरिक्त सुविधा वाले मीटर खरीदी के प्रयास किये जावेंगे।

12.1.4.3 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिवेदन

म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर द्वारा दिये गये निर्देशों को पूर्ण करने हेतु उत्सुक है। प्रक्रिया के तहत इन्दौर शहर में 10 किलो वॉट सम्बद्ध भार वाले उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि सिंगल फेज या थ्री फेज मीटर माननीय नियामक आयोग के दिये गये निर्देशानुसार ही खरीदी जावेंगे। (ऐसे मीटर जिनमें मासिक औसत मांग लेख्यांकित करने की सुविधा हो)

12.1.4.4 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

सभी घरेलू कनेक्शनों में मांग आधारित मीटर लगा दिये गये हैं, जिनमें अधिकतम मांग लेख्यांकित करने की क्षमता है।

12.1.5 ग्रामीण संभरकों का कृषि तथा अन्य श्रेणियों में पृथक्कीकरण किया जाना

12.1.5.1 आयोग के दिशा निर्देश

वितरण कंपनियों ने संकेत दिया है कि वे फीडर विभक्तिकरण योजना को जनवरी-2013 तक पूर्ण करने के लक्ष्य के क्रियान्वयन के लिए एक बड़े मार्ग पर जा रहे हैं। आयोग का निर्देश है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रवृत्ति नियमित रूप से दें। आयोग का निर्देश है कि इन योजनाओं में पूर्ण किये गये कार्यों की प्रगति को पूंजीगत व्यय योजना में सम्मिलित कर प्रस्तुत करें।

12.1.5.2 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

फीडर विभक्तिकरण योजना में 1645 नं. 11 के.व्ही. फीडरों को विभक्त करने का प्रावधान है। माह अगस्त-2012 की स्थिति में प्रगति नीचे दर्शायी गयी है :-

क्र.	वित्तीय वर्ष 2012 में फीडर विभक्तिकरण योजना हेतु लक्ष्य (फीडरों की संख्या)	मार्च-2012 की स्थिति में प्रगति (फीडरों की संख्या)	प्रस्तावित दिये जाने वाले नवीन कनेक्शनों की संख्या (माह अगस्त-12 की स्थिति में)	वित्तीय वर्ष 2013 में प्रस्तावित दिये जाने वाले नवीन कनेक्शनों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2013 हेतु फीडर विभक्तिकरण का लक्ष्य (फीडरों की संख्या)	अगस्त-2012 की स्थिति में उपलब्धि (फीडरों की संख्या)
1	303	127	12643 nos.	45157 nos.	1518	425

वितरण कंपनियों द्वारा दो चरणों में फीडर विभक्तिकरण योजना का शुभारम्भ किया है। प्रथम चरण में इन्दौर, धार, खण्डवा, खरगौन, बडवानी, बुरहानपुर एवं रतलाम जिलों को शामिल किया गया है। जबकि योजना के दूसरे चरण में उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, अलीराजपुर, झाबुआ एवं शाजापुर जिलों को शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण घरों से कृषि भार को अलग रखना है। योजना के लिए वित्त का अनुबंध क्रमशः प्रथम और द्वितीय चरणों के लिए आर.ई.सी. एवं ए.डी.बी. से किया गया है। दोनों चरणों हेतु कार्यादेश एवं अनुबंध, संस्था से निष्पादित कर दिया गया है एवं कार्य प्रगति पर है। परियोजना के अंतर्गत दोनों चरणों की प्रगति बाद में इसी याचिका में दी गई है। फीडर विभक्तिकरण योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए कम्पनी स्तर पर निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, फीडर विभक्तिकरण योजना के उचित क्रियान्वयन, कार्य एवं सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु तृतीय पक्ष को दोनों चरणों हेतु पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है। विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत दोनों चरणों में प्रावधान के लिए प्रगति नवम्बर-2012 तक की स्थिति में नीचे दर्शाई गई है:-

फीडर विभक्तिकरण प्रगति (एफ.एस.पी., आर.जी.जी.व्ही.वाय.एवं ए.डी.बी.) – इन्दौर क्षेत्र

स.क्र.	जिला	मुख्य योजना के अनुसार विभिन्न योजनाओं में प्रावधान								क्रमिक प्रगति (नवम्बर-12 तक)							
		आर.जी.जी.व्ही.वाय.		ए.डी.बी.		एफ.एस.		योग		आर.जी.जी.व्ही.वाय.		ए.डी.बी.		एफ.एस.		योग	
1	इन्दौर	2	17	70	79	212	529	284	625	2	17	25	49	135	358	162	424
2	धार	0	0	63	281	181	1056	244	1337	0	0	63	281	164	449	227	730
3	बुरहानपुर	0	0	0		66	258	66	258	0	0	0	0	58	178	58	178
4	खण्डवा	0	0	0	0	135	705	135	705	0	0	0	0	63	170	63	170
5	खरगौन	0	0	0	0	266	1156	266	1156	0	0			117	292	117	292
6	बडवानी	0	0	0	0	144	662	144	662					62	152	62	152
7	झाबुआ	0	0	0		52	752	52	752	0	0	0	0	18	120	18	120
8	अलीराजपुर	0	0	0		28	529	28	529	0	0	0	0	17	96	17	96
योग इन्दौर क्षेत्र		2	17	133	360	1084	5658	1219	6024	2	17	88	330	634	1815	724	2162

फीडर विभक्तिकरण प्रगति (एफ.एस.पी., आर.जी.जी.व्ही.वाय.एवं ए.डी.बी.) – उज्जैन क्षेत्र

स.क्र.	जिला	मुख्य योजना के अनुसार विभिन्न योजनाओं में प्रावधान								क्रमिक प्रगति (नवम्बर-12 तक)							
		आर.जी.जी.व्ही.वाय./विभागीय		ए.डी.बी.		एफ.एस.		योग		आर.जी.जी.व्ही.वाय.		ए.डी.बी.		एफ.एस.		योग	
9	उज्जैन	119	544	0	0	216	552	335	1096	119	420	0	0	93	239	212	659
10	रतलाम	4	8	0	0	198	1045	202	1053	4	4	0	0	139	390	143	394
11	देवास	0	0	38	312	183	743	221	1055	0	0	38	132	77	221	115	353
12	शाजापुर	0	0	0	0	273	1106	273	1106	0	0	0	0	98	438	98	438
13	मंदसौर	0	0	0	0	234	906	234	906	0	0	0	0	89	354	89	354
14	नीमच	0	0	0	0	158	674	158	674	0	0	0	0	50	186	50	186
योग इन्दौर क्षेत्र		123	552	38	312	1262	5026	1423	5890	123	424	38	132	546	1828	707	2384
कुलयोग पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.		125	569	171	652	2346	10837	2642	11914	125	441	126	462	1180	3643	1431	4546

12.1.5.4. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में फीडर विभक्तिकरण योजना के कार्यों की प्रगति भिन्नानुसार है-

क्रमांक	जिला	मुख्य योजना के अनुसार विभिन्न योजनाओं में प्रावधान								कमिक प्रगति अबतक-2012 तक								प्रगति माह नवम्बर-2012 तक								कमिक प्रगति माह नवम्बर-2012 तक							
		आर.जी.जी.वी.वाय		ए.जी.बी.		एक.एच.		योग		आर.जी.जी.वी.वाय		ए.जी.बी.		एक.एच.		योग		आर.जी.जी.वी.वाय		ए.जी.बी.		एक.एच.		योग		RGGVY		ADB		FS		TOTAL	
		कुल	पाइ	कुल	पाइ	कुल	पाइ	कुल	पाइ	कुल	पाइ	कुल	पाइ	कुल	पाइ	कुल	पाइ	कुल	पाइ	कुल	पाइ	कुल	पाइ	कुल	पाइ	कुल	पाइ	कुल	पाइ	कुल	पाइ		
1	भोपाल	4	0	22	141	43	357	69	498	0	0	13	81	34	219	47	300	0	0	1	13	2	7	3	20	0	0	14	94	36	226	50	320
2	रायसेन	29	0	22	194	76	1231	127	1425	0	0	15	113	47	278	62	391	0	0	7	19	4	32	11	51	0	0	22	132	51	310	73	442
3	हरदा	46	0	6	117	7	396	59	513	43	205	0	0	3	5	46	210	2	0	0	0	1	11	3	11	45	205	0	0	4	16	49	221
4	होशंगाबाद	15	0	54	391	43	538	112	929	0	0	27	186	20	127	47	313	0	0	13	38	2	19	15	57	0	0	40	224	22	146	62	370
5	सिहोर	64	0	0	0	91	1019	155	1019	0	0	0	0	63	298	63	298	0	0	0	0	8	38	8	38	0	0	0	0	71	336	71	336
6	सिंदिसा	7	0	0	0	86	1533	93	1533	0	0	0	0	53	467	53	467	0	0	0	0	8	80	8	80	0	0	0	0	61	547	61	547
7	कैतुल	101	0	0	0	29	1343	130	1343	61	319	0	0	19	247	80	566	4	0	0	0	0	74	4	74	65	319	0	0	19	321	84	640
8	राजगढ़	52	0	0	0	134	1677	186	1677	0	0	0	0	45	372	45	372	0	0	0	0	10	99	10	99	0	0	0	0	55	471	55	471
योग भोपाल क्षेत्र		318	0	104	843	509	8094	931	8937	104	524	55	380	284	2013	443	2917	6	0	21	70	35	360	62	430	110	524	76	450	319	2373	505	3347
9	सिजपुरी	33	0	0	0	97	1306	130	1306	21	68	0	0	45	336	66	404	4	0	0	0	9	67	13	67	25	68	0	0	54	403	79	471
10	गुना	43	0	0	0	143	1260	186	1260	43	488	0	0	33	113	76	601	0	0	0	0	8	83	8	83	43	488	0	0	41	196	84	684
11	अशोक नगर	16	0	0	0	47	818	63	818	16	284	0	0	37	238	53	522	0	0	0	0	8	83	8	83	16	284	0	0	45	321	61	605
12	ग्यालियर	21	0	0	0	94	612	115	612	0	0	0	0	30	157	30	157	0	0	0	0	5	15	5	15	0	0	0	0	35	172	35	172
13	दरिया	18	0	0	0	54	584	72	584	17	139	0	0	14	67	31	206	0	0	0	0	3	39	3	39	17	139	0	0	17	106	34	245
14	बघोपुर	21	0	0	0	31	527	52	527	17	89	0	0	16	72	33	161	0	0	0	0	3	19	3	19	17	89	0	0	19	91	36	180
15	मिड	17	0	0	0	60	917	77	917	0	0	0	0	19	164	19	164	0	0	0	0	4	38	4	38	0	0	0	0	23	202	23	202
16	भुंढा	35	0	0	0	68	782	103	782	16	64	0	0	18	90	34	154	0	0	0	0	5	40	5	40	16	64	0	0	23	130	39	194
योग ग्यालियर क्षेत्र		204	0	0	0	594	6806	798	6806	10	1132	0	0	212	1237	342	2369	4	0	0	0	45	384	49	38	134	1132	0	0	257	1621	391	2753
योग मध्य क्षेत्र		522	0	104	843	1103	14900	1729	15743	234	1656	55	380	496	3250	785	5286	10	0	21	70	80	744	111	81	244	1656	76	450	576	3994	896	6100

टिप्पणी—आर जी.जी.वी.वाय.योजना के अंतर्गत 244 फीडरों में केवल 11 के.व्ही. लाइन का काम किया गया है ।

12.1.6 न्यूनतम विद्युत प्रदाय अवधि

12.1.6.1 आयोग के दिशा निर्देश

आयोग अनुज्ञापिधारियों को वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु दिये गये निर्देशों के अनुरूप इस वर्ष भी न्यूनतम दैनिक विद्युत प्रदाय घन्टे संधारित किये जाने के निर्देश देता है।

12.1.6.2 मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी का निवेदन

वित्तीय वर्ष 2012-13 में अक्टूबर 12 तक माहवार औसत् विद्युत प्रदाय घन्टों का विवरण निम्नानुसार है:-

माह	ग्रामीण	तहसील मुख्यालय	जिला मुख्यालय	संभागीय मुख्यालय
अप्रैल 2012	14:12	19:09	22:48	23:46
मई 2012	16:47	20:49	24:00	24:00
जून 2012	13:51	19:25	24:00	23:58
जुलाई 2012	14:31	18:01	23:35	23:48
अगस्त 2012	22:44	23:08	23:58	24:00
सितम्बर 2012	23:25	23:40	24:00	24:00
अक्टू. 2012	17:53	22:14	23:57	24:00

12.1.6.1 मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमि का निवेदन

वित्तीय वर्ष 2012-13 में अक्टूबर 12 तक माहवार औसत् विद्युत प्रदाय घन्टों का विवरण निम्नानुसार है:-

विद्युत प्रदाय घन्टे अप्रैल 12 से अक्टू. 12								
क	माह	कमिश्नरी/संभागीय मुख्यालय		जिला मुख्यालय	तहसील मुख्यालय	ग्रामीण		
		इन्दौर	उज्जैन			मिश्रित	घरेलू	कृषि
1	अप्रैल 12	23:53:37	23:46:24	23:53:11	18:53:08	12:28:25		
2	मई 12	23:53:38	23:46:25	23:53:10	18:52:40	12:29:12		
3	जून 12	23:53:39	23:46:26	23:53:10	18:52:09	12:30:03		
4	जुलाई 12	23:53:43	23:46:26	23:53:10	18:51:42	12:30:39		
5	अगस्त 12	23:53:50	23:46:24	23:53:12	18:51:13	12:31:01		
6	सितम्बर 12	23:54:14	23:46:18	23:53:20	18:50:16	12:29:21	18:28:33	7:31:47
7	अक्टू. 12	23:54:10	23:46:19	23:53:19	18:50:28	12:29:35	18:28:33	7:31:47

12.1.6.4 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी का निवेदन

वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 12-13 में नवम्बर 12 तक माहवार औसत् विद्युत प्रदाय घन्टों का विवरण निम्नानुसार है:-

स.क्रमांक	माह	कमिश्नरी मुख्यालय	जिला मुख्यालय	तहसील मुख्यालय	ग्रामीण 3 फेज + 1 फेज		
					मिश्रित	घरेलू	कृषि
1	2011-12	23.07	21.28	17.43	13.44		
2	2012-13 (upto Nov.12)	23.73	23.18	21.52	17.15	19.33	7.58

स.क्रमांक	माह	कमिश्नरी मुख्यालय	जिला मुख्यालय	तहसील मुख्यालय	ग्रामीण 3 फेज + 1 फेज		
					मिश्रित	घरेलू	सिंचाई
1	अप्रैल 11	22.55	21.02	17.44	12.54		
2	मई 11	22.48	20.29	16.38	12.14		
3	जून 11	22.56	20.45	17.34	14.13		
4	जुलाई 11	23.17	21.14	17.43	13.15		
5	अगस्त 11	23.44	22.56	20.10	16.11		
6	सितम्बर 11	24.00	24.00	22.22	22.27		
7	अक्टू 11	23.16	21.27	16.40	11.52		
8	नवम्बर 11	23.00	20.14	14.51	10.30		
9	दिसम्बर 11	23.01	20.17	14.02	10.09		
10	जनवरी 12	23.36	22.03	18.30	14.47		
11	फरवरी 12	23.06	20.26	15.59	11.03		
12	मार्च 12	23.01	22.05	19.37	13.51		
13	अप्रैल 12	23.54	23.53	23.09	16.30		
14	मई 12	24.00	24.00	23.44	19.14		
15	जून 12	24.00	24.00	23.13	13.35		
16	जुलाई 12	24.00	23.23	20.20	15.35		
17	अगस्त 12	24.00	24.00	23.55	23.20		
18	सितम्बर 12	23.47	23.51	23.28	22.58	23.19	7.59
19	अक्टू 12	23.41	21.57	18.08	14.05	17.46	7.58
20	नवम्बर 12	23.40	21.59	17.42	13.25	17.33	7.57
	औसत (अप्रैल 11 से मार्च 12 तक)	23.07	21.28	17.43	13.44		
	औसत (अप्रैल 12 से नवम्बर 12 तक)	23.73	23.18	21.52	17.15	19.33	7.58
	औसत (अप्रैल 11 से नवम्बर 12 तक)	23.33	22.04	19.06	14.92	19.33	7.58

12.1.7

व्यवसायिक प्रतिनिधियों (फ्रेन्चाइजी) की नियुक्तियां

12.1.7.1

आयोग के दिषा निर्देश

व्यवसायिक प्रतिनिधि की नियुक्ति की स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं है । आयोग व्यवसायिक प्रतिनिधियों की स्थिति की समीक्षा जारी रखना चाहते हैं ।

12.1.7.2

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

कंपनी ने मेसर्स एस्सेल विद्युत वितरण प्रा.लि.(सागर,) को सागर शहर में विद्युत वितरण एवं आपूर्ति के लिए वितरण व्यवसायिक प्रतिनिधि नियुक्त किया है । माननीय आयोग को पत्र क्रमांक [ईजेड/वाणिज्य/एफ.डी/3629](#) दिनांक 23.06.2012 के द्वारा इस की सूचना पूर्व में दी जा चुकी है । व्यवसायिक प्रतिनिधि ने दिनांक 01.12.2012 से अपनी गतिविधियां संचालित कर दी हैं ।

12.1.7.3

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उज्जैन शहरी क्षेत्र को शहरी वितरण व्यवसायिक प्रतिनिधि पायलट परियोजना को लागू करने के लिए चुना है ।

प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी) पत्र क्रमांक सीएमडी/एसई/(बीडी)/डिस्ट्रीब्यूशन आफ इले/2011/04/उज्जैन शहर/20780 दिनांक 30.09.2011 द्वारा जारी किया जा चुका है । म.प्र.शासन द्वारा दिनांक 02.12.2012 को मानक बोली दस्तावेज को मंजूरी दी है। अनुमोदन के बाद प्रस्ताव राज्य स्तर के लिए प्रस्तुत किया गया । इनपुट आधारित वितरण फ्रेन्चाइजी के विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति को दस्तावेजों में कुछ संशोधनों के साथ दिनांक 02.01.2012 को इस परियोजना के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया । तत्पश्चात संशोधित डी.एफ.ए. एवं आर.एफ.पी. 03.01.2012 को निविदा लगाने के लिये जारी किये गये थे । दिनांक 16.02.2012 को तकनीकी / वाणिज्यिक निविदा खोली गई ।

[तकनीकी/वाणिज्यिक](#) निविदा दिनांक 16.02.2012 को खोली गई । कुल 10 नं. निविदाकर्ताओं ने इस निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लिया । विस्तृत मूल्यांकन के बाद दिनांक 07.03.2012 को खोला गया है जिसमें मेसर्स स्मार्ट वायरलेस प्रा.लि. (लीड मेम्बर), पैन इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. एवं पैन इंडिया नेटवर्क लिमिटेड, रु. 3.781 प्रति यूनिट लेवेलैज्ड इनपुट दर के साथ सबसे ज्यादा निविदा लगाने वाले के रूप में सामने आया है ।

सफल बोली लगाने के लिए दिनांक 23.03.2012 को अधिकार पत्र (अवार्ड) जारी किया गया था, जिसे उनके द्वारा दिनांक 30.03.2012 को बिना शर्त स्वीकार किया गया । इसके पश्चात दिनांक 10.05.2012 को वितरण व्यवसायिक समझौते (डी.एफ.ए.) पर मेसर्स एस्ल विद्युत वितरण (उज्जैन) प्रा.लि. जो कि सफल बोली दाता के रूप में उभरे थे, के साथ अनुबंध किया गया । वितरण फ्रेन्चाइजी मेसर्स एस्ल विद्युत वितरण (उज्जैन) प्रा.लि. ने दिनांक 29.12.2012 को प्रदर्शन गारंटी और भुगतान सुरक्षा प्रस्तुत की और हालत और कार्य के पूरा होने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया । संयुक्त परि-सम्पत्ति सर्वेक्षण दिनांक 19.09.2012 को पूर्ण किया वितरण फ्रेन्चाइजी के अनुरोध पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार समय-सीमा को दिनांक 18.08.2012 तक बढ़ाया गया है । वितरण फ्रेन्चाइजी द्वारा शर्तों को पूरा नहीं किया है ।

2.1.7.4

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

जैसा कि 49 वीं बोर्ड आफ डायरेक्टर की मीटिंग में लिये गये निर्णय के अनुसार चयनित बोलीदाता मेसर्स स्मार्ट वायरलेस प्रा.लि., मेसर्स एस्ल इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा.लि. और पैन इंडिया नेटवर्क इन्फ्रावेस्ट प्रा.लि. को दिनांक 23.03.2012 को अधिकार पत्र (एल.ओ. ए.) दिया गया ।

ग्वालियर शहरी क्षेत्र के लिए वितरण फ्रेन्चाइजी अनुबंध रु. 250/- मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर दिनांक 10.05.2012 को विधिवत सील और मेसर्स एस्ल विद्युत वितरण (ग्वालियर) कं.प्रा.लि. के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये ।

जैसा कि प्रावधान की कंडिका 27.1 के अनुसार मेसर्स एस्ल विद्युत वितरण (ग्वालियर) कंपनी ने भुगतान सुरक्षा राशि के लिए एक पुष्टि, क्रेडिट की बिना शर्त परिक्रामी और स्थिर पत्र के रूप में लैटर आफ क्रेडिट रु. 77 करोड़ कंपनी के पक्ष में एक्सेस बैंक मुम्बई का प्रस्तुत किया है, और रु. 42 करोड़ की राशि प्रदर्शन गारंटी हेतु स्थिर और बिना शर्त के रूप में एक्सेस बैंक, मुम्बई द्वारा दिनांक 29.05.2012 को कम्पनी के पक्ष में जारी की है ।

उक्त महत्वपूर्ण और प्रभावी वितरण फ्रेन्चाइजी को फ्रेन्चाइजी क्षेत्र को सौंपने के लिए वर्तमान स्थिति समय सीमा के बाद इस प्रकार है :-

S. No.	Provisions of the DFA	Activities	Timeframe	Present Status
1	Article 4.2.1	Completion of Conditions Precedent (Legal compliance)	Within 30 days from issue of Letter of Award	All legal formalities completed
2	Article 4.3.1	Completion of Conditions Precedent (Survey and Reporting)	Within 180 days from issue of Letter of Award (completion of Joint Asset survey may be extended to nine (9) months)	Partially completed
3	Article 1.2 - Definitions	Effective Date- Date of commencement of operations by the Distribution Franchisee	On completion of above mentioned Conditions Precedent	Extension of ninety days has been accorded to the franchisee to fulfil the conditions precedent as per clause 4.3 of DFA, accordingly effective date for handover of the franchisee area of DF is 18.12.2012.
4	Article 1.2 – Definitions & Article 4.4	Completion of Conditions Subsequent (Project) within the Transition Period	Within six (6) months from the Effective Date	To be done
5		Distribution Franchisee operations in the Franchisee Area	After completion of Conditions Subsequent	To be done

उपरोक्त परिदृश्य में आंशिक रूप से पूर्ण की गई शर्तों (सर्वेक्षण और रिपोर्टिंग) की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :-

S. No	Activities proposed as per DFA	Present Status	Due Dates as per DFA	Actual date of submission	Remark
1	Installation of Check meters at all input points as per the provision of CEA (Within 6 months from the date of issue of LOA) (As per Article 6.1.1)	i. Installation of Check Meters to be done by the Distribution Franchisee. ii. 0.2S class Main Meters and metering equipments at all export/import points has been installed by Discom	19.09.12		Till date check meters are not installed by franchisee.
2	Completion of joint inspection and survey and preparation/ validation of data of the Franchisee area	Joint Asset survey of 33 KV feeders, 11 KV feeders and DTR along with 10% LT Network had been completed but franchisee is interested in 100% survey of LT network	10.05.12	18.06.12	No progress on asset survey of LT network since last 1½ months, inspite of full support has been provided by the Discom
3	Facilitation in obtaining the authorization under sec 126 and 151. (As per article 4.3.3)	Authorization under section 135(2), section 151 and 152 has been is sued by GoMP	19.09.12	-	Authorization under section 135(2), section 151 and 152 has been conveyed to the franchisee
4	Finalization of methodology to compute Distribution losses and collection efficiency during the term of agreement.	The methodology to compute Distribution losses will be as per the DFA and the same has been finalized by the Discom and intimated to the franchisee for concurrence	19.09.12		Consent on draft methodology is awaited from franchisee
5	Joint audit and calibration of main meter and interface meter at the input points	The authorized representatives of the licensee, MPPTCL and the Distribution Franchisee shall conduct joint audit and calibration of the main meter and interface meter at the input point(s). In case of such meters found defective or variance with the specification laid down in CEA Regulation 2006, as amended from time to time, it shall be replaced as per the provisions of article 6.1.3 before the effective date by Distribution Licensee.	19.09.12		Meters are to be installed by Franchisee

ऊपर दी हुई स्थितियों एवं निम्नदाब प्रणाली के 100 प्रतिषत संयुक्त सुपरवीजन कार्यों के साथ

फ्रेन्चाइजी क्षेत्र में आयात / निर्यात स्थानों पर चैक मीटर लगाने हेतु इस कार्यालय द्वारा अनेकों पत्र/स्मरण-पत्र जारी किये गये। लेकिन फ्रेन्चाइजी की ओर से कोई जवाब आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। जैसा कि बोर्ड आफ डायरेक्टर की 54 वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मिषाल शर्तो को पूरा करने के लिए समय से पहले ही डी.एफ.ए. प्रति के रूप में बढ़ाया गया था और दिनांक 17.10.2012 को फ्रेन्चाइजी को अवगत करा दिया गया था। चूंकि अंतिम समय-सीमा में केवल दो सप्ताह का समय शेष है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि शर्तो/ निम्नलिखित मुद्दों पर कार्यवाही की जावे :-

- अ. स्वतंत्र लेखा परीक्षक की नियुक्ति की सूचना हमारे पत्र क्रमांक 1009 दिनांक 11.07.2012 के परिप्रेक्ष्य में अभी भी फ्रेन्चाइजी के पास लंबित है।
- ब. वितरण हानियों और संग्रह क्षमता की गणना करने के लिए क्रियाविधि हेतु पत्र क्रमांक एम.डी/सी. जेड/वाणिज्य/2488 दिनांक 06.11.2012 से अवगत कराया गया था, लेकिन प्रतिक्रिया का अभी भी इंतजार है।

डी.एफ.ए. के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त गतिविधियों को समय-सीमा में पूरा किया जाना चाहिए था जैसा कि डीएफए में निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार उल्लेख किया :-

- अ- जैसा कि डी एफ ए के अनुच्छेद 4.2.4 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व पूरा किया जाना चाहिए था। इस विषय में वितरण लाइसेंसधारी के पास विकल्प है, परन्तु डीएफए को समाप्त कर अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं करेगा जैसा कि पहले से ही तालिका एक में ऊपर उल्लेख किया गया है। कानूनी अनुपालन के लिए मिषाल / शर्तो को वितरण फ्रेन्चाइजी द्वारा सन्तुष्ट किया गया है।
- ब- डीएफए के अनुच्छेद 32.1.1 में प्रावधानों के अनुसार कहा गया है:-

किसी घटना की पुनरावृत्ति और उसकी निरन्तरता है, जब तक कि किसी भी ऐसी घटना बल मेजर या समझौते के तहत अपने दायित्वों का वितरण लाइसेंसि द्वारा उल्लंघन की घटना का एक परिणाम के रूप में होता है। डिफाल्ट का वितरण फ्रेन्चाइजी घटनाक्रम का गठन करेगा। इसके अलावा वितरण फ्रेन्चाइजी के प्रकरण में घटना के मामले में जैसा कि उल्लेख किया गया है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास विकल्प नहीं है और एक दायित्व है कि वह इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार इस समझौते को समाप्त कर सकेगा।

उक्त अनुच्छेद 32.1.1 (viii) के अनुसार अवैध डीएफए का परित्याग या अन्यथा एक डीएफए द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता और अनुच्छेद 32.1.1 (iii) समझौते की अवधि के दौरान किसी भी समय पर परियोजना को छोड़ देना "लाइसेंसधारी के पास विकल्प है, लेकिन डीएफए के अनुच्छेद 32.2 के बदले के रूप में समापन की प्रक्रिया शुरू करने का दायित्व नहीं है और भुगतान सुरक्षा एवं प्रदर्शन की जिम्मेदारी और समस्त शेष लंबित राशियों की वसूली सुनिश्चित करना है।

-
- 12.1.8 **वित्तीय वर्ष 2009–2010 हेतु प्रथम देयक के साथ नवीन विद्युत दर (टैरिफ) से संबंधित टैरिफ कार्ड जारी करना**
- 12.1.8.1 **आयोग के दिषा निर्देश**
आयोग के निर्देश है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के टैरिफ आदेश के लिए टैरिफ कार्ड उपलब्ध कराने की प्रथा जारी रखी जाना चाहिए ।
- 12.1.8.2 **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति**
कंपनी द्वारा टैरिफ आदेश वर्ष 2012–13 के विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ कार्ड मुद्रित करने की व्यवस्था की है, और जिसे उपभोक्ताओं को वितरण हेतु क्षेत्रीय इकाइयों को प्रदान किया जाये ।
- 12.1.8.3 **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिवेदन**
कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए टैरिफ से संबंधित जानकारी हेतु उपभोक्ताओं को जारी किये है ।
- 2.1.8.4 **मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति**
टैरिफ कार्ड जिनमें दर प्रस्ताव दर्शाये गये है, निम्न दाब उपभोक्ताओं को जारी किये गये है । इसके अलावा टैरिफ अनुसूची पुस्तिकाएं सभी उच्चदाब उपभोक्ताओं को प्रदान की गई है ।
- 12.1.9 **सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्तावों को हिन्दी भाषा में दायर किया जाना**
- 12.1.9.1 **आयोग के दिषा निर्देश**
सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्तावों की प्राप्ति के बाद आयोग ने हिन्दी संस्करण में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया था। इसके बाद वितरण कंपनियों द्वारा हिन्दी संस्करण प्रस्तुत किया है, जो सार्वजनिक किया गया था । सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव को भविष्य में हिन्दी एवं अंग्रेजी में दायर किया जाना चाहिए ।
- 12.1.9.2 **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति**
वित्तीय वर्ष 2014 के लिए याचिका एवं सकल राजस्व आवश्यकता के अनुवाद का कार्य प्रगति पर है और इसे माननीय आयोग के समक्ष दायर किया जाएगा ।

12.1.9.3

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में दायर की गई है, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए हिन्दी में सकल राजस्व आवश्यकता शीघ्र ही प्रस्तुत की जावेगी ।

12.1.9.4

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

सकल राजस्व आवश्यकता के हिन्दी अनुवाद हेतु अनुबंध किया गया है, और हिन्दी संस्करण शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा ।

12.1.10

छूट/प्रोत्साहनों/अधिभारों का लेखांकन

12.1.10.1

आयोग के दिषा निर्देश

पश्चिम और मध्य क्षेत्र वितरण कंपनियों द्वारा वांछित विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । वितरण कंपनियों को कम से कम अपने अगले सकल राजस्व आवश्यकता प्रस्तावों के साथ उच्चदाब उपभोक्ताओं से संबंधित विवरण प्रस्तुत करना चाहिये ।

12.1.10.2

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

उक्त निर्देशों का अनुपालन पहले से ही कम्पनी द्वारा किया जा चुका है । यह दर आदेश में भी उल्लेखित किया है ।

12.1.10.3

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिवेदन

कम्पनी ने आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना को लागू किया है, जिसमें मेसर्स टी.सी.एस. कम्पनी द्वारा एक बिलिंग साफ्ट वेयर तैयार किया जा रहा है, बिलिंग साफ्ट वेयर में टी.सी.एस. द्वारा अलग से छूट/प्रोत्साहन/अधिभार आदि सुविधाएं शामिल की गई है ।

12.1.10.4

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

कम्पनी द्वारा उच्चदाब उपभोक्ताओं के मासिक बिल में छूट के विवरण, अधिभार एवं अन्य आवश्यक विवरण आयोग के निर्देशानुसार शामिल किये हैं । उच्चदाब कनेक्शन बिलों की नमूना प्रति इस याचिका के साथ प्रस्तुत है ।

12.1.11 एक समान लेखा का संधारण

12.1.11.1 आयोग के दिषा निर्देश

आयोग उत्तर से संतुष्ट नहीं है और वितरण कंपनियों को एक प्रारम्भिक तिथि पर खातों को बनाये रखने में समता लानी होगी ।

12.1.11.2 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

प्रयास किये जा रहे हैं ।

12.1.11.3 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिवेदन

कंपनी को 31 मई-2002 से कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शामिल किया गया था। म.प्र.शासन की अधिसूचना क्रमांक 226 दिनांक 31.05.2005 के तहत व्यवसायिक संचालन 01 जून-2005 से प्रारम्भ किया गया । कंपनी अधिनियम 1956 (एक्ट) शेड्यूल 6 के तहत प्रत्येक कंपनी को अपनी बैलेंस शीट तैयार करना, लाभ और हानि एवं उसकी टिप्पणियों का विवरण प्रदान करता है । कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (एम. सी.ए.) द्वारा पुनरीक्षित शेड्यूल- VI राजपत्र अधिसूचना दिनांक 30.03.2011 द्वारा जारी किया है ।

संशोधित शेड्यूल – VI ऐसी कंपनियों पर लागू नहीं है, जो कि अधिनियम की धारा 211 (1) और धारा 211 (2) प्रावधान के अंतर्गत हैं, जैसे कि कोई भी बीमा या बैंकिंग कंपनी, या कोई कंपनी जो कि उत्पादन या विद्युत प्रदाय में संलग्न है या किसी अन्य ऐसे वर्ग से संबंधित कंपनी को अधिनियम के निर्दिष्ट किया गया है, जिनके लिए बैलेंस शीट और लाभ और हानि के खाते निर्धारित हैं या किसी अन्य अधिनियम के तहत आने वाली इस प्रकार की कंपनी ।

हालांकि भारत के चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स संस्थान द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शन टीप में यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्पादन और विद्युत के प्रदाय में संलग्न कंपनियां न तो विद्युत अधिनियम 2003 और न ही वहां के बनाये नियमों, प्रस्तुति के लिए किसी भी विषिष्ट प्रारूप, वित्तीय विवरण जो कि विद्युत कंपनी द्वारा बनाया गया है । कंपनी अधिनियम की धारा 616 (सी) है कि कंपनी अधिनियम बिजली कंपनियों के लिये इस हद तक लागू होगी यह विद्युत अधिनियम की आवश्यकताओं के विपरीत नहीं है । जिसे ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुसूची VI उस समय तक कंपनियों में इस तरह के किसी भी तरह के अन्य प्रारूप प्रासंगिक कानून द्वारा निर्धारित है, के द्वारा लागू किया जा सकता है ।

जैसा कि वित्तीय विवरण कंपनियों की संशोधित अनुसूची VI अधिनियम 1956 के अनुसार तैयार किया जा रहा है । इस वित्तीय वर्ष 2011 के बाद से सभी वितरण कंपनियों के खातों में समान प्रस्तुतियों में सुनिश्चित किया जाता है । कंपनी ऐतिहासिक लागत के आधार के तहत आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों (GAAP) और लेखा मानक के रूप में कंपनी अधिनियम 2006 (लेखा मानक) की अधिसूचना के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार करती है ।

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर द्वारा आवेदन प्रणाली की खरीद, अनुकूलन, कार्यान्वयन हेतु ई.आर.पी. परियोजना प्रस्तुत की है, जो कि मानव संसाधन, सामग्री प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन और मॉड्यूल कार्यान्वयन के दायरे में है । ई.आर.पी. योजना के क्रियान्वयन पश्चात सबसे अच्छा लेखा और नियामक अनुपालन सुनिश्चित होगा ।

12.1.11.4

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

ई.आर.पी.कार्यक्रम में लेखा का हिस्सा भी शामिल किया गया है, जो प्रगति पर है । समान खातों को बनाये रखने के लिए ई.आर.पी. के पूरा होने के बाद लागू किया जाएगा ।

12.1.12

नियमों का अनुपालन

12.1.12.1

आयोग के दिषा निर्देश

निर्देशों के अनुपालन भविष्य में भी बनाये रखा जाना चाहिए ।

12.1.12.2

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

तत्काल याचिका म.प्र.विद्युत नियामक आयोग के मौजूदा नियमों के प्रावधानों के अनुसार है ।

12.1.12.3

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि. इन्दौर निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

12.1.12.4

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

याचिका नियमों के प्रावधानों के अनुसार दायर की गई है ।

12.1.13 सभी निम्नदाब गैर घरेलू 25 अष्व शक्ति से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य मांग आधारित दर

12.1.13.1 आयोग के दिशा निर्देश

आयोग वित्तीय वर्ष 2012-13 में 25 अष्व शक्ति से अधिक भार वाले सभी गैर घरेलू निम्नदाब उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य मांग आधारित दर प्रस्तुत करने की मंशा रखता है। वितरण कंपनियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी कनेक्शनों पर ऐसे मीटरों की स्थापना की जावे जिनमें अधिकतम मांग लेख्यांकित करने की सुविधा हो एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

12.1.13.2 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पर लागू नहीं।

12.1.13.3 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिवेदन

प्रस्तुत है कि 25 अष्व शक्ति से अधिक भार वाले गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के यहां अधिकतम मांग दर्ज करने की सुविधा वाले मीटर स्थापित कर दिये गये हैं।

12.1.13.4 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

समस्त उच्च मूल्य वाले निम्नदाब उपभोक्ताओं जिनका सम्बद्ध भार 25 अष्व शक्ति से अधिक है के यहां स्वचलित मीटर रीडिंग की सुविधा वाले मीटर लगाये जा रहे हैं। इस कार्य हेतु दो न. विभिन्न ठेकेदारों को कार्य आवंटित किया गया है। दिनांक 30.11.2012 की स्थिति में ए.एम. आर. का विवरण निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	ए.एम.आर. बिन्दु	स्थापित किये गये	एम.आर.डी. फाइल की डाउनलोडिंग	क्षेत्र
भोपाल	4560	4061	3129	2601
ग्वालियर	3834	3820	1997	1239

12.1.14 निम्नदाब मांग आधारित दर में सम्बद्ध भार से सीलिंग हटाना

12.1.14.1 आयोग के दिशा निर्देश

आयोग ने निम्नदाब मांग आधारित दर वाले उपभोक्ताओं पर से सीलिंग हटाने पर विचार नहीं किया है, जैसा कि जनता की आपत्तियों एवं सुझाव अनुज्ञप्तिधारी की याचिका में कारणों सहित समझाया गया है। इसीलिए आयोग का निर्देश है कि सभी निम्नदाब कनेक्शन जिनका सम्बद्ध भार 25 अश्व शक्ति से अधिक है, पर स्वचलित मीटर रीडिंग की स्थापना वित्तीय वर्ष 2012-13 में सुनिश्चित की जावे।

12.1.14.2 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

निम्नदाब उच्च मूल्य उपभोक्ताओं के संबंध में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :-

क्षेत्र	ए.एम.आर./एम.आर.आई. द्वारा पढ़े जाने वाले मीटर	ए.टू.जेड (ए.एम.आर./एम.आर.आई.) द्वारा पढ़े जाने वाले मीटर	पढ़े जाने वाले कुल मीटर
जबलपुर	2225	570	2795
सागर	832	148	980
रीवा	1168	146	1314
योग	4225	864	5089

12.1.14.3 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिवेदन

कंपनी ने अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में स्वचलित मीटर रीडिंग हेतु एक अलग से सेल बनाया है। निम्नदाब स्वचलित रीडिंग की पैमाइश की प्रगति नीचे दर्शाई गई है :-

निम्नदाब मीटरों का ए.एम.आर. किये जाने की सूची												
स.क्र.	वृत्त का नाम	कुल मीटरों की संख्या	वृत्त द्वारा लगाये गये मीटरों की संख्या	शेष मीटर जहां पर मॉडम लगाये जाने है।	ए.एम.आर. किया गया							नव-12
					अप्रैल -12	मई-12	जून-12	जुलाई-12	अगस्त-12	सित. 12	अक्टू-12	
1	इन्दौर	4223	4173	50	3305	3342	3347	3201	3128	3140	3191	3112
2	इन्दौर सं-सं	1008	1008	0	786	773	647	742	735	786	789	796
3	धार	215	55	160	0	0	0	0	0	0	0	0
4	खण्डवा	201	161	40	55	99	97	83	85	55	43	69
5	बुरहानपुर	138	98	40	20	59	76	78	73	79	75	56
6	खरगौन	224	214	10	83	80	79	80	125	123	125	92
7	बडवानी	268	103	165	0	0	0	0	0	0	0	0
8	झाबुआ	75	45	30	21	28	23	22	21	19	20	17
9	उज्जैन	946	725	221	191	195	189	186	176	160	198	199
10	देवास	401	292	109	176	191	183	194	209	187	170	189
11	शाजापुर	279	239	40	93	102	91	94	133	136	85	83
12	रतलाम	553	519	34	343	331	318	347	338	323	273	271
13	मंदसौर	315	291	24	103	107	101	116	120	108	108	116
14	नीमच	422	395	27	87	100	100	107	111	100	100	100
योग		9268	8318	950	5263	5407	5251	5250	5254	5216	5177	5100
% ए.एम.आर. किया गया					63	65	63	63	63	63	62	61

12.1.14.4 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

निम्नदाब उच्च खपत वाले उपभोक्ताओं के संबंध में ए.एम.आर. संबंधी जानकारी दिनांक 30.11.2012 की स्थिति में बिन्दु क्र. 13 में पूर्व से ही उल्लेखित है ।

दर प्रस्ताव याचिका

वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु

प्रस्तुतकर्ता :

म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर



मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
ब्लाक नं. 7, शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर



मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जी.पी.एच. कंपाउन्ड, पोलोग्राउन्ड, इन्दौर



मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
बिजली नगर कालोनी, निष्ठा परिसर, गोविन्दपुरा, भोपाल



प्रस्तावित दर अनुसूची – निम्नदाब

(हिन्दी रूपांतरण)

(विशेष टीप:- वित्त वर्ष 2014 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव याचिका का यह हिन्दी रूपांतरण हितधारकों की सुलभता के लिए किया गया है, किसी भी विषय विशेष के भावार्थ तथा आंकड़ों की सत्यता पर भ्रम की स्थिति में मूल अंग्रेजी याचिका ही मान्य होगी)

प्रस्तावित दर अनुसूची

निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु

अनुक्रमाणिका

विद्युत-दर (टैरिफ) श्रेणी		पृष्ठ क्रमांक
एल.व्ही.-1	घरेलू	03
एल.व्ही.-2	गैर-घरेलू	07
एल.व्ही.-3.1	सार्वजनिक जल-प्रदाय	12
एल.व्ही.-3.2	पथ-प्रकाश	13
एल.व्ही.-4.1	निम्न दाब उद्योग, गैर-मौसमी	15 व 16
एल.व्ही.-4.2	निम्न दाब उद्योग, मौसमी	17
एल.व्ही.-5.1	कृषि पम्प संबंधी	20
एल.व्ही.-5.2	कृषि संबंधी अन्य उपयोग	21

निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु अनुसूचियाँ

विद्युत-दर (टैरिफ) अनुसूची-एल.व्ही-1
घरेलू :-

प्रयोज्यता :

यह दरें केवल आवासीय उपयोग हेतु प्रकाश, पंखा तथा पावर, शासकीय पंजीकृत ट्रस्टी द्वारा चलाई जा रही धर्मशालाएं, वृद्धावस्था आवास गृह (ओल्ड एज हाउसेस), सुधारालय (रेसक्यू हाउस), अनाथालय, पूजा स्थल तथा धार्मिक संस्थाओं के लिये लागू होंगी ।

घरेलू उप-श्रेणी एलवी 1.1

(100 वॉट (0.1 किलोवाट) से अधिक स्वीकृत भार न होने वाले उपभोक्ताओं हेतु जिनकी खपत 30 यूनिट प्रति माह से अधिक नहीं है,,)

विद्युत-दर (टैरिफ) एल.व्ही-1.1

(ए) ऊर्जा प्रभार – मीटरिकृत संयोजन (कनेक्शन) की वास्तविक खपत के लिए।

मासिक खपत	ऊर्जा प्रभार (रु प्रति यूनिट) शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में) शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र
30 यूनिट तक	2.90	शून्य

(बी) न्यूनतम प्रभार – इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को न्यूनतम प्रभारों के रूप में

रूपये 40.00 प्रति संयोजन प्रति माह प्रायोज्य होंगे।

घरेलू उप-श्रेणी एल.व्ही-1.2

विद्युत-दर (टैरिफ) एल.व्ही-1.2

(ए) (i) ऊर्जा प्रभार एवं स्थाई प्रभार – मीटरीकृत संयोजनों हेतु।

मासिक खपत के खण्ड ;संज्ञक	ऊर्जा प्रभार दूरबीनी (टेलिस्कोपिक) लाभ के साथ (रु. प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
50 यूनिट तक	3.70	रु 43 प्रति संयोजन	रु 25 प्रति संयोजन
51 से 100 यूनिट तक	4.20	रु 72 प्रति संयोजन	रु 43 प्रति संयोजन
101 से 300 यूनिट तक	5.40	रु 84 अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए	रु 56 अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए
301 यूनिट से 500 तक	6.00	रु 92 अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए	रु 81 अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए
500 यूनिट से अधिक	6.30	रु 98 अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए	रु 81 अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवाट के लिए

न्यूनतम प्रभार :- इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार के लिये न्यूनतम प्रभार रूपये 60 प्रति संयोजन प्रति माह प्रायोज्य होगा ।

टीपः अधिकृत भार वही होगा जैसा कि इसे विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में परिभाषित किया गया है।

(प्रत्येक 75 यूनिट प्रति माह की खपत अथवा उसके किसी अंश को आधा किलोवाट के अधिकृत भार के समतुल्य माना जाएगा। उदाहरण : यदि किसी माह के दौरान खपत 125 यूनिट हो तो अधिकृत भार को एक किलोवाट माना जाएगा। इसी प्रकार, यदि किसी माह में खपत 350 यूनिट हो तो अधिकृत भार को 2.5 किलोवाट माना जाएगा)

अस्थाई/वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत संयोजन	ऊर्जा प्रभार (रु. प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
	षहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
स्वयं के गृह निर्माण हेतु अस्थाई संयोजन (अधिकतम एक वर्ष की अवधि हेतु)	7.40	रु. 330, प्रत्येक किलोवाट या उसके अंश हेतु स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, के लिए	रु. 220, प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, के लिए
सामाजिक/वैवाहिक प्रयोजन तथा धार्मिक समारोहों हेतु अस्थाई संयोजन।	7.40	रु. 40, प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु	रु. 20.00 प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु
वितरण ट्रांसफार्मर मीटर द्वारा, झुगगी-झोपड़ी समूह हेतु जब तक व्यक्तिगत मीटर उपलब्ध नहीं करा दिये जाते	3.00	शून्य	शून्य

न्यूनतम प्रभार : अस्थाई संयोजन के लिए ऊर्जा प्रभारों हेतु, रु. 500 प्रति संयोजन प्रति माह या उसके अंश हेतु लागू होगा झुगगी झोपड़ी समूह हेतु वितरण ट्रांसफार्मर मीटर द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु कोई भी न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे।

(पप) अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों हेतु ऊर्जा प्रभार एवं स्थाई प्रभार :

विवरण	अमीटरीकृत संयोजनों हेतु प्रतिमाह या उसके अंश हेतु बिल किये जाने वाले अनुमानित यूनिट तथा ऊर्जा प्रभार (रु.प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में) (रु.प्रति संयोजन में)
शहरी क्षेत्र में अमीटरीकृत संयोजन हेतु	136 यूनिट हेतु, रु 4.60 प्रति यूनिट की दर से	रु 83 प्रति संयोजन
ग्रामीण क्षेत्र में अमीटरीकृत संयोजन हेतु	100 यूनिट हेतु, रु 3.70 प्रति यूनिट की दर से	रु 33 प्रति संयोजन

न्यूनतम प्रभार — इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये किसी प्रकार के न्यूनतम प्रभार प्रायोज्य नहीं होंगे।

विषिष्ट निबन्धन तथा शर्तें

- (ए) बिलिंग के प्रयोजन हेतु, वितरण ट्रांसफार्मर मीटर में अभिलिखित की गई ऊर्जा खपत के तत्संबंधी ऊर्जा खपत को उक्त वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं के मध्य बराबर-बराबर विभाजित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार बिलिंग हेतु ऐसे उपभोक्ताओं की सहमति प्राप्त की जाएगी
- (बी) ऐसे प्रकरण में जहां वास्तविक खपत हेतु, ऊर्जा प्रभार न्यूनतम प्रभारों से कम हो, वहां ऊर्जा प्रभारों के प्रति न्यूनतम प्रभारों की बिलिंग की जाएगी। अन्य समस्त प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हैं, की बिलिंग भी की जाएगी।।
- (सी) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

00000

विद्युत-दर (टैरिफ) अनुसूची-एल.व्ही.-2

गैर-घरेलू :-

गैर-घरेलू उप श्रेणी एल.व्ही.-2.1

प्रयोज्यता :

यह विद्युत-दर शासकीय पंजीकृत ट्रस्टी को छोड़कर अन्य धर्मशालाएं, शैक्षणिक संस्थाओं अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निकों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) (जो किसी शासकीय निकाय अथवा किसी विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत/से संबद्ध/द्वारा मान्यता प्राप्त हैं) स्थित कर्मशालाओं (वर्कशाप) तथा प्रयोगशालाओं को, विद्यार्थियों अथवा कामकाजी महिलाओं अथवा खिलाड़ियों हेतु छात्रावासों (हॉस्टल) शासन द्वारा अथवा वैयक्तिक रूप से संचालित) को प्रकाश, पंखा तथा पावर हेतु लागू होगी।

विद्युत-दर (टैरिफ) :

विद्युत-दर निम्न तालिका के अनुसार होगी :

उप श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (रु.प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
	षहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
स्वीकृत भार आधारित विद्युत-दर	5.80	रु 101 प्रति किलोवाट या उसके अंश हेतु	रु 67 प्रति किलोवाट या उसके अंश हेतु
माँग आधारित विद्युत दर	5.80	रु 201 प्रति किलोवाट अथवा रु. 161 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	रु 135 प्रति किलोवाट अथवा रु. 108 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर

गैर-घरेलू उप श्रेणी एल.व्ही.-2.2

प्रयोज्यता :

यह विद्युत-दर (टैरिफ) रेलवे (कर्षण तथा रेलवे कालोनी/जलप्रदाय व्यवस्था के प्रयोजन को छोड़कर), दुकानों/शोरूम, बैठक-कक्ष (पार्लर), शासकीय कार्यालयों, शासकीय अस्पतालों, शासकीय चिकित्सा देखभाल सुविधाओं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सम्मिलित कर, सार्वजनिक/निजी संस्थाओं के कार्यालयों, सार्वजनिक भवनों, अतिथि-गृहों (गेस्ट हाऊसों), सर्किट हाऊस, शासकीय विश्राम गृहों, क्ष-किरण संयंत्र (एक्सरे प्लांट), मान्यता-प्राप्त लघु स्तर के सेवा संस्थानों, क्लब, रेस्टोरेंट, खान-पान संबंधी स्थापनाओं, बैठक-परिसरों (मीटिंग हाल), संचार (मोबाईल) टावर अनुज्ञप्तिधारिक अधोसंरचना कंपनी हेतु, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, सर्कस-प्रदर्शनों, होटलों, सिनेमाघरों, व्यावसायिक परिसरों (चेम्बर्स) यथा, अधिवक्ताओं, सनदी लेखापालों (चार्टर्ड अकाउंटेंट, परामर्शदाताओं, चिकित्सकों आदि के) निजी औषधालयों (क्लीनिकस), नर्सिंग होम तथा निजी अस्पतालों, बॉटलिंग संयंत्रों, वैवाहिक उद्यान-स्थलों (मैरिज गार्डन), विवाह-घरों, विज्ञापन-सेवाओं, विज्ञापन पटलों (बोर्डों)/होर्डिंग, प्रशिक्षण अथवा कोचिंग संस्थाओं, पेट्रोल पंपों तथा सेवा केन्द्रों (सर्विस स्टेसन), सिलाई कार्य की दुकानों (टेलरिंग शॉप), वस्त्र धुलाई-घर (लाउण्ड्री), व्यायाम-घर (जिमनेजियम) तथा स्वास्थ्य-क्लब (हेल्थ-क्लब) तथा अन्य कोई संस्था (एलवी 2.1 श्रेणी में सम्मिलित की गई संस्थाओं को छोड़कर) जिन्हें केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों के अंतर्गत वाणिज्यिक-कर/सेवा-कर/वेल्यू एडिड टैक्स (वैट)/मनोरंजन-कर/विलास-कर (लक्जरी टैक्स) का भुगतान करने संबंधी अर्हताहो, को प्रकाश, पंखा तथा पावर हेतु प्रयोज्य है।

विद्युत-दर (टैरिफ)

विद्युत-दर (टैरिफ) निम्न तालिका के अनुसार होगी :

उप श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (रु प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
	षहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि मासिक खपत 50 यूनिट से अधिक नहीं है	6.00	रु 56 प्रति किलोवाट या उसके अंश हेतु	रु 34 प्रति किलोवाट या उसके अंश हेतु
समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि मासिक खपत की मात्रा 50 यूनिट से अधिक तथा 1000 यूनिट तक है	6.70	रु 95 प्रति किलोवाट या उसके अंश हेतु	रु 67 प्रति किलोवाट या उसके अंश हेतु
समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि मासिक खपत 1000 यूनिट से अधिक है	6.70	रु 95 प्रति किलोवाट या उसके अंश हेतु	रु 67 प्रति किलोवाट या उसके अंश हेतु

उप श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (रु प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
	षहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
वैकल्पिक 10 किलोवाट से अधिक की संविदा मांग हेतु मांग आधारित विद्युत-दर (टैरिफ) पर	5.90	रु 213 प्रति किलोवाट या उसके अंश हेतु अथवा 170 प्रति केवीए, बिलिंग मांग पर	रु 135 प्रति किलोवाट या उसके अंश हेतु अथवा 108 प्रति केवीए, बिलिंग मांग पर
अस्थाई संयोजन, निम्नदाब पर बहु-बिन्दु अस्थाई संयोजन, मेला स्थलों को सम्मिलित कर	8.00	रु 146 प्रति किलोवाट या उसके अंश हेतु अथवा उसका कोई अंश, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो	95 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो

वैवाहिक प्रयोजनों हेतु, विवाह उद्यान स्थल (मैरिज गार्डन) अथवा विवाह-घर (मैरिज हॉल) अथवा एलवी 2.1 तथा 2.2 श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले अन्य परिसरों हेतु अस्थाई संयोजन	8.00 (न्यूनतम खपत प्रभारों की बिलिंग 6 यूनिट प्रति किलोवाट भार पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा इसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, पर की जायेगी जो न्यूनतम राशि प्शहरी क्षेत्र के लिए रु. 500 तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए रु. 500 होगी)	रु 50 प्रत्येक किलो वाट के अथवा उसके किसी अंश पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा उसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत किये गये अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमे से जो भी सर्वाधिक हो,	रु 30 प्रत्येक किलो वाट के अथवा उसके किसी अंश पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा उसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत किये गये अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो,
क्ष-किरण संयंत्र (एक्सरे प्लांट) हेतु	अतिरिक्त स्थाई प्रभार (रूपये प्रति मशीन प्रति माह या उसके अंश हेतु)		
एकल फेज	504.00		
तीन फेज	728.00		
क्षय किरण संयंत्र (दांतों हेतु)	56.00		

टीप : केवल उसी स्थिति में लागू होंगे जबकि मध्य प्रदेश शासन के राजस्व प्राधिकारियों द्वारा मेला आयोजन की अनुमति प्रदान की गई हो।

एल.व्ही-2.1 तथा एल.व्ही-2.2 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन एवं शर्तें

- (ए) कोई भी उपभोक्ता जिसकी संविदा मांग 10 किलोवाट या उससे अधिक हो माँग आधारित टैरिफ का विकल्प ले सकता है परन्तु संयोजित भार 15 किलोवाट से अधिक होने पर मांग आधारित टैरिफ अनिवार्य होगा और अनुज्ञप्तिधारी को ट्राईवेक्टर मीटर/बाइवेक्टर मीटर जिसमें के.व्ही.ए/किलोवाट माँग दर्ज करने की क्षमता हो, के. डब्ल्यू.एच, के.व्ही.ए.एच तथा समय के अनुसार विद्युत खपत वाले मीटर उपलब्ध कराने होंगे। यद्यपि, संविदा मांग 10 किलो वाट से किसी भी स्थिति में कम नहीं होना चाहिये।
- (बी) **न्यूनतम खपत** : उपभोक्ता को स्वीकृत भार अथवा संविदा मांग (मांग आधारित प्रभारों के प्रकरण में) हेतु शहरी क्षेत्रों में 360 यूनिट प्रति किलावाट अथवा उसके किसी अंश की न्यूनतम वार्षिक खपत को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 180 यूनिट प्रति चार किलोवाट अथवा उसके किसी अंश की न्यूनतम वार्षिक खपत को प्रत्याभूत (गारंटी) करना होगा। परन्तु, क्ष-किरण इकाई के भार को, न्यूनतम खपत की गणना हेतु उपभोक्ता के संयोजित भार पर विचार करते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि निम्न दाब विद्युत दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।
- (सी) **अतिरिक्त प्रभार** : इनकी बिलिंग विधि निम्न-दाब हेतु विद्युत-दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।
- (डी) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

00000

विद्युत-दर (टैरिफ) अनुसूची-एल.व्ही.-3

सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य (जिसपब जमत वतो) एवं पथ-प्रकाश (जतममज स्पहीजे)

प्रयोज्यता :

टैरिफ अनुक्रमांक एल.व्ही-3.1 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अथवा नगरीय निकायों अथवा ग्राम पंचायतों अथवा कोई अन्य संस्था जिसे शासन द्वारा जलप्रदाय/जलप्रदाय संयंत्रों/जल-मल संयंत्रों का उत्तरदायित्व सार्वजनिक उपयोगिता (यूटिलिटी) की जलप्रदाय योजनाओं, जल-मल उपचार संयंत्रों (सीवज ट्रीटमेंट प्लांट), जल-मल पंपिंग संयंत्रों हेतु जलप्रदाय/सार्वजनिक जलप्रदाय संयंत्रों/जल-मल संस्थापनों के संधारण का दायित्व सौंपा गया हो, को लागू होगा तथा नगरीय निकायों/न्यासों द्वारा संधारित विद्युत शव-दाह गृहों (मसमबजतपब बतमउंजवतपनउ) को भी लागू होगा ।

टीप : निजी जल प्रदाय योजनाएँ, संस्था आदि द्वारा अपने स्वयं के उपयोग/कर्मचारियों /टाऊनशिपों हेतु चलाई जा रही जलप्रदाय योजनाएं इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आएंगी, वरन् इनकी बिलिंग समुचित टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी, जिससे वह संस्था संबद्ध है। यदि जलप्रदाय का उपयोग दो या इससे अधिक प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में उच्चतम विद्युत-दर (टैरिफ) ही प्रयोज्य होगी।

टैरिफ अनुक्रमांक एल.व्ही-3.2 यातायात संकेतों, सार्वजनिक सड़कों तथा सार्वजनिक स्थलों की प्रकाश व्यवस्था मय उद्यानों, नगर भवन (टाऊन हाल), स्मारकों तथा इनसे संबद्ध संस्थानों, संग्रहालयों, सार्वजनिक प्रसाधनों (टायलेट), शासकीय पुस्तकालयों, नागरिक निकायों द्वारा संचालित सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा वाचनालयों तथा सुलभ शौचालयों को लागू होगा।

विद्युत-दर (टैरिफ):

विभिन्न उप-श्रेणियों हेतु विद्युत-दरें, (टैरिफ), चालू मासिक खपत पर आधारित, निम्न तालिका के अनुसार होंगी:

उपभोक्ता की श्रेणी/प्रायोज्यता क्षेत्र	ऊर्जा प्रभार (रु प्रति यूनिट)	स्थायी प्रभार (रूपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह)		न्यूनतम प्रभार
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में	
एल.व्ही-3.1 सार्वजनिक जल प्रदाय				
नगर पालिका निगम/ छावनी परिषद्	4.10	157.00	157.00	कोई न्यूनतम प्रभार नहीं।
नगर पालिक/नगर पंचायत	4.10	134.00	134.00	
ग्राम पंचायत	4.10	56.00	56.00	
अस्थाई	5.30	73.00	73.00	
एल.व्ही-3.2 पथ-प्रकाश				
नगर पालिका निगम/ छावनी परिषद्	4.20	258.00	258.00	कोई न्यूनतम प्रभार नहीं।
नगर पालिक/नगर पंचायत	4.20	235.00	235.00	
ग्राम पंचायत	4.20	56.00	56.00	

एल.व्ही-3 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें

(ए) मांग-परक प्रबन्धन (डिमांड साईड मैनेजमेंट) अपनाए जाने पर प्रोत्साहन :

ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना किये जाने पर जैसे कि, पम्प सेट्स हेतु भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ऊर्जा दक्ष मोटरों तथा पथ-प्रकाश व्यवस्था हेतु कार्यक्रमबद्ध चालू-बन्द/मन्द करने वाला स्विच, स्वचालन व्यवस्था सहित, उपभोक्ता को 5 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। प्रोत्साहन उसी दषा में अनुज्ञेय किया जाएगा, यदि पूर्ण देयक की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जाता है, जिसका परिपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनितों का भुगतान सामान्य दरों पर करना होगा। इस प्रकार का प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों को उपयोग में लाये जाने वाले माह से आगामी माह से अनुज्ञेय किया जाएगा तथा इसका सत्यापन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा। यह प्रोत्साहन उक्त अवधि तक अनुज्ञेय किया जाना जारी रहेगा जब तक ये ऊर्जा बचत उपकरण सेवारत रहते हैं। अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन हेतु, वृहद् प्रचार-प्रसार की व्यवस्था भी करनी होगी।

(बी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

00000

विद्युत-दर (टैरिफ) अनुसूची-एल.व्ही.-4

निम्नदाब उद्योग

प्रयोज्यता :

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी-4** प्रिंटिंग प्रेस अथवा अन्य कोई औद्योगिक संस्थाओं तथा कर्मशालाओं (जहां कोई प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) अथवा विनिर्माण (मेन्युफेक्चरिंग) कार्य, टायर-रीट्रिडिंग को सम्मिलित कर, सम्पन्न हो) के लिए लाईट, पंखा या उपकरणों के प्रचालन हेतु पावर के लिये लागू होंगी। ये विद्युत-दरें (टैरिफ) शीतागार (कोल्ड स्टोरेज), गुड़ (जैगरी) बनाने वाली मशीनों, आटा चक्कियों (फ्लोर मिल्स), मसाला चक्कियों, हलर, खाण्डसारी इकाईयों, ओटाई (गिन्निंग) तथा प्रेसिंग इकाईयों, गन्ना पिराई (गन्ने का रस निकालने वाली मशीनों को सम्मिलित करते हुए) विद्युत-करघा (पावरलूम), दालमिलों, बेसन मिलों तथा वर्फखानों (आईस-फैक्टरी) तथा अन्य कोई विनिर्माण (मेन्युफेक्चरिंग) अथवा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) इकाईयों (बाटलिंग संयंत्रों को छोड़कर), खाद्य उत्पादन का प्रसंस्करण, उसका संरक्षण/इसके शेल्फ उपयोगी जीवन काल (मसाले) में अभिवृद्धि तथा डेरी इकाईयों जहां दूध का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), शीतलीकरण (चिलिंग), पाश्चुरीकरण आदि को छोड़कर, जिससे दुग्ध उत्पादों का उत्पादन हो सके, हेतु भी लागू होंगी।

विद्युत-दर (टैरिफ):

गैर-मौसमी (नॉन सीजनल) तथा मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं हेतु

उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये)		ऊर्जा प्रभार (रू प्रति यूनिट) षहरी / ग्रामीण
	शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में	
4.1 गैर-मौसमी उपभोक्ता			
4.1 ए	निम्न दाब उद्योग जिनका संयोजित भार 25 अश्वशक्ति (हार्स पावर) तक है	रू 99 प्रति अश्वशक्ति या उसके अंश हेतु	रू 33 प्रति अश्वशक्ति या उसके अंश हेतु
4.1 बी (प)	मांग-आधारित विद्युत-दर (क्वउंदक ईमक जंतर्पाई) (जिनकी संविदा मांग तथा संयोजित भार 100 अश्वशक्ति तक है)	रू 243 प्रति किलोवाट अथवा रू 194 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	रू 121 प्रति किलोवाट अथवा रू 97 प्रति केवीए की या उसके अबिलिंग मांग पर
4.1 बी (पप)	मांग आधारित विद्युत-दर (100 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा 100 अष्वशक्ति से अधिक तथा 150 अष्वशक्ति से अनाधिक संयोजित भार पर)	रू 330 प्रति किलोवाट अथवा रू 264 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	रू 231 प्रति किलोवाट अथवा रू 185 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर
4.1 सी	मांग आधारित विद्युत दर (100 अश्वशक्ति से अधिक व 150 अष्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा 150 अष्वशक्ति से अनाधिक संयोजित भार पर) (केवल विद्यमान उपभोक्ताओ हेतु लागू)	रू 330 प्रति किलोवाट अथवा रू 264 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	रू 231 प्रति किलोवाट अथवा रू 185 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर
4.1 डी	अस्थाई संयोजन	रू 135 प्रति अश्वशक्ति	रू 45 प्रति अश्वशक्ति
‘इसके अतिरिक्त, इन उपभोक्ताओं द्वारा रूपांतरण (ट्रांसफार्मरमेशन) हानियां तीन प्रतिशत की दर से तथा ट्रांसफार्मर भाड़ा मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 के अनुसार देय होगा।			
4.2 मौसमी उपभोक्ताओं हेतु (मौसम की अवधि एक वित्तीय वर्ष में निरंतर 180 दिवस से अधिक की न होगी)। यदि घोषित मौसम अथवा मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) का विस्तार दो टैरिफ अवधियों के अन्तर्गत होता है, तो ऐसी दशा में प्रयोज्य विद्युत-दर तत्संबंधी अवधि हेतु लागू होगी।			

4.2 ए	मौसम के दौरान	गैर-मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत-दर (टैरिफ)	गैर-मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत-दर (टैरिफ)	गैर-मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप, सामान्य विद्युत-दर (टैरिफ)
4.2 बी	मौसम बाह्य (ऑफ-सीजन) के दौरान	गैर-मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत-दर, संविदा मांग के 10 प्रतिशत पर अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग पर, इनसे जो भी अधिक हो	गैर-मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत-दर, संविदा मांग के 10 प्रतिशत पर अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग पर, इनमें से जो भी अधिक हो	गैर-मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत-दर का 120 प्रतिशत

निबंधन तथा शर्तें

- (ए) उपभोक्ता की प्रतिमाह अधिकतम मांग, उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दु पर उक्त माह में निरंतर पन्द्रह मिनट की अवधि हेतु प्रदाय की गई चार गुना अधिकतम किलोवाट एम्पीयर आवर्स की मात्रा के बराबर मानी जाएगी।
- (बी) कोई भी उपभोक्ता मांग आधारित टैरिफ हेतु अपना विकल्प दे सकेगा, परन्तु उन उपभोक्ताओं हेतु जिनका संयोजित भार **25 अश्वशक्ति से अधिक** है, इन्हें मांग आधारित टैरिफ अनिवार्य है तथा अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता हेतु ट्राई-वेक्टर/बाई-वेक्टर मीटर जो कि मांग केवीए/किलोवाट, किलोवाट ऑवर, किलोवोल्ट एम्पीयर ऑवर तथा उपयोग का समय खपत (टार्इम ऑफ यूज कंसम्पशन) में अभिलिखित किये जाने हेतु सक्षम हो, प्रदान करेंगे।
- (सी) 100 अश्वशक्ति से अधिक तथा 150 अश्वशक्ति तक के संविदा मांग वाले केवल **विद्यमान** उपभोक्ताओं हेतु श्रेणी एलवी 4.1 सी के अन्तर्गत विद्युत दरें लागू है। इस श्रेणी के अन्तर्गत कोई भी नवीन संयोजन जारी न किये जाएं।

(डी) न्यूनतम खपत : निम्नानुसार मानी जाएगी :

(डी.1) 100 अश्वशक्ति तक के संयोजित भार हेतु

- i. **ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 180 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश, पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।
- ii. **शहरी क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 360 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।
- iii. उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 20 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में 40 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत उपरोक्त निर्दिष्ट की गई यूनिटों की संख्या से कम हो।
- iv. न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग की विधि निम्न दाब विद्युत-दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

(डी.2) 100 अश्वशक्ति से अधिक तथा 150 अश्वशक्ति तक के संयोजित भार हेतु

- i. **ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 240 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश, पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।
- ii. **शहरी क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 480 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।
- iii. उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 25 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह अथवा उसके किसी अंश हेतु संविदा मांग की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में 50 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत निर्दिष्ट की गई यूनिटों की संख्या से कम हो।
- iv. न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग की विधि निम्न दाब विद्युत-दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

-
- (ई) आधिक्य अतिरिक्त मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार : इनकी बिलिंग निम्न दाब विद्युत दर हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप की जाएगी।
- (एफ) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (जी) मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं हेतु अन्य निबन्धन तथा शर्तें :
- i. उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु मौसम के तथा मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) के महीने, टैरिफ आदेश के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इन्हें अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा।
 - ii. उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
 - iii. यह विद्युत-दर उन सम्मिश्रित इकाईयों को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं।
 - iv. उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम-बाह्य खपत को, पिछले तीन मौसमों के दौरान औसत मासिक खपत के अधिकतम 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि इस सीमा का किसी बाह्य मौसम माह के दौरान उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु, लागू विद्युत दर (टैरिफ) के अनुसार की जाएगी।
 - v. उपभोक्ता को मौसम-बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग का 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम-बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग इस सीमा से अधिक पाई जाती है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु, लागू विद्युत दर (टैरिफ) के अनुसार की जाएगी।

विद्युत-दर (टैरिफ) अनुसूची-एल.व्ही.-5

कृषि संबंधी एवं कृषि संबंधी अन्य उपयोग

प्रयोज्यता :

टैरिफ दर एल.व्ही.-5.1 कृषि संबंधी पंप संयोजनों, भूसा काटने वाले उपकरणों (बीमिंग बिनजमत), थ्रेशरों, भूसा उड़ाने वाली मशीनों, (पदद्वपदह उंबीपदमे) बीजारोपण मशीनों, उद्वहन सिंचाई योजनाओं हेतु सिंचाई पंप मय पशुओं के उपयोग हेतु कृषि पंपों द्वारा निकाले गये जल हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होंगी।

टैरिफ दर एल.व्ही.-5.2 फूल/पौधे/पौध (सैपलिंग) फल उगाने वाली रोपणियों, मत्स्य तालाबों, एक्वाकल्चर, रेषम उद्योग (सेरीकल्चर), अण्डा सेने के स्थानों (हैचरी), कुक्कुट पालन केन्द्रों, पशु-प्रजनन केन्द्रों (कैटल ब्रीडिंग फार्मस), चारागाह (ग्रासलैंड) तथा कुकुरमुत्ता (मषरुम) उगाने वाले कृषि प्रक्षेत्रों तथा केवल उन्हीं डेरी इकाईयों हेतु, जहाँ केवल दूध निकालने तथा इसका प्रसंस्करण करने, जैसे कि शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण, आदि का कार्य किया जाता है, हेतु संयोजन पर प्रयोज्य होगी।

विद्युत-दर (टैरिफ):

सरल क्रमांक	उप-श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	ऊर्जा प्रभार (रु प्रति यूनिट)
5.1	कृषि संबंधी उपयोग हेतु		
ए)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	कुछ नहीं	3.40
बी)	300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक 750 यूनिट तक	कुछ नहीं	3.90
सी)	माह के अंतर्गत, शेष यूनिटों की खपत हेतु	कुछ नहीं	4.20
डी)	अस्थाई संयोजन	कुछ नहीं	4.20
ई)	वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत उपभोक्ता हेतु	कुछ नहीं	3.00
5.2	कृषि संबंधी अन्य उपयोग हेतु		
ए)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	कुछ नहीं	3.40
बी)	300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक 750 यूनिट तक	कुछ नहीं	3.90
सी)	माह के अंतर्गत, शेष यूनिटों की खपत हेतु	कुछ नहीं	4.20
डी)	अस्थाई संयोजन	कुछ नहीं	4.20

5.2	कृषि संबंधी अन्य उपयोग हेतु		
ए)	शहरी क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	रु. 58.00 प्रति अश्वशक्ति या उसके अंश हेतु	3.90
बी)	ग्रामीण क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	रु. 21.00 प्रति अश्वशक्ति या उसके अंश हेतु	3.90
सी)	शहरी क्षेत्रों में, मांग आधारित विद्युत-दर (कमउंदक ईमक जंतर्पाई) (100 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा संयोजित भार पर)	रु. 179 प्रति किलोवॉट अथवा रु. 143 प्रति केवीए, बिलिंग मांग का	4.70
डी)	ग्रामीण क्षेत्रों में, मांग आधारित विद्युत दर (कमउंदक ईमक जंतर्पाई) (100 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा संयोजित भार पर)	रु. 84 प्रति किलोवाट अथवा रु.67 प्रति केवीए बिलिंग मांग का	4.70

1. अमीटरिकृत विद्युत खपत की बिलिंग का आधार :

अमीटरिकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु बिलिंग की आकलित खपत निम्न तालिका में दर्शायेनुसार होगी:

विवरण		विवरण							
		शहरी क्षेत्र				ग्रामीण क्षेत्र			
मोटर पम्प का प्रकार	मोटर पम्प का प्रकार	अप्रैल 2013	मई 2013	जून 13 से सितंबर 13	अक्टूबर 13 से मार्च 14	अप्रैल 2013	मई 2013	जून 13 से सितंबर 13	अक्टूबर 13 से मार्च 14
तीन फेज	स्थायी	90	90	90	170	50	50	50	150
	अस्थायी	175	175	175	175	175	175	175	175
एकल फेज	स्थायी	90	90	90	180	60	60	60	160
	अस्थायी	190	190	190	190	170	170	170	170

सम दर योजना (Flat Rate Scheme)

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा बिलिंग में सरलता, वसूली में सुधार एवं बकाया राशि में कमी लाने हेतु अमीटरिकृत स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिये सम दर योजना लागू की है। यह योजना विद्युत वितरण कंपनियों के स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं द्वारा उनकी चाहत पर उपलब्ध होगी। इन उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर को अगामी 6 माह का बिजली बिल अग्रिम भुगतान सम दर पर करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिवर्ष 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर को वर्ष में 2 बार देयक जारी करना होगा।

ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने यह योजना अपनाई है उनका अधिभार 31 मार्च एवं 30 सितम्बर को जो भी है उसे समाप्त करना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं की बकाया राशि 31 मार्च एवं 30 सितम्बर को स्थिर की जावेगी। शेष बकाया राशि पर कोई अधिभार नहीं लगाया जावेगा।

ऐसे उपभोक्ता जो इस योजना को चयनित कर रहे हैं उनके लिये अनुज्ञप्तिधारी को बिलिंग प्रणाली में आवश्यक सुधार करना चाहिये। यह प्रस्तावित नई क्रियाशील प्रक्रिया “म.प्र. विद्युत प्रदाय कोड” में बनाई गई क्रियाशील प्रक्रिया से भिन्न है।

याचिकाकर्ता द्वारा जो बदलाव प्रयोज्य किया गया है उससे विद्युत कर एवं उपकर के वसूलने की लगन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि अमीटरीकृत सम दर कृषि उपभोक्ताओं हेतु यह लागू नहीं है। इसलिये याचिकाकर्ता माननीय आयोग से अनुमोदन चाहता है कि इस नई प्रक्रिया को अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु लागू किया जाये ताकि बिलिंग में सरलता, वसूली में सुधार एवं बकाया राशि की कमी की जा सके। यह उम्मीद की जाती है कि यह योजना अनुज्ञप्तिधारी की वसूली में सुधार करेगी एवं कंपनी को व्यवसायिक दक्षता प्रदान करेगी। अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं के अलावा कोई भी उपभोक्ता इस योजना (जो सीमित समय हेतु लागू है।) इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने हेतु साध्य नहीं होगा। कंपनी द्वारा वसूली में सुधार हेतु लिया गया सजग निर्णय है जो इस योजना को अपनाने वाले उपभोक्ताओं का अधिभार माफ किया जाता है।

Current Provisions in Supply Code

Clause 10.13 “10.13 All payments made by the consumer will be adjusted in the following order of priority:

- (a) *Electricity Duty and Cess on the current consumption*
- (b) *Arrears of Electricity Duty plus arrears of Cess.*
- (c) *Delayed payment surcharge*
- (d) *Balance of arrears*
- (e) *Balance of current bill amount*

Permission required on case basis to offset the payment for the selected consumer's category (un-metered Agriculture consumers) who opt for the scheme in the manner as given below;

All payments made by the consumer will be adjusted in the following order of priority:

- (a) *Electricity Duty and Cess on the current consumption*
- (b) *Arrears of Electricity Duty plus arrears of Cess.*
- (c) *Balance of current bill amount*
- (d) *Delayed payment surcharge*
- (e) *Balance of arrears*

निबंधन तथा शर्तें

(ए) अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु विकल्प देने वाले उपभोक्ताओं को चार माह के अग्रिम प्रभारों का भुगतान करना होगा तथा इनमें वे उपभोक्ता भी शामिल होंगे जो केवल एक माह हेतु संयोजन का लाभ लेने हेतु अनुरोध करते हैं जो कि बढ़ाई गई अवधि हेतु समय-समय पर की गई संपूर्ति (Replacement) के अध्यधीन तथा संयोजन विच्छेद उपरान्त अन्तिम देयक के अनुसार समायोजन के अध्यधीन होगा। फसलों की श्रेषिंग के प्रयोजन से अस्थाई संयोजन के संबंध में केवल रबी तथा खरीफ मौसम के अन्त में एक माह की अवधि हेतु अस्थाई संयोजन एक माह के प्रभारों के अग्रिम भुगतान द्वारा प्रदाय किया जा सकेगा।

(बी) मीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा बचत उपकरण स्थापित किये जाने पर, निम्न प्रोत्साहन प्रदान किये जाएंगे :

सरल क्रमांक	ऊर्जा बचत उपकरणों का विवरण	टैरिफ में छूट (रिबेट) दर
1	पंप सेट्स हेतु जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों से संयोजित हैं	15 पैसे प्रति यूनिट
2	पंप सेट्स हेतु, जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों से संयोजित हैं तथा घर्षण रहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्ब के उपयोग हेतु	30 पैसे प्रति यूनिट
3	पंप सेट्स हेतु, जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों से संयोजित हैं तथा घर्षण रहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्ब के उपयोग हेतु मय उपयुक्त श्रेणी (रेटिंग) के शंट कैपेसिटर की संस्थापना हेतु	45 पैसे प्रति यूनिट

‘मांग परक प्रबंधन के अंतर्गत, ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन सामान्य टैरिफ दर पर (पूर्ण टैरिफ दर में से शासकीय अनुदान प्रति यूनिट घटा कर, यदि यह देय हो) पर उपभोक्ता के अंशदान भाग पर ही अनुज्ञेय किया जाएगा।

यह प्रोत्साहन केवल उसी दशा में अनुज्ञेय होगा, यदि पूर्ण बिल की राशि का भुगतान निर्धारित तिथियों के अंदर कर दिया जाए जिसका परिपालन न किये जाने पर, समस्त खपत किये गये यूनिटों को सामान्य दर पर प्रभारित किया जाएगा। प्रोत्साहन स्थापना के माह के उपरान्त ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही अनुज्ञेय होगा। अनुज्ञप्तिधारी को ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था हेतु वृहद् रूप से इसका प्रचार-प्रसार करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक सूचना अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होगी।

(सी) न्यूनतम खपत :

(i) मीटरीकृत कृषि संबंधी उपभोक्ताओं हेतु (एलवी-5.1) : ऐसे उपभोक्ताओं को माह जून से सितम्बर तक संयोजित भार की 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश की प्रतिमाह की न्यूनतम खपत तथा माह अक्टूबर से मार्च तक संयोजित भार की 90 यूनिट प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश की प्रतिमाह न्यूनतम खपत प्रत्याभूत (गारंटी) करनी होगी, इस तथ्य से असंबद्ध कि वर्ष के दौरान किसी विद्युत मात्रा की खपत की गई है या नहीं।

(ii) कृषि संबंधी अन्य प्रयोग हेतु (एलवी-5.2):

(अ) ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता को सविंदा मांग का 240 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके अंश पर तथा शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ता को सविंदा मांग का 480 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके अंश पर आधारित न्यूनतम वार्षिक खपत (किलावोट ऑवर में) प्रत्याभूत करनी होगी, इस तथ्य से असंबद्ध कि वर्ष के दौरान किसी विद्युत मात्रा की खपत की गई है अथवा नहीं।

(ब) उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 20 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में 40 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत मासिक न्यूनतम खपत (किलोवाट आवर में) से कम हो।

(स) न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग की विधि निम्न दाब विद्युत-दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

(डी) आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार : इनकी बिलिंग विधि निम्न दाब विद्युत दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

(ई) वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु विषिष्ट शर्तें :

अ. वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं को उनके वास्तविक संयोजित भार पर की गई यूनिटों की गणना के अनुसार ऊर्जा प्रभारों का भुगतान करना होगा।

ब. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे संयोजित उपभोक्ताओं से बिलिंग हेतु उपरोक्त (अ) में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार सहमति प्राप्त की जाएगी।

(एफ) पावर सर्किट से पंप पर या उस के समीप एक 40 वॉट लैम्प लगाने की अनुमति होगी।

(जी) तीन-फेज कृषि पंप का उपयोग, एकल फेज पर उपलब्ध विद्युत प्रदाय के दौरान बाह्य उपकरण की स्थापना को अवैध विद्युत की निकासी माना जाएगा तथा त्रुटिकर्ता उपभोक्ता के विरुद्ध विद्यमान नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(एच) अन्य निबंधन तथा शर्तें वहीं होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

00000

निम्नदाब टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तें

1. ग्रामीण क्षेत्रों (**Rural Areas**) से अभिप्राय है कि ऐसे संभरक जिन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत विनियमन के अंतर्गत ग्रामीण घोषित किया गया है।
2. पूर्णांक करना (**Rounding off**) : समस्त देयकों को निकटतम रुपये की राशि तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात्, 49 पैसे तक की राशि की उपेक्षा की जाएगी तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को अगले रुपये तक पूर्णांक किया जाएगा।
3. बिलिंग मांग (**Billing demand**) : मांग आधारित टैरिफ के प्रकरण में, माह हेतु बिलिंग मांग, उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। बिलिंग मांग को अगले उच्चतर अंक तक पूर्णांक किया जाएगा।
4. स्थाई प्रभारों की बिलिंग (**Fixed charges billing**)— स्थाई प्रभारों की बिलिंग के प्रयोजन से, आंशिक भार (**Fractional load**) को आगामी उच्चतर अंक तक पूर्णांक किया जाएगा। अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं के संयोजित /स्वीकृत भार को अनुमानित खपत हेतु अगले उच्चतर अंक तक पूर्णांक किया जाएगा।
5. वितरण कंपनियों ने षहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घरों को वित्तीय वर्ष 14 के प्रारंभ से 24 घंटे विद्युत, फीडर विभक्तीकरण योजना के तहत प्रदान करना सुनिश्चित किया है।
फीडर विभक्तीकरण योजना का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों को लगातार विद्युत आपूर्ति करना है जबकि कृषि कार्य हेतु नियंत्रित विद्युत आपूर्ति कर भूजल को बचाना है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सके।
इसलिये माननीय आयोग से यह निवेदन है कि बेहतर एवं लगातार विद्युत प्रदाय करने के एवज में विष्वसनीयता प्रभार (**Reliability Charges**) अनुमोदित करें।
6. न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि (**Method of Billing of Minimum Consumption**) –
 - (अ) उपभोक्ता की बिलिंग प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) जो उसकी श्रेणी हेतु प्रति माह विनिर्दिष्ट की गई है, के बारहवें (1/12) भाग पर की जाएगी, यदि वास्तविक खपत उपरोक्त उल्लेखित की गई खपत से कम है।
 - (ब) उक्त माह, जिसमें वास्तविक संचित खपत (**cumulative consumption**) वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत के बराबर हो जाती है अथवा इससे अधिक हो जाती है तो वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में न्यूनतम मासिक खपत हेतु और आगे बिलिंग नहीं की जाएगी तथा केवल वास्तविक अभिलिखित खपत की बिलिंग ही की जाएगी।

(स) उक्त माह, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की संचयी वास्तविक खपत, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक होती हो तथा यदि उपभोक्ता को उसकी वास्तविक खपत कम होने के कारण, पूर्व के महीनों में मासिक न्यूनतम खपत हेतु प्रभारित किया गया हो तो ऐसी दशा में टैरिफ की न्यूनतम अन्तर खपत का समायोजन उक्त माह में किया जाएगा जिसके अन्तर्गत संचयी खपत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक हो जाती है। यदि ऐसा टैरिफ न्यूनतम अन्तर इस माह में पूर्ण रूप से समायोजित नहीं हो पाता है तो इस प्रकार के समायोजनों को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा। निम्न उदाहरण विद्युत खपत की मासिक बिलिंग की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, जहां 1200 किलोवाट ऑवर (३३३) वार्षिक खपत के आधार पर आनुपातिक मासिक न्यूनतम खपत 100 किलोवाट ऑवर (३३) है।

माह	वास्तविक संचयी खपत	संचयी न्यूनतम खपत	2 तथा 3 में से जो भी अधिक हो	वर्ष के दौरान अद्यतन बिल की गई खपत	यूनिट संख्या जिसकी माह के दौरान बिलिंग की जाना है (4-5)
	;३३३	;३३३	;३३३	;३३३	;३३३
1	2	3	4	5	6
अप्रैल	95	100	100	0	100
मई	215	200	215	100	115
जून	315	300	315	215	100
जुलाई	395	400	400	315	85
अगस्त	530	500	530	400	130
सितम्बर	650	600	650	530	120
अक्टूबर	725	700	725	650	75
नवम्बर	805	800	805	725	80
दिसम्बर	945	900	945	805	140
जनवरी	1045	1000	1045	945	100
फरवरी	1135	1100	1135	1045	90
मार्च	1195	1200	1200	1135	65

7. आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge for Excess Demand) : इसकी बिलिंग निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी :

(अ) वे उपभोक्ता जो मांग आधारित विद्युत दर (टैरिफ) का विकल्प प्रस्तुत करते हैं : मांग आधारित विद्युत दर पर विद्युत प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक उच्चतम मांग, संविदा (Contract Demand) के अंतर्गत सीमित रखनी होगी। तथापि, यदि किसी माह के दौरान वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग से अधिक हो जाती है, तो उक्त माह के दौरान इस अनुसूची के अन्तर्गत विद्युत-दर संविदा मांग तक की सीमा हेतु ही लागू होगी। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को संविदा मांग से अधिक के अध्यधीन (जिसे आधिक्य मांग कहा गया है) अभिलिखित मांग हेतु तथा तत्संबंधी खपत हेतु निम्न दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा :-

-
- (ब) आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार (**Energy Charges for Excess Demand**) : ऐसे प्रकरण में जहां अभिलिखित की गई अधिकतम मांग संविदा मांग से अधिक अभिलिखित की जाती हो, उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों का भुगतान आधिक्य मांग से तत्संबंधी खपत हेतु विद्युत-दर (टैरिफ) के 2 गुना की दर से भुगतान करना होगा।
- (स) आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार (**Fixed Charges for Excess Demand**) : इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :
1. आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 115 प्रतिशत तक हो (**Fixed Charges for Excess Demand when the recorded maximum demand is up to 115% of the contract demand**) :- संविदा मांग से अधिक आधिक्य मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 2 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।
 2. आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 115 प्रतिशत से अधिक हो (**Fixed Charges for Excess Demand when the recorded maximum demand exceeds 115% of the contract demand**) :- उपरोक्त 1 में दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग से 115 प्रतिशत से अधिक अभिलिखित की गई मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 2.5 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।
- (द) उपभोक्ताओं को प्रयोज्य आधिक्य मांग हेतु उपरोक्त बिलिंग, बिना किसी पक्षपात अनुज्ञप्तिधारी के अनुबन्ध के पुनरीक्षण हेतु उसके द्वारा कहे जाने के अधिकारों तथा अन्य अधिकार, जो आयोग द्वारा विनियमों के अन्तर्गत या अन्य किसी कानून के अन्तर्गत अधिसूचित किये गये हों, प्रयोज्य होंगी।
- (ई) प्रत्येक माह के दौरान, किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग (**Maximum Demand**) की गणना उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दु पर उक्त माह के दौरान निरन्तर 15 मिनट की अवधि हेतु प्रदाय की गई किलोवाट एम्पीअर आवर्स की उच्चतम मात्रा का चार गुना के रूप में की जाएगी।

8. अन्य निबंधन तथा शर्तें:—

- (ए) खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये किसी अग्रिम भुगतान की राशि जिसके लिए देयक तैयार किया गया है, एक प्रतिशत प्रतिमाह की छूट उक्त राशि (प्रतिभूतिनिक्षेप राशि को छोड़कर) पर, जो अनुज्ञप्तिधारी के पास कलेण्डर माह के अंत में शेष रहती है, उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, उपभोक्ता के खाते में आंकलित (क्रेडिट) कर दी जाएगी।
- (बी) तत्पर (**Prompt**) भुगतान हेतु छूट : ऐसे प्रकरणों में, जहां किसी चालू माह हेतु देयक की राशि रु. एक लाख या इससे अधिक हो तथा देयक का भुगतान निर्धारित भुगतान तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कर दिया जाता है, देयक राशि विद्युत शुल्क (**Electricity Duty**) तथा उपकरण को छोड़कर, के तत्पर भुगतान पर 0.25 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। वे उपभोक्ता, जिनके विरुद्ध देयकों की राशि बकाया हो, उन्हें इस छूट की पात्रता नहीं होगी।
- (सी) स्वीकृत भार/संयोजित भार/संविदा मांग 75 किलोवाट/100 अश्वशक्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि उपभोक्ता उसके भार/मांग को 75 किलोवाट/100 अश्वशक्ति की इस उच्चतम सीमा का उल्लंघन टैरिफ अवधि के अन्तर्गत दो बिलिंग माह में दो अवसरों से अधिक बार करता हो तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उच्चदाब विद्युत प्रदाय प्राप्त किये जाने बाबत आग्रह कर सकेगा।
- (डी) मापयंत्र प्रभारों (**metering charges**) की बिलिंग, मीटरिंग तथा प्रभारों की अनुसूची के अनुसार जैसा कि इसे मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय करने का अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार की जाएगी। बिलिंग के प्रयोजन से माह के एक अंश को पूर्ण माह माना जाएगा।
- (ई) ऐसे प्रकरण में, जहां उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश (चेक) को अनादरित (डिसआनर्ड) कर दिया गया हो, वहां नियमों के अनुसार, बिना किसी पक्षपात अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार के कोई कार्यवाही किये जाने हेतु, जैसा कि सुसंगत कानून के अन्तर्गत उपलब्ध हो, 150 रुपये प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त, अधिरोपित किया जाएगा।

-
- (एफ) अन्य प्रभार, जैसा कि इनका उल्लेख विविध प्रभारों की अनुसूची में किया गया है, भी अतिरिक्त रूप से लागू होंगे।
- (जी) वेल्डिंग अधिभार वेल्डिंग ट्रांसफार्मरयुक्त संस्थापनाओं के साथ प्रयोज्य होगा, जहां पर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का भार कुल संयोजित भार से 25 प्रतिशत अधिक हो तथा जहां पर निर्दिष्ट क्षमता के उपयुक्त कैपेसिटर स्थापित नहीं किये गये हों जिससे कि ऊर्जा-कारक (पावर फेक्टर) न्यूनतम 0.8 (80 प्रतिशत) लैगिंग का सुनिश्चित किया जा सके, वेल्डिंग अधिभार, माह के दौरान सम्पूर्ण अधिस्थापना हेतु 120 (एक सौ बीस) पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया जाएगा।
- (एच) वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों का संयोजित भार किलोवॉट में गणना किये जाने के प्रयोजन से ऐसे वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों का 0.6 (60 प्रतिशत) का ऊर्जा-कारक (पावर फेक्टर) अधिकतम करंट का अथवा केवीए रेटिंग पर प्रयोज्य होगा।
- (आई) विद्यमान निम्नदाब उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में उसके द्वारा उचित क्षमता (रेटिंग) के निम्नदाब कैपेसिटर की व्यवस्था कर दी गई है। इस संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 का अवलोकन मार्गदर्शन हेतु किया जा सकता है। उपभोक्ता द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व रहेगा कि किसी एक माह के दौरान समग्र रूप से औसत ऊर्जा-कारक (पावर फेक्टर) 0.8 (80 प्रतिशत) से कम न रहे। उपरोक्त मानदण्ड प्राप्त न किये जाने पर, उपभोक्ता को माह के दौरान ऊर्जा प्रभारों पर निम्न दरों के अनुसार निम्न ऊर्जा-कारक (लो पावर फेक्टर) हेतु भुगतान करना होगा:

1. ऐसे निम्न दाब उपभोक्ता के लिये, जिसका मीटर औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) अभिलेखन हेतु सक्षम है :
 - क. 80 प्रतिशत से नीचे 75 प्रतिशत तक, ऊर्जा कारक की प्रत्येक 1 प्रतिशत गिरावट के लिये, ऊर्जा प्रभारों पर 1 प्रतिशत की दर से अधिभार।
 - ख. 75 प्रतिशत से नीचे 70 प्रतिशत तक, ऊर्जा कारक की प्रत्येक 1 प्रतिशत गिरावट के लिये ऊर्जा प्रभारों पर 5 प्रतिशत + 1.25 प्रतिशत की दर से अधिभार।
 - ग. अधिभार की अधिकतम सीमा माह के दौरान बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों के 10 प्रतिशत राशि तक सीमित होगी।

2. ऐसे निम्न दाब उपभोक्ता के लिये, जिसका मीटर औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) अभिलेखन हेतु सक्षम नहीं है : उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उचित क्षमता के निम्न दाब कैपेसिटर की व्यवस्था करे तथा इसे सही हालत में कार्यरत रखे। इस संबंध में, मार्गदर्शन हेतु मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 का अवलोकन किया जा सकता है। उपरोक्त मानदण्डों का परिपालन न किये की दशा में, उपभोक्ता पर माह के दौरान ऊर्जा प्रभारों के विरुद्ध बिल की गई सम्पूर्ण राशि पर 10 प्रतिशत की दर से निम्न ऊर्जा कारक (Low Power Factor) अधिभार अधिरोपित किया जाएगा तथा इसे ऐसी अवधि तक जारी रखा जाएगा जब तक कि उपभोक्ता उपरोक्त मानदण्डों की आपूर्ति नहीं कर लेता।
- (जे) यदि उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा-कारक (पावर फेक्टर) में सुधार किये जाने के संबंध में उचित शंट कैपेसिटर्स की स्थापना द्वारा उचित कदम नहीं उठाये जाते तो उपरोक्तानुसार दर्शाये गये वेल्डिंग/भार-कारक (पावर फेक्टर) सरचार्ज, अनुज्ञप्तिधारी के बिना किसी पक्षपात, उपभोक्ता की संस्थापना के संयोजन-विच्छेद (डिसकनेक्ट) किये जाने के अधिकारों के अंतर्गत होंगे।
- (के) भार कारक (लोड फेक्टर) रियायत : मांग आधारित टैरिफ (डिमांड बेस्ड टैरिफ) के अंतर्गत, उपभोक्ताओं को निम्नानुसार रियायत के स्लैब (खण्ड) अनुज्ञेय होंगे :

भार-कारक (लोड फेक्टर)	ऊर्जा प्रभारों में रियायत
संविदा मांग पर 25 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक के भार-कारक (लोड फेक्टर) पर	बिलिंग माह के दौरान, 25 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 12 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी
संविदा मांग पर 30 प्रतिशत से अधिक तथा 40 प्रतिशत तक के भार कारक पर	30 प्रतिशत भार कारक तक उपलब्ध भार कारक रियायत के अतिरिक्त, बिलिंग माह के दौरान, 30 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 24 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी।
संविदा मांग पर 40 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर	40 प्रतिशत भार कारक तक उपलब्ध भार कारक रियायत के अतिरिक्त, बिलिंग माह के दौरान, 40 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 36 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी

भार कारक (लोड फेक्टर) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत में)} = \frac{\text{मासिक खपत} \times 100}{\text{बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या} \times \text{मांग} \times \text{ऊर्जा कारक (पी.एफ.)}}$$

i. मासिक खपत माह के दौरान की गई यूनिटों (KWH) में खपत के अनुसार होगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी के अलावा बाह्य स्रोतों से प्राप्त किये यूनिटों की संख्या सम्मिलित नहीं होगी।

ii. बिलिंग माह में अनुसूचित विद्युत अवरोध (Scheduled Outages) घंटों की संख्या शामिल नहीं होगी।

iii. अधिकतम अभिलिखित मांग (maximum demand recorded) या संविदा मांग (contract demand), इनमें से जो भी अधिक हो

iv. वास्तविक औसत मासिक ऊर्जा कारक या 0.8 ऊर्जा कारक, इनमें से जो भी अधिक हो।

टीप : भार कारक (लोड फेक्टर) प्रतिशत को निकटतम संख्या (Integer) तक पूर्णांक किया जाएगा। बिलिंग माह, मीटर वाचन की दो क्रमवर्ती (consecutive) तिथियों की दिवस संख्या में वह अवधि होगी जो कि उपभोक्ता हेतु, बिलिंग के प्रयोजन से एक माह के रूप में विचाराधीन हो।

- (एल) किसी विषिष्ट निम्न दाब श्रेणी पर, टैरिफ की प्रयोज्यता के संबंध में विवाद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।
- (एम) विद्युत-दर (टैरिफ) में विद्युत ऊर्जा पर कर (टैक्स), उपकर (सेस) अथवा शुल्क (ड्यूटी) सम्मिलित नहीं होतीं, जो कि तत्समय प्रचलित किसी कानून के अनुसार किसी भी समय देय हो सकती हैं। ऐसे प्रभार, यदि लागू हों तो उपभोक्ता द्वारा इनका भुगतान टैरिफ प्रभारों तथा प्रयोज्य विविध प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।
- (एन) **समस्त श्रेणियों हेतु विलम्बित भार अधिभार :** बकाया (outstanding) राशि पर पूर्व की अवशेष राशि (तत्तमंत) सम्मिलित कर, पर 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश अनुसार, की दर से अधिभार की राशि का भुगतान करना होगा यदि देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता, जो कुल बकाया देयक की राशि रु. 500/- तक न्यूनतम रु. 5/- तथा देयक की राशि के रु. 500/- से अधिक होने पर न्यूनतम रु. 10/- के अध्यधीन होगा। विलम्बित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन से, माह के किसी अंश को पूर्ण माह माना जाएगा। किसी उपभोक्ता का विद्युत प्रदाय संयोजन स्थाई तौर पर विच्छेद किये जाने के उपरान्त विलम्बित भुगतान अधिभार को अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

- (ओ) निम्नदाब संयोजन को उच्चदाब संयोजन में परिवर्तन किये जाने की दशा में, उपभोक्ता द्वारा उच्च दाब विद्युत प्रदाय की सुविधा का लाभ उठाने से पूर्व दोनों उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी को उच्चदाब अनुबंध निष्पादित किया जाना अनिवार्य (आदेशात्मक) होगा।
- (पी) ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) प्रोत्साहन : यदि औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक हो तो प्रोत्साहन निम्नानुसार भुगतान योग्य होगा :

भार कारक (पावर फैक्टर)	बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों पर भुगतान योग्य प्रोत्साहन प्रतिशत
85 प्रतिशत से अधिक तथा 86 प्रतिशत तक	0.5
86 प्रतिशत से अधिक तथा 87 प्रतिशत तक	1.0
87 प्रतिशत से अधिक तथा 88 प्रतिशत तक	1.5
88 प्रतिशत से अधिक तथा 89 प्रतिशत तक	2.0
89 प्रतिशत से अधिक तथा 90 प्रतिशत तक	2.5
90 प्रतिशत से अधिक तथा 91 प्रतिशत तक	3.0
91 प्रतिशत से अधिक तथा 92 प्रतिशत तक	3.5
92 प्रतिशत से अधिक तथा 93 प्रतिशत तक	4.0
93 प्रतिशत से अधिक तथा 94 प्रतिशत तक	4.5
94 प्रतिशत से अधिक तथा 95 प्रतिशत तक	5.0
95 प्रतिशत से अधिक तथा 96 प्रतिशत तक	6.0
96 प्रतिशत से अधिक तथा 97 प्रतिशत तक	7.0
97 प्रतिशत से अधिक तथा 98 प्रतिशत तक	8.0
98 प्रतिशत से अधिक तथा 99 प्रतिशत तक	9.0
99 प्रतिशत से अधिक	10.0

इस प्रयोजन से, "औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)" को माह के दौरान 'कुल किलोवॉट आवर्स' तथा 'कुल किलो वोल्ट एम्पीयर आवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

- (क्यू) दिवस के समय (टाईम ऑफ डे-टीओडी) अधिभार/छूट: यह योजना केवल मांग आधारित टैरिफ वाले उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होगी। यह योजना दिवस की अलग-अलग अवधियों हेतु प्रयोज्य होगी, अर्थात् सामान्य अवधि (नार्मल पीरियड), शीर्ष-भार (पीक लोड) तथा शीर्ष-बाह्य भार (ऑफ पीक लोड) अवधि हेतु। खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट निम्न तालिका के अनुसार लागू होंगे :

स.क्र.	शीर्ष/शीर्ष-बाह्य अवधि	तत्संबंधी अवधि हेतु खपत की गई विद्युत पर ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट
1	सायं शीर्ष-भार अवधि (सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 30 प्रतिशत, अधिभार के रूप में
2	शीर्ष –बाह्य अवधि (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर

टीप : स्थाई प्रभारों की बिलिंग सदैव केवल सामान्य दरों पर की जाएगी, अर्थात्, दिवस के समय (टीओडी) अधिभार/छूट स्थाई प्रभारों पर प्रयोज्य न होंगे।

- (आर) एक ही संयोजन से मिश्रित भारों का उपयोग : जब तक किसी टैरिफ श्रेणी में विशिष्ट रूप से अनुज्ञेय न किया जाए, विभिन्न प्रयोजनों हेतु मिश्रित भारों हेतु अनुरोध करने वाले उपभोक्ता को उक्त प्रयोजन हेतु विद्युत-दर की बिलिंग की जाएगी, जो इनमें से उच्चतर हो।
- (एस) शहरी नियमावली (discipline) के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं पर शहरी विद्युत बिलिंग लागू की जाएगी।
- (टी) यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होगी, भले ही कोई उपबंध उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध से विपरीतात्मक हो।

9. निम्नदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु अतिरिक्त शर्तें :

- (ए) किसी प्रत्याशित विद्यमान उपभोक्ता द्वारा अस्थाई विद्युत प्रदाय की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सामान्यतः इसकी व्यवस्था की जा सकेगी, जब मांग हेतु यथोचित नोटिस दिया जाए। अस्थाई अतिरिक्त विद्युत प्रदाय को अतिरिक्त सेवा माना जाएगा तथा निम्न शर्तों के अधीन इसे प्रभारित किया जाएगा। तथापि, तत्काल योजना के अंतर्गत विविध प्रभारों की अनुसूची अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रभारों के अनुसार सेवा 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।
- (बी) स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग सामान्य टैरिफ की 1.5 गुना की दर से, जैसा कि वह तत्संबंधी श्रेणी हेतु लागू हो, की जाएगी, यदि वह विशिष्ट रूप से अन्यथा विनिर्दिष्ट न की गई हो।

-
- (सी) प्राक्कलित देयक राशि का भुगतान अस्थाई संयोजनों को सेवाकृत करने से पूर्व, अग्रिम रूप से भुगतान योग्य है जिसकी समय-समय पर सम्पूर्ति (replenishment) की जाएगी तथा संयोजन विच्छेद के समय इसे अन्तिम देयक के अनुसार समायोजित किया जाएगा। इस अग्रिम भुगतान पर उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का ब्याज देय न होगा।
- (डी) स्वीकृत भार/संयोजित भार 75 किलोवाट/100 अश्वशक्ति से अधिक न होगा।
- (ई) अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु प्रभारों की बिलिंग के प्रयोजन से, माह से अभिप्रेत है संयोजन की दिनांक से 30 दिवस की अवधि। बिलिंग के प्रयोजन से तीस दिवस से कम की किसी भी अवधि को पूर्ण माह माना जाएगा।
- (एफ) संयोजन एवं संयोजन विच्छेद प्रभार तथा अन्य विविध प्रभारों का भुगतान पृथक से करना होगा जैसा कि इन्हें विविध प्रभारों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (जी) भार-कारक (लोड-फैक्टर) रियायत (कन्सेशन) को अस्थाई संयोजन खपत हेतु अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।
- (एच) ऊर्जा-कारक (पावर फैक्टर) प्रोत्साहन/अर्थदण्ड स्थाई संयोजन के अनुरूप एक समान दर पर प्रयोज्य होंगे।

दर प्रस्ताव याचिका

वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु

प्रस्तुतकर्ता :

म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर



मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
ब्लाक नं. 7, शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर



मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जी.पी.एच. कंपाउन्ड, पोलोग्राउन्ड, इन्दौर,



मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
बिजली नगर कालोनी, निष्ठा परिसर, गोविन्दपुरा, भोपाल



प्रस्तावित दर अनुसूची – उच्चदाब

(हिन्दी रूपांतरण)

(विशेष टीप:- वित्त वर्ष 2014 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव याचिका का यह हिन्दी रूपांतरण हितधारकों की सुलभता के लिए किया गया है, किसी भी विषय विशेष के भावार्थ तथा आंकड़ों की सत्यता पर भ्रम की स्थिति में मूल अंग्रेजी याचिका ही मान्य होगी)

प्रस्तावित दर अनुसूची

उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु

अनुक्रमाणिका

Tariff Category		Page no.
एच.व्ही-1	रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	03
एच.व्ही-2	कोयला खदानें (कोल माईन्स)	06
एच.व्ही-3	औद्योगिक, गैर-औद्योगिक	08
एच.व्ही-3.1	औद्योगिक	08
एच.व्ही-3.2	गैर औद्योगिक	08
एच.व्ही-3.3	शॉपिंग मॉल	08
एच.व्ही-4	मौसमी	13
एच.व्ही-5	सिंचाई एवं सार्वजनिक जलप्रदाय	16
एच.व्ही-5.1	सार्वजनिक जलप्रदाय, उद्वहन सिंचाई योजना तथा समूह सिंचाई योजना	16
एच.व्ही-5.2	कृषि संबंधी के अतिरिक्त उपयोग	16
एच.व्ही-6	थोक आवासीय प्रयोक्ता (बल्क रेसीडेन्शियल यूजर्स)	19

उच्चदाब उपभोक्ताओं हेतु अनुसूचियाँ

विद्युत-दर (टैरिफ) अनुसूची-एच.व्ही-1 रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन) :

प्रयोज्यता :

यह विद्युत-दर (टैरिफ) रेलवे के केवल कर्षण (ट्रेक्शन) भारों हेतु लागू होगी।

विद्युत-दर (टैरिफ) एच.व्ही-1

सरल क्रमांक	उपभोक्ता श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति के.व्ही.ए बिलिंग मांग प्रतिमाह)	ऊर्जा प्रभार (रू/यूनिट)
1	132 के.व्ही./220 के.व्ही. पर रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	297	5.60

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

- (ए) राज्य में रेलवे नेटवर्क को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की दृष्टि से संयोजन तिथि से पांच वर्षों की अवधि हेतु उन्हीं नवीन रेलवे कर्षण परियोजनाओं हेतु ऊर्जा प्रभारों में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी जिनके अनुज्ञप्तिधारी के साथ विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु अनुबंध वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अंतिम किये जाते हैं। पूर्व में जारी किये गये आदेशों में दी गई, छूट उक्त टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत उल्लेखित दर तथा अवधि हेतु जारी रहेगी।
- (बी) समर्पित संभरक संधारण प्रभार (डेडिकेटेड फीडर मेंटनसे चार्जस) लागू नहीं होंगे।
- (सी) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (Guaranteed Minimum Consumption) संविदा मांग की 1500 यूनिट (किलोवाट ऑवर) प्रति के.व्ही.ए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब विद्युत-दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में दर्शाये गये के अनुरूप होगी।

(डी) ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) अर्थदण्ड :

- i. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उसे प्रत्येक 1 प्रतिशत गिरावट हेतु जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा।
- ii. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उपभोक्ता को शीर्ष "ऊर्जा प्रभारो" के अन्तर्गत कुल देयक राशि पर 5 (पांच) प्रतिशत + 2 (दो) प्रतिशत की दर से जिसके अनुसार औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, अधिरोपित किया जाएगा। यह अर्थदण्ड इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्न ऊर्जा कारक के कारण समग्र अर्थदण्ड 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- iii. इस प्रयोजन हेतु, "औसत मासिक ऊर्जा कारक (।अमृतंम उवदजीसल चवूमत बिजवत)" को माह के दौरान "कुल किलोवॉट ऑवर्स" तथा 'कुल किलो वोल्ट एम्पीयर ऑवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा कारक के इस अनुपात (प्रतिशत) को निकटतम एकीकृत अंश तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न को आगामी उच्च अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित किया जाएगा।
- iv. उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 (छः) माह के दौरान किसी भी समय 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उपभोक्ता उपरोक्त को इसका सुधार कम से कम 90 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु प्राधिकृत होगा :-

-
- यह छः माह की अवधि उक्त तिथि से मान्य की जाएगी जिस पर औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 प्रतिशत से कम पाया गया था।
 - समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों की बिलिंग की जाएगी, परन्तु यदि उपभोक्ता अनुवर्ती चार माह में कम से कम 90 प्रतिशत से अधिक औसत ऊर्जा कारक संधारित करता है तो कथित छः माह की अवधि को वापस ले लिया जाएगा तथा इन्हें आगामी मासिक बिलों में आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा।
 - उल्लेखित की गई यह सुविधा, नवीन उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार देय नहीं होगी, जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से छः माह के दौरान 90 प्रतिशत से कम रहा हो। तत्पश्चात्, निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण यदि यह 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उन्हें प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भांति ही करना होगा।

(ई) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में उल्लेखित की गई है।

विद्युत-दर (टैरिफ) अनुसूची-एच.व्ही-2 कोयला खदानें (कोल माईन्स)

प्रयोज्यता :

यह विद्युत-दर (टैरिफ) कोयला खदानों को पावर, वातायन (वेंटिलेशन), प्रकाश, पंखे, कूलर आदि हेतु लागू होगी जिससे अभिप्राय है समस्त ऊर्जा का कोयला खदानों, कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन में प्रकाश व्यवस्था, प्रांगण की प्रकाश व्यवस्था आदि तथा उनसे संलग्न आवासीय उपयोग में विद्युत ऊर्जा की खपत को सम्मिलित किया जाना।

विद्युत-दर (टैरिफ) एच.व्ही-2

स.क्र.	उपभोक्ता उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग माँग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (रू/यूनिट)	
			50 प्रतिशत भार कारक (लोड फैक्टर) तक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (रू प्रति यूनिट)	50 प्रतिशत से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (रू प्रति यूनिट)
	कोयला खदानें			
1	11 के.व्ही. प्रदाय	581	6.30	5.30
2	33 के.व्ही. प्रदाय	592	6.00	5.10
3	132 के.व्ही. प्रदाय	588	5.80	4.90
4	220 के.व्ही. प्रदाय	599	5.70	4.80

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें:

(ए) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (Guaranteed Minimum Consumption) : निम्न आधार पर होगी :

प्रदाय वोल्टेज	प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिट (किलो वाट ऑवर में) प्रति के.व्ही.ए संविदा मांग का
220/132 के.व्ही. पर विद्युत प्रदाय हेत	1620
33/11 के.व्ही. पर विद्युत प्रदाय हेतु	1200

टीप : न्यूनतम खपत की बिलिंग विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होंगी।

(बी) दिवस के समय (टाईम ऑफ डे—टीओडी) अधिभार/छूट: यह अधिभार/छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

(सी) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वहीं होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में उल्लेख की गई हैं।

विद्युत-दर (टैरिफ) अनुसूची-एच.व्ही-3

औद्योगिक, गैर-औद्योगिक तथा शॉपिंग मॉल

प्रयोज्यता :

टैरिफ क्रमांक एच.व्ही.-3.1 (औद्योगिक): समस्त उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को, खदानों को सम्मिलित कर (कोयला खदानों को छोड़कर) पावर, प्रकाश, पंखा आदि को लागू होगा जिससे अभिप्राय है कार्यालयों, मुख्य फेक्टरी भवन, भण्डारों, केन्टीन, उद्योगों की आवासीय कालोनियों, प्रांगण आदि की प्रकाश व्यवस्था तथा डेरी इकाईयां जहां दूध का प्रसंस्करण (शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण आदि को छोड़कर) अन्य दुग्ध पदार्थों के उत्पादन में खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना।

टैरिफ क्रमांक एच.व्ही.-3.2 (गैर-औद्योगिक): रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, होटलों, शासकीय अस्पतालों, संस्थानों आदि (उपभोक्ताओं के समूह को छोड़कर) जैसी संस्थापनाओं को लागू होगा जिनके पावर, प्रकाश तथा पंखा आदि के मिश्रित भार हैं जिससे अभिप्राय है कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन, प्रांगण आदि की प्रकाश व्यवस्था हेतु खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना। इसमें समस्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ता भी सम्मिलित होंगे, जो निम्नदाब गैर-घरेलू श्रेणी में परिभाषित होते हैं, बशर्ते उच्चदाब उपभोक्ता किसी भी प्रकार से अन्य निम्नदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा को न ही पुनर्वितरित करेगा अथवा न ही इसे उप-भाटक (सब-लेट) पर देगा।

टैरिफ क्रमांक एच.व्ही.-3.3 (शॉपिंग मॉल): शॉपिंग मॉल की संस्थापनाओं को लागू होगा जिनमें निम्न परिभाषित गैर-औद्योगिक समूह सम्मिलित हैं जो इस अनुसूची (डी) में दर्शाये विशिष्ट निबन्धनों तथा शर्तों के अध्याधीन होंगे।

शॉपिंग मॉल किसी शहरी क्षेत्र में एक बहुमंजिला बाजार करने का एक केन्द्र है जो पैदल भ्रमण करने वालों के लिये समावृत होगा जिसमें घेरी गई भूमि के अन्तर्गत पैदल चलने वालों के लिये मार्ग निर्मित होंगे तथा जिसका प्रबन्धन संस्था/विकास-अभिकरण (डेवलपर) द्वारा एक इकाई के रूप में स्वतंत्र खुदरा स्टोर समूह सेवाओं तथा पार्किंग स्थलों का निर्माण तथा संधारण किया जाता है।

टैरिफ क्रमांक एच.व्ही.-3.4: गहन विद्युत उद्योग (पावर इन्टेंसिव इन्डस्ट्रीज), श्रेणी लघु इस्पात संयन्त्रों (मिनी स्टील प्लांट या एमएसपी) मय रोलिंग मिल, स्पॉज आयरन संयन्त्र के, जो एक ही परिसर में स्थिति हों, विद्युत रासायनिक (इलेक्ट्रो-केमिकल), विद्युत ताप उद्योग (इलेक्ट्रो थर्मल इन्डस्ट्रीज), फ़ैरो-अलॉय उद्योग, जिसका तात्पर्य तथा इसमें सम्मिलित होगी फ़ैक्टरी परिसर में खपत की गई समस्त विद्युत तथा कार्यालयों, मुख्य फ़ैक्टरी भवन, गोदामों केटीन, उद्योगों के आवासीय परिसरों (कालोनियों), परिसर में विद्युत व्यवस्था (कम्पाउन्ड लाईटिंग) आदि।

विद्युत-दर (टैरिफ) एच.व्ही-3

स.क्र.	उपभोक्ता उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग माँग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (रु/यूनिट)	
			50 प्रतिशत भार कारक (लोड फैक्टर) तक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (रु प्रति यूनिट)	50 प्रतिशत भार कारक (लोड फैक्टर) तक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (रु प्रति यूनिट)
3.1	औद्योगिक			
	11 के.व्ही. प्रदाय	259	5.90	5.20
	33 के.व्ही. प्रदाय	426	5.80	4.60
	132 के.व्ही. प्रदाय	526	5.20	4.30
	220 के.व्ही. प्रदाय	560	4.90	4.10
	400 के.व्ही. प्रदाय	560	4.90	4.10
3.2	गैर-औद्योगिक			
	11 के.व्ही. प्रदाय	219	6.20	5.30
	33 के.व्ही. प्रदाय	336	5.80	5.00
	132 के.व्ही. प्रदाय	476	5.40	4.60
3.3	शॉपिंग मॉल			
	11 के.व्ही. प्रदाय	219	6.20	5.30
	33 के.व्ही. प्रदाय	322	6.00	5.20
	132 के.व्ही. प्रदाय	448	5.40	4.60
3.4	गहन विद्युत उद्योग (चूमत प्दजमदेपअम प्दकनेजतपमे)			
	33 के.व्ही. प्रदाय	500	4.50	4.50
	132 के.व्ही. प्रदाय	627	4.20	4.20

विशिष्ट निबन्धन शर्तें :

- (ए) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (**Guaranteed Minimum Consumption**) : उपरोक्त दर्शाई गई समस्त श्रेणियों हेतु निम्न आधार पर होगी :

प्रदाय वोल्टेज	उप-श्रेणी	प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिट (किलोवाट ऑवर) में प्रति के.व्ही.ए संविदा मांग का
400 / 220 / 132 के.व्ही. पर विद्युत प्रदाय हेतु	रोलिंग मिलें	1200
	शैक्षणिक संस्थाएँ	720
	अन्य	1800
33 / 11 के.व्ही. पर विद्युत प्रदाय हेतु	शैक्षणिक संस्थाएँ	600
	100 के.व्ही.ए की संविदा मांग तक	900
	अन्य	1200

टीप : न्यूनतम खपत की बिलिंग विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होंगी ।

- (बी) दिवस के समय (टाईम ऑफ डे-टीओडी) अधिभार/छूट : यह अधिभार/ छूट उच्चदाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा ।

(सी) शॉपिंग मॉल हेतु अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

- i. वैयक्तिक अन्तिम छोर के प्रयोक्ता को ऐसी विद्युत-दर (टैरिफ) अधिरोपित नहीं की जाएगी जो निम्न दाब संयोजन के प्रकरण में, गैर-घरेलू वाणिज्यिक विद्युत-दर तथा (उपश्रेणी एलवी 2.2) उच्च दाब संयोजन के प्रकरण में उच्च दाब गैर-औद्योगिक विद्युत-दर श्रेणी (उपश्रेणी एचवी 3.2) से अधिक हो, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अवधारित किया जाए।
- ii. इस श्रेणी के अन्तर्गत, समस्त अन्तिम छोर प्रयोक्ताओं को प्रबन्धक संस्थान/विकास अभिकरण (डेवलपर) तथा अनुज्ञप्तिधारी से शॉपिंग मॉल में विद्युत प्रदाय की प्राप्ति तथा उपलब्धि हेतु विद्युत-दर के लाभ प्राप्ति हेतु एक त्रि-पक्षीय अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

(डी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वह होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

विद्युत-दर (टैरिफ) अनुसूची-एच.व्ही-4

मौसमी (सीजनल)

प्रयोज्यता :

यह विद्युत-दर (टैरिफ) ऐसे मौसमी (सीजनल) उद्योगों/उपभोक्ताओं को लागू होगी जिन्हें एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के प्रयोजनों हेतु निरंतर अधिकतम एक सौ अस्सी दिवस की अवधि हेतु तथा न्यूनतम 90 दिवस की अवधि हेतु विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि घोषित मौसम का विस्तार दो टैरिफ अवधियों के अन्तर्गत होता है, तो ऐसी दशा में संबंधित अवधि की विद्युत-दर प्रयोज्य होगी।

अनुज्ञप्तिधारी इस विद्युत-दर (टैरिफ) दर को केवल मौसमी उपयोग वाले किसी उद्योग को ही अनुज्ञेय करेगा।

विद्युत-दर (टैरिफ) एच.व्ही-4

उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग माँग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (रू/यूनिट)	
		50 प्रतिशत भार कारक (लोड फैक्टर) तक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (रू प्रति यूनिट)	50 प्रतिशत भार कारक (लोड फैक्टर) तक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (रू प्रति यूनिट)
5.1 मौसम (सीजन) के दौरान			
11 के.व्ही. प्रदाय	280	5.50	4.80
33 के.व्ही. प्रदाय	314	5.40	4.60
5.2 मौसम बाह्य (आफ सीजन) के दौरान			
11 के.व्ही. प्रदाय	रूपये 280, मौसम के दौरान, संविदा मांग अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो के 10 प्रतिशत पर	रू 6.60 अर्थात्, मौसमी (सीजनल) ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत	लागू नहीं
33 के.व्ही. प्रदाय	रूपये 324, मौसम के दौरान, संविदा मांग अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो के 10 प्रतिशत पर,	रू 6.50 अर्थात्, मौसमी (सीजनल) ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत	लागू नहीं

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

- (ए) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत संविदा मांग का 900 यूनिट (किलोवाट ऑवर) प्रति केवीए होगी । न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी ।
- (बी) दिवस के समय (टाईम ऑफ डे-टीओडी) अधिभार/छूट : यह अधिभार/छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा ।
- (सी) उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु मौसम के तथा मौसम-बाह्य (ऑफ सीजन) के महीने, टैरिफ आदेश के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इन्हें अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा ।
- (डी) उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष 12-13 के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा ।
- (ई) यह विद्युत-दर उन सम्मिश्रित इकाईयों को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं ।
- (एफ) उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम-बाह्य खपत को पिछले तीन मौसमों के अंतर्गत उच्चतम औसत मासिक खपत के 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा । यदि किसी प्रकरण में ऐसे किसी मौसम-बाह्य माह में कोई खपत इस सीमा से अधिक पाई जाए तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वर्ष हेतु, एचवी-3.1 औद्योगिक टैरिफ अनुसूची दर के अनुसार की जाएगी ।

-
- (जी) उपभोक्ता को मौसम-बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग का 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम-बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग इस सीमा से अधिक पाई जाती है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वर्ष हेतु, एचवी-3.1 औद्योगिक टैरिफ अनुसूची के अनुसार की जाएगी।
- (एच) अन्य निबंधन तथा शर्तें वह होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनो तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

विद्युत-दर (टैरिफ) अनुसूची-एच.व्ही-5

सिंचाई, सार्वजनिक जल-प्रदाय तथा कृषि संबंधी के अतिरिक्त उपयोग

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी एचवी-5.1 उद्वहन सिंचाई (लिफ्ट इरीगेशन) योजनाओं, समूह सिंचाई (ग्रुप इरीगेशन), सार्वजनिक उपयोगिता की जलप्रदाय योजनाओं, जल-मल उपचार संयंत्रों/जल-मल पंपिंग संयंत्रों में पावर प्रदाय तथा पंप हाऊस में प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग की गई ऊर्जा हेतु ही लागू होगी।

टीप : निजी जल प्रदाय योजनाएं, संस्था द्वारा अपने स्वयं के उपयोग/कर्मचारियों/ टाऊनशिपों हेतु चलाई जा रही जल प्रदाय आदि योजनाएं इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आएंगी, वरन् इनकी बिलिंग समुचित टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी, जिससे वह संस्था संबद्ध है। यदि जल प्रदाय का उपयोग दो या इससे अधिक प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में उच्चतम विद्युत-दर (टैरिफ) प्रयोज्य होगी।

टैरिफ श्रेणी एचवी-5.2 कृषि पंप संयोजनों को छोड़कर अन्य विद्युत प्रदाय, जैसे कि अंडे सेने के स्थल (हैचरी), मत्स्य तालाबों कुक्कुट पालन (पोल्ट्री फार्म), पशु-प्रजनन केन्द्र (केटल ब्रीडिंग फार्म), चारागाह (ग्रासलैंड), सब्जी/फल/पुष्प कृषि (फ्लोरीकल्चर), कुकरमुत्ता (मशरूम) उगाने वाली इकाईयों, आदि तथा डेरी खे डेरी इकाईयां जहां केवल दूध निकालने का कार्य तथा इसका प्रसंस्करण जैसे कि शीतलीकरण (चिलिंग), पाश्चरीकरण आदि किया जाता है, , को लागू होगी। परन्तु ऐसी इकाईयों में, जहां दूध का प्रसंस्करण दूध के अन्य दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है वहां बिलिंग, एचवी-3.1 (औद्योगिक) श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी।

विद्युत-दर (टैरिफ) एच.व्ही-5

क्रमांक	उपभोक्ताओं की उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग माँग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (रू/यूनिट)	
			50 प्रतिशत भार कारक (लोड फैक्टर) तक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार	50 प्रतिशत भार कारक (लोड फैक्टर) से अधिक खपत हेतु ऊर्जा प्रभार
5.1	सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य, समूह सिंचाई तथा उद्वहन सिंचाई योजनाए			
	11 के.व्ही. प्रदाय	196.00	4.60	4.60
	33 के.व्ही. प्रदाय	219.00	4.40	4.40
	132 के.व्ही. प्रदाय	235.00	4.00	4.00
5.2	कृषि संबंधी अन्य उपयोग			
	11 के.व्ही. प्रदाय	219.00	4.70	4.70
	33 के.व्ही. प्रदाय	242.00	4.40	4.40
	132 के.व्ही. प्रदाय	258.00	4.10	4.10

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

- (ए) प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत : संविदा मांग का 720 यूनिट (किलोवाट ऑवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।
- (बी) दिवस के समय (टाईम ऑफ डे-टीओडी) अधिभार/छूट : उपभोक्ता के उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन हेतु पात्रता होगी।

(सी) मांग-परक प्रबन्धन (डिमांड साईड मैनेजमेंट) अपनाए जाने पर प्रोत्साहन : ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना किये जाने पर खजैसे कि, पम्प सेट्स हेतु, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ऊर्जा दक्ष मोटरों, उपभोक्ता को 5 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। प्रोत्साहन उसी दशा में अनुज्ञेय किया जाएगा, यदि पूर्ण देयक की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जाता है, जिसका परिपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनिटों का भुगतान सामान्य दरों पर करना होगा। इस प्रकार का प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों को प्रयोग में लाये जाने वाले माह के आगामी माह से अनुज्ञेय किया जाएगा तथा इसका सत्यापन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। यह प्रोत्साहन उक्त अवधि तक अनुज्ञेय किया जाना जारी रहेगा जब तक ये ऊर्जा बचत उपकरण सेवारत रहते हैं। अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन हेतु, वृहद् प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करनी होगी। अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ताओं हेतु प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक जानकारी अपनी वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करनी होगी।

(डी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

विद्युत-दर (टैरिफ) अनुसूची-एच.व्ही-6

थोक आवासीय प्रयोक्ता (बल्क रेसीडेन्शियल यूजर्स)

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी एचवी-6.1 औद्योगिक अथवा अन्य टाऊनशिप खउदाहरणतया विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल, सैनिक अभियन्ता सेवा (एमईएस), सीमान्त ग्राम, आदि, के लिए केवल घरेलू प्रयोजन हेतु, जैसे कि प्रकाश व्यवस्था, पंखे, ऊष्मा प्रदाय (हीटिंग) हेतु लागू होगी, बशर्ते यह कि अत्यावश्यक सामान्य सुविधाओं जैसे कि आवासीय क्षेत्र में गैर-घरेलू विद्युत प्रदाय, पथ-प्रकाश व्यवस्था हेतु संयोजित भार निम्नानुसार विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं के अंतर्गत होगा:-

(प) जलप्रदाय तथा जल-मल (सीवेज) पंपिंग, अस्पताल हेतु – कोई सीमा का बंधन नहीं होगा

(पप) गैर-घरेलू/वाणिज्यिक तथा अन्य सामान्य प्रयोजन हेतु समन्वित रूप से-कुल संयोजित भार का 10 प्रतिशत

यदि यह पाया जाएगा कि गैर-घरेलू से संबंधित भार उक्त सीमा से अधिक है तो एच.व्ही.2 के संबंधित वोल्टेज सीमा की दरें भार के उल्लंघन की तिथि से प्रयोज्य होंगी।

टैरिफ श्रेणी एचवी-6.2: भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 798 (ई) दिनांक 9 जून 2005 के अनुसार पंजीकृत सहकारी समूह गृह-निर्माण समितियों तथा अन्य पंजीकृत समूह गृह-निर्माण समितियों तथा वैयक्तिक घरेलू प्रयोक्ताओं को विद्युत प्रदाय हेतु लागू होगी। उपभोक्ताओं की इस श्रेणी हेतु निबन्धन तथा शर्तें विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 4.77 से 4.95 (दोनों धाराएं सम्मिलित करते हुए) के उपबन्धों, जैसे कि ये समय-समय पर संशोधित किये गये हैं, के अनुसार प्रयोज्य होंगी।

विद्युत-दर (टैरिफ) एच.व्ही-6

क्रमांक	उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग माँग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (रू/यूनिट)	
			50 प्रतिशत भार कारक (लोड फैक्टर) तक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (रू प्रति यूनिट)	50 प्रतिशत भार कारक (लोड फैक्टर) तक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (रू प्रति यूनिट)
1.	टैरिफ उप-श्रेणी एचवी-6.1 हेतु			
	11 के.व्ही. प्रदाय	247.00	5.30	4.70
	33 के.व्ही. प्रदाय	265.00	5.10	4.50
	132 के.व्ही. प्रदाय	274.00	4.80	4.20
2.	टैरिफ उप-श्रेणी एचवी-6.2 हेतु			
	11 के.व्ही. प्रदाय	167.00	5.40	4.80
	33 के.व्ही. प्रदाय	173.00	5.30	4.70
	132 के.व्ही. प्रदाय	174.00	5.00	4.40

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

- (ए) प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत : संविदा मांग का 780 यूनिट (किलोवाट आवर) प्रति केवीए होगी । न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी ।
- (बी) समस्त वैयक्तिक अन्तिम छोर प्रयोक्ता या उपभोक्ता (मदक नेमते) को इस श्रेणी के अन्तर्गत विद्युत दर (टैरिफ) के लाभ की प्राप्ति हेतु समूह गृह निर्माण समिति तथा अनुज्ञप्तिधारी के साथ समिति के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु, त्रिपक्षीय अनुबंध करना होगा । वैयक्तिक अन्तिम छोर प्रयोक्ता को संबंधित निम्न दाब श्रेणी की प्रयोज्य विद्युत-दर (टैरिफ) से अधिक की दर अधिरोपित नहीं की जाएगी ।
- (डी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है ।

उच्चदाब विद्युत-दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तें

निम्न निबंधन तथा शर्तें समस्त उच्चदाब उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होंगी, जो तत्संबंधी श्रेणी हेतु उल्लेखित टैरिफ अनुसूची के अंतर्गत उक्त श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अध्वधीन होंगी :

1.1 संविदा मांग को केवल पूर्णांक में ही व्यक्त किया जाएगा

1.2 सेवा का स्वरूप : सेवा का स्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के अनुसार होगा जैसा कि इसे समय-समय पर संशोधित किया जाए।

1.3 प्रदाय बिन्दु :-

(ए) उपभोक्ता को सम्पूर्ण परिसर हेतु विद्युत प्रदाय सामान्य तौर पर एकल बिन्दु पर ही प्रदान किया जाएगा।

(बी) रेलवे कर्षण के प्रकरण में, प्रत्येक उपकेन्द्र पर विद्युत प्रदाय पृथक रूप से मीटरीकृत तथा प्रभारित किया जाएगा।

(सी) कोयला खदानों के प्रकरण में, उपभोक्ताओं को सामान्य तौर पर विद्युत प्रदाय सम्पूर्ण परिसर हेतु एक ही बिन्दु पर किया जाएगा। विद्युत प्रदाय, तथापि, उपभोक्ता के अनुरोध पर उसकी तकनीकी संभावनाओं के अध्वधीन, एक से अधिक बिन्दुओं पर प्रदाय किया जा सकेगा परन्तु ऐसे प्रकरण में मीटरीकरण तथा बिलिंग व्यवस्था प्रदाय के प्रत्येक बिन्दु हेतु अलग-अलग की जाएगी।

1.4 मांग का अवधारण : प्रत्येक माह में विद्युत प्रदाय की अधिकतम मांग, माह के दौरान 15 मिनट की निरंतर अवधि के दौरान, मांग के मापन के सलाईडिंग विंडो सिद्धांत के अनुसार प्रदाय बिन्दु पर प्रदत्त अधिकतम किलोवाट एम्पीयर घंटे का चार गुना होगी।

1.5 बिलिंग मांग (बिलिंग डिमांड) : माह के दौरान, माह हेतु, बिलिंग मांग, उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। बिलिंग मांग को निकटतम उच्चतर अंक तक पूर्णांक किया जाएगा।

1.6 टैरिफ न्यूनतम खपत की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

- 1) उपभोक्ता को उसकी श्रेणी हेतु प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर) में विनिर्दिष्ट संविदा मांग की यूनिट संख्या प्रति केवीए के आधार पर बिलिंग की जाएगी इस तथ्य से असंबद्ध कि वर्ष के दौरान किसी विद्युत मात्रा की खपत की गई है, अथवा नहीं।
- 2) उपभोक्ता की बिलिंग प्रति माह उसकी श्रेणी से संबद्ध निर्धारित की गई प्रत्याभूत वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) के बारहवें ($1/12$) भाग पर की जाएगी, यदि वास्तविक खपत मासिक न्यूनतम खपत से कम हो।
- 3) उक्त माह में, जिसके अन्तर्गत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत (**Guaranteed**) खपत की प्राप्ति पूर्ण कर ली जाती है, उसके अनुवर्ती महीनों में वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक न्यूनतम खपत की बिलिंग नहीं की जाएगी।
- 4) उक्त माह, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की संचयी वास्तविक खपत, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक होती हो तथा यदि उपभोक्ता को उसकी वास्तविक खपत कम होने के कारण, पूर्व के महीनों में मासिक न्यूनतम खपत हेतु प्रभारित किया गया हो तो ऐसी दशा में टैरिफ की न्यूनतम अन्तर खपत का समायोजन उक्त माह में किया जाएगा जिसके अन्तर्गत संचयी खपत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक हो जाती है। यदि ऐसा टैरिफ न्यूनतम अन्तर इस माह में पूर्ण रूप से समायोजित नहीं हो पाता है तो इस प्रकार के समायोजनों को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा। निम्न उदाहरण विद्युत खपत की मासिक बिलिंग की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, जहां 1200 किलो वाट आवर (**KWH**) मासिक खपत के आधार पर आनुपातिक मासिक न्यूनतम खपत 100 किलोवाट आवर (**KWH**) है।

माह	वास्तविक संचयी खपत	संचयी न्यूनतम खपत	2 तथा 3 में से जो भी अधिक हो	वर्ष के दौरान अद्यतन बिल की गई खपत	यूनिट संख्या जिसकी माह के दौरान बिलिंग की जाना है (4-5)
	(kWH)	(kWH)	(kWH)	(kWH)	(kWH)
1	2	3	4	5	6
अप्रैल	95	100	100	0	100
मई	215	200	215	100	115
जून	315	300	315	215	100
जुलाई	395	400	400	315	85
अगस्त	530	500	530	400	130
सितम्बर	650	600	650	530	120
अक्टूबर	725	700	725	650	75
नवम्बर	805	800	805	725	80
दिसम्बर	945	900	945	805	140
जनवरी	1045	1000	1045	945	100
फरवरी	1135	1100	1135	1045	90
मार्च	1195	1200	1200	1135	65

- 1.7 पूर्णांक करना (राउंडिंग ऑफ) : समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जाएगा।
अर्थात्, 49 पैसे तक की राशि की उपेक्षा की जाएगी तथा 50 पैसे एवं उससे अधिक के राशि को अगले रूपये तक पूर्णांक किया जाएगा।

प्रोत्साहन/छूट/अर्थदण्ड :

- 1.8 ऊर्जा कारक प्रोत्साहन (पावर फेक्टर इनसेन्टिव)

ऊर्जा कारक प्रोत्साहन का भुगतान निम्नानुसार देय होगा :

ऊर्जा कारक	बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों पर देय प्रतिशत प्रोत्साहन
95 प्रतिशत से अधिक तथा 96 प्रतिशत तक	1.0 प्रतिशत (एक प्रतिशत) की दर से
96 प्रतिशत से अधिक तथा 97 प्रतिशत तक	2.0 प्रतिशत (दो प्रतिशत) की दर से
97 प्रतिशत से अधिक तथा 98 प्रतिशत तक	3.0 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की दर से
98 प्रतिशत से अधिक तथा 99 प्रतिशत तक	4.5 प्रतिशत (साढ़े-चार प्रतिशत) की दर से
99 प्रतिशत से अधिक	6 प्रतिशत (छः प्रतिशत) की दर से

1.9 भार कारक की गणना तथा भार कारक प्रोत्साहन

1) भार-कारक (लोड फेक्टर) : की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत में)} = \frac{\text{मासिक खपत} \times 100}{\text{बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या} \times \text{मांग} \times \text{ऊर्जा कारक}}$$

- i मासिक खपत, माह के दौरान खपत किये गये यूनिटों (KWH) की संख्या के बराबर होगी जिसमें अनुज्ञापतिधारी से प्राप्त ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त की गई ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाएगा।
- ii बिलिंग माह के दौरान, घंटों की संख्या में, अनुसूचित अवरोध अवधियों (scheduled outages) के घंटे शामिल न होंगे।
- iii मांग : अधिकतम अभिलिखित मांग (उंगपउनउ कमउंदक तमबवतकमक) या संविदा मांग (बवदजतंबज कमउंदक), इनमें से जो भी अधिक हो
- iv ऊर्जा कारक : वास्तविक औसत मासिक ऊर्जा कारक या 0.9, इनमें से जो भी अधिक हो।

टीप : भार कारक (लोड फेक्टर) प्रतिशत को निकटतम निम्न एकीकृत (पदजमहतंस) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा। यदि उपभोक्ता विद्युत ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से प्राप्त कर रहा हो, तो अन्य स्रोतों से प्राप्त किये गये यूनिट, उपभोक्ता को बिल की गई शुद्ध ऊर्जा (खपत किये गये यूनिटों में से अन्य स्रोतों से प्राप्त यूनिटों को घटाकर) को ही केवल भार कारक की गणना के प्रयोजन से माना जाएगा। उपभोक्ता हेतु बिलिंग के प्रयोजन से माह के दौरान मापयन्त्र (मीटर) वाचन की दो क्रमवर्ती ;ब्वदेमबनजपअमद्ध तिथियों के बीच की अवधि दिवस संख्या के रूप में होगी।

- 1.10 खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये किसी अग्रिम भुगतान की राशि जिसके लिए कि देयक तैयार किया गया है, एक प्रतिशत प्रतिमाह का प्रोत्साहन उक्त राशि (प्रतिभूति निक्षेप राशि को छोड़कर) पर, जो कि अनुज्ञप्तिधारी के पास कलेण्डर माह के अंत में शेष रहती है, उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, उपभोक्ता के खाते में आकलित (क्रेडिट) कर दी जाएगी।
- 1.11 त्वरित भुगतान हेतु छूट : के प्रकरणों में, जहां किसी चालू माह हेतु देयक की राशि रु. 1 लाख या इससे अधिक हो तथा देयक का भुगतान निर्धारित भुगतान तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में देयक राशि खविद्युत शुल्क (**Electricity Duty**) तथा उपकर को छोड़कर), के तत्पर भुगतान पर 0.25% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। वे उपभोक्ता, जिनके विरुद्ध देयकों की राशि बकाया हो, उन्हें इस प्राप्ति साहचर्य पात्रता नहीं होगी।
- 1.12 दिवस के समय (टाईम ऑफ डे-टीओडी) अधिभार/छूट: यह याजे ना उन उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होगी जहां इसे विनिर्दिष्ट किया गया है। यह योजना दिवस की अलग-अलग अवधियों हेतु प्रयोज्य होगी, अर्थात् सामान्य अवधि (नार्मल पीरियड), शीर्ष-भार (पीक लोड) तथा शीर्ष-बाह्य भार (ऑफ पीक लोड) अवधि हेतु। खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट निम्न तालिका के अनुसार लागू होंगे :

स.क्र.	शीर्ष/शीर्ष-बाह्य अवधि	तत्संबंधी अवधि हेतु खपत की गई विद्युत पर ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट
1	सायं शीर्ष-भार अवधि (सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 30 प्रतिशत, अधिभार के रूप में
2	शीर्ष -बाह्य अवधि (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर

टीप : स्थाई प्रभारों की बिलिंग सदैव केवल सामान्य दरों पर की जाएगी, अर्थात्, दिवस के समय (टीओडी) अधिभार/छूट स्थाई प्रभारों पर प्रयोज्य न होंगे।

1.13 ऊर्जा कारक अर्थदंड (पावर फेक्टर पैनाल्टी) (रेलवे कर्षण एचवी-1 श्रेणी से अन्य उपभोक्ताओं हेतु)

- (i) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो वह प्रत्येक 1 (एक) प्रतिशत गिरावट हेतु, जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु अतिरिक्त कुल बिल राशि पर 1 प्रतिशत (एक प्रतिशत) का अर्थ दण्ड भुगतान शीर्ष "ऊर्जा प्रभार" के अन्तर्गत करेगा।
- (ii) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों के अन्तर्गत प्रत्येक 1 (एक) प्रतिशत गिरावट हेतु जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु {5 (पांच) प्रतिशत + 2 (दो)} प्रतिशत की दर से, अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा। यह अर्थदण्ड इस शर्त के अधीन होगा कि निम्न ऊर्जा कारक के कारण समग्र अर्थदण्ड 35 प्रतिशत से अधिक न होगा।
- (iii) यदि औसत मासिक ऊर्जा कारक, 70 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की संस्थापना के संयोजन को विच्छेद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जब तक कि इसमें अनुज्ञप्तिधारी की तुष्टि होने तक इसमें उचित सुधार लाये जाने बाबत उचित कदम उठाये नहीं जाते। तथापि, यदि संयोजन का विच्छेद नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में, अनुज्ञप्तिधारी बिना किसी भेद-भाव के निम्न दाब कारक हेतु दाण्डिक प्रभारों को अधिरोपित कर सकेगा।
- (iv) इस प्रयोजन से, "औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)" को माह के दौरान अभिलिखित की गई 'कुल किलोवॉट आवर्स' तथा 'कुल किलोवोल्ट एम्पीयर आवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा कारक (%) को निकटतम एकीकृत अंश तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न को आगामी उच्च अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित किया जाएगा।

(v) उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 (छः) माह के दौरान किसी भी समय 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो उपरोक्त को इसका सुधार कम से कम 90 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु अधिकृत होगा:

(ए) यह 6 माह की अवधि उस तिथि से मान्य की जाएगी जिस पर औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 प्रतिशत से कम पाया गया हो।

(बी) समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों का बिलिंग किया जाएगा, परन्तु यदि उपभोक्ता औसत आगामी तीन माह के दौरान (इस प्रकार कुल चार माह) कम से कम 90 प्रतिशत ऊर्जा कारक संधारित करता है तो निम्न ऊर्जा कारक के कारण बिल किये गये प्रभारों को कथित 6 माह की अवधि को वापस ले लिया जाएगा तथा आगामी मासिक बिलों में इन्हें आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा।

(सी) उल्लेखित की गई उपरोक्त सुविधा नवीन उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार प्रदान नहीं की जाएगी, जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से 6 माह के दौरान 90 प्रतिशत से कम न रहा हो। तत्पश्चात्, निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण यदि यह 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो उन्हें प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भांति ही करना होगा।

1.14 आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार :

i. उपभोक्ताओं को समस्त समयों पर, वास्तविक अधिकतम मांग को संविदा मांग के अंतर्गत सीमित रखना होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां कि किसी एक माह में वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग से अधिक तक बढ़ जाती है तो विभिन्न दर्शाई गई विद्युत-दरें (टैरिफ) संविदा मांग तक प्रयोज्य होंगी। उपभोक्ताओं को आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार तथा स्थाई प्रभार से प्रभारित किया जाएगा तथा ऐसा करते समय टैरिफ की अन्य निबन्धन तथा शर्तें, यथा न्यूनतम प्रभार, ऊर्जा कारक अर्थदण्ड, टी ओ डी अर्थदण्ड इत्यादि प्रयोज्य होंगी परन्तु कोई प्रोत्साहन प्रयोज्य कथित आधिक्य मांग हेतु लागू नहीं होगा। टैरिफ न्यूनतम प्रभार आधिक्य मांग पर प्रयोज्य होंगे परन्तु इनका समयोजन आगे के माहों में नहीं होगा। किसी माह के अन्तर्गत इस प्रकार की गई आधिक्य मांग की गणना, यदि कोई हो, को समस्त उपभोक्ताओं पर, निम्न दरों के अनुसार भारित किया जाएगा :—

ii. आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार : ऐसे प्रकरण में, जहां अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग से अधिक हो, उपभोक्ता को आधिक्य मांग से तत्संबंधी खपत के ऊर्जा प्रभारों हेतु विद्युत-दर (टैरिफ) की 2 गुना दर पर प्रभारों का भुगतान करना होगा।

उदाहरण : एक ऐसा उपभोक्ता, जिसकी संविदा मांग 200 केवीए है, यदि 250 केवीए की अधिकतम मांग अभिलिखित करता है तो $(250 \text{ केवीए} - 200 \text{ केवीए}) = 50 \text{ केवीए}$ हेतु ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग निम्न के बराबर होगी, अर्थात् (माह के दौरान अभिलिखित की गई खपत ' 50 केवीए/अधिकतम अभिलिखित संविदा मांग)' 2 ' ऊर्जा प्रभार यूनिट दर

iii. आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार : इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

1. आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 115 प्रतिशत तक हो (**Fixed charges for Excess Demand when the recorded maximum demand is up to 115% of the contract demand**) :— संविदा मांग से अधिक मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, सामान्य दर की 2 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

-
2. आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग के 115 प्रतिशत से अधिक हो **(Fixed charges for Excess Demand when the recorded maximum demand exceeds 115% of contract demand)** :- उपरोक्त 1 में दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग से 115 प्रतिशत से अधिक अभिलिखित की गई मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 2.5 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभारों का उदाहरण : यदि किसी उपभोक्ता की संविदा मांग 100 केवीए है तथा बिलिंग माह के दौरान अधिकतम मांग 140 केवीए है, तो उपभोक्ता की स्थाई प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

(अ) 100 केवीए तक, सामान्य विद्युत-दर (टैरिफ) पर

(ब) 100 केवीए से अधिक तथा 115 केवीए तक, अर्थात् 15 केवीए हेतु, सामान्य विद्युत-दर की 2 गुना दर पर

(स) 115 केवीए से अधिक तथा 140 केवीए तक, अर्थात् 25 केवीए हेतु, सामान्य विद्युत-दर की 2.5 गुना दर पर

iv. किसी माह में की गई अधिक मांग की गणना को, मासिक देयकों के साथ प्रभारित किया जाएगा तथा उपभोक्ता को इसका भुगतान करना होगा।

v. उपभोक्ता को सामान्य विद्युत-दर से अधिक मांग की बिलिंग किया जाना, विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, विद्युत प्रदाय विच्छेद किये जाने संबंधी अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

1.15 **विलंबित भुगतान अधिभार** : देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक न किये जाने पर, उपभोक्ता को (outstanding) राशि, क्षबकाया पूर्व की अवशेष (एरियर्स) राशि को सम्मिलित करद्व, पर अधिभार का भुगतान 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश की दर से करना होगा। माह के किसी अंश को विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन हेतु पूर्ण माह माना जाएगा। किसी उपभोक्ता के विद्युत संयोजन को स्थाई तौर पर विच्छेदित कर दिये जाने पर, विलंबित भुगतान अधिभार प्रयोज्य न होगा।

1.16 **अनादरित धनादेशों** (डिसआनर्ड चेक्स) पर सेवा प्रभार : ऐसे प्रकरण में, जहां उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश/धनादेशों [cheque(s)] को अनादरित (डिसआनर्ड) कर दिया गया हो, वहां पर नियमों के अनुसार रुपये 1000/- प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त, अधिरोपित किया जाएगा। यह प्रावधान अनुज्ञप्तिधारी के बिना किसी पक्षपात सुसंगत कानून के अन्तर्गत, राहत प्राप्त किये जाने के अधिकार के अध्यधीन होगा।

1.17 **उच्चदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय** : यदि कोई उपभोक्ता किसी अस्थाई अवधि के लिए विद्युत प्रदाय चाहता हो, तो अस्थाई विद्युत प्रदाय को पृथक सेवा माना जाएगा तथा इसे निम्न दरों के अध्यधीन प्रभारित किया जाएगा:

(ए) किसी प्रत्याशित विद्यमान उपभोक्ता द्वारा अस्थाई विद्युत प्रदाय की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सामान्यतः इसकी व्यवस्था की जा सकेगी, जब मांग हेतु यथोचित नोटिस दिया जाए। अस्थाई अतिरिक्त विद्युत प्रदाय को अतिरिक्त सेवा माना जाएगा तथा निम्न शर्तों के अध्यधीन इसे प्रभारित किया जाएगा। तथापि, तत्काल योजना के अंतर्गत विविध प्रभारों की अनुसूची अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रभारों के अनुसार सेवा 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

(बी) अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु प्रभारों की बिलिंग के प्रयोजन से, माह से अभिप्रेत है संयोजन की दिनांक से 30 दिवस की अवधि। बिलिंग के प्रयोजन से तीस दिवस से कम की किसी भी अवधि को पूर्ण माह माना जाएगा।

(सी) स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार सामान्य टैरिफ दरों की 1.5 गुना दर पर प्रभारित किये जाएंगे। स्थाई प्रभार की वसूली पूर्ण बिलिंग माह अथवा उसके किसी अंश हेतु की जाएगी।

(डी) उपभोक्ता को न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) प्रत्याभूत करनी होगी जैसा कि यह स्थाई उपभोक्ताओं को अनुपातिक आधार पर निम्न दर्शाई गई दिवस संख्या संबंधी विवरण पर प्रयोज्य है :—

$$\text{अस्थाई अवधि के लिए अतिरिक्त विद्युत प्रदाय हेतु, न्यूनतम खपत} = \frac{\text{स्थायी विद्युत प्रदाय को प्रयोज्य वार्षिक न्यूनतम खपत X अस्थाई संयोजन की दिवस संख्या}}{\text{वर्ष के अन्तर्गत दिवस संख्या}}$$

(ई) बिलिंग मांग, उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय अवधि के अंतर्गत संयोजन माह से प्रारंभ होकर बिलिंग माह की समाप्ति तक आवेदित की गई मांग अथवा उच्चतम मासिक अधिकतम मांग, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी। उदाहरण के तौर पर :

माह	अभिलिखित की गई अधिकतम मांग (केवीए में)	बिलिंग मांग (केवीए में)
अप्रैल	100	100
मई	90	100
जून	80	100
जुलाई	110	110
अगस्त	100	110
सितम्बर	80	110
अक्टूबर	90	110
नवम्बर	92	110
दिसम्बर	95	110
जनवरी	120	120
फरवरी	90	120
मार्च	80	120

(एफ) उपभोक्ता को अस्थाई संयोजन प्रदान किये जाने से पूर्व, उसे प्राक्कलित प्रभारों का अग्रिम भुगतान करना होगा जो कि उसके द्वारा समय-समय पर की गई संभूति (Replenishment) के अध्यधीन होगा तथा जिसे संयोजन विच्छेद के उपरान्त अन्तिम देयक में समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार की अग्रिम राशि पर ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(जी) उपभोक्ता को मीटरिंग प्रणाली हेतु भाड़े का भुगतान करना होगा।

(एच) संयोजन तथा संयोजन विच्छेद प्रभारों का भुगतान भी करना होगा।

(i) In case of existing HT consumer, the temporary supply may be given through existing permanent HT connection for the same purpose on following methodology of assessment :

(i) Deemed contract demand for the month to be billed for the fixed charge = C.D. (existing) on normal tariff for permanent connection + C.D. for temporary connection on normal tariff for temporary supply.

(ii) Billing demand for the month shall be as under:-

- a) In case, recorded MD is found to exceed deemed CD in any month, the billing demand for that month shall be 100% of normal CD and demand recorded over and above normal CD.
- b) In case, recorded MD is found to exceed normal CD but less than or equal to deemed CD in any month, the billing demand for that month shall be 100% of temporary demand and balance demand against normal CD shall be billed as per the provisions of tariff order for permanent supply.
- c) In case, recorded MD is found to be less than normal CD in any month, the billing demand for that month shall be 100% of temporary demand and 90% of normal CD.

(iii)

Consumption during the month shall be billed as under:-

Say the normal CD is A, temporary Demand is B and excess demand over and above (A+B) is C then

- a. Consumption for excess demand over and above deemed CD would be (x)

$$x = \frac{C}{A+B+C} \times \text{Total consumption}$$

- b. Consumption for temporary demand over and above permanent CD would be (y)

$$y = \frac{B}{A+B+C} \times \text{Total consumption}$$

- c. Consumption for permanent CD would be (z)

$$z = \text{Total consumption} - (x+y)$$

- (iv) The consumption worked out above for temporary connection shall be billed at 1.5 times the normal energy charges.
- (v) The demand in excess of deemed contract demand as calculated above at **(g)** (i) shall be treated as Excess Demand. For billing purposes such Excess demand, if any, in any month shall be treated as pertaining to temporary connection load and shall be charged at 2 times the normal fixed charges & energy charges of temporary connection. Additional charges for excess demand recorded during the period of temporary connection shall be calculated as given below :

Fixed charges for excess demand = fixed charges per kVA for temporary connection * excess demand * 2 (two)

Energy charges for excess demand = energy charges per unit for temporary connection * 2 (two) * (excess demand/deemed contract demand) * total consumption

(j) Power factor incentives/penalties and the condition for Time of Day Surcharge/ rebate shall be applicable at the same rate as for permanent connection.

स्थायी संयोजन हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें

- 1.18 विद्यमान 11 केवी उपभोक्ता, जिनकी संविदा मांग 300 केवीए से अधिक हो तथा जो कि 11 केवी पर उसी के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 7.5 प्रतिशत की दर से, अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।
- 1.19 विद्यमान 33 केवी उपभोक्ता, जिनकी संविदा मांग 10000 केवीए से अधिक हो तथा जो कि 33 केवी पर उसी के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 5 प्रतिशत की दर से, अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।
- 1.20 विद्यमान 132 केवी उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 50000 केवीए से अधिक हो तथा जो कि 132 केवी पर उसके अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल 223 स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

-
- 1.21 मापयंत्र प्रभारों (metering charges) की बिलिंग मीटरिंग तथा प्रभारों की अनुसूची के अनुसार जैसा कि इसे मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय करने का अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार की जाएगी। माह के एक अंश को बिलिंग के प्रयोजन से पूर्ण माह माना जाएगा।
- 1.22 टैरिफ दर में विद्युत ऊर्जा पर कर (टैक्स), उपकर (सेस) अथवा चुंगी (ड्यूटी) सम्मिलित नहीं है जो कि तत्समय प्रचलित कानून के अनुसार किसी भी समय देय हो सकती है। ऐसे प्रभार, यदि ये लागू हों, तो इनका भुगतान उपभोक्ता द्वारा विद्युत-दर (टैरिफ) प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।
- 1.23 इस विद्युत-दर (टैरिफ) आदेश की व्याख्या के संबंध में और/या विद्युत-दर (टैरिफ) की प्रयोज्यता के संबंध में, किसी विवाद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।
- 1.24 यदि कोई उपभोक्ता, उसी के अनुरोध पर, सुसंगत श्रेणी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई मानक प्रदाय वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय का उपयोग करता हो, तो ऐसी दशा में उसकी बिलिंग उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग की गई वोल्टेज के अनुसार की जाएगी तथा उसके द्वारा उच्चतर वोल्टेज उपयोग किये जाने के कारण कोई अतिरिक्त प्रभार उस पर अधिरोपित नहीं किये जाएंगे।
- 1.25 ऐसे समस्त उपभोक्ताओं को, जिनके द्वारा स्थाई प्रभार प्रयोज्य है, को प्रत्येक माह में स्थाई प्रभारों का भुगतान करना अनिवार्य होगा, भले ही उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।
- 1.26 यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही उपबंध, यदि कोई लागू हों, उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध से विपरीत हों।

.....
